खण्ड-433, अंक-7
सोमवार, 14 चैत्र, शक संवत् 1922
(3 अप्रैल, 2000 ई0)

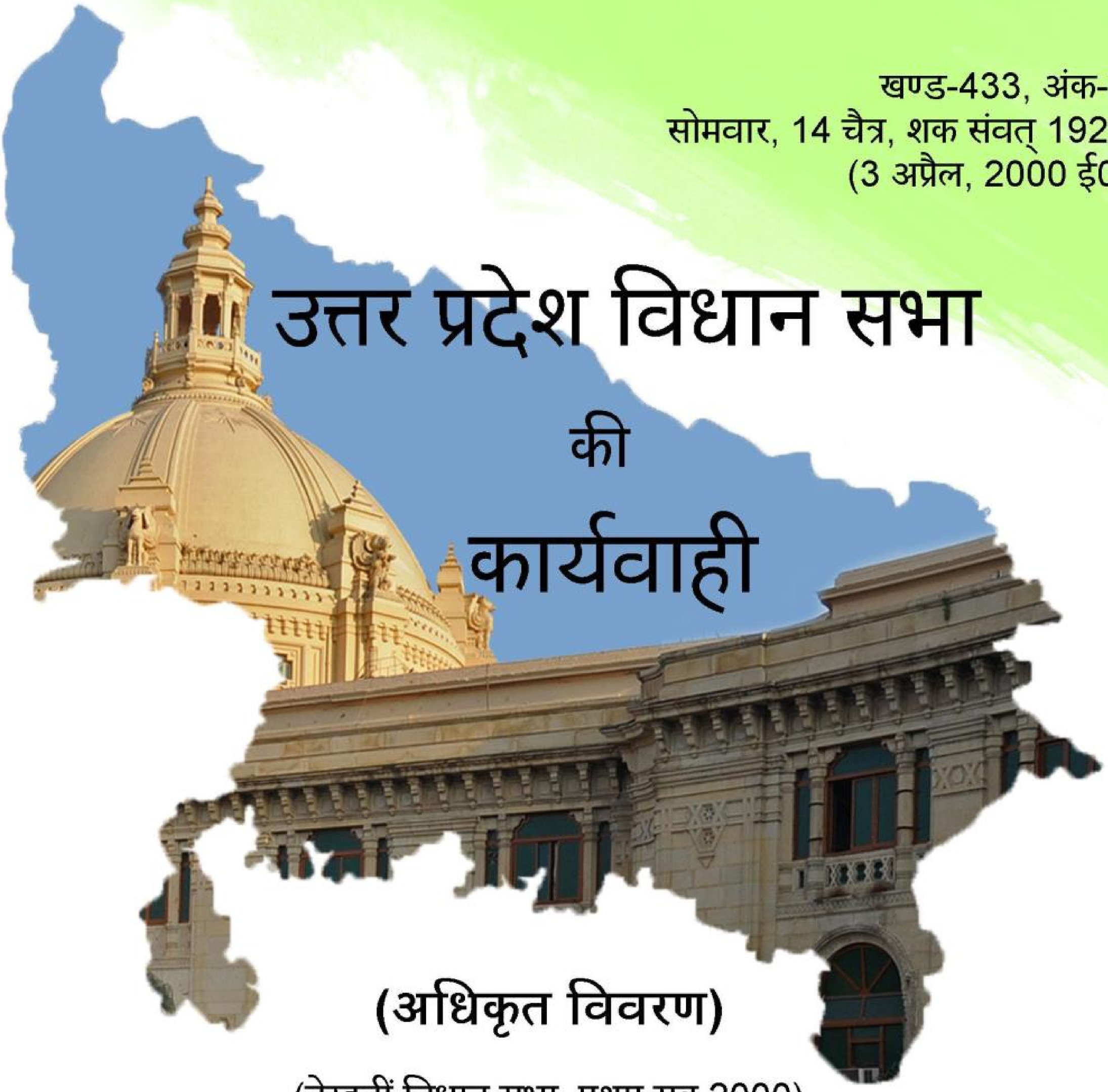

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2000)

खण्ड 433 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2000

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	क–ख
–प्रश्नोत्तर	1-68
–नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	67-68
–प्रदेश में पुलिस कर्मियों को पंचम वेतन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर वेतन दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	68
–जनपद सन्त रविदास नगर के नगर पंचायत सुरियांवा में निर्माणाधीन नलकूप के अधूरा होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	68
–जनपद एटा के विद्युत उपकेन्द्र पर क्षतिग्रस्त विद्युत लाइन से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	68
–जनपद लखीमपुर के ग्राम मोहदीपुर, परसा, पटेवरा में जल भराव समस्या के निराकरण के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	69
–जनपद महोबा की नगर पंचायत कवरई की मुख्य सड़क खराब होने से आये दिन घटने वाली दुर्घटनाओं के निदान के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	69
–जनपद बहराइच, नेहरू कालेज रूपईडीहा, के प्रधानाचार्य को परीक्षा केन्द्र प्रभारी की जिम्मेदारी न दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	69
–औचित्य के प्रश्न की सूचनायें	70
–जनपद महाराजगंज के जिलाधिकारी व मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन का उद्घाटन पूर्व विधायक की अध्यक्षता में कराये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	70-71
–मा० विधायकों को विधान सभा प्रश्नों के उत्तर समय से प्राप्त न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	71-73
–जनपद आजमगढ़ के माहुल बाजार में शान्तिपूर्ण धरना और प्रदर्शन करने वालों पर सी०ओ० द्वारा फायरिंग/लाठीचार्ज से हुई मृत्यु तथा घायलों के संबंध में गत सत्र में नियम–56 में दी गई सूचना के बारे में कार्यवाही न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	73-76
–दिनांक 23-3-2000 को महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के समय श्री मुराद लारी द्वारा किये गये अशोभनीय व्यवहार के विरुद्ध डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना... ...	76
–दिनांक 8-3-99 को डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेई द्वारा अधिसूचित स्वास्थ्य विभाग के अनुदानों से संबंधित बजट साहित्य समय से उपलब्ध न कराये जाने विषयक औचित्य के प्रश्न पर वक्तव्य	76-78
–नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	78-91
–उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2000 पर प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा एवं मतदान (जारी)	91-121

विषय	पृष्ठ-संख्या
–उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2000 पर संशोधन का उल्लेख करने पर डा० रमेश पोखरियाल "निशंक" से त्याग-पत्र दिये जाने की मांग विषयक व्यवस्था का प्रश्न	121-122
–उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2000 पर प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा और मतदान (संशोधन अस्वीकृत तथा संकल्प स्वीकृत)	123-150
–उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2000 ——— (पुरःस्थापित)	150
–कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव ——— (स्वीकृत)	151
–"इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण हेतु एक समान नीति बनायी जाय तथा उसे बिना भेदभाव के सभी नागरिकों पर कड़ाई से लागू किया जाय" विषयक डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई के नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा का स्थगन	151
–नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	151-152
–नत्थी	153

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

सोमवार, दिनांक 3 अप्रैल, 2000

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

1–अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
2–अजय कुमार पोइया, श्री — मथुरा
3–अजय राय, श्री — वाराणसी
4–अतीक अहमद, श्री — इलाहाबाद
5–अनिल कुमार, श्री — बलिया
6–अफजाल अंसारी, श्री — गाजीपुर
7–अफजाल अहमद, श्री — जौनपुर
8–अफरोज अली खां, श्री — रामपुर
9–अब्दुल कलाम, श्री — बस्ती
10–अब्दुल कलाम, श्री — वाराणसी
11–अरविन्द गिरि, श्री — खीरी
12–अरुणवीर सिंह, श्री — बहराइच
13–अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
14–अशफाक अहमद, श्री — बरेली
15–अशोक कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
16–आनन्द प्रकाश, श्री — पडरौना
17–आर० के० सिंह पटेल, श्री — बांदा
18–उर्मिला देवी, श्रीमती — मैनपुरी
19–ओइम्वेश, स्वामी — बिजनौर
20–ओमकार सिंह, श्री — बदायूं
21–कमलेश कुमार सिंह, श्री — बलरामपुर
22–कल्याण सिंह, श्री — अलीगढ़
23–काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, श्री — रामपुर
24–काशी राम, श्री — रामपुर
25–कृष्ण पाल सिंह, श्री — कानपुर देहात
26–कैलाश, श्री — गाजीपुर
27–चन्द्रपाल सिंह यादव, श्री — झांसी
28–चन्द्रेश पासवान, श्री — गोरखपुर
29–छोटे लाल गंगवार, मास्टर — बरेली
30–छोटे लाल वर्मा, डा० — महोबा
31–जगत सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
32–जगदम्बिका पाल, श्री — बस्ती
33–जगदीश सिंह राणा, श्री — सहारनपुर
34–जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री — फर्रुखाबाद
35–जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भइया श्री — गोरखपुर
36–जोखू लाल यादव, श्री — इलाहाबाद
37–तौफीक अहमद, श्री — सिद्धार्थनगर
38–देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह, श्री — कानपुर देहात
39–धर्मज्ञ मिश्र, डा० — हरदोई
40–नरेन्द्र सिंह यादव, श्री — फर्रुखाबाद
41–पूरन सिंह बुन्देला, श्री — ललितपुर
42–प्रदीप कुमार, श्री — सहारनपुर
43–प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री — वाराणसी
44–प्रेम प्रकाश सिंह, श्री — देवरिया
45–बाबू राम यादव, श्री — मैनपुरी
46–बाल चन्द्र मिश्र, श्री — कानपुर नगर
47–मिथिलेश कुमारी, श्रीमती — एटा
48–मुराद लारी, श्री — देवरिया
49–मुस्ताक सोलंकी, श्री — कानपुर नगर
50–योगेन्द्र सिंह सेंगर, श्री — देवरिया
51–रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर — पडरौना
52–रवीन्द्र प्रताप चौधरी, श्री — सिद्धार्थनगर
53–राकेश त्यागी, श्री — बुलन्दशहर
54–राकेशधर त्रिपाठी, श्री — इलाहाबाद
55–राजपाल सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
56–राजा गज़नफर अली खां, श्री — बिजनौर
57–राम आसरे पासवान, श्री — बस्ती
58–राम आसरे सिंह कुशवाहा, डा० — कानपुर नगर
59–राम खिलाड़ी, श्री — बदायूं
60–राम चन्द्र यादव, श्री — फैजाबाद
61–राम नरेश रावत, श्री — गाजियाबाद
62–रामपाल राजवंशी, श्री — सीतापुर
63–राम लखन, श्री — सुल्तानपुर
64–रामवीर उपाध्याय, श्री — अलीगढ़

65–रामेश्वर सिंह यादव, श्री — एटा
66–लल्लू सिंह, श्री — फैजाबाद
67–लालजी टण्डन, श्री — लखनऊ
68–लालमणि प्रसाद, श्री — बस्ती
69–बहोरन लाल मौर्य, श्री — बरेली
70–विजय प्रकाश, श्री — इलाहाबाद
71–विजय सिंह, श्री — सोनभद्र
72–विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह, श्री — गोण्डा
73–विरेन्द्र सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
74–वेद प्रकाश सिंह एम०एस०, डा० — बिजनौर
75–शब्बीर अहमद, श्री — बहराइच
76–शिवपाल सिंह यादव, श्री — इटावा
77–शिव पूजन राम, श्री — वाराणसी
78–श्रीराम पाल, श्री — जालौन
79–संजय सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
80–संदीप अग्रवाल, श्री — मुरादाबाद
81–सत्य प्रकाश सोनकर, श्री — वाराणसी
82–सन्त राम सिंह, श्री — जालौन
83–सर्वेश कुमार उर्फ राकेश कुमार, कुंवर — मुरादाबाद
84–सीताराम निषाद, श्री — फैजाबाद
85–सुखपाल पाण्डेय, श्री — बस्ती
86–सुधाकर सिंह, श्री — मऊ
87–सुमन लता सिंह, श्रीमती — बरेली
88–सुशीला अग्रवाल, श्रीमती — मुजफ्फरनगर
89–हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री — सोनभद्र

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

सोमवार, दिनांक 3 अप्रैल, 2000

(विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

प्रश्नोत्तर

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, मैंने आज नियम 311 के अन्तर्गत एक सूचना दी थी ।...

श्री अध्यक्ष–

नियम 311 की सूचनाओं को नियम 56 में परिवर्तित कर दिया गया है । शलाका के आधार पर जिसका उसमें आयेगा, उसको लिया जायेगा ।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–1 को माननीय मंत्री जी के अनुरोध पर स्थगित किया जाता है ।

महिलाओं को निःशुल्क उच्च शिक्षा दिये जाने की सरकार की योजना की जानकारी

**1–श्री राम औतार शाक्य (अनुपस्थित)–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि महिलाओं को निःशुल्क उच्च शिक्षा दिये जाने हेतु सरकार कोई विशेष कार्ययोजना बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, उच्च शिक्षा मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

जी नहीं ।

अभी भारत सरकार छात्राओं को स्नातक स्तर पर निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने के संबंध में कार्ययोजना बनाने पर विचार कर रही है । भारत सरकार द्वारा जो भी निर्णय लिया जाना है उसी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

यू० पी० कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि० इटावा को पुनः चालू कराने की मांग

**2–श्री रघुबर दयाल वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि यू० पी० कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि०, इटावा गत लम्बे समय से बन्द होने के कारण मिल के श्रमिक गेट पर धरना पर बैठे हैं ? क्या यह सही है कि दिनांक 21 जनवरी, 1999 को मिल के श्रमिक प्रतिनिधि और सेवायोजक प्रतिनिधियों के मध्य 26 जनवरी, 99 से मिल को चलाने की सहमति हुई थी ? यदि हां, तो क्या उसका अनुपालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार उक्त स्पिनिंग मिल को कब तक चालू करा देगी ?

सहकारिता मंत्री ('पटेल' राम कुमार वर्मा)–

उ० प्र० सहकारी कताई मिल संघ लि० की कताई मिल इटावा निरन्तर घाटे में चलने एवं कार्यशील पूंजी के अभाव में बन्द है । इस मिल के भविष्य के संबंध में वैकल्पिक व्यवस्था का प्रयास किया जा रहा है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के एक भाग का तो उत्तर दे दिया परन्तु दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया है । मैंने दूसरे भाग में यह पूछा था कि क्या यह सही है कि दिनांक 21 जनवरी, 1999

को मिल के श्रमिक प्रतिनिधि और सेवायोजक प्रतिनिधियों के मध्य 26 जनवरी, 99 से मिल को चलाने की सहमति हुई थी ? इसका कोई उत्तर नहीं दिया गया है ।

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

मान्यवर, 21 जनवरी, 1999 को श्रमिक प्रतिनिधि और सेवायोजक प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई थी । परन्तु मिल को चलाने जैसी कोई सहमति नहीं हुई थी ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, आप जरा इस पर विचार करें । मैंने पूछा था कि 26 तारीख से चलाने की सहमति हुई कि नहीं ? इसका अमुपालन किया गया कि नहीं किया गया ? इस पर हमें लिखित रूप से अवगत कराना चाहिए था, उस पर मंत्री जी मौन हैं । माननीय मंत्री जी को कोई जानकारी ही नहीं है । 21 जनवरी को जो समझौता हुआ और जो उसके टर्म्स एण्ड रेफरेन्स थे, उसके अनुसार लिखित रूप से समझौता हुआ था कि 26 तारीख से मिल को चलाया जायेगा परन्तु इसे अब तक नहीं चलाया गया । न चलाये जाने के क्या कारण हैं ? इसे भी नहीं बताया गया है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसे चलाने के लिये वैकल्पिक व्यवस्था क्या है और इसे आप कब तक चालू करवा देंगे ? क्योंकि एक साल से अधिक का समय हो गया है, यह बन्द पड़ी है । वैकल्पिक व्यवस्था के किन-किन पहलुओं पर आपने अब तक क्या विचार किया है और वे पहलू क्या हैं जिन पर इसे चलाये जाने की योजना बन रही है ?

श्री अध्यक्ष–

यह बात सही है कि इस प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं आया, कि इसे चलाये जाने की सहमति हुई थी कि नहीं । अब आपने इसका उत्तर दे दिया है । वैकल्पिक व्यवस्था के किन-किन पहलुओं पर विचार किया गया है, इसे आप बता दें ।

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

मान्यवर, मैंने पहले भी अनुरोध किया कि निरन्तर घाटे की स्थिति होने के कारण कार्यशील पूंजी के अभाव में यह बन्द पड़ी हुई है । मैंने निवेदन किया कि इस मिल को चलाये जाने पर विचार किया जा रहा है । निजीकरण के प्रयास किये जा रहे हैं, इस ओर हम निश्चित प्रयास कर रहे हैं ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी को इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी बिना उत्तर को पढ़े दस्तखत कर दिये । यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है । हजारों लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं । मेरा आपसे अनुरोध है कि इस प्रश्न को आप प्रश्न एवं संदर्भ समिति को दे दें ताकि वह मिल चलायी जा सके ।

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य के हर प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं । स्थिति हमने स्पष्ट कर दी है, कोई चीज छिपायी नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

वैकल्पिक व्यवस्था के कौन-कौन से पहलू हैं ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

मान्यवर, निश्चितरूप से निजीकरण का प्रयास हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री वर्मा जी, आप लिखकर दे दें ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, आप उत्तर से स्वयं संतुष्ट नहीं हैं। यह सदन की सीधे-सीधे अवमानना है। लिखित रूप से उत्तर भेजा जाना चाहिये था, वह नहीं भेजा गया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री वर्मा जी, प्रश्न एवं संदर्भ समिति को भेजने के लिये आप लिखित रूप से अनुरोध कर लें।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में वर्तमान में जमा ऋण के अनुपात को और अधिक बढ़ाने की योजना की जानकारी

*1–श्री जगदम्बिका पाल (अनुपस्थित)–

क्या संस्थागत वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान समय में ऋण जमा का अनुपात क्या है ? क्या ऋण जमा के अनुपात को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कोई योजना तैयार की गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संस्थागत वित्त एवं व्यापार कर मंत्री (श्री बाबू राम एम० काम०)–

भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार जून, 1999 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में वाणिज्यिक बैंकों का ऋण जमा अनुपात 27.05% है।

बैंकिंग भारतीय संविधान व्यवस्था के अन्तर्गत केन्द्रीय सूची में आता है एवं समस्त अनुसूचित व्यवसायिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारत सरकार के अधीन है। अतः ऋण जमा अनुपात को बढ़ाने के लिये योजना बनाने का कार्य राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में नहीं आता फिर भी राज्य सरकार इस दिशा में सहयोग प्रदान करते हुए वाणिज्यिक बैंकों से सम्पर्क बढ़ाकर प्रयास कर रही है कि बैंकों द्वारा प्रदेश की प्रगति हेतु अधिकाधिक ऋण स्वीकृत किये जायं ताकि यह अनुपात बढ़ सके। साथ ही राज्य सरकार द्वारा ऋण जमा अनुपात की लगातार समीक्षा की जाती रहती है तथा बैंकों को इस अनुपात को बढ़ाने में राज्य सरकार से जो भी सहायता की आवश्यकता होती है उसे ससमय उपलब्ध कराया जाता है।

प्रदेश में वाहनों के पंजीकरण और वार्षिक रोड टैक्स की दरों में वृद्धि करने की जानकारी तथा सड़कों को सुधारने की मांग

*2–श्री गोरख नाथ पाण्डेय–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वाहनों के पंजीकरण और वार्षिक रोड टैक्स की दरों में इस वर्ष वृद्धि की गयी है ? यदि हां, तो कितनी तथा उसका क्या औचित्य है ? क्या सरकार उसकी एवज में सड़कों की दशा सुधारने एवं उन पर सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन मंत्री (राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह)–

वाहनों के पंजीकरण फीस की दरों में वृद्धि नहीं की गयी है। मोपेड, स्कूटर, मोटर साइकिल व ड्राइवर को छोड़कर 06 व्यक्तियों से अनधिक व्यक्तियों के प्रयोग हेतु प्रयुक्त प्राइवेट कारों की एकबारीय

रोड टैक्स की दरों में वृद्धि की गयी है जो दिनांक 11-1-2000 से प्रभावी हुई है । इसी प्रकार के ऐसे वाहन जो वार्षिक रोड टैक्स जमा करते हैं उनके करों में भी वृद्धि की गयी है ।

1–इस वर्ष मोपेड, स्कूटर, मोटरसाइकिल तथा प्राइवेट कारों के एकबारीय कर में जो वृद्धि की गयी है यह निम्न प्रकार है :–

	पूर्व में एकबारीय कर	वर्तमान में एकबारीय कर
1–मोपेड	500/=	800/=
2–स्कूटर	935/=	1500/=
3–चार पहिया प्राइवेट वाहन	3300/=	मूल्य का 2.5% तथा न्यूनतम 5000/=

2–इसी प्रकार के ऐसे वाहन जो वार्षिक रोड टैक्स जमा करते हैं उनके करों में भी वृद्धि की गयी है जो निम्न प्रकार है :–

	पूर्व में वार्षिक कर	वर्तमान में वार्षिक कर
1–मोपेड	60/=	90/=
2–स्कूटर	90/=	150/=
3–चार पहिया प्राइवेट वाहन	300/=	500/=

वाहनों के मूल्य में वृद्धि तथा सामान्य रूप से मंहगाई बढ़ने की तुलना में करों में वृद्धि नगण्य रही है ।

कर के रूप में प्राप्त राजस्व सरकार के सामान्य पूल में जमा किया जाता है जो सामान्य राजस्व का हिस्सा होता है । इस प्रकार इसका उपयोग सड़कों की दशा सुधारने में भी किया जाता है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, मैंने आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या प्रदेश में वाहनों के पंजीकरण और वार्षिक रोड टैक्स की दरों में इस वर्ष वृद्धि की गई है ? यदि की गई है तो कितनी ? और उसका औचित्य क्या है ? माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसमें डेटा भी दिया है जो कि बढ़ोत्तरी भी दर्शाता है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इसमें पंजीकरण टैक्स और रोड टैक्स कितना-कितना है ? क्या पंजीकरण टैक्स में रोड टैक्स इन्ट्री नहीं है । क्या मंहगाई के प्रतिशत के हिसाब से उसको बढ़ाया गया है । मंहगाई किस प्रतिशत से बढ़ी है और टैक्स किस प्रतिशत से बढ़ाया है ? क्या उसी के अनुरूप कर्मचारियों का भी भत्ता आदि बढ़ाया है ?

श्री अध्यक्ष–

यह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है ।

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

पंजीकरण टैक्स और रोड टैक्स में अन्तर है । जो प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा था उसका उत्तर दे दिया है ।

श्री अध्यक्ष–

पंजीकरण फीस होती है और कर, कर होता है । इसमें अन्तर है ।

परिवहन राज्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह)–

पंजीकरण की फीस भारत सरकार की तरफ से तय होता है ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

माननीय मंत्री जी ने एकबारीय कर के बारे बताया है कि पूर्व में मोपेड का 500 रुपया था जो अब 800 रुपया हो गया है । मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि यह जो पहले 500 और अब 800 मोपेड का लिया जा रहा है उसमें पंजीकरण शुल्क कितना है ।

श्री वीरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, उत्तर के शुरू में ही दिया है कि वाहनों के पंजीकरण फीस की दरों में वृद्धि नहीं की गई ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई–

प्रश्न के दूसरे खण्ड में पूछा गया है कि क्या सरकार सड़कों की दशा सुधारने एवं उन पर सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करेगी ? माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि कर के रूप में प्राप्त राजस्व सरकार के सामान्य पूल में जमा किया जाता है जो सामान्य राजस्व का हिस्सा होता है । इस प्रकार इसका उपयोग सड़कों की दशा सुधारने में भी किया जाता है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

जिन जनपदों से वह धन मिलता है क्या उन्होंने उन जनपदों की सड़कों की दशा सुधारने में कोई व्यवस्था की है ?

श्री अध्यक्ष–

जब सामान्य पूल में जाता है तो प्रश्न नहीं उठता है ।

तारांकित प्रश्न

*1–श्री राजधारी–

[मंत्रि-परिषद् में शामिल होने के कारण हटाया गया ।]

*2–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई–

[3 सरे बुधवार में ता० प्र० सं०–15 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

*3–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

[निदेश संख्या–26(1) के अन्तर्गत उत्तरित ।]

प्रदेश में 1 जनवरी, 1998 से अब तक फर्जी पुलिस मुठभेड़ों में मारने की शिकायत की जांच की मांग

*4–श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 जनवरी, वर्ष 1998 से अब तक प्रदेश में पुलिस मुठभेड़ों में कितने लोग मारे गये ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त मुठभेड़ों में से कितनी फर्जी मुठभेड़ें पाई गई और उनमें अब तक दोषियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी ?

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

1 जनवरी, 1998 से 30 सितम्बर, 1999 तक अपराधियों से हुई 305 पुलिस मुठभेड़ों में कुल 401 अपराधी मारे गये ।

उक्त 305 पुलिस मुठभेड़ों में से 4 प्रकरणों में फर्जी होने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं । जिनकी जांच सी०बी०, सी०आई०डी० से करायी जा रही है । अभी तक इनमें से एक प्रकरण में 11 पुलिस कर्मियों को निलम्बित किया गया है ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया कि 1 जनवरी, 1998 से अब तक जितनी मुठभेड़ हुई है उसमें 305 पुलिस मुठभेड़ों में 401 अपराधी मारे जाने की बात कही है । मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि 401 अपराधी जो मारे गये हैं उसमें नामित कितने हैं जिनका विवरण है और कितने ऐसे हैं जो अज्ञात में मारे गये हैं क्या इस विवरण को माननीय मंत्री जी सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

यह जानकारी उपलब्ध नहीं है । आपने संख्या पूछी थी मैंने संख्या उपलब्ध करा दी । जो जानकारी पूछी गई वह बता दी अब जो जानकारी आप चाह रहे हैं इसके लिए अतिरिक्त सूचना की आवश्यकता होगी ।

(11 बजकर 12 मिनट पर अधिष्ठाता श्री मुन्ना चौहान पीठासीन हुए ।)

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर संसदीय कार्य मंत्री ने स्पष्ट करते हुए नहीं दिया है । अधिष्ठाता जी, आपसे गुजारिश है कि 401 लोग जो मारे गये हैं इसमें कितने लोगों का नाम पते का विवरण मालूम है और कितने अज्ञात हैं बता दें । मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जनवरी से जो लोग मारे गये मिर्जापुर में 12 लोग मारे गये जिसमें 6 अज्ञात लोग मारे गये । आठ लोगों का इन्काउन्टर हुआ । 16 दिन में कई लोगों का इन्काउन्टर हुआ कुल मिलाकर मार्च से लेकर अब तक 29 लोगों का इन्काउन्टर हुआ है, इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार के पास सारे तंत्र हैं हमारे पास कोई तंत्र नहीं है मेरा अनुरोध है कि मंत्री जी स्पष्ट कर दें कि 401 में कितने लोग अज्ञात हैं कितने ज्ञात हैं । दूसरा प्रश्न यह है कि 401 लोग जो मारे गये हैं इसमें आपने कहा है कि सी०बी०सी०आई०डी० से जांच करा रहे हैं तो यह इतना अहम् मसला है इसमें ज्ञात और अज्ञात का विवरण तो आपके पास होगा ।

श्री विनोद मणि–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्नों के बीच में व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं जो मूल उत्तर आया है उसकी तरफ ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा । मैंने जो संख्या दी है वह 1 जनवरी, 98 से 30 सितम्बर, 99 तक की दी है । फिर अब यह पूछ रहे हैं कि मार्च की बतायें, फरवरी की बतायें, अक्टूबर की बतायें । दूसरा प्रश्न आप देखें उसमें यह पूछा गया था कि कितने अब तक पुलिस मुठभेड़ में मारे गये । तो मैंने संख्या बता दी कि 401 मारे गये । अब 83 जनपदों का मामला है । अगर आप यह चाहते हैं कि जो फर्जी पाये गये उसका विवरण हमें चाहिए तो मैं वह सदन के पटल पर रखने को तैयार हूं । अभी मेरे पास इसकी सूचना नहीं है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, चार प्रकरण फर्जी प्राप्त होने की शिकायत प्राप्त हुई हैं । उन चारों की सी०बी०सी०आई०डी० से जांच करायी । एक प्रकरण में 11 पुलिस कर्मी निलम्बित हुए और शेष जो तीन प्रकरण हैं वह कब के हैं और उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गयी है यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, पहला प्रकरण 6/7 मार्च, 98 का है । यह चित्रकूट जनपद, रैपुरा थाने का है । इसमें दो लोग मारे गये और मुकदमा दर्ज हुआ और उसके बाद इनके पिता हाईकोर्ट चले गये । हाईकोर्ट से

आदेश हुआ, पुलिस कर्मियों के विरुद्ध मुकदमा कायम करने का आदेश हुआ । कायम करने के बाद सी०बी०सी०आई०डी० की जांच कराने के आदेश हुए और जांच हुई । जांच कम्पलीट होने के बाद उसमें फाईनल रिपोर्ट लगा दी गयी । दूसरी 13-3-98 की घटना है । औरैया में दो व्यक्तियों सर्वेश और लल्लन को मार दिया गया । तीसरा हरदोई के हरपालपुर की घटना है । इसमें पुत्तन और अखिलेश मारे गये । चौथी घटना भदोही की है । इसमें हरिजन ओम प्रकाश, अजय सिंह और शमीम उर्फ नाटे मारे गये ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, अभी माननीय सदस्य, शाक्य जी ने कहा कि इन मुठभेड़ में जो लोग मारे गये उसमें कितने ज्ञात हैं और कितने अज्ञात हैं और उसका उत्तर यह देना नहीं चाहते हैं ? जिन व्यक्तियों की जाने गयीं थीं वह अपराधी था कि नहीं इसकी जानकारी शासन को प्राप्त करनी थी यह उनका उत्तरदायित्व था । लेकिन यह उत्तर नहीं दे रहे हैं । आखिर कौन सी कठिनाई है जो कि इसका उत्तर यह नहीं दे रहे हैं । यह बड़ा ही स्पेसिफिक प्रश्न है । अगर उत्तर नहीं आता है तो फिर प्रश्न पूछने का लाभ ही क्या रह जाता है ? कृपया इसका उत्तर दिलवा दें ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रश्न दो भागों में बांटना चाहता हूं । दो श्रेणी हैं कि कितने फर्जी मुठभेड़ में मारे गये और शासन का यह दायित्व था कि जो फर्जी मुठभेड़ में मारे गये उनकी सारी जानकारी प्राप्त करते कि जो लोग मारे गये वह अपराधी थे कि नहीं और जानकारी प्राप्त करने के बाद जो पुलिस कर्मी दोषी पाये जाते उनके खिलाफ कार्यवाही की जाती है । बाकी तीन में चार्जशीट लगी है । यह विचाराधीन है । उत्तर प्रदेश में तो 83 जनपद हैं उसमें सारा विवरण प्राप्त करने में समय की और सूचना की आवश्यकता होगी ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, इसमें लोगों की जाने गयी हैं उसमें कितने ज्ञात अपराधी थे कितने अज्ञात यह सूचना पुलिस मुख्यालय में प्रतिदिन आती है । इसमें आपका संरक्षण चाहूंगा ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी का कहना है कि 83 जनपदों से तत्काल यह सूचना उपलब्ध नहीं है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, जहां पर मुठभेड़ होती है उसकी तत्काल सूचना सरकार को आती है । मान्यवर, मंत्री जी सितम्बर तक की रिपोर्ट पढ़ रहे हैं । अब यह अप्रैल आ गया है । आप कृपया इसे प्रश्न एवं संदर्भ समितिं को सुपुर्द करने का कष्ट करें ।

श्री अधिष्ठाता–

आप सुसंगत नियमों में लिखकर दे दें, तो परीक्षण कर लिया जायेगा ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, आप कार्य सूची देख लें । प्रश्न है 5 अक्टूबर, 1999 का, आपको सितम्बर तक की सूचना इसमें दी है ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने व्यवस्था दे दी है कि जो आपका मन्तव्य है, आप सुसंगत नियमों में लिखकर दे दें । परीक्षण कर लिया जायेगा ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

यह बताया गया मान्यवर कि 305 मुठभेड़ में 401अपराधी मारे गये हैं उसमें पंजीकृत अपराधी कितने थे ? इसमें अपराधी शब्द दिया है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैंने पहले ही कहा कि यह सूचना मेरे पास नहीं है 1 83 जिलों में अलग-अलग सूचना मंगवानी पड़ेगी । अलग से सवाल कर लेंगे तो सूचना मंगवा लेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग कृपया बैठ जायें । मैंने इस प्रश्न के उत्तर के संदर्भ में व्यवस्था दे दी है कि जो भी सुसंगत नियम हैं, उनमें लिखकर दे दें परीक्षण कर लिया जायेगा ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर,जब इनके उत्तर में अपराधी लिख दिया गया कि 401 अपराधी मारे गये तो उनका अपराध कहीं न कहीं साबित हो सकता है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जो माननीय डंग साहब की जिज्ञासा है, वह जिज्ञासा स्वाभाविक है, मेरी भी यही जिज्ञासा थी, मूल प्रश्न में अपराधी शब्द नहीं था उसमें था कि मुठभेड़ों में कितने लोग मारे गये । मेरे सामने भी यह बात आई कि लोग मारे गये लोग अपराधी थे कि नहीं, यह बात सामने आनी चाहिए । चूंकि यह उत्तर आ चुका था, मैं भी जानकारी करके आया हूं व्यक्ति कहना चाहिए था अपराधी नहीं कहा जाना चाहिए और व्यक्ति ही इसका उत्तर होना चाहिए था ।

श्री उदय राज यादव–

मान्यवर, मुझे एक अनुपूरक पूछ लेने दीजिए । मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि 4 मुठभेड़े फर्जी पाई गयीं और इन चारों की जांच सी०बी०सी०आई०डी० द्वारा की जा रही है उसके बाद उत्तर दे रहे हैं कि एक मुठभेड़ में सी०बी०सी०आई०डी० द्वारा फाइनल लगा दी गयी है और 3 में चार्जशीट लगा दी गयी है तो मैं जानना चाहता हूं कि जांच किसकी चल रही है ?

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठें । मैं अनुमति नहीं दूंगा । शाक्य जी आप कुछ पूछना चाहते हों तो पूछें ।

श्री राम औतार शाक्य–

माननीय अधिष्ठाता जी, यह सवाल पूरे प्रदेश से जुड़ा हुआ है और अहम सवाल है । अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने अपराधी और लोगों में अन्तर करने की कोशिश की तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री के जवाब से यह लगता है कि अपराधी नहीं थे, जो लोग मारे गये थे वह अपराधी नहीं थे, जनता के लोग थे और निर्दोष भी थे इसलिए यह और आवश्यक हो जाता है । सदन के पटल पर उनके अपराधिक इतिहास की सूची जिसमें ज्ञात लोगों और अज्ञात लोगों का वर्णन हो, को सदन के पटल पर कब तक रखेंगे । कोशिश करें अगर प्राप्त हो जाय तो ?

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मुझे एक प्रश्न पूछ लेने दें ।

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठें, इस पर 15 मिनट से अधिक का समय हो चुका है ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन पुलिस कर्मियों के खिलाफ चार्जशीट लगायी गयी है क्या सरकार उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देगी ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह मैं खुद ही कह चुका हूं कि जिनके खिलाफ चार्जशीट लगायी गयी है वह शासन में आ चुका है शासन परीक्षण कर रहा है और उसके बाद ही इस पर निर्णय लिया जायेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

यह बहुत ही गंभीर प्रकृति का प्रश्न था और बहुत अहम बातें इसमें उठायी गयी हैं । माननीय मंत्री जी, इसमें यह अपेक्षा होगी कि शासन को निश्चित रूप से इतनी जानकारी तो रखनी ही चाहिए कितने ज्ञात हैं और कितने अज्ञात हैं । इसमें अधिक से अधिक विवरण मुठभेड़ों का शासन जिलों से प्राप्त कर लें ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं प्राप्त कर लूंगा ।

*5–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

[दिनांक 27-3-2000 को ता० प्र० सं० 8 द्वारा उत्तरित]

केन्द्रीय कारागार, नैनी में निरुद्ध बन्दियों के पास अवैध सेल्युलर टेलीफोन होने की जांच सी०बी० सी०आई०डी० से कराने एवं उसकी रिपोर्ट की जानकारी

*6–कुं० रेवती रमण सिंह तथा श्री अम्बरीष कुमार–

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत वर्षों में केन्द्रीय कारागार नैनी में कैदियों के पास अवैध रूप से सेल्युलर टेलीफोन पाये जाने की जांच सी०बी० सी०आई०डी० द्वारा करायी गयी थी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट के मुख्य बिन्दु क्या हैं और उसमें कौन-कौन अधिकारी दोषी पाये गये ? दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कारागार मंत्री (चौधरी लक्ष्मी नारायण)–

माह दिसम्बर, 1998 में केन्द्रीय कारागार, नैनी में तत्समय निरुद्ध कतिपय बंदियों द्वारा कारागार में निरुद्ध रहते हुए अपराधिक गतिविधियों का संचालन करने एवं अनधिकृत सुविधायें प्राप्त करने संबंधी शिकायतों की जांच सी०बी० सी०आई०डी० से न कराकर केन्द्रीय जांच ब्यूरो से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । अभी जांच जारी है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आप के माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या शिकायतें थीं, जिसकी जांच सी०बी०सी०आई०डी० कर रही थी और वह कौन-कौन से अपराधी नैनी जेल में थे, जिनके विरुद्ध शिकायते आई थी और क्या सी० बी०सी०आई०डी० ने कोई अन्तरिम रिपोर्ट दी थी यदि नहीं तो फिर सी०बी०आई० से जांच कराने का क्या औचित्य था और क्या सी०बी०आई० ने कोई अन्तरिम रिपोर्ट दी है, जबकि इसकी जांच 1998 से चल रही है और अब सवा दो साल से ऊपर हो गये हैं ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण–

मान्यवर, 19-12-98 को धीरेन्द्र श्रीवास्तव नाम के एक व्यक्ति ने इलाहाबाद कैन्ट थाने में एक एफ०आई०आर० लाज कराई कि उनके सेल्यूलर फोन के सिमकार्ड का किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा प्रयोग किया जाता है । इस एफ०आई०आर० होने के बाद उसी दिन जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा जेल में छापा मारा गया, 4 बजकर 50 मिनट पर, उस समय जेल में कोई भी आपत्तिजनक इस तरह की वस्तुयें प्राप्त नहीं हुई । उसके बाद पुनः 7 बजकर 45 मिनट पर छापा मारा गया, अपर जिलाधिकारी, एडीशनल एस०पी० और सी०ओ० के द्वारा । उसमें एक पुलिस उपाधीक्षक जुगल किशोर तिवारी की तलाशी लेने पर मोबाइल फोन निकला । उसके बाद इस मामले को तुरन्त विजिलेंस को सुपुर्द

कर दिया गया । विजिलेंस ने रिपोर्ट दी कि इसमें संदेह किया जाता है कि इन अपराधियों से कुछ जेलकर्मियों की सांठ-गांठ हो सकती है । यह भी संदेह व्यक्त किया गया कि पुलिस के कर्मचारी/अधिकारी भी इनसे मिले हो सकते हैं । दिनांक 22-1-99 को सरकार ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुये मामला सी०बी०आई० के सुपुर्द कर दिया । हम उनको रिमाइन्डर भी दे चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है । जहां तक इसमें अपराधियों का प्रश्न है, उस समय बब्लू श्रीवास्तव तथा कौशल किशोर दो अपराधी जेल में थे । जिनके नेटवर्क के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई थीं । जो सिमकार्ड बताया गया था, वह एस्सार कम्पनी का था । इसमें संतोष शर्मा, मुदित श्रीवास्तव, गौरव श्रीवास्तव, कौशिक, मनीषा जायसवाल, बब्लू उर्फ ओम प्रकाश श्रीवास्तव एवं अन्य मुल्जिमान थे। जब विजिलेंस ने जांच की थी, उसमें एक बन्दी रक्षक लक्ष्मणधारी का भी नाम आया था, उसको भी जांच में सम्मिलित किया गया और वह भी जेल में है ।

श्री अम्बरीष कुमार–

अभी माननीय मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर में विस्तार से चर्चा की और सब बातें बताई । यह गम्भीर प्रवृत्ति पूरे प्रदेश में है कि जेलों में रहकर अपराधी आधुनिक संचार सुविधाओं के माध्यम से एक्जारशन कर रहे है और धन वसूली कर रहे हैं और अपराध भी संचालित कर रहे हैं । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब जेल मैनुवल बना था, उस समय सेल्युलर फोन पर प्रतिबंध लगाने का सवाल नहीं था क्योंकि सेल्युलर फोन उस समय अस्तित्व में नहीं था, अब सेल्युलर फोंन आ गया है तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जेल मैनुअल में संशोधन करके सेल्युलर फोन या जो संचार के दूसरे साधन है उनको भी अनधिकृत घोषित कर दिया गया है या नहीं और इस घटना के बाद क्या प्रदेश के समस्त जेलों में ऐसे कदम उठाये गये हैं कि जो कुछ नैनी में हुआ है वह प्रदेश के अन्य जेलों में न हो सके, इस पर प्रकाश डालें ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण–

मान्यवर, जहां तक माननीय सदस्य द्वारा यह पूछा गया कि सेल्युलर फोन जो पहले नहीं था अब हैं, उनको दण्डनीय अपराध बनाया जायेगा या नहीं । मैं बताना चाहता हूं इस सम्बन्ध में कैबिनेट द्वारा एक प्रस्ताव पास किया गया था और तय किया गया था कि सेल्युलर फोन या अन्य इस तरह के विद्युत उपकरण जिस भी अपराधी या जिस बन्दी के पास पाया जायेगा, उनके खिलाफ दण्डनीय कार्यवाही की जायेगी । यह प्राविधान कर दिया गया है । नम्बर–2, मान्यवर, इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इसलिए मान्यवर, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनायी गयी है जिसमें प्रमुख सचिव न्याय, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य, प्रमुख सचिव वित्त और डी० जी० पी० और प्रमुख सचिव कारागार हैं । मान्यवर, इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए हमने कठोर उपाय किए हैं । मान्यवर, हमने अब तक चार प्रमुख जेलों में इस तरह के सिक्योरिटी जोन बनाये हैं जिनमें 50-50 बड़े अपराधियों को रखा जायेगा जो शातिर माने जाते हैं ।

मान्यवर, हमने इसमें क्लोज सर्किट टी०वी० का प्राविधान किया है जो संवेदनशील है दो में मान्यवर, आज हैं और बाकी दो में तुरन्त लगाने का काम किया जा रहा है । मान्यवर, अब तक चूंकि बन्दी से जब मुलाकात करने जाते थे तब आमने-सामने मुलाकात होती थी । यहां उनमें बन्दी मिलन गृह अलग से बनाने का प्राविधान कर दिया गया है, कार्यवाही प्रारम्भ हो रही है । मान्यवर, इसमें बन्दी और मुलाकाती दोनों न एक दूसरे को स्पर्श कर सकेंगे न एक दूसरे को कोई चीज दे पायेंगे । मान्यवर, उसमें हमने यह भी प्रावधान किया है कि हमारे जेल के जो सुरक्षाकर्मी हैं, जेल के जो बन्दी रक्षक होते हैं उनकी सुरक्षा का भी प्रावधान किया है । 224 पिस्टल अभी खरीदने के लिए रुपये दिए जा चुके हैं । मान्यवर, हम यह भी प्रावधान कर रहे हैं कि जो इस तरह के संवेदनशील.....

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी, अभी आपने जो प्रमुख बिन्दु हैं, उनका उल्लेख कर दिया है । मेरे ख्याल से जितना प्रश्न पूछा गया था उसका उत्तर आपने समुचित रूप से दे दिया गया है ।

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से कारागार मंत्री से सीधा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं कि उनके तमाम लम्बे-चौड़े दावे के बावजूद भी अभी जेलों की स्थिति ठीक नहीं है । आपने जितनी बातें बतायीं है उनसे लगता है कि आप कदम उठा रहे हैं, इसके लिए मेरी शुभकामनाएं । मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं प्रदेश की कितनी ही कारागारों में तमाम अपराधी और माफिया के सम्बन्ध वाले लोग मौजूद हैं । जिन पर अपराध साबित न हो जाये हम उन्हें बेगुनाह ही मानेंगे । जेलों में हमारे जन प्रतिनिधि भी जाते हैं और उनकी सुरक्षा की भी समस्या होती है तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, एक आग्रह भी करते हुये कि क्या माननीय मंत्री जी जो जन प्रतिनिधि हैं, कारागार में हैं, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें अलग से सुविधा दिलाने की कृपा करेंगे ? अगर मेरा प्रश्न स्पष्ट न हो तो मैं स्पष्ट कर दूं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय तिवारी जी आप खुद इस बात से सहमत होंगे कि आपके प्रश्न का संबंध मूल प्रश्न से नहीं है । फिर भी मंत्री जी उत्तर देना चाहें तो दे दें इसका उत्तर दिये जाने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, प्रश्न इलाहाबाद के संबंध में था परन्तु मंत्री जी ने पूरे प्रदेश का जिक्र कर दिया इसलिये इसमें जिज्ञासा हो गयी ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, इस संबंध में जांच सी०बी०आई० से कराने का निर्णय लिया गया है तो मैं जानना चाहता हूं कि किन बिन्दुओं को जांच के लिये सी०बी०आई० को सन्दर्भित किया गया है, किन बिन्दुओं पर सी०बी०आई० जांच करेगी ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण–

जांच के मुख्य 3 बिन्दु हैं । जो एफ०आई०आर० की गयी है 14-12-98 को पहला बिन्दु वह है । दूसरा बिन्दु है कि क्या इसका संबंध जेल के किसी कर्मचारी या अधिकारी से तो नहीं है । तीसरा बिन्दु यह है कि सेल्युलर फोन उपाधीक्षक के पास पकड़ा गया है, इन तीन बिन्दुओं पर जांच हो रही है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, सेल्युलर फोन जैसे संवेदनशील सूचना के यंत्र जेलों में अपराधियों के पास पहुंच जाय क्या इससे स्पष्ट नहीं है कि सुरक्षा व्यवस्था ठीक नहीं हैं ? मैं जानना चाहता हूं कि इस संबंध में जो दोषी हैं उनको कब तक सजा दे देंगे ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण–

मान्यवर, जेल के किसी भी बंदी के पास सेल्युलर फोन नहीं निकला जो जेल में छापा मारने गये थे उपाधीक्षक उनकी जेब से सेल्यूलर फोन निकला था और उनके खिलाफ सी०बी०आई० जांच जारी है ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, जिस तरह से अपराधियों को अत्याधुनिक शस्त्र और प्रशिक्षण प्राप्त हो रहा है और उनके ऊपर जो हमारे पुलिस के आरक्षी या अधिकारी हैं उनको पूर्ण प्रशिक्षण और शस्त्र प्राप्त नहीं है क्या इस बात को दृष्टि में रखते हुये पुलिस की तमाम मशीनरी आज की अपेक्षाओं के अनुसार प्रशिक्षित करने की किसी योजना पर सरकार विचार कर रही है ।

चौ० लक्ष्मी नारायण–

मान्यवर, मैंने बताया है कि पुलिस को शस्त्र भी दे रहे हैं और प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मंत्री जी ने बताया कि सी०ओ० जुगुल किशोर तिवारी के पास सेल्युलर फोन निकला तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है ? तो प्रथम दृष्ट्या यह साबित हो जाता है कि जेल के अन्दर वह सेल्युलर फोन रखे हुये हैं तो आपने उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की और यदि नहीं की, तो क्यों ?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी ने यह उत्तर दिया कि सेल्युलर फोन किसी बन्दी के पास से नहीं मिला ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

पुलिस उपाधीक्षक के पास से फोन निकला तो क्या भूतलक्षी प्रभाव से यह कानून बनायेंगे या आज से बनायेंगे अगर भूतलक्षी से नहीं बनायेंगे तो उनके खिलाफ प्रभावी कार्यवाही नहीं हो पायेगी ।

चौधरी लक्ष्मी नारायण–

जहां तक पुलिस उपाधीक्षक तिवारी जी का प्रश्न है, उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही की गयी है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

आपने क्या कार्यवाही की ? अभी तक वह सी०ओ० करछना थे और अब शहर के सबसे अच्छे इलाके के सी०ओ० हैं ।

चौधरी लक्ष्मी नारायण–

विभागीय दण्ड दे दिया गया है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

आप वह बता दें कि क्या विभागीय दण्ड दिया गया ? क्या आप उनको सस्पैंड करके उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण–

प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही कर दी गयी है । अभी जांच चल रही है और यदि वह दोषी पाये जाते हैं तो और कार्यवाही की जायेगी ।

डा० अम्मार रिजवी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि एक अधिकारी के पास सेल्युलर फोन पाया । हम आज साइंस और तकनीकी युग में रह रहे हैं । जेल के अन्दर किसी अधिकारी के पास सेल्युलर फोन या वायरलेस सेट निकलता है तो क्या इस तकनीकी युग में भी उसके ऊपर प्रतिबन्ध लगायेंगे ? क्या जेल के अन्दर 17 वीं और 18 शताब्दी के हिसाब से लाउडस्पीकर से चिल्ला-चिल्लाकर बात की जायेगी ? मेरा प्रश्न है कि क्या मौजूदा समय में जो ऐसी तकनीक है जिससे कम्युनिकेशन हो सकती है उन सभी पर प्रतिबन्ध लगायेंगे या नहीं ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण–

जहां तक सेल्युलर फोन का सम्बन्ध है मेरा स्पष्ट जवाब है कि सेल्युलर फोन का प्रयोग नहीं हो सकेगा । जेलों में जैमर लगा रहे हैं । जितने भी इस तरह के इलेक्ट्रानिक उपकरण हैं उन सब पर पाबंदी लगायी जा रही है ।

डा० अम्मार रिजवी–

प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाना चाहिए । क्या इस पर पुनर्विचार करेंगे ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, अगर रेडिंग पार्टी संयोग से वहां फंस जाती और कैदी मारने लगते तो वह क्या करते ? अगर ले गये तो कौन सा गुनाह कर दिया ?

कुमायूं एवं गढ़वाल मण्डलों को मा० उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्ड पीठ से सम्बद्ध किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव की जानकारी

*7–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या न्याय मंत्री को जानकारी है कि कुमायूं एवं गढ़वाल मण्डल का न्यायिक क्षेत्राधिकार इलाहाबाद उच्च न्यायालय काफी दूर होने के कारण वादकारियों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार उक्त मण्डलों को मा० उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्ड पीठ से सम्बद्ध किये जाने हेतु प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रेषित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

न्याय मंत्री (श्री राधेश्याम गुप्त)–

जी हां ।

जसवन्त सिंह आयोग की रिपोर्ट के अनुसार इलाहाबाद उच्च न्यायालय की सर्किट बेंच तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खण्डपीठ की स्थापना की संस्तुति प्राप्त हुई है और प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा गया है परन्तु अभी तक कोई निर्णय केन्द्र सरकार द्वारा नहीं लिया गया है । केन्द्र सरकार ने मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश का अभिमत मांगा है जो अभी तक प्रतीक्षित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरा मूल प्रश्न गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल से सम्बन्धित था मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खण्डपीठ की स्थापना की संस्तुति प्राप्त हुई है । मैं जानना चाहता हूं कि गढ़वाल और कुमायूं मण्डल वालों के लिये इलाहाबाद दूर पड़ता है क्या इन मण्डलों को लखनऊ बेंच से सम्बद्ध करने का काम करेंगे ?

श्री राधेश्याम गुप्त–

चूंकि उत्तरांचल राज्य स्थापित करने का प्रस्ताव है उसी के अन्तर्गत उत्तरांचल राज्य में उच्च न्यायालय स्थापित करने का भी प्रस्ताव है । यह निर्णय केन्द्र सरकार को लेना है ।

श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

जब तक उत्तरांचल राज्य का प्रस्ताव पास होगा एवं उसका गठन होगा तक तब के लिये मेरा निवेदन है कि इन मण्डलों को लखनऊ बेंच से सम्बद्ध करने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री राधेश्याम गुप्त–

उत्तरांचल राज्य के गठन का प्रस्ताव है एवं उसके अन्तर्गत हाईकोर्ट के गठन का भी प्रस्ताव है यह केन्द्र सरकार का विषय है यह राज्य सरकार का विषय नहीं है ।

*8–श्री नरेन्द्र सिंह–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद सीतापुर के हरगांव चीनी मिल का प्रदूषित पानी नालों में बहाने से हो रहे प्रदूषण को रोकने की मांग

*9–डा० अम्मार रिजवी–

क्या पर्यावरण मंत्री को जानकारी है कि जनपद सीतापुर के हरगांव चीनी मिल का प्रदूषित पानी (एफलुऐण्ट) आस-पास के नालों में बहाये जाने से नालों और नदियों के प्रदूषित पानी से हजारों एकड़

फसल बर्बाद हो रही है और जगह-जगह पर मछलियां मर रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रदूषण को रोकने के लिये कोई प्रभावी कदम उठायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यावरण मंत्री (श्री बच्चा पाठक)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

डा० अम्मार रिजवी–

मान्यवर, मंत्री जी ने उत्तर दे दिया कि जी नहीं । मैं स्वयं सीतापुर का रहने वाला हूं । मेरी निश्चित जानकारी है । हरगांव की चीनी मिल का एफलुऐण्ट गर्रा नदी से होता हुआ गोमती तक पहुंचता है । आज से 2 साल पहले यह एफलुऐण्ट इतना आया था कि गोमती नदी की मछलियां तक मर गई थीं । मंत्री जी मेरी जानकारी को निश्चित मानते हुए वहां जाएं तो पता लगा जायेगा । क्या मंत्री जी वहां पर किसी अधिकारी को भेजकर इसकी जांच करायेंगे एवं जो दोषी फैक्ट्री है उसको सजा देंगे ?

श्री बच्चा पाठक–

समय-समय पर इसकी जांच की गयी है एवं इस तरह का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया । वहां पर पानी की गुणवत्ता ठीक मिली । अगर कहीं कोई गड़बड़ी है तो उसकी जांच करा लेंगे ।

डा० अम्मार रिजवी–

आप किसी अधिकारी को भेजकर इसकी जांच करा लें अगर मेरी जानकारी सही हो तो इस मामले में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही कर मुझे सूचित कर दें ।

श्री बच्चा पाठक–

माननीय सदस्य को अगर जानकारी है तो हम इसकी जांच करा देंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

शासन से अपेक्षा की जाती है कि माननीय सदस्य जो कह रहे हैं उसको सही मानकर किसी सक्षम अधिकारी को भेजकर इसकी जांच करा लें ।

*10–श्री अवधेश प्रसाद–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में स्टाम्पों की कमी को दूर करने के उपाय की जानकारी एवं मथुरा जनपद को स्टाम्प का कोटा बढ़ाने की मांग

11–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्टाम्पों की कमी को दूर करने के लिये सरकार कोई उपाय कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? क्या मथुरा जनपद को दिये जाने वाले स्टाम्प कोटे में सरकार वृद्धि करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

प्रदेश में स्टाम्पों की कमी की सूचना से शासन को अवगत कराने के निर्देश सभी जनपदों के कोषाधिकारियों को दे दिये गये हैं । अभी तक किसी जनपद से स्टाम्पों की कमी की सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

किसी जनपद को स्टाम्प का कोटा निर्धारित नहीं किया गया है । जनपद मथुरा कोषागार के मांग पत्र के आधार पर आपूर्ति की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश सरकार की बढ़ती ऋण ग्रस्तता को कम करने के संबंध में विशेष कार्य योजना बनाये जाने की जानकारी

*12–श्री बी० आर० वर्मा–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 31 अक्टूबर, 1997 को प्रदेश सरकार के ऊपर कितना ऋण था ? 31 अक्टूबर, 1997 से वर्ष 1999-2000 में कितना-कितना ऋण लिया गया ? क्या इससे प्रदेश सरकार की ऋणग्रस्तता बढ़ी है ? यदि हां, तो क्या इस ऋणग्रस्तता को कम करने हेतु प्रदेश सरकार ने अब तक कोई प्रयास किये हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या ऋणग्रस्तता को कम करने हेतु सरकार कोई विशेष कार्य योजना बनाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी'')–

महालेखाकार द्वारा राज्य सरकार के लेखे बनाये जाते हैं जिसमें वित्तीय वर्ष की समाप्त को ऋण-ग्रस्तता की ही स्थिति सूचित की जाती है ।

आय-व्ययक में प्रदर्शित स्थिति के अनुसार वर्ष 1997-98 में प्रदेश सरकार की कुल वास्तविक ऋण-ग्रस्तता रुपये 41,767.90 करोड़ एवं वर्ष 1998-99 में रुपये 48364.99 करोड़ तथा वर्ष 1999-2000 में अनुमानित ऋण ग्रस्तता रुपये 58349.96 करोड़ है ।

जी हां ।

प्रदेश की विकास योजनाओं के लिए ऋण लिया जाना सामान्य बात है । राज्य सरकार अपने संसाधन बढ़ाने हेतु अनुत्पादक व्यय कम करने हेतु निरन्तर प्रयास कर रही है ताकि विकास हेतु ऋण पर निर्भरता कम हो सके ।

राज्य सरकार ने भारत सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन दिनांक 4-6-99 को हस्ताक्षर किया है जिसमें राज्य सरकार की योजना स्पष्ट की गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो आंकड़े दर्शाये हैं उनमें और वर्ष 98-99 में बजट के समय उस समय के माननीय मंत्री जी ने बताया था कि 60 हजार करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश पर ऋण है, काफी अन्तर है । ऐसा क्यों है ? यह सही है या वह सही है ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी''–

मान्यवर, माननीय विधायक जी ने सही कहा है । मैं पहले ही कह चुका हूं कि सभी आंकड़े या तो वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ के होते हैं या अन्त के । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सभी आंकड़े 31 मार्च के हैं । 31-3-98 तक ऋण 4836.99 करोड़ रुपया था । 31-3-99 तक 55952.23 करोड़ रुपये की ऋण ग्रस्तता थी और 31-3-2000 तक 67346.90 की ऋण ग्रस्तता है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

इन आंकड़ों से ही प्रदर्शित है कि 97-98 तक 41 हजार कराड़ रुपये के ऋण से यह प्रदेश ग्रसित था । दो वर्षों में देखें 10 हजार करोड़ रुपये हम इजाफे की तरफ है । जो प्रतिवर्ष एक हजार पड़ रहा था

अब 10 हजार पड़ रहा है । इसको कम करने के लिए क्या उपाय किये हैं ? दिनांक 4-6-99 को भारत सरकार के साथ आपका जो समझौता हुआ है इसके मुख्य बिन्दु क्या-क्या हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी''–

मान्यवर, यह ऋणग्रस्तता बढ़ती जा रही है लेकिन माननीय सदस्य का कहना भी ठीक है कि उसे दूर करना चाहिए और उस संबंध में हम क्या उपाय कर रहे हैं यह उन्होंने पूछा है । मान्यवर, वह भी जानते हैं कि राजस्व की वृद्धि करना व्यय में कमी तथा राजस्व घाटे में कमी के साथ ही पूंजीगत परिव्यय में बढ़ोत्तरी ऋण लेने की नीति में परिवर्तन कि ऋणग्रस्तता से हम कैसे मुक्त हों, इस नीति का निर्धारण इन सभी छः बिन्दुओं पर कार्य योजना तैयार की गयी है और उसी के अनुसार कार्य किया जा रहा है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य ने पूछा है कि 4-6-99 को भारत सरकार के साथ जो आपने समझौता किया है उसके मुख्य बिन्दु क्या हैं, वह मंत्री जी बता दें ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी''–

मान्यवर, मैंने बता दिया है कि छः बिन्दु जो रखे हैं वहीं इस समझौते में मुख्य रूप से विचारणीय थे जिसमें समझौता किया गया है । कार्य योजना बनाकर उन्हें लागू किया गया है ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि प्रदेश की ऋणग्रस्तता की जो स्थिति है उसमें कार्य योजना आपने बनाया है, तो कब तक इस प्रदेश को सरकार ऋण मुक्त कर देगी और इस संबंध में क्या सरकार ने कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उसकी समय सीमा बतायेंगे ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी''–

मान्यवर, ऋणग्रस्तता तो आर्थिक जीवन में एक तरह से कैंसर का रूप है जिससे मुक्त होना पड़ेगा । सोचा गया है कि ऋण की बढ़ती स्थिति में घटोत्तरी करके 2004-5 तक निर्भरता तो रहेगी लेकिन ग्रस्तता से उत्तर प्रदेश को मुक्त करने का प्रयास किया जा रहा है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रदेश को ऋणग्रस्तता से मुक्त कराने के लिए, ऋणग्रस्तता रूपी कैंसर से निवारण के लिए आपने अब तक क्या उपाय किये हैं जिससे ऋणग्रस्तता पर आप काबू पा लें ।

दूसरे प्रश्न के अनुपूरक उत्तर में आपने कहा है कि ऋण प्राप्त करने की कुछ नीतियां हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि विश्व बैंक की नीति में क्या आप परिवर्तन करने में सक्षम हैं अथवा नहीं ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी''–

मान्यवर, ऋणग्रस्तता से निपटने की नीति में वर्ष 2000 में परिवर्तन किया गया है जिसके अन्तर्गत ऋण उन्हीं संस्थाओं से लिया जाय जिन्हें वापस करने की लम्बी अवधि हो और ब्याज की दर कम हो । निगम और उपक्रम जो हैं उन्हें सरकार के माध्यम से ऋण न देकर सीधे उन संस्थाओं से वे ऋण लें जिससे कि राज्य सरकार पर बोझा न आये । जहां तक विश्व बैंक का सवाल है उससे सीधे ऋण राज्य सरकार को नहीं मिलता है बल्कि भारत सरकार के माध्यम से मिलता है और फिर भारत सरकार हमको अर्थोपाय सहायता के रूप में धन देती है । जो भारत सरकार से प्रदत्त सरकार को मिलती है उसमें 30

प्रतिशत अनुदान है और 70 प्रतिशत ऋण है जिसकी ब्याज दर 12 प्रतिशत है । वैसे तो मैंने ऋणग्रस्तता के आंकड़े दे दिये थे । हमारी जो ऋणग्रस्तता थी 1998-99 की तुलना में 20 परसेन्ट बढ़ी थी । 1999-2000 में आकर इसकी बढ़ोत्तरी 15 परसेन्ट पर आ गई । इस नाते ऋणग्रस्तता में कमी आई है, आगे भी इसको कम करने का प्रयास किया जायेगा ।

श्री प्रमोद कुमार–

एक नीतिगत विषय है और चिन्ता का भी है । माननीय मंत्री जी ने इसे कैंसर कहा है । यह कैंसर भी आज जो सरकार में बैठे लोग हैं, इनकी वजह से है । 1947 से लेकर 1997 तक 50 साल में कुल मिलाकर 41 हजार करोड़, प्रतिवर्ष 1000 करोड़ यह आता है । 1997 से यह एक काबिल सरकार बैठी हुई है, तब से 10 हजार करोड़ रुपये की वृद्धि हो गई है और प्रदेश को दिवालिया बना देने का एक साधन है । यह तभी कम होगा जब तक अनुत्पादक खर्चों में कटौती नहीं होगी । जिन अधिकारियों के पद सृजित नहीं होने चाहिए थे, उन्हें समाप्त कर देना चाहिए । दूसरा वे पद जो केन्द्र सरकार से स्वीकृत नहीं है, उन्हें समाप्त होना चाहिए । तीसरा सरकारिया कमीशन के अनुसार प्रदेश की विधान सभा की कुल सदस्य संख्या का 10 प्रतिशत ही मंत्रि-परिषद् में सदस्य होने चाहिए । तो क्या सरकार सरकारिया कमीशन के अनुसार प्रदेश विधान सभा में मंत्रि-परिषद् के सदस्यों की संख्या को 100 से कम करके 42 करेगी ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी''–

श्रीमन्, जब तक राजनीति जातिवाद, साम्प्रदायिकतावाद से ग्रसित रहेगी तब तक इस संकट को पार करना कठिन होगा ।

श्री अधिष्ठाता–

इसकी कोई आवश्यकता नहीं है । आप सम्पूर्ण उत्तर दे चुके हैं । केवल इसका उत्तर दे दीजिये कि जिन पदों को भारत सरकार ने स्वीकृत नहीं दी है और उन पदों पर अधिकारी तैनात हैं, क्या उन पदों को समाप्त करने की नीति शासन बनायेगी ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी''–

श्रीमन्, वैसे तो प्रतिवर्ष 2 प्रतिशत पदों को कम करने की नीति निर्धारित की गई है । साथ ही वर्षों से जो पद रिक्त पड़े हैं उन्हें समाप्त करने की कार्यवाही की जा रही है ।

(श्री प्रमोद कुमार जी के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

आपके प्रश्न का जो प्रभाव है वह बहुत व्यापक है इसके लिये सूचना की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि विभिन्न विभागों से सूचना एकत्र करनी होगी । एक तरह से माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दे दिया है कि पदों को कम करने का प्रयास किया जा रहा है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, आपने यह कहकर कि मेरा प्रश्न व्यापक है एक प्रकार से बल दिया है । जब तक जातिवाद और धर्म की राजनीति है तब तक मंत्रि-परिषद् के आकार को कम नहीं किया जा सकता है । इससे साफ भी है कि इनका मंत्रि-मण्डल जातिवाद और साम्प्रदायिकता से लड़ने में अक्षम है। चूंकि प्रश्न व्यापक है और नीतिगत है, इसलिये इस प्रश्न को प्रश्न एवं संदर्भ समिति के हवाले कर दिया जाय । मैं नियम–49 में आपको लिखकर भी दे रहा हूं । आप इस पर विचार कर लें ।

श्री अधिष्ठाता–

सुसंगत नियमों में लिखकर भेज दें । इसका परीक्षण करवा लिया जायेगा ।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि 2004 तक ऋणग्रस्तता से प्रदेश को मुक्त कर देंगे । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वर्ष 1999–2000 में लगभग 10 हजार करोड़ की ऋणग्रस्तता बढ़ी । क्या माननीय मंत्री जी ने वर्ष 2000-2001 के लिये जो बजट प्रस्तुत किया है उसके आधार पर जो ऋण लेने जा रहे हैं वह 10 हजार करोड़ रुपये से कम है या ज्यादा । उसमें कितना अल्पकालिक और कितना दीर्घकालिक ऋण है ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी''–

यह सत्य है कि बजट में जो ऋण ले रहे हैं वह 10 हजार करोड़ रुपये के लगभग है परन्तु विकास की योजनाओं के लिये गत वर्ष की तुलना में 62.5 प्रतिशत ज्यादा किया गया है । कारण यह है कि अगर विकास की गति जितनी तेज होगी उतनी राज्य की आय बढ़ेगी और राजस्व का घाटा कम होगा । हम ऋणग्रस्तता से मुक्त होने की दिशा में बढ़ सकेंगे ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं दो तीन छोटे-छोटे प्रश्न माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से करना चाहता हूं । एक प्रश्न तो वह है जिसकी ओर आपने अपनी पीठ से माननीय मंत्री जी को भी अवगत कराया था कि ऐसे तमाम पद हैं । मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं इसी सदन में उत्तरित हुआ है वह प्रश्न । प्रमुख सचिव स्तर के जो पद हैं जितने भारत सरकार से अनुमन्य हैं उससे ज्यादा प्रमुख सचिव बनाकर उनको सुविधा दी जा रही है । क्या ऐसे पद जो भारत सरकार से अनुमन्य नहीं हैं उससे ज्यादा जो अधिकारी आपने रखे हैं ऐसे पदों पर जिनको रखा गया है क्या माननीय मंत्री जी उनको हटाने का काम करेंगे ताकि पैसा बच सके ? इसके अलावा निगम में भी जो भारत सरकार से अनुमन्य पद नहीं हैं, उन पर भी जो अधिकारी तैनात हैं उनको हटाकर अनुत्पादक व्यय करने की कोशिश करेंगे । इस वर्ष 2000-2001 में जो ऋण माननीय मंत्री जी आप ले रहे हैं उसमें कितना दीर्घकालिक और कितना अल्पकालिक है और उसकी टर्म्स और कन्डीशन्स क्या हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी''–

भारत सरकार द्वारा स्वीकृत पदों के अगेन्स्ट उत्तर प्रदेश में अगर कोई ऐसा पद है तो उसको मैं दिखवा लूंगा जैसी स्थिति होगी उस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करेंगे ।

(श्री अधिष्ठाता द्वारा अगला प्रश्न पुकारे जाने पर ।)

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, अभी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है ।

श्री अधिष्ठाता–

उत्तर दे दिया है । मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर तो दिलवा दें ।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी''–

मान्यवर, मैंने कह दिया कि इसको दिखवा लूंगा और सूचना प्राप्त करके सूचित कर देंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी आपका उत्तर पढ़ा मान लेते हैं इससे समय की बचत हो जायेगी ।

होमगार्ड्स के जवानों की सेवाओं को नियमित करने की मांग

*13–श्री सुधाकर सिंह (अनुपस्थित)–

क्या होमगार्ड्स मंत्री को ज्ञान है कि होमगार्ड्स के जवानों को कार्य करते हुये लगभग 30 वर्ष हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन्हें नियमित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

होमगार्ड्स, राजनैतिक पेंशन, नागरिक सुरक्षा मंत्री (श्री श्याम सुन्दर शर्मा)–

होमगार्ड्स विभाग में किसी भी होमगार्ड के जवान को निरन्तर कार्य करते हुए 30 वर्ष नहीं हुए हैं । होमगार्ड जवानों की भर्ती केवल तीन वर्ष के लिए की जाती है तथा उपयुक्त पाये जाने पर उन्हें पुनः 3 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

क्योंकि भारत सरकार की नीतियों पर संचालित होमगार्ड्स संगठन का स्वरूप पूर्णतया स्वयंसेवी है ।

कोषागार के नियम–27 के अन्तर्गत आहरित धनराशि के समायोजन के सम्बन्ध में जारी हस्ताक्षर रहित शासनादेश से सम्बन्धित अधिकारी को दण्डित करने की मांग

*14–श्री अजय भट्ट–

क्या वित्त मंत्री को जानकारी है कि वित्त विभाग द्वारा कोषागार नियम–27 के अन्तर्गत आहरित धनराशि के समायोजन के संबंध में शासनादेश संख्या–ए–1–2336/10-99-(5) (1)/96 दिनांक 8 दिसम्बर, 1999 बिना हस्ताक्षर के जारी किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या बिना हस्ताक्षर के उक्त शासनादेश प्रभावी होगा ? यदि नहीं, तो क्या बिना हस्ताक्षर के शासनादेश जारी करने वाले अधिकारी के विरुद्ध मंत्री जी कोई कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी आपका उत्तर पढ़ा मान लेते हैं इससे समय की बचत हो जायेगी ।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी''–

[कोषागार नियम–27 के अन्तर्गत आहरित धनराशि के समयोजन के सम्बन्ध में दिनांक 8 दिसम्बर, 1999 को जारी शासनादेश संख्या–ए–1–2336/दस-99-(5)(1)/96 न होकर शासनादेश संख्या ए–1–2236/दस-99-(5)(1)/96. है । इस शासनादेश की निर्गत प्रति में हुई त्रुटि को ठीक करते हुए अपेक्षित प्रारूप में उक्त शासनादेश पत्र संख्या– ए-1-11/–दस-2000-13(1)2000 दिनांक 22–2–2000 द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों को भेज दिया गया है । भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि न होने के लिए संबंधित सहायक को सचेत भी कर दिया गया है ।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जा चुकी है । अतः प्रश्न नहीं उठता है ।]

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि एक बहुत बड़े अधिकारी द्वारा जो आई०ए०एस० रैंक के होते हैं उनके द्वारा गलत शासनादेश जारी कर दिया गया वह भी वित्त विभाग से, इससे पूरे प्रदेश में अफरा-तफरी मच गई, आज उत्तर में आया है कि चैन्ज कर दिया गया है और आइन्दा न करने की चेतावनी भी दे दी गई है । मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि दूसरा शासनादेश कितने दिनों बाद संशोधित करके जारी किया गया है ?

नोटः–[ ] श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी''–

मान्यवर, 21 मई, 1996 को एक स्पष्ट शासनादेश कोषागारों को, जिलाधिकारियों को, विभागाध्यक्षों को दिया गया है कि 21 मई, 1996 के शासनादेश के अन्तर्गत यह सुविधा प्राप्त होगी और जिलाधिकारी को अधिकार होगा कि टी०आर० 27 के अन्तर्गत किसी अनिवार्य व्यय के लिए पैसा कोषागार से निकाल सकते हैं और इसको बजट के पहले समायोजित करने का निर्देश है। जो कहा जा रहा है यह सत्य है। 08 दिसम्बर को शासनादेश किया उसमें टाइप करने के बाद नीचे नाम संयुक्त सचिव का रहा हस्ताक्षर सचिव के नहीं हो पाए यह त्रुटि थी लेकिन निदेशक उत्तर प्रदेश ने 23 दिसम्बर को प्रदेश में सभी स्थानों पर सरकुलेट कर दिया इसलिए उसके कारण किसी प्रकार से टी०आर० 27 के अन्तर्गत धन लिया गया इसको समायोजित करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आई।

*15–डा० सरजीत सिंह डंग–

[उसरे गुरुवार में ता० प्र० सं०–18 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।

मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में चतुर्थ श्रेणी/वैयक्तिक सहायक/अनुभाग अधिकारी वेतनमान के समान वेतनमान शासकीय सचिवालय में लागू किये जाने की मांग

*16–श्री योगेन्द्र सिंह सेंगर (अनुपस्थित)–

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में वर्तमान समय में चतुर्थ श्रेणी/वैयक्तिक सहायक/अनुभाग अधिकारी के वेतनमान क्या हैं ? क्या माननीय उच्च न्यायालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को शासकीय सचिवालय के उक्त पदों के कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतनमान से उच्च वेतनमान दिये जा रहे हैं ? क्या सरकार द्वारा मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के अनुरूप वेतनमान शासकीय सचिवालय में दिये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी''–

शासनादेशों के अनुसार उच्च न्यायालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों, वैयक्तिक सहायक तथा अनुभाग अधिकारी के वेतनमान दिनांक 1-1-1996 से निम्नवत् हैं :–

1–चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रु० 2550–3200

2–वैयक्तिक सहायक रु० 6500–10500 (रु० 18400–22400 के वेतनमान के अधिकारियों से सम्बद्ध)

3–अन्य वैयक्तिक सहायक रु० 5500–9000

4–अनुभाग अधिकारी रु० 6500–10500

उत्तर प्रदेश सचिवालय में वैयक्तिक सहायक के पद केवल रु० 5500–9000 के वेतनमान में हैं जबकि उच्च न्यायालय में वैयक्तिक सहायक के पद रु० 5500–9000 तथा रु० 6500–10500 के वेतनमान में उपरोक्तानुसार है। क्योंकि उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों द्वारा इनके पूर्व स्वीकृत वेतनमान बदल दिये जिससे शासन को तदनुसार स्वीकृति जारी करनी पड़ी। मा० उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार चतुर्थ श्रेणी और अनुभाग अधिकारी के पदों पर उच्च न्यायालय में क्रमशः रु० 2550–3200 के बजाय रु० 3200–4900 एवं रु० 6500–10500 के बजाय रु० 10000–15200 के उच्चतर वेतनमान में भुगतान हो रहा है, परन्तु शासन द्वारा ऐसा आदेश नहीं जारी किया गया है तथा मा० उच्च न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध पुनर्विचार याचिका दायर की गयी है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वेतनमानों के निर्धारिण हेतु शासन द्वारा माने गये सिद्धान्त के अनुसार राज्य सरकार में राज्य कर्मचारियों को उनके समकक्ष पदों पर, जो केन्द्र में विद्यमान हैं, केन्द्र के समान वेतनमान देने की व्यवस्था है । इसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सचिवालय के पद केन्द्रीय सचिवालय से तुलनीय हैं ।

जनपदों में जाली नोटों के प्रचलन को रोकने के सम्बन्ध में किये गये उपाय की जानकारी

*17–श्री जगदम्बिका पाल तथा श्री विजय पाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के कुछ जनपदों में नकली नोटों का प्रचलन बढ़ रहा है ? क्या जाली नोटों के प्रचलन में आई०एस०आई० का हाथ है ? यदि हां, तो सरकार ने जाली नोटों के प्रचलन को रोकने हेतु क्या उपाय किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

प्रदेश के कतिपय जनपदों में जाली नोट बरामद होने की घटनायें प्रकाश में आयी हैं ।

जाली नोटों के सम्बन्ध में गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों से की गयी पूछताछ से उक्त गतिविधियों में आई०एस०आई० का हाथ होने के संकेत मिले हैं, किन्तु अभी ठोस एवं पुष्टिकारक प्रमाण उपलब्ध नहीं हो सके हैं ।

जाली मुद्रा के प्रसार को रोकने हेतु अभिसूचना तन्त्र को सतर्क कर दिया गया है । प्रदेश स्तर पर एक विशेष जांच प्रकोष्ठ की स्थापना की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री विजय पाल सिंह–

मान्यवर, जाली नोटों का प्रकरण कई जिलों में प्रकाश में आया है वह कहां आया है बता दें ?

श्री हुकुम सिंह–

अभी तक 33 जिलों में जाली नोटों का प्रकरण प्रकाश में आ चुका है । आगरा, मुजफ्फरनगर, बलिया, एटा, मैनपुरी, सुल्तानपुर, कन्नौज, रामपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, देहरादून, हाथरस, फैजाबाद, मथुरा, औरैया, मऊ, महाराजगंज आदि ।

श्री प्रमोद कुमार–

कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं ?

श्री हुकुम सिंह–

1998 में 54 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं । 1999 में 34 लोग गिरफ्तार हुए हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

प्रदेश में महिला उत्पीड़न को रोके जाने सम्बन्धी कार्य योजना तथा जनपद जालौन के नगर उरई में अनुसूचित जाति की महिला सुनीता वर्मा पर हुए अत्याचार से सम्बन्धित अपराधियों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में जानकारी

*18–श्री श्रीराम पाल–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने हेतु सरकार ने कोई कार्ययोजना तैयार की है ? यदि हां, तो क्या ? क्या जनपद जालौन के नगर उरई में दिनांक 22 नवम्बर, 1999 को अनुसूचित जाति की महिला सुनीता वर्मा पर हुये अत्याचार की घटना के नामजद अपराधियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट :–नत्थी 'ग' के तारांकित प्रश्न संख्या–17 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

मुख्य मंत्री (श्री राम प्रकाश)–

जी नहीं । अलग से कोई कार्य योजना नहीं तैयार की गयी है, किन्तु ऐसी घटनाओं के नियंत्रण हेतु वर्ष 1988 में महिला सहायता प्रकोष्ठ का गठन किया गया एवं वर्ष 1993 में 13 जनपदों में महिला थाने स्थापित किये गये । अपराधों के शत-प्रतिशत पंजीकरण पर बल दिया जा रहा है तथा उनके अनावरण व अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही का सर्वोच्च स्तर पर सतत् अनुश्रवण किया जा रहा है ।

प्रश्नगत घटना के सम्बन्ध में थाना–कोतवाली उरई में पंजीकृत अपराध संख्या–1357ए/99 की विवेचना के दौरान प्रकाश में आये अभियुक्त कान्सटेबिल अमर सिंह, तेज सिंह उर्फ तेज प्रताप व पवन कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है ।

प्रदेश में अपराधों को रोकने के सरकार के उपाय तथा वर्ष 1998 की अपेक्षा 1999 में हुई अपराधों की वृद्धि की जानकारी

*19–श्री राम ललित चौधरी तथा श्री सीताराम निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष 1998 की अपेक्षा वर्तमान वर्ष 1999 में कितने प्रतिशत अपराधों में वृद्धि हुई है? क्या सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरस्त बनाने के लिये पुलिस विभाग में कोई आमूल-चूल परिवर्तन करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

वर्ष 1999 में वर्ष 1998 की अपेक्षा डकैती, लूट, हत्या, बलवा, गृहभेदन, अपहरण, दहेज-हत्या एवं बलात्कार के अपराधों में कमी आयी है, केवल रोड होल्ड-अप के अपराधों में 8.8% वृद्धि हुई है ।

कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरूस्त बनाये रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, शस्त्र अधिनियम, गैंगस्टर ऐक्ट, गुण्डा अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम, जुआ अधिनियम, एन०डी०पी०एस० ऐक्ट एवं अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही की जाती है । पुलिस विभाग में किसी आमूल-चूल परिवर्तन का औचित्य नहीं पाया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

1–श्री तेजभान सिंह–

[3रे गुरुवार में अता० प्र० सं० 154 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद जौनपुर में सहकारी समितियों को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

2–श्री बांकेलाल सोनकर–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर जनपद में सहकारी समितियों को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने हेतु श्री अफजाल अहमद, विधायक का 8 दिसम्बर, 1999 का पत्र अपर निबन्धक (आई०सी०डी०पी०) सहकारी समितियां उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

जी हां ।

प्रश्नगत पत्र पर जांचोपरान्त अपर निबन्धक (आई०सी०डी०पी०) सहकारी समितियां, उ० प्र० के स्तर से जौनपुर जिले की उपर्युक्त बीड़ी औद्योगिक उत्पादन सहकारी समितियों को आई०सी०डी०पी० से आर्थिक सहायता स्वीकृत करने के निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

थाना कोतवाली मैनपुरी की विवेचना सी०बी०सी०आई०डी० द्वारा कराने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

3–श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अपराध संख्या–1079/99 धारा–302 आई०पी०सी० थाना कोतवाली मैनपुरी की विवेचना सी०बी०सी०आई०डी० द्वारा कराये जाने विषयक पत्र सं० सी०एम/वि०को०/एम/3705/–(1) दिनांक 30-11-99 प्रमुख सचिव, गृह को प्राप्त हुआ है ? क्या यह सही है कि उक्त पत्र में मा० मुख्य मंत्री ने दिनांक 29-11-99 को सी०आई०डी० द्वारा विवेचना कराये जाने का आदेश स्वयं किया था ? यदि हां, तो क्या उसका अनुपालन कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

जी हां ।

मा० मुख्य मंत्री जी के आदेशों के अनुपालन में प्रकरण की जांच अपराध शाखा, अपराध अनुसन्धान विभाग को शासनादेश संख्या–79–एमएम/6-12-99-5(48)डी/99, दिनांक 10-12-99 को सौंपी गयी । पुनः श्री गन्धर्व सिंह भदौरिया के प्रार्थना-पत्र के आधार पर सम्यक् विचारोपरान्त थाना कोतवाली, जनपद मैनपुरी पर पंजीकृत मु०अ०सं०–1079/99 की जांच शासनादेश संख्या–849/6-12-2000-5(48)डी/99, दिनांक 16-3-2000 के द्वारा सिविल पुलिस को सौंपी जा चुकी है ।

प्रदेश में 31 मार्च, 1999 तक स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी सम्मान पेंशन प्राप्त कर्ताओं की संख्या एवं विचाराधीन प्रकरणों के निस्तारण के सम्बन्ध में जानकारी

4–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में 31 मार्च, 1999 तक कुल कितने स्वतंत्रता सेनानी पेंशन भोगी थे ? राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1998-99 में कुल कितनी धनराशि पेंशन मद में व्यय की गयी ? वर्तमान समय में कुल कितने पेंशन के प्रकरण प्रशासन के विचाराधीन हैं ? इन प्रकरणों को कब तक निस्तारित कर दिया जायेगा ?

श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

प्रदेश में 31 मार्च, 1999 तक कुल स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी सम्मान पेंशन प्राप्तकर्ताओं की संख्या लगभग 14500 थी । वर्ष 1998-99 में राज्य सरकार द्वारा कुल 3428.24 लाख रुपये स्वतन्त्रता संग्राम सैनिक सम्मान पेंशन योजना के अन्तर्गत व्यय की गयी । वर्तमान में 236 पेंशन के प्रकरण शासन में विचाराधीन हैं । लम्बित पेंशन प्रकरणों को एक विशिष्ट कार्य योजना के रूप में उच्च प्राथमिकता एवं समयबद्धता के आधार पर निस्तारित किये जाने के उद्देश्य से शासनादेश दिनांक 23-12-97 द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं । फिर भी अलग-अलग प्रकरणों में विभिन्न स्रोतों से सूचनायें/प्रमाण प्राप्त करने में समय लग जाता है जिसे यथा सम्भव कम करने का प्रयास किया जाता है ।

जनपद फतेहपुर में श्री रमेश प्रसाद श्रीवास्तव निवासी अमरजई के घर में चोरी होने तथा माल बरामदगी की सूचना संबंधी पत्र तथा कृत कार्यवाही

5–श्री गोपाल कृष्ण–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्री रमेश प्रसाद श्रीवास्तव निवासी 163 ए अमरजई शहर जनपद–फतेहपुर के घर में दिनांक 26-27 सितम्बर, 99 को हुई चोरी के माल की बरामदी कराये जाने से संबंधित कितने प्रार्थना-पत्र माह सितम्बर, 1999 से अब तक मा० मुख्य मंत्री/एस०पी० फतेहपुर को प्राप्त हुये हैं ? उक्त पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

विवेचना के दौरान श्री रमेश प्रसाद श्रीवास्तव से माह सितम्बर, 1999 से दिनांक 16-3-2000 के बीच अभिलेखों के अनुसार तीन प्रार्थना-पत्र प्राप्त होना पाया गया है ।

श्री रमेश प्रसाद श्रीवास्तव के भाई उमेश चन्द्र श्रीवास्तव की सूचना पर थाना कोतवाली पर मु०अ०सं०–347/99 धारा 457/300 भा०दं०वि० बनाम अज्ञात पंजीकृत होकर विवेचना थाना कोतवाली पुलिस द्वारा प्रारम्भ की गयी । विवेचक द्वारा माल की बरामदगी व मुल्जिम की गिरफ्तारी हेतु काफी प्रयास किये गये परन्तु अब तक माल की बरामदगी एवं मुल्जिम की गिरफ्तारी न होने के कारण अभियोग की विवेचना द्वारा अन्तिम रिपोर्ट संख्या–12 दिनांक 3-2-2000 को समाप्त की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बहराइच के निर्वाचन कार्यालय के जर्जर भवन के पुनर्निर्माण की मांग

6–श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद–बहराइच में निर्वाचन कार्यालय का भवन काफी पुराना एवं जीर्ण-शीर्ण है जिससे वर्षा ऋतु में रखा गया रिकार्ड पानी गिरने से खराब हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त निर्वाचन कार्यालय के नये भवन का निर्माण कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां । जिला निर्वाचन कार्यालय बहराइच का अपना कोई भवन नहीं है । वर्तमान में जिला निर्वाचन कार्यालय कलेक्ट्रेट भवन में स्थापित है जो जीर्ण अवस्था में है ।

वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

कलेक्ट्रेट भवन के उस भाग की, जहां निर्वाचन कार्यालय स्थापित है, छत जीर्ण होने के कारण उसकी मरम्मत की कार्यवाही की जा रही है ।

पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर को सम्बोधित, परियोजना निदेशक, जिला विकास अभिकरण सुल्तानपुर को निर्माण कार्य में अनियमितता पाये जाने विषयक शिकायती-पत्र

7–श्री तेजभान सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पैक्स पैड के अधिशासी अभियन्ता, सुल्तानपुर के विरुद्ध लोक सभा चुनाव 1999 में आदेशों की अवहेलना करने के आरोप में निर्वाचन अधिकारी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 10-9-98 को अंकित कराई है ? क्या निर्माण कार्यों में अनियमितता पाये जाने के बाद दिनांक 19/20-10-1999 को धारा 406, 409, 420 में भी उक्त अभियन्ता के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराई गयी है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

इस प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 10-9-99 को अंकित कराई गई है ।

इस प्रकरण में पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर को सम्बोधित, परियोजना निदेशक, जिला बिकास अभिकरण, सुल्तानपुर के एतद्विषयक शिकायती-पत्र दिनांक 20-10-99 की जांच के उपरान्त शिकायतें सिद्ध पाये जाने पर मु०अ०सं० 848/99 धारा 406/409/420 के अन्तर्गत थाना कोतवाली में पंजीकृत किया गया ।

दोनों अभियोग सम्प्रति विवेचनाधीन हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सुल्तानपुर में बदलू पुत्र गरीब, गांव हसनपुर जोटई ब्लाक जगदीशपुर का सहायक निबन्धक को सम्बोधित शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

8–श्री तेजभान सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहायक निबन्धक, सुल्तानपुर को सम्बोधित बदलू, पुत्र गरीब, गांव हसनपुर जोटई ब्लाक जगदीशपुर, सुल्तानपुर का रजिस्टर्ड प्रार्थना-पत्र दिनांक 10-8-1999 जो सहकारी समिति हरीमऊ में फर्जी ऋण चढ़ाकर वसूली करने की शिकायत से संबंधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

जी हां,

श्री बदलू पुत्र श्री गरीब का रजिस्टर्ड प्रार्थना-पत्र दिनांक 10-8-99 के बजाय दिनांक 9-8-99 प्राप्त हुआ है ।

प्रश्नगत प्रकरण की जांच सहायक विकास अधिकारी, जगदीशपुर से करायी गयी । जांचोपरान्त मामले में तत्कालीन सचिव श्री कपिलदेव तिवारी द्वारा मु० 582 रुपया अधिक कर्ज अंकित करने तथा सदस्य द्वारा जमा किये गये धन को खाते में दर्ज न करने के दोषी पाये गये । श्री तिवारी संबंधित सचिव (तत्कालीन) से दिनांक 20 जनवरी, 2000 को मय ब्याज के मु० 582.00 ब्याज रु० 131.60 जमा कराते हुये अभिलेखों में प्रविष्टि करा दी गयी है । इस प्रकार सदस्य का ऋण खाता बेवाक हो गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलरामपुर के क्षेत्र उतरौला में पैक्स फेड गोण्डा द्वारा निर्माण कार्यों में धन के दुरुपयोग की जांच की मांग

9–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र उतरौला में कार्यदायी संस्था पैक्स फेड गोण्डा द्वारा वर्ष 1995-96 व 1996-97 में कराये गये निर्माण कार्यों व निर्माण कार्य में किये गये धन के दुरुपयोग की जांच मुख्य तकनीकी अधिकारी सहकारी समितियां उ० प्र० लखनऊ से कराये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं० 54/एस०टी०/दिनांक 25-11-97 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

जी नहीं, मुख्य तकनीकी अधिकारी के पत्र संख्या–54/एस०टी०, दिनांक 25-11-97 के संदर्भ में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 3-12-99 प्राप्त हुआ है ।

पत्र दिनांक 3-12-99 पर किसी कार्यवाही की आवश्यकता इसलिये नहीं रह गई, क्योंकि प्रश्नकर्ता के शिकायती-पत्र दिनांक 25-9-97 के अनुसार जांचोपरान्त दोषी अधिशासी एवं सहायक अभियन्ताओं को प्रबन्ध निदेशक, पैक्स फेड द्वारा प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गाजीपुर की जमानियां तहसील में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट हेतु भवन निर्माण की मांग

10–श्री सिंहासन सिंह–

क्या न्याय मंत्री को जानकारी है कि तहसील जमानियां पर मुन्सिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय का निर्माण हो चुका है किन्तु मुन्सिफ न्यायालय का कार्य अभी भी गाजीपुर में हो रहा है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी तहसील जमानियां में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के बैठने की व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राधेश्याम गुप्त–

मुंसिफ न्यायालय हेतु कोई शासकीय भवन नहीं बना है । मुंसिफ मजिस्ट्रेट मुख्यालय पर ही बैठते हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नही उठता ।

न्यायालय की स्थापना हेतु वित्तीय कठिनाइयों के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक अतिरिक्त पदों का सृजन नहीं हो पाया है ।

जनपद शाजहांपुर के थाना तिलहर में पंजीकृत मुकदमों में हेराफेरी करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

11–श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अ० सं० 109/88 धारा 364/302/20/आई० पी० सी० थाना–तिलहर जनपद शाहजहांपुर के केस में गड़बड़ी करने वाले अभियुक्तों/कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सी०एम०/वि०को/ एम/27323/मैनपुरी/99 दिनांक 1-11-99 प्रमुख सचिव, गृह को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

थाना तिलहर, जनपद शाहजहांपुर पर पंजीकृत मु०अ०सं०–109/88 में अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग की जांच आख्या में जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को दोषी पाया गया है उनके विरुद्ध कार्यवाही का परीक्षण गुण-दोष के आधार पर किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ में थाना आसपुरा देवसरा में श्री मुरली यादव, श्री पारस नाथ यादव, श्री नरसिंह यादव की एफ०आई०आर० दर्ज करने एवं कार्यवाही हेतु पूर्व सांसद के पत्र पर कृत कार्यवाही

12–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि डा० राम विलास वेदान्ती पूर्व सांसद, प्रतापगढ़ के पत्र दिनांक 19-11-1999 पर उनके आदेश दिनांक 29-11-1999 मुख्य मंत्री कार्यालय अनुभाग–2 द्वारा प्रमुख सचिव, गृह को श्री मुरली यादव, श्री पारस नाथ यादव, श्री नरसिंह यादव, थाना आसपुरा देवसरा की एफ०आई०आर० दर्ज करने के आदेश सहित प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो पंजीकरण तिथि, मुकदमा अपराध संख्या, वादी को नकल उपलब्ध कराये जाने की तिथि एवं की गई कार्यवाही का विवरण क्या है ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

प्रश्नगत प्रकरण की जांच क्षेत्राधिकारी पट्टी द्वारा करायी गयी । श्री नरसिंह यादव के प्रार्थना-पत्र के आधार पर थाना आसपुरा देवसरा में मु०अ०सं०–28/2000 धारा 323/506/427 भा०दं०वि० बनाम

रामनाथ यादव आदि 4 अभियुक्त दिनांक 20-3-2000 को पंजीकृत किया गया । प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतिलिपि उसी दिन वादी को हस्तगत करायी गयी । श्री पारस नाथ यादव के प्रार्थना-पत्र पर थाना आसपुरा देवसरा में मु०अ०सं०–30/2000 धारा 147/148/307/504/506/303 भा०दं०वि० पंजीकृत किया गया । प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतिलिपि वादी को हस्तगत करायी गयी । श्री मुरली यादव के प्रार्थना-पत्र पर दिनांक 29-3-2000 को मु०अ०सं०–30 ए/2000 धारा 147/148/307/504/505/323 भा०दं०वि० थाना आसपुर देवसरा पंजीकृत किया गया । उक्त अभियोग की विवेचना प्रचलित हैं ।

जनपद जौनपुर में प्राइमरी सहकारी समितियों के शेष निर्वाचन कार्य को पूर्ण कराने की मांग

13–श्री अफजाल अहमद

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि जौनपुर जनपद स्थित सभी प्रारम्भिक (प्राइमरी) सहकारी समितियों के निर्वाचन 30-10-1999 तक हो गये हैं ? क्या कतिपय सहकारी समितियों का निर्वाचन होना शेष है ? यदि हां, तो शेष समितियों के निर्वाचन कब नक पूरा करा लिये जायेंगे ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

कुल 366 समितियों में से सक्रिय 225 सहकारी समितियों के निर्वाचन दिनांक 30-10-1999 तक करा लिये गये थे । अद्यतन स्थिति के अनुसार कुल 228 समितियों में निर्वाचन हो गये हैं ।

जी हां, 138 सहकारी समितियों में उनकी निष्क्रियता के कारण निर्वाचन नहीं हो पाया है ।

निष्क्रिय 138 प्रारंभिक सहकारी समितियों के समापन की कार्यवाही की जा रही है फलतः इनके निर्वाचन का औचित्य नहीं है ।

जनपद मथुरा के थाना वृन्दावन में पंजीकृत अपराधों की जांच सी०बी०सी०आई० डी० द्वारा कराने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

14–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुकदमा अपराध संख्या–17/99 थाना वृन्दावन जनपद मथुरा की सी०बी०सी०आई०डी० द्वारा जांच कराये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी०एम/वि०को०/एम–2/445/मथुरा/99, दिनांक 18-5-99, प्रमुख सचिव, गृह एवं गोपन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

थाना–वृन्दावन, जनपद मथुरा पर पंजीकृत मु०अ०सं०–17/99 धारा 302 भा०दं०वि० की विवेचना अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा कराये जाने हेतु शासन स्तर से निर्देश दिये जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मथुरा के थाना गोवर्धन में पंजीकृत अपराध पर कार्यवाही हेतु विधायक प्रकोष्ठ में प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

15–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मुकदमा अपराध संख्या–32/99 थाना गोवर्धन, जनपद मथुरा के मुल्जिमों को गिरफ्तार किये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी०एम०/वि०को०/ एम–2/22776/मथुरा/99, दिनांक 24-4-1999 पुलिस उप महानिरीक्षक, आगरा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

थाना गोवर्धन जनपद मथुरा पर पंजीकृत मु०अ०सं०–32/99 की विवेचना अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग से कराये जाने हेतु दिनांक 25 जनवरी, 2000 को निर्देश जारी किये जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ तहसील पट्टी में मुन्सिफ न्यायालय स्थापित करने की मांग

16–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के चौथे सोमवार के अता०प्र०सं०–157 के उत्तर के संबंध में क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुन्सिफ न्यायालय पट्टी जनपद प्रतापगढ़ किस तिथि तक स्थापित हो जायेगा, यदि नहीं तो क्यों ?

श्री राधेश्याम गुप्त–

इस संबंध में मा० उच्च न्यायालय का अभिमत अभी प्रतीक्षित है । अभिमत प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

17–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद सुल्तानपुर ब्लाक अमेठी, ग्राम रामदेपुर, के निवासी श्री वेंकटेश्वर सिंह पुत्र श्री विजय बहादुर सिंह को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माने जाने तथा सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग

18–डा० कौशल किशोर–

क्या राजनैतिक पेंशन मंत्री को जानकारी है कि श्री वेंकटेश्वर सिंह पुत्र श्री विजय बहादुर सिंह, निवासी ग्राम–रामदेपुर, ब्लाक–अमेठी, जनपद सुल्तानपुर द्वारा स्वतंत्रता आन्दोलन में वर्ष 1943 में केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में सजा पाने की पुष्टि हेतु गृह सामान्य अनुभाग–3 के पत्र संख्या–695(1) जेड/6–सा–3-99 दिनांक 30-8-1999 द्वारा जिलाधिकारी सुल्तानपुर/वाराणसी से जांच आख्या मांगी गयी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त सूचना शासन को प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या श्री वेंकटेश्वर सिंह को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घोषित कर, सुविधाएं उपलब्ध करवा दी गयी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

जी हां ।

जिलाधिकारी, सुल्तानपुर से जांच आख्या प्राप्त हो गयी है लेकिन अभी जिलाधिकारी, वाराणसी से जांच आख्या प्राप्त नहीं हुई है ।

जनपद हरदोई में जारी शस्त्र लाइसेंस में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की जानकारी

19–श्री श्याम प्रकाश–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 जनवरी, 1999 से अब तक जनपद हरदोई में कितने शस्त्र लाइसेन्स जारी किये गये हैं ? उक्त जारी शस्त्र लाइसेन्सों में अनु० जाति के कितने लोगों की शस्त्र लाइसेन्स दिए गये ? वर्तमान में शस्त्र लाइसेन्स हेतु कितने प्रार्थना-पत्र लम्बित हैं ? क्या शेष व्यक्तियों को शस्त्र लाइसेन्स जारी किए जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

इस जनपद में 01 जनवरी, 1999 से (15-2-2000) कुल 1146 शस्त्र लाइसेंस निर्गत किये गये हैं।

शस्त्र लाइसेंस आवेदन-पत्र व शस्त्र पंजिका में जाति का अंकन नहीं होता है । इस कारण अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को निर्गत शस्त्र लाइसेंसों की संख्या दिया जाना सम्भव नहीं है ।

वर्तमान में इस जनपद में कुल 27420 शस्त्र लाइसेंस प्रार्थना पत्र लम्बित हैं । शस्त्र लाइसेंस प्रार्थना-पत्रों पर पुलिस/राजस्व विभाग की आख्या प्राप्त होने के उपरान्त सम्बन्धित लाइसेंसिंग प्राधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त जांच आख्याओं, आवेदक की मानसिक/शारीरिक दशा, जन शांति/जन सुरक्षा तथा

आवेदक की वास्तविक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए आयुध अधिनियम/नियमावली के संगत प्राविधानों के अन्तर्गत गुणावगुण के आधार पर शस्त्र प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण किया जाता है । चूंकि शस्त्र लाइसेन्स संबंधी कार्यवाही अर्द्धन्यायिक प्रक्रिया है तथा शस्त्र लाइसेन्स संबंधी कार्यवाही हेतु आयुध अधिनियम/नियमावली जो केन्द्रीय विधान है, के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट को अधिकार प्रदत्त है । अतः जनपद हरदोई में लम्बित शस्त्र लाइसेन्स प्रार्थना-पत्रों पर उपर्युक्तानुसार परीक्षोपरान्त कार्यवाही की जानी है । तद्नुसार निस्तारण हेतु एक निश्चित समय सीमा की अवधि दिया जाना सम्भव नहीं है ।

कुशीनगर के विभिन्न थानों में हत्या, डकैती, बलात्कार की वर्ष 1998-99 तथा वर्ष 1999-2000 में कुल घटनाएं तथा उनके रोकथाम के किये गये उपाय की जानकारी

20–श्री राधेश्याम सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1998-99 तथा वर्ष 1999-2000 में कुशीनगर के विभिन्न थानों में हत्या, डकैती, बलात्कार एवं अपहरण की कुल कितनी घटनायें पंजीकृत की गयी हैं तथा इन घटनाओं की रोकथाम हेतु कौन-कौन से प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री राम प्रकाश–

वर्ष 1998-99 तथा वर्ष 1999-2000 में कुशीनगर के विभिन्न थानों में हत्या, डकैती, बलात्कार एवं अपहरण की निम्नांकित घटनायें पंजीकृत की गयीं ।

	वर्ष 1998-99	वर्ष 1999-2000
हत्या	55	64
डकैती	9	7
बलात्कार	7	7
अपहरण	28	14
कुल योग–	99	92

उक्त घटनाओं की रोकथाम हेतु प्रभावी गश्त करना, पिकटिंग व्यवस्था तथा पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गयी है । डकैती प्रभावी थानों में अतिरिक्त चौकियां स्थापित की गयी हैं एवं अतिरिक्त पुलिस बल नियुक्त किया गया है ।

जनपद बलरामपुर के थाना गौरा चौराहा में पंजीकृत अपराध के सम्बन्धित अभियुक्तों पर कार्यवाही की मांग

21–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि थाना गौरा चौराहा जनपद बलरामपुर में मु०अ०सं० 66/99 धारा 419/420/467/468/471 आई०पी०सी० के दिनांक 24-11-99 दर्ज किया गया है ? यदि हां, तो अभियुक्तों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

प्रश्नगत अभियोग की विवेचना थानाध्यक्ष, गौरा चौराहा द्वारा की जा रही है । विवेचक के स्थानान्तरण के फलस्वरूप अन्य विवेचक द्वारा विवेचना की जा रही है । साक्ष्य के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के विरुद्ध श्री बी० डी० मिश्रा एडवोकेट, हरदोई के शिकायती–पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

22–श्री लालमणि प्रसाद–

क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई में नियुक्त जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा की जा रही अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के संबंध में श्री बी० डी० मिश्रा, एडवोकेट, हरदोई का शिकायती-पत्र जो फैक्स द्वारा दिनांक 29-4-99 को मुख्य मंत्री को तथा उसकी प्रति जिलाधिकारी, हरदोई को भेजी गयी है, प्राप्त हुए हैं ? क्या यह सही है कि उक्त शिकायती-पत्र की जांच सिटी मजिस्ट्रेट, हरदोई द्वारा की गयी थी तथा वित्तीय अनियमिततायें प्रकाश में आयी थीं ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राधेश्याम गुप्त–

हां ।

जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के विरुद्ध श्री बी० डी० मिश्रा, एडवोकेट हरदोई का शिकायत-पत्र दिनांक 29-04-99 की प्रति शासन को प्राप्त हुई थी ।

हां, जिला मजिस्ट्रेट से प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त शिकायती-पत्र की जांच सिटी मजिस्ट्रेट, हरदोई द्वारा की गई थी जो जांचोपरान्त निराधार एवं प्रमाणित न होने के कारण संग्रह कर दी गई है ।

प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम, छिबरामऊ डिपो बेवर जनपद कन्नौज में मृतक श्री आर० पी० दीक्षित, परिचालक के देयों के भुगतान की मांग

23–श्री राम औतार शाक्य–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि मृतक श्री आर० पी० दीक्षित, परिचालक उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम, छिबरामऊ डिपो बेवर जनपद कन्नौज के सामूहिक बीमा व अन्य देयों के भुगतान किये जाने विषयक पत्र प्रश्नकर्ता के कवरिंग लेटर के साथ मुख्य मंत्री का पत्र सं० सी०एम/वि०को/एम–/26827/मैनपुरी/99 दिनांक 5-10-99 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी हां ।

स्व० श्री आर० पी० दीक्षित, परिचालक को देय ग्रेच्युटी का भुगतान किया जा चुका है तथा सामूहिक बीमा प्रकरण भुगतान हेतु बीमा कार्यालय तथा ई०पी०एफ० के भुगतान हेतु प्रपत्र क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय को प्रेषित कर दिये गये हैं । अवकाश नकदीकरण तथा पुनरीक्षित वेतनमान में बकाया सम्बन्धी भुगतान वर्तमान समय में निगम की वित्तीय स्थिति ठीक न होने के कारण स्थगित है ।

जनपद देहरादून में फाइनेन्स कम्पनी अग्रेरियन्स फील्ड्स एण्ड फारेस्ट लि० को सीज करने की जानकारी

24–श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि फाइनेन्स कम्पनी अग्रेरियन्स फील्ड्स एण्ड फोरेस्ट्स लिमि०, 50/51, चकराता रोड, थाना कोतवाली देहरादून जनपद देहरादून का कार्यालय दिनांक 18-8-98 को

कोतवाली पुलिस देहरादून द्वारा सीज कर दिया गया था ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या सरकार उक्त कार्यालय भवन अथवा उक्त फाइनेन्स कम्पनी की सम्पत्ति को नीलाम करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

उक्त कम्पनी का कार्यालय दिनांक 18-8-98 को सुरक्षात्मक एवं कम्पनी के अभिलेख न्यायहित में सुरक्षित रखने की दृष्टि से कोतवाली देहरादून द्वारा अस्थायी रूप से सील कर दिया गया था ।

उक्त कम्पनी के निदेशकों के विरुद्ध दिनांक 14-6-99 को थाना कोतवाली, जनपद देहरादून पर मु०अ०सं० 392/99 धारा 2/3 गैंगेस्टर अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत हुआ है । अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति की पुष्टि कराये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है ।

सुल्तानपुर केन्द्रीय इन्जीनियरिंग सहकारी समिति लि० के लेखाकार श्री राम अभिलाष द्वारा अपना वेतन पुस्तिका में बढ़ाकर लिखने का प्रकरण

25–श्री तेजभान सिंह तथा श्री अरुण प्रताप सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि सुल्तानपुर केन्द्रीय इन्जीनियरिंग सहकारी समिति लि० के लेखाकार श्री राम अभिलाष ने समिति के प्रबन्ध समिति की कार्यवाही पुस्तिका के प्रस्ताव में अपना वेतन बढ़ा कर वेतनमान 950 से 1500 कर लिया था ? यदि हां, तो क्या प्रस्ताव को निरस्त करते हुए इसकी सूचना सचिव द्वारा प्रबन्ध निदेशक पैक्सफैड लखनऊ को रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजी गयी है ? यदि हां, तो उक्त कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

जी हां ।

जी हां ।

संबंधित कर्मचारी को पैक्सफैड की सेवाओं से प्रत्यावर्तित कर दिया गया है तथा केन्द्रीय इन्जीनियरिंग सहकारी समिति लि०, सुल्तानपुर के पत्रांक–25/यमि० कर्मचारी–सेवा पर विचार, दिनांक 22 जनवरी, 2000 द्वारा सेवायें समाप्त कर दी गई हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ के थाना–नाका हिण्डोला के कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

26–श्री चेतराम–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें सम्बोधित दिनांक 12-3-99 का पत्र जो विधायक श्री बाबू राम पटेल द्वारा थाना–नाका हिण्डोला लखनऊ के कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत के संबंध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

पत्र में की गयी शिकायतों की जांच क्षेत्राधिकारी, आलमबाग से कराई गयी जांचाख्या के अनुसार आरोप प्रमाणित नहीं पाए गए ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद मथुरा के ग्राम वाकलपुर में राशन कार्ड बनाने व वितरण में धांधली की शिकायत एवं कृत कार्यवाही

27–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम–वाकलपुर, जनपद मथुरा में राशन कार्ड बनाने व राशन वितरण में धांधली किये जाने की जांच कराये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्र संख्या–सी०एम०/वि०को०/एम–2/22834/मथुरा/99, दिनांक 25-4-99 सचिव, खाद्य एवं रसद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)–

जी हां ।

इस संबंध में प्राप्त शिकायत की जांच खण्ड विकास अधिकारी मथुरा से करायी गयी । जांच में कोई अनियमितता सिद्ध नहीं पायी गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ के थाना कन्धई में पंजीकृत अपराध संख्या 463/98 के सम्बन्ध में भेजे गये पत्र पर कार्यवाही की मांग

28–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के चौथे सोमवार को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–82 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उप जिलाधिकारी, पट्टी, जनपद–प्रतापगढ़ की रिपोर्ट 6-11-1998 का विवरण क्या है ?

श्री राम प्रकाश–

उप जिलाधिकारी पट्टी की रिपोर्ट दिनांक 6-11-98 के विवरण के अनुसार शिकायतकर्ता श्री इन्द्र बहादुर सिंह, निवासी ढाढर, तहसील पट्टी, प्रतापगढ़ एवं गवाहों के बयानात के आधार पर, जांच के निष्कर्ष का उल्लेख न व्यक्त करते हुए प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन होने का उल्लेख किया है ।

जनपद प्रतापगढ़ के पुलिस कार्यालय/लाइन में ध्वजारोहण पुलिस अधीक्षक द्वारा न किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की मांग

29–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के चौथे सोमवार को पूछे गये अता० प्रश्न संख्या–146 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दि० 2-10-98 को पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद मुख्यालय पर मौजूद रहने के बाद भी ध्वजारोहण नहीं किया गया ? यदि हां, तो ध्वज अधिनियम के विरुद्ध कार्य करने वाले के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम प्रकाश–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला कारागार जौनपुर की पाकशाला में बन्दियों को भोजन तैयार करने हेतु राशन सामग्री दिये जाने के सम्बन्ध में जांच तथा कार्यवाही की मांग

30–श्री बी० आर० वर्मा–

क्या कारागार मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 27-11-1999 को जिला कारागार, जौनपुर की पाकशाला में सील मुहर युक्त प्राप्त राशन प्रभारी, बन्दी रक्षक तथा डा० ए० के० सिन्हा के समक्ष वजन करने पर अंकित वजन से कम राशन प्राप्त हुआ था ? क्या इस संबंध में कोई विवाद वहां तैनात कर्मचारियों एवं अधिकारियों के बीच हुआ था ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण–

दिनांक 27-11-99 को जिला कारागार, जौनपुर में बंदियों का भोजन तैयार करने हेतु पाकशाला में उपलब्ध करायी गयी शील मुहरयुक्त सामग्री का वजन पाकशाला प्रभारी श्री कुबेर राम, प्रधान बन्दीरक्षक व सहायक प्रभारी श्री वीरेन्द्र कुमार सिन्हा, बन्दीरक्षक द्वारा कराया गया तथा जारी मात्रा से कम राशन पाये जाने की कोई शिकायत नहीं पायी गयी । अतः पाकशाला में तैनात जेल कर्मियों में उक्त दिनांक को किसी प्रकार का विवाद होने अथवा किसी को दण्ड दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सिद्धार्थनगर में थाना खेसरहा के थानाध्यक्ष द्वारा श्री हरिराम पाल की हत्या बन्दूक की बटों से पीट-पीट कर करने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जानकारी

31–श्री राम ललित चौधरी–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि श्री हरिराम पाल ग्राम–सुमौली थाना–खेसरहा, जनपद सिद्धार्थनगर को दिनांक 10-5-1998 को थानाध्यक्ष, खेसरहा द्वारा राइफल के बटों से पीट कर मार कर लाश गायब कर दी गयी थी ? क्या उक्त के संबंध में थानाध्यक्ष एवं दो पुलिस कर्मियों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा उक्त थाने में पंजीकृत किया गया है ? यदि हां, तो क्या इस संबंध में अग्रेतर कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

जी हां ।

मामले में मजिस्ट्रीयल जांच एवं थानाध्यक्ष के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग सं० 79/99 विवेचना से मामला असत्य पाया गया । विवेचनोपरान्त थानाध्यक्ष खेसरहा एवं अन्य कर्मियों के विरुद्ध किसी अपराध का होना नहीं पाया गया । दिनांक 24-6-99 को अंतिम रिपोर्ट न्यायालय प्रेषित कर दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सिद्धार्थनगर में श्री आर० के० सिंह थानाध्यक्ष खेसरहा के विरुद्ध हत्या, डकैती के अपराध पंजीकृत होने की शिकायत

32–श्री राम ललित चौधरी–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि श्री आर० के० सिंह थानाध्यक्ष, खेसरहा, जनपद सिद्धार्थनगर के विरुद्ध हत्या एवं डकैती के अपराध पंजीकृत हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त थानाध्यक्ष के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

मा० न्यायालय के आदेशानुसार मु०अ०सं० 79/99 धारा–304/120बी/201 आई० पी० सी० बनाम आर० के सिंह थानाध्यक्ष खेसरहा के विरुद्ध एवं कोर्ट केस नं० 2/98 व कोर्ट केस नं० 8/98 धारा 392 आई०पी०सी० पंजीकृत किया गया । उपरोक्त अभियोगों की विवेचना से मामला असत्य एवं निराधार पाये जाने पर थानाध्यक्ष खेसरहा के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी । दिनांक 31-12-98 को अंतिम रिपोर्ट न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गाजीपुर से तहसील जखनिया को जोड़ने के लिए परिवहन निगम की बस चलाने की मांग

33–श्री विजय कुमार–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद से जखनिया तहसील को जोड़ने के लिए क्या परिवहन निगम की बसें चलाई जाती हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार जखनिया से गाजीपुर तक बसों का संचालन करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

गाजीपुर से जंगीपुर होते हुए जखनिया तक निगम की एक बस सेवा संचालित है जो वापसी में जखनिया से गाजीपुर आती है ।

जनपद प्रतापगढ़ में प्रभारी निरीक्षक स्तर के थानों में उप निरीक्षक रखने पर आपत्ति तथा निरीक्षकों की तैनाती की मांग

34–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद प्रतापगढ़ में प्रभारी निरीक्षक स्तर के थानों में उपनिरीक्षक को प्रभार में रखा गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार प्रश्नगत थानों में निरीक्षकों की तैनाती करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जनपद प्रतापगढ़ में निरीक्षक स्तर के चार थाने हैं जिनमें से 3 थानों पर निरीक्षक नियुक्त हैं । वर्तमान में जनपद में कुल 3 निरीक्षक उपलब्ध होने के कारण केवल थाना कुण्डा मे उपनिरीक्षक को प्रभार में रखा गया है ।

जी हां ।

निरीक्षक उपलब्ध होने के उपरान्त थाना कुण्डा में निरीक्षक की तैनाती की जाएगी ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

35–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के चौथे सोमवार को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–27 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नगत प्रकरण पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

प्रश्न में उल्लिखित अता० प्र० संख्या–27 के लिए गए उत्तर के फलस्वरूप आश्वासन संख्या–1044/99 की पूर्ति हेतु आश्वासन समिति को उत्तर भेजा जाएगा ।

जनपद मथुरा में श्री करतार पुत्र श्री भग्गन निवासी कृष्ण कुन्ज भूतेश्वर मथुरा के अनुसूचित जाति के परिवारों व दलित मजदूरों को पुलिस द्वारा प्रताड़ित करने विषयक शिकायती-पत्र

36–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री करतार पुत्र श्री भग्गन निवासी–कृष्ण कुन्ज भूतेश्वर, मथुरा, थाना कोतवाली मथुरा के अनुसूचित जाति के परिवारों व दलित मजदूरों को पुलिस द्वारा प्रताड़ित करने की जांच कराये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी०एम/वि०को०/ एम–2/22837/ मथुरा/99, दिनांक 25-4-99 पुलिस अधीक्षक, मथुरा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

पुलिस अधीक्षक मथुरा से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित पत्र संख्या : सी० एम०/वि०को०/एम–2/22837/मथुरा/99 दिनांक 25-4-99 उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला सुल्तानपुर में पैक्स फैड के अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध लोकसभा चुनाव 1999 में आदेशों की अवहेलना करने के आरोप में दर्ज रिपोर्ट पर कृत कार्यवाही की जानकारी

37–श्री अरुण प्रताप सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि पैक्स फैड के अधिशासी अभियन्ता, सुल्तानपुर के विरुद्ध लोक सभा चुनाव 1999 में आदेशों की अवहेलना करने के आरोप में निर्वाचन अधिकारी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 10-9-99 को अंकित कराई है ? क्या निर्माण कार्यों में अनियमितता पाये जाने के बाद उनके विरुद्ध दिनांक 19/20-10-99 को धारा 406, 409, 420 में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी अंकित कराई गयी है ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 10-09-99 उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुल्तानपुर द्वारा अंकित करायी गयी है ।

प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 19/20-10-99 परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण सुल्तानपुर द्वारा अंकित कराई गई है ।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में पुलिस विभाग से कृत कार्यवाही प्रतीक्षित है । प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 19/20-10-99 में उल्लिखित सम्पर्क मार्गों के कार्यों की विभागीय जांच करायी गयी जिसमें कोई अनियमितता नहीं पायी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद आजमगढ़ में आई० एस० आई० प्रभावित क्षेत्र के थानों में पर्याप्त पुलिस व्यवस्था की मांग

38–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि आई०एस०आई० प्रभावित जनपद आजमगढ़ के 22 थानों में पुलिस कर्मचारियों की कमी है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद आजमगढ़ में स्वीकृत पदों के अनुसार पुलिस कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जनपद आजमगढ़ में पुलिस बल की कमी नहीं है । जनपद में कुल स्वीकृत नियतन 1019 पदों के सापेक्ष कुल 1138 कर्मचारी नियुक्त हैं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद आजमगढ़ में माह जनवरी, 1999 से 15 दिसम्बर, 1999 तक एस० सी०/एस० टी० ऐक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत मुकदमों की जांच की जानकारी

39–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में जनवरी, 1999 से 15 दिसम्बर, 1999 तक एस०सी०/एस०टी० ऐक्ट के अन्तर्गत कुल कितने मुकदमों का पंजीकरण थानों में किया गया है ? उक्त पंजीकृत मुकदमों में जांच के बाद कितने निर्दोष लोगों के ऊपर से मुकदमा वापस लिया गया ?

श्री राम प्रकाश–

जनपद आजमगढ़ में माह जनवरी, 1999 से 15 दिसम्बर, 1999 तक एस० सी०/एस०टी० ऐक्ट के अन्तर्गत कुल 92 मुकदमें थानों पर पंजीकृत हुए हैं ।

जांच के बाद 10 निर्दोष लोगों के ऊपर से मुकदमा वापस लिया गया ।

जनपद आजमगढ़ के देवगांव कोतवाली की विशालता को देखते हुए पल्हना बाजार में थाना अथवा चौकी स्थापित करने की मांग

40–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ की देवगांव कोतवाली में कुल कितने राजस्व गांव तथा नगर पंचायत हैं ? क्या सरकार देवगांव कोतवाली क्षेत्र की विशालता को ध्यान में रखते हुये पल्हना बाजार में थाना अथवा चौकी की स्थापना करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

प्रश्नगत कोतवाली में कुल 224 राजस्व गांव तथा एक नगर पंचायत है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

यह मानक के अनुसार नहीं है ।

पुलिस महानिरीक्षक इलाहाबाद को चित्रकूट जनपद के थानाध्यक्ष पहाड़ी एवं राजापुर के अनियमित कार्यों की जांच करने आदि के संबंध में पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

41–श्री आर० के० सिंह पटेल –

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता का पत्र दि० 16-12-99 जो पुलिस महानिरीक्षक इलाहाबाद को चित्रकूट जनपद के थानाध्यक्ष पहाड़ी एवं राजापुर के अनियमित कार्यों की जांच करने एवं उन्हें जोन से बाहर स्थानान्तरित किये जाने के संबंध में वहां के नागरिकों के शिकायती-प्रार्थना-पत्रों के साथ दिया गया प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

इस संबंध में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट से जांच करायी गयी जांचोपरान्त आरोप प्रमाणित नहीं पाए गये ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद प्रतापगढ़ के पुलिस कार्यालय/लाइन में ध्वजारोहण पुलिस अधीक्षक द्वारा न किये जाने कर कार्यवाही की मांग

42–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के चौथे सोमवार को उत्तरित अता० प्रश्न संख्या–146 के उत्तर के क्रम में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 2-10-98 को पुलिस अधीक्षक जनपद मुख्यालय पर मौजूद रहने के बाद भी उनके द्वारा ध्वजारोहण नहीं किया गया ? यदि हां, तो ध्वज अधिनियम के विरुद्ध कार्य करने वाले के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री राम प्रकाश–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद मथुरा में श्री अमर सिंह पुत्र सुखराम निवासी नगला सुदामा, थाना मांट पर लगे फर्जी मुकदमें को वापस लेने विषयक विधायक प्रकोष्ठ में पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

43–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अमर सिंह, पुत्र सुखराम नि०–नगला सुदामा, थाना–मांट जनपद मथुरा पर लगे अ० सं०–27/99 धारा 307, 504, 506 आई०पी०सी० के फर्जी मुकदमा वापस किये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी० एम०वि० को०/एम०–1/22880/ मथुरा/99, दि० 28-4-99 पुलिस अधीक्षक, मथुरा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम प्रकाश–

जी नहीं ।

दौरान विवेचना दिनांक 9-4-99 को रपट नं०–12 पर मुकदमा धारा 307/504/506 भा० दं० वि० से धारा 324/504/506 भा० दं० वि० में तरमीम किया गया तथा नामजद चारों अभियुक्तों क्रमशः अमर सिंह जाटव पुत्र सूखा, विजय सिंह पुत्र सूखा, रमेश पुत्र सूखा, ललित पुत्र सोनपाल जाटव, निवासीगण नगला सुदामा डागौली को दिनांक 26-4-99 को गिरफ्तार कर जमानत मुचलके पर छोड़ा गया । विवेचना में मामला सही पाये जाने पर मुकदमा उपरोक्त में उपरोक्त चारों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र सं०–24/99 दिनांक 28-4-99 को धारा 324/504/506 भा० दं० वि० में प्रेषित किया गया जो वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है ।

जनपद हरदोई के ग्राम छिबरामऊ में पुलिस चौकी स्थापित करने की मांग

44–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई में 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम छिबरामऊ में अस्थायी रूप से स्थापित पुलिस चौकी को क्षेत्र की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्थायी रूप प्रदान कर दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम छिबरामऊ में कोई अस्थायी पुलिस चौकी स्थापित नहीं है ।

जनपद हरदोई की पुलिस चौकी राधौपुर में पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाने की मांग

45–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई की पुलिस चौकी राधौपुर में कितने पुलिस कर्मियों की नियुक्ति के आदेश हैं ? उसके विपरीत कितने पुलिस कर्मी कार्यरत हैं ? क्या शासन निर्धारित संख्या के अनुसार कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश

उक्त जनपद स्तरीय चौकी है जिसे क्षेत्रीय अपराधों/शान्ति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए स्थापित किया गया है । उक्त चौकी शासन द्वारा स्वीकृत नहीं है ।

इस चौकी में 7 आरक्षी नियुक्त है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पुलिस महानिरीक्षक बरेली जोन बरेली को अनुसूचित जाति के उत्पीड़न का मुकदमा निरस्त कराने संबंधी शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

46–श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस महानिरीक्षक बरेली जोन बरेली को प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 14 दिसम्बर, 99 प्राप्त हुआ है जो दिनांक 25 सितम्बर, 1999 को ग्रा०–चेना थाना नवाबगंज (बरेली) के हरिपाल पुत्र सेथराम द्वारा लिखायी गयी धर्मपाल, नरदेव व प्रभूदयाल के विरुद्ध अनुसूचित जाति उत्पीड़न की झूठी रपट की जांच कराकर मुकदमा निरस्त कराने के संबंध में है ? क्या पुलिस महानिरीक्षक बरेली जोन बरेली ने अपने स्तर से जांच कराकर उपरोक्त अनुसूचित जाति उत्पीड़न का मुकदमा निरस्त करा दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां । प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 14 दिसम्बर, 1999 पुलिस महानिरीक्षक, बरेली जोन को प्राप्त हुआ है ।

जी हां । पुलिस महानिरीक्षक, बरेली ने अपने स्तर से प्रकरण की जांच कराकर अनुसूचित जाति उत्पीड़न का मुकदमा निरस्त करा दिया है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

बलिया जनपद के थाना भीमपुरा के प्रभारी उप निरीक्षक जवाहर सिंह द्वारा पद दुरुपयोग करने संबंधी पत्र पर कार्यवाही की मांग

47–श्री अम्बिका चौधरी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद के थाना भीमपुरा के प्रभारी उप निरीक्षक, जवाहर सिंह द्वारा पद का दुरुपयोग करने के कारण उन्हें दि० 20-7-97 तक अन्यत्र स्थानान्तरित करने के संबंध में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कोई ज्ञापन दिया था तथा कोई धरना-प्रदर्शन उक्त थाने पर दि० 4-8-97 को किया गया था ? क्या उप महानिरीक्षक पुलिस आजमगढ़ ने जवाहर सिंह के अन्यत्र स्थानान्तरण के संबंध में आई०जी० व डी०जी०पी० को कोई पत्र लिखा था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बलिया जनपद के भीमपुरा थाने पर धरना/प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा लाठी चार्ज से घायल कार्यकर्ताओं की दर्ज रिपोर्ट की जांच की मांग

48–श्री अम्बिका चौधरी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि समाजवादी पार्टी के दि० 4-8-1997 को बलिया जनपद के भीमपुरा थाने पर धरना/प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा लाठी चार्ज से घायल कार्यकर्ताओं द्वारा कोई रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है ? यदि हाँ, तो क्या दोषी जनों के विरुद्ध न्यायालय में चार्ज शीट न भेजकर थाना इन्चार्ज द्वारा दर्ज करायी गयी रिपोर्ट पर एक पक्षीय चार्ज शीट न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है ? क्या सरकार उक्त दोनों मुकदमें, जो एक ही घटना से संबंधित हैं, की जांच सी०बी०सी०आई०डी० से करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां । उक्त मुकदमा अतिरिक्त जिलाधिकारी बलिया इत्यादि 20 नफर के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना थानाध्यक्ष भीमपुरा द्वारा की गई । विवेचनोपरान्त दिनांक 29-5-98 को बी–9 पर मुकदमा खारिज कर दिया गया ।

थानाध्यक्ष द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट पब्लिक प्रापर्टी डैमेज प्रिवेन्सन, ऐक्ट, रेलवे ऐक्ट व क्रि०ला० ऐक्ट से संबंधित थी जिसकी विवेचनोपरान्त आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया जो विचाराधीन न्यायालय है । फलस्वरूप मामले की सी०बी०सी०आई०डी० जांच कराने का औचित्य नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सहायक महानिरीक्षक लखीमपुर द्वारा वर्ष 1999 के मध्य सत्र में निबन्धन लिपिक का स्थानान्तरण शासन नीति के विपरीत करने का मामला

49–श्री बाबू खां–

क्या पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री को जानकारी है कि सहायक महानिरीक्षक, लखीमपुर द्वारा वर्ष 1999 के मध्य सत्र में निबन्धन लिपिकों का स्थानान्तरण शासन की नीति के विरुद्ध किये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

जी हां ।

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, लखीमपुर खीरी द्वारा केवल एक निबन्धन लिपिक श्री प्रेम प्रकाश सम्बद्ध प्रतिलिपिकरण सेल का स्थानान्तरण कार्यालय उप निबन्धक मोहम्मदी में दिनांक 10-12-99 को किया गया था परन्तु मा० मुख्य मंत्री के निर्देश पर जिलाधिकारी खीरी के आदेश दिनांक 6-1-2000 के क्रम में सहायक महानिरीक्षक निबन्धन ने श्री प्रेम प्रकाश का स्थानान्तरण 22-1-2000 को निरस्त कर दिया सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, खीरी को मध्य सत्र में स्थानान्तरण किये जाने हेतु सचेत कर दिया गया है ।

50–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह –

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी में मुन्सिफ न्यायालय स्थापित करने की मांग

51–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह –

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के चौथे सोमवार के अता० प्रश्न संख्या–157 के उत्तर के संदर्भ में क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुन्सिफ न्यायालय, पट्टी प्रतापगढ़ कब तक स्थापित हो जायेगा ?

श्री राधेश्याम गुप्त–

इस संबंध में मा० उच्च न्यायालय का अभिमत अभी प्रतीक्षित है । अभिमत प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा ।

जिला बरेली के ग्राम जवेदा जवेदी तहसील नवाबगंज के कृषकों द्वारा खाद लेने हेतु दिये गये चेक के उपरान्त खाद न दिये जाने एवं चेक को निरस्त करने का प्रकरण

52–श्री छोटेलाल गंगवार–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाखा प्रबन्धक जिला सहकारी बैंक शाखा दलेल नगर को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दि० 30-3-99 इस आशय का प्राप्त हुआ है कि ग्राम जवेदा जवेदी तहसील नवाबगंज, जिला–बरेली के कृषकों ने खाद लेने के लिए ''सचिव'' साधन सहकारी समिति परशुरामपुर (बरेली) को जो चेक दिये हैं, खाद नहीं उपलब्ध करायी गयी और न ही चेकों का भुगतान हुआ है ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त कृषकों को चेक वापस अथवा रद्द करा दिये गये हैं ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

''पटेल'' राम कुमार वर्मा–

अभिलेखों के अनुसार संदर्भित पत्र प्राप्त होने की पुष्टि नहीं हो सकी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ०प्र० परिवहन निगम किदवई नगर डिपो, कानपुर के सेवानिवृत्त प्रधान लिपिक श्री एस०पी० शुक्ल के देयों का भुगतान कराने की मांग

53–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री एस०पी० शुक्ला, भू०पू० प्रधान लिपिक, उ० प्र० परिवहन निगम, किदवई नगर डिपो, कानपुर क्षेत्र कानपुर को सेवानिवृत्ति के उपरान्त मिलने वाले देयों के भुगतान के संबंध में विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी०एम०/ वि०को०/एम–1/26517/मथुरा/99, दिनांक 28-8-99 प्रमुख सचिव, परिवहन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी हां ।

श्री शुक्ला को पुराने वेतनमान के अन्तर्गत पेंशन/ग्रेच्युटी का भुगतान किया जा चुका है । सेवा निवृत्ति यात्रा भत्ता समयावधि के अन्तर्गत प्रस्तुत न किये जाने के कारण नियमानुसार भुगतान नहीं किया जा सका । इसकी सूचना श्री शुक्ला को दे दी गई है ।

उ०प्र० परिवहन निगम की वित्तीय स्थिति ठीक न होने के कारण नये वेतनमान के अन्तर्गत देय अवशेष एवं नकदीकरण का भुगतान स्थगित है ।

प्रदेश में आग्नेयास्त्रों के लाइसेंस की प्रक्रिया पूर्ण होने की दशा में लाइसेंस जारी करने की मांग तथा उत्तराधिकार लाइसेंस की जानकारी

54–श्री राम ललित चौधरी–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में आग्नेयास्त्रों के लाइसेन्स को समयबद्ध तरीके से सहजता से उसके लिए प्रार्थना पत्र देने से लेकर सभी प्रक्रिया पूरी करने वाले लोगों को लाइसेन्स ज करने का सरकार कोई निर्देश देगी ? क्या सरकार उत्तराधिकार के आधार पर निर्गत होने वाले लाइसेन्स प्रक्रिया में कोई शिथिलता प्रदान करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

आग्नेयास्त्रों के लाइसेंस प्रार्थना-पत्रों के सहजता से समयबद्ध निस्तारण हेतु आवश्यक निर्देश समस्त जिला मैजिस्ट्रेटों को दिये जा चुके हैं।

चूंकि शस्त्र लाइसेंस प्रार्थना-पत्रों पर विचार एवं उनके निस्तारण संबंधी कार्यवाही आयुद्ध अधिनियम एवं नियमावली, जो केन्द्रीय विधान है, के संगत प्राविधानों के अनुसार की जाती है जिसके अनुसार लाइसेंस हेतु प्रार्थना पत्र देने तथा जांच आदि संबंधी सभी प्रक्रिया आदि पूरी होना मात्र ही पर्याप्त नहीं है तथा उसके साथ ही आयुद्ध अधिनियम की धारा 13 (3) (ब) के अन्तर्गत लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा आवेदक को शस्त्र लाइसेंस की वास्तविक आवश्यकता का आंकलन किया जाना अपेक्षित है साथ ही आवेदक की मानसिक/शारीरिक अवस्था जनशान्ति/जनसुरक्षा की दृष्टि से गुणावगुण के आधार पर परीक्षण भी किया जाना आवश्यक है। अतः मात्र प्रक्रिया पूरी करने वाले सभी लोगों को लाइसेंस दिये जाने का औचित्य नहीं है।

उत्तराधिकार के मामलों में सामान्यतः आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण होने तथा मृतक के अन्य उत्तराधिकारियों को आवेदक के पक्ष में सहमति/अनापत्ति प्राप्त होने के उपरान्त मृतक के किसी एक विधिक उत्तराधिकारी/आवेदक को लाइसेंस निर्गत कर दिया जाता है। ऐसे मामलों मे समयबद्ध कार्यवाही के निर्देश समस्त जिला मैजिस्ट्रेटों को पूर्व में ही दिये जा चुके हैं। उक्त प्रक्रिया में अन्य कोई शिथिलता प्रदान करने का औचित्य नहीं है।

जनपद हरदोई के थाना कोतवाली मल्लावां व पुलिस चौकी कुरसठ तथा कोतवाली थाना बिलग्राम में पुलिस फोर्स की तैनाती मानक के अनुरूप सुनिश्चित करने की मांग

55–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई में 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के थाना कोतवाली मल्लावां व पुलिस चौकी कुरसठ तथा कोतवाली थाना बिलग्राम में कितनी पुलिस फोर्स की तैनाती के आदेश हैं ? क्या वहां पर निर्धारित संख्या से कम पुलिस फोर्स तैनात है ? यदि हां, तो क्या सरकार निर्धारित संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

थाना मल्लावां में स्वीकृत नियतन यथा–

प्रभारी निरीक्षक	1 पद
उपनिरीक्षक	9 पद
हे० कान्स०	2 पद
आरक्षी	29 पद

थाना बिलग्राम में स्वीकृत नियतन यथा–

प्रभारी निरीक्षक	1 पद
उपनिरीक्षक	5 पद
हेड कान्स०	2 पद
आरक्षी	22 पद

थाना कुरसठ में स्वीकृत नियतन यथा–

उपनिरीक्षक	1 पद
हे० कान्स०	1 पद
आरक्षी	9 पद

जी हां । कुल 15 पुलिस कर्मी नियतन से कम हैं ।

जी हां ।

शेष प्रश्न नहीं उठता ।

56–श्री नरेन्द्र सिंह–

[5वें सोमवार के लिये स्थगित]

जनपद प्रतापगढ़ के प्रभारी निरीक्षकों के स्थान पर थानों में उपनिरीक्षकों को प्रभारी बनाने की जानकारी तथा थानों में निरीक्षकों को तैनात करने की मांग

57–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में प्रभारी निरीक्षक स्तर के थानों में उपनिरीक्षकों को प्रभार में रखा गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार निरीक्षक स्तर के थानों में निरीक्षकों को तैनात करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जनपद प्रतापगढ़ में निरीक्षक स्तर के चार थाने हैं जिनमें से 3 थानों पर निरीक्षक नियुक्त हैं । वर्तमान में जनपद में कुल 3 निरीक्षक उपलब्ध होने के कारण केवल थाना कुण्डा में उपनिरीक्षक को प्रभार में रखा गया है ।

जी हां । निरीक्षक उपलब्ध होने पर थाना कुण्डा में निरीक्षक की तैनाती की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

बरेली परिक्षेत्र में प्रभारी पुलिस निरीक्षकों को उनके मूल निवास के निकटवर्ती जिलों में तैनात किये जाने के संबंध में जानकारी

58–श्री भोला शंकर मौर्य–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या बरेली परिक्षेत्र में प्रभारी पुलिस निरीक्षकों को उनके मूल निवास के निकटवर्ती जिले में नियम विरुद्ध तैनात किया गया है ? यदि हां, तो कितने को ? क्या यह सही है कि श्री देवदत्त सिंह राठौर, प्रभारी निरीक्षक, बदायूं कोतवाली बदायूं, निकटवर्ती जनपद बरेली के निवासी हैं और उनकी तैनाती की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

सम्प्रति बरेली परिक्षेत्र के किसी जनपद में प्रभारी पुलिस निरीक्षक अपने मूल निवास के निकटवर्ती जिले में नियुक्त नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सेवा विवरण के अभाव में श्री देवदत्त सिंह राठौर निरीक्षक ना०पु० को पुलिस महानिरीक्षक, बरेली जोन द्वारा बरेली परिक्षेत्र आवंटित किया गया था तथा यह आदेशित किया गया था कि इन्हें परिक्षेत्र का जनपद शीघ्र आवंटित किया जाये तत्पश्चात् जनपद बदायूं आवंटित हुआ । श्री राठौर के सेवा विवरण प्राप्त होने पर ज्ञात हुआ है कि इनका गृह जनपद बरेली है । तत्पश्चात् इन्हें बदायूं से मुरादाबाद परिक्षेत्र स्थानान्तरित कर दिया गया । श्री राठौर प्रभारी निरीक्षक पूर्व में ही दिनांक 17-12-99 को कार्यमुक्त हो चुके हैं ।

59–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

60–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद हरदोई की पुलिस चौकी गंज जलालाबाद में मानक के अनुसार सिपाहियों को तैनात करने की मांग

61–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत पुलिस चौकी गंज जलालाबाद में कितने सिपाहियों की तैनाती के आदेश हैं और इसके विपरीत कितने सिपाही तैनात हैं ? क्या उक्त चौकी में निर्धारित सिपाहियों की तैनाती नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त चौकी में निर्धारित संख्या में सिपाहियों की तैनाती करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

क्षेत्रीय अपराधों को दृष्टिगत रखते हुये जनपदीय स्तर पर चौकी गंज जलालाबाद खोली गई है । यह चौकी शासन द्वारा स्वीकृत नहीं है इस चौकी में थाना मल्लावां के स्वीकृत नियतन में से 4 आरक्षी तैनात किये गये हैं । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई की कोतवाली बिलग्राम में विधायक से अभद्रता करने वाले एस०एस०आई० के विरुद्ध विधायक प्रकोष्ठ के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

62–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधायक से अभद्रता करने वाले एस० एस० आई० कोतवाली बिलग्राम जनपद हरदोई के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने विषयक विधायक प्रकोष्ठ का पत्र सं० सी० एम०/वि०को०/एम०–2/26432/हरदोई/99 दिनांक 23-8-1999 प्रमुख सचिव/सचिव, गृह एवं गोपन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

इस संबंध में जांचोपरान्त पुलिस अधीक्षक हरदोई द्वारा उपनिरीक्षक को उनकी व्यक्तिगत पत्रावली पर चेतावनी दे दी गई है ।

जनपद रायबरेली थाना मिल एरिया ग्राम पूरे मथुरा मजरे मलिक मऊ आईमा में दलित छात्र की हत्या के संबंध में जानकारी

63–श्री श्याम सुन्दर–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद–रायबरेली के थाना–मिल एरिया, ग्राम पूरे मथुरा मजरे मलिक मऊ आईमा, निवासी 22 वर्षीय दलित छात्र की हत्या दिनांक 21-11-1999 को की गयी थी ? क्या उसकी रिपोर्ट एक माह बाद दिनांक 21-12-1999 को थाने में दर्ज की गयी ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उक्त घटना से सम्बन्धित नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? गिरफ्तारी कब तक की जायेगी ?

श्री राम प्रकाश–

जनपद रायबरेली के थाना मिल एरिया, ग्राम पूरे मथुरा मजरे मलिक मऊ आईमा निवासी 22 वर्षीय दलित छात्र श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री अयोध्या प्रसाद की दिनांक 21-11-99 को हत्या नहीं हुई बल्कि उसने आत्महत्या की थी ।

मृतक के पिता द्वारा दिनांक 21-12-99 को लिखित सूचना देने पर थाने पर मु०अ०सं०–224/99 धारा 302/201 भा०दं०वि० व 3(2) 5 एस०सी०/एस०टी० ऐक्ट बनाम धुवालाल वर्मा, पुतारी व ब्रिजेन्द्र पंजीकृत किया गया ।

जी नहीं । अभियोग की विवेचना से मृतक द्वारा आत्महत्या किये जाने की घटना पाये जाने पर अन्तिम रिपोर्ट संख्या 38 दिनांक 26-12-99 को लगाकर विवेचना समाप्त कर दी गई ।

विवेचना से नामित अभियुक्तों की नामजदगी व घटना असत्य पाई गई अतएव नामित अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा में चिल्ला प्लाटून पुल के चालू होने के कारण वाया तिन्दवारी से बसें संचालित करने की मांग

64–श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधान सभा तिन्दवारी, जनपद बांदा में चिल्ला प्लाटून पुल के चालू हो जाने से वाया तिन्दवारी होकर लखनऊ, कानपुर, फतेहपुर जाने के लिये कितनी बसें संचालित की गयी हैं ? क्या सरकार तिन्दवारी में स्थाई परिवहन निगम का स्टाप बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

इस मार्ग पर परिवहन निगम की 11 बसे संचालित हैं ।

इस स्थान पर पूर्व से ही स्थायी "फेयर स्टाप" घोषित है ।

जनपद बांदा में दस्यु प्रभावित सीमावर्ती सुदूर बीहड़ क्षेत्र के ग्राम सिंहपुर थाना तिन्दवारी में नवीन स्थायी रिपोर्टिंग पुलिस चौकी स्थापित करने की मांग

65–श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद बांदा में 30 कि०मी० की दूरी पर कालू कुआं बांदा से वेन्दाघाट (तिन्दवारी) तक मुख्य मार्ग पर 6 पुलिस चौकी स्थापित हैं ? यदि हां, तो 30 कि० मी० पर 6 पुलिस चौकी खोलने का क्या औचित्य है ? क्या सरकार दस्यु प्रभावित सीमावर्ती सुदूर बीहड़ क्षेत्र के ग्राम सिंहपुर, थाना तिन्दवारी में नवीन स्थायी रिपोर्टिंग पुलिस चौकी स्थापित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी नहीं । प्रश्नगत मार्ग पर मात्र दो पुलिस चौकियां स्थापित हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

यह निर्धारित मानक के अनुसार नहीं है ।

66–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

[दिनांक 3-1-2000 को अता० प्र० सं० 137 द्वारा उत्तरित]

दि बलरामपुर शुगर मिल बभनान इकाई को कस्बे से दूर स्थानान्तरित करने की मांग

67–श्री सौलत अली एडवोकेट तथा श्री राम चन्द्र यादव–

क्या सरकार को जानकारी है कि दि बलरामपुर शुगर मिल बभनान इकाई द्वारा बभनान डिग्री कालेज एवं बभनान बाजार बड़े पैमाने पर वायु एवं ध्वनि प्रदूषण से प्रभावित हैं ? यदि हां, तो क्या इस शुगर मिल को कस्बे से दूर स्थानान्तरित करके प्रदूषण मुक्त कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नही उठता ।

मेसर्स गुलाब ट्रेडर्स चिल्ला बांदा द्वारा मिट्टी के तेल वितरण में अनियमितता संबंधी शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

68–श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिलाधिकारी बांदा को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 4-8-99 प्राप्त हुआ है, जो मेसर्स गुलाब ट्रेडर्स चिल्ला बांदा द्वारा मिट्टी के तेल वितरण में की जा रही अनियमितताओं की जांच विषयक था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मेसर्स गुलाब ट्रेडर्स चिल्ला, बांदा मिट्टी तेल के फुटकर विक्रेता के संबंध में प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था, जिसकी जांच कराई गई । जांच में विक्रेता दोषी नहीं पाया गया ।

जिला श्रावस्ती में प्राइमरी पाठशाला पयागपुर में पुष्टाहार योजना के चावल के वितरण में अनियमितता की जांच

69–श्री राम प्रताप सिंह–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को ज्ञात है कि प्राइमरी पाठशाला पयागपुर, जिला श्रावस्ती के पुष्टाहार योजना का चावल कोटेदार द्वारा माह अक्टूबर, 1997 से फरवरी, 1998 तक डिपो से वितरण हेतु उठाया गया है ? क्या उक्त चावल वितरित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत मामले की जांच कराई गई । प्रारम्भिक जांच में प्रथम दृष्ट्या वितरण में अनियमितता पाये जाने के फलस्वरूप संबंधित उचित दर विक्रेता श्री राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव की दुकान का अनुबन्ध पत्र निलम्बित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आर०टी०ओ० आजमगढ़ के अधीन आजमगढ़, मऊ एवं बलिया जनपदों में कनिष्ठ लिपिक के रिक्त पदों को भरने की मांग

70–श्री चन्द्रेश पासवान–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आर० टी० ओ० आजमगढ़ के अधीन आजमगढ़, मऊ एवं बलिया जनपदों में कनिष्ठ लिपिक के कितने पद कब से रिक्त हैं ? रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में क्या कोई कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

आर०टी०ओ० आजमगढ़ के अधीन आजमगढ़, मऊ एवं बलिया जनपद में कनिष्ठ लिपिक का कोई पद रिक्त नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

71–श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

पैक्स फैड निर्माण इकाई सुल्तानपुर द्वारा आई०आर०डी० योजना के तहत विकास खण्डों के निर्माण में लोक निर्माण विभाग की दरों के अनुरूप कार्य न कराये जाने के संबंध में जांच की मांग

72–श्री तेजभान सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पैक्स फैड निर्माण इकाई, सुल्तानपुर द्वारा आई० आर० डी० योजना के तहत विकास खण्डों में मीटिंग हाल तथा अमेठी संसदीय क्षेत्र में सांसद निधि के अन्तर्गत निर्माणाधीन सामुदायिक विकास केन्द्र एवं अन्य भवनों का निर्माण पैक्स फैड द्वारा निर्मित ड्राइंग मृदा परीक्षण के अनुरूप किया गया है ? क्या मृदा परीक्षण पर और ड्राइंग पर किया गया व्यय लोक निर्माण विभाग की दरों के अनुरूप है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इसकी जांच टी० ए० सी० से कराकर दोषी को दण्डित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

''पटेल'' राम कुमार वर्मा–

जी हां ।

जी नहीं ।

क्योंकि लोक निर्माण विभाग की दरों से कम पर मृदा परीक्षण तथा ड्राइंग का कार्य कराया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

73–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''–

[दिनांक 3-1-2000 को अता० प्र० सं० 129 द्वारा उत्तरित]

जनपद शाहजहांपुर में वर्ष 1999 में धान की खरीद हेतु खोले गये क्रय केन्द्रों एवं उनमें खरीदे गये धान का विवरण

74–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''–

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में वर्ष 1999 में कितने धान के क्रय केन्द्र कहां-कहां चलाये गये तथा कितना-कितना धान किस-किस क्रय केन्द्र पर खरीदा गया ? उक्त केन्द्रों से सरकार को कितना लाभ तथा कितनी हानि हुई ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

खरीफ विपणन वर्ष 1999–2000 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान की खरीद हेतु जनपद शाहजहांपुर में स्थापित क्रय केन्द्र तथा उनके द्वारा खरीदे गये धान का विवरण निम्नवत् है :–

क्र० सं०	केन्द्र का नाम	खरीदे गये धान की मात्रा
1	2	3
(1)	भारतीय खाद्य निगम	
	1—रोजा मण्डी	शून्य
	2—पुवाया	,,
(2)	पी० सी० एफ०	
	1—जमका	शून्य
	2—मौजमपुर	,,
	3—ददरास	,,
	4—जमनियां दलितपुर	,,
	5—निबऊ नगला	,,
	6—श्रीनगर	,,

1	2	3
	7—पहरा सलेमपुर	शून्य
	8—नरायनपुर (जठिया जिन्दपुर)	,,
	9—गंगपुरा	,,
	10—पकड़िया हकीम	,,
	11—रनमस्तापुर	,,
	12—नरौरा हंसराज	,,
(3)	खाद्य विभाग की हाट शाखा	
	1—रोजा मण्डी	525.00 कुन्तल
	2—पुवाया	530.00 कुन्तल
	3—बण्डा	343.00 कुन्तल
	4—खुटार	175.00 कुन्तल
	कुल योग :	1573.00 कुन्तल

सरकार की यह योजना किसानों को समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के उद्देश्य से लागू की जाती है। अतः लाभ तथा हानि का प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद गोण्डा के ग्राम व पोस्ट कटुवा नाला, थाना कौड़िया में घटित घटना के संबंध में शिकायती-पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

75–श्री विनोद मणि–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 20 जून, 1999 को ग्रा० व पो० कटुवा नाला, थाना–कौड़िया जनपद–गोण्डा में घटित घटना के संबंध में श्री राज कुमार अग्रवाल, सदस्य विधान परिषद का पत्र दिनांक 21 जून, 1999 प्रमुख सचिव, गृह तथा श्री राम सुमेर यादव, सदस्य, विधान परिषद् का पत्र दिनांक 30 जून, 1999 डी० जी० पुलिस व पुलिस अधीक्षक, गोण्डा एवं थानाध्यक्ष थाना–कौड़िया, जनपद गोण्डा को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां।

आवेदक श्री अयोध्या प्रसाद के लड़के दिनेश व सुरेश तथा उनके विपक्षी राम समुझ के बीच नाली को लेकर विवाद था, जिसके संबंध में शान्ति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक के दोनों लड़के व राम समुझ को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध धारा–107/116 दं० प्र० स० की कार्यवाही करके उप जिलाधिकारी, कर्नेलगंज, गोण्डा की अदालत में प्रस्तुत किया गया है।

जनपद चित्रकूट के अर्न्तगत चौकी शिवरामपुर में दिनांक 16-9-99 के पंजीकृत मुकदमें के बाद अभियुक्तों को गिरफ्तार न करने के संबंध में जानकारी

76–श्री आर० के० सिंह पटेल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के अन्तर्गत चौकी शिवरामपुर में दिनांक 16-9-1999 को अ० संख्या 28/99 के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत हुआ है ? यदि हां, तो किस धारा के अन्तर्गत ? इसके मुल्जिमान कौन-कौन हैं ? क्या अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गयी है ? यदि हां, तो मुल्जिमान से क्या कोई सामान बरामद हुआ है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां, दिनांक 16-9-1999 को वादी श्री रमेश प्रसाद पुत्र श्री पन्ना लाल नि० ग्राम–खुटहा, चौकी शिवरामपुर, थाना–कर्बी की लिखित सूचना पर मु० अ० सं०–300/99 धारा–394 भा० द० वि० पंजीकृत हुआ है ।

उक्त अभियोग में रामेश्वर पुत्र राम सरन पटेल एवं यदुराज उर्फ पप्पू पुत्र रामेश्वर निवासीगण ग्राम खुटहा, चौकी–शिवरामपुर थाना–कर्बी अभियुक्त नामित हैं ।

अभियोग की विवेचना से घटना लूट की न होकर मारपीट की पायी गयी और उक्त अभियोग में नामित अभियुक्तों की नामजदगी भी गलत पायी गयी अतः उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देवरिया में पिछड़े, अल्पसंख्यक तथा अनुसूचित वर्ग के व्यक्तियों को जारी आग्नेयास्त्रों का विवरण

77–श्री मुराद लारी–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1999 में जनपद देवरिया में कितने आग्नेयास्त्र के लाइसेंस जारी किए गए ? उसमें से पिछड़े, अल्पसंख्यक तथा अनुसूचित वर्ग के लोगों को कुल कितने शस्त्र लाइसेन्स जारी हुए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

प्रश्नगत मामले में स्थिति यह है कि वर्ष 1999 में जनपद देवरिया में कुल 183 शस्त्र लाइसेन्स स्वीकृत किये गये हैं । शस्त्र लाइसेन्स आवेदन पत्रों व शस्त्र पंजिका में जाति का अंकन नहीं होता है । अतएव प्रश्नगत वर्गों को दिये गये शस्त्र लाइसेन्सों की संख्या दिया जाना सम्भव नहीं है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सहारनपुर में कस्बा छुटमलपुर कमाली तथा ग्राम कमालपुर एवं ग्राम नानका थाना फतेहपुर में हुए हत्या काण्ड के परिवारों को आर्थिक सहायता देने की मांग

78–श्री नवाब सिंह नागर–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 28-8-97 को कस्बा छुटमलपुर तथा ग्राम कमालपुर कमाली एवं ग्राम नानका थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर में दो व्यक्तियों की निर्मम हत्या तथा उन्नीस व्यक्तियों को गम्भीर रूप से घायल कर दिया गया था ? क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, सहारनपुर ने पत्र संख्या 438 दिनांक 21-3-98 एवं स्मरण पत्र दिनांक 10-11-98 द्वारा मृतकों एवं घायलों के प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता दिये जाने हेतु प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री को संस्तुति भेजी थी ? यदि हां, तो प्रभावित परिवारों को कितनी सहयता दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

दिनांक 28/29-8-97 की रात्रि में कस्बा छुटमलपुर ग्राम कमालपुर कमाली एवं ग्राम नानका थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर में बदमाशों द्वारा लूटपाट एवं मारपीट की गई थी जिसमें कु० पूनम व कुमारी नीलम की मृत्यु हो गयी थी तथा 19 लोगों को गम्भीर/मामूली चोटें आई थीं ।

मृतकों एवं घायलों के प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता दिये जाने हेतु जिलाधिकारी, सहारनपुर का पत्र संख्या 438 दिनांक 21-3-98 मुख्य मंत्री कार्यालय में प्राप्त हुआ था परन्तु स्मरण पत्र दिनांक 10-11-98 प्राप्त/उपलब्ध नहीं है ।

प्रभावित परिवारों को कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गयी । अभियुक्तों द्वारा घटित किसी अपराध में मारे गये नागरिकों को आर्थिक सहायता दिये जाने का गृह विभाग के आय-व्ययक में कोई प्राविधान नहीं है ।

जनपद बहराइच, तहसील नानपारा वि० ख० मिहीपुरवा अन्तर्गत ग्राम पंचायत निथिपुरवा के नई बस्ती ग्राम में कृषि भूमि के खातेदारों का नाम खारिज कर थाना कोतवाली मुर्तिहा के नाम आवंटन करने का मामला

79–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि जनपद–बहराइच, तहसील–नानपारा, वि० ख०–मिहींपुरवा अन्तर्गत ग्राम पंचायत, निथिपुरवा के नई बस्ती ग्राम में कृषि भूमि खाता खतौनी सं० 380 मि०/202 हे० पर खातेदारों का नाम खारिज कर ग्राम समाज/नवीन परती दर्शाकर थाना कोतवाली मुर्तिहा के नाम आवंटन कर थाना कोतवाली मुर्तिहा का निर्माण कराया जा रहा है ? क्या उक्त कोतवाली निर्माण के दौरान ग्रामीणों व पुलिस में संघर्ष होने तथा ग्रामवासियों के हितों व सुरक्षा को देखते हुये ग्राम्य विकास मंत्री ने दिनांक 24-12-1998 को पत्रांक 9392 द्वारा मुख्य मंत्री को थाना कोतवाली अन्यत्र स्थानान्तरित कर निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र लिखा है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां । गाटा संख्या–380 की 0.263 हे० में से 0.202 हे० ग्राम समाज की नवीन परती भूमि का पुनर्ग्रहण कर उस पर थाना कोतवाली मुर्तिहा निर्मित होकर कार्यरत है ।

जी हां ।

प्रकरण में पुलिस अधीक्षक, बहराइच से जांच कराई जा रही है । जांच आख्या प्रतीक्षित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा में ग्राम पंचायत अमारा विकास खण्ड जलपुरा के उचित दर विक्रेता द्वारा 108 कुन्तल पोषाहार का गबन करने विषयक शिकायती-पत्र पर कृत कर्यवाही की जानकारी

80–श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपजिलाधिकारी सदर बांदा को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दि० 23-12-99 प्राप्त हुआ है जो ग्राम पंचायत अमारा विकास खण्ड जलपुरा के उचित दर विक्रेता द्वारा 108 कुन्तल पोषाहार का गबन करने विषयक था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

शिकायती पत्र की जांच तहसीलदार बांदा से करायी गयी । जांच में शिकायत निराधार पायी गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बागपत में हत्या, बलात्कार, डकैती अपराधों को रोके जाने की सरकारी नीति की जानकारी

81–डा० ज्ञानवती सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत में वर्ष 1999–2000 में हत्या, बलात्कार, डकैती के कितने अपराध दर्ज किये गये हैं ? क्या यह सही है कि वर्ष 1998-1999 की अपेक्षा वर्ष 1999–2000 में अधिक अपराध दर्ज हुए हैं ? यदि हां, तो इसकी रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या कोई नीति बनाई गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जनपद बागपत में वर्ष 1998-99 एवं 1999-2000 में हत्या, बलात्कार एवं डकैती के पंजीकृत अपराधों के विवरण निम्नवत् है :–

वर्ष	हत्या	बलात्कार	डकैती
1998-99	107	15	8
1999-2000	143	13	4

वर्ष 1999-2000 में 1998-99 की तुलना में केवल हत्या के अपराध अधिक पंजीकृत हुए हैं। अपराधों की रोकथाम हेतु समस्त जनपदों में स्पेशल आपरेशन ग्रुप का गठन किया गया है। प्रश्न नहीं उठता।

अयोध्या में 30 अक्टूबर व 2 नवम्बर, 1990 को विवादित ढांचे को क्षति पहुंचाने संबंधी प्रकरण पर मारे गये व्यक्तियों के विवरण की जानकारी

:2–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अयोध्या में 30 अक्टूबर व 2 नवम्बर, 1990 को विवादित ढांचे को क्षति पहुंचाने सम्बन्धी प्रकरण पर पुलिस फायरिंग से कितने लोग मारे गये ? उनके नाम, पते एवं ाति का विवरण क्या है ?

ी राम प्रकाश–

30 अक्टूबर, 2 नवम्बर, 1990 को विवादित ढांचे को क्षति पहुंचाने की घटना में 13 लोग मारे ाये। मारे गये व्यक्तियों का विवरण निम्नवत् है :–

नाम–पता	जाति
–विनोद कुमार गुप्ता पुत्र मथुरा प्रसाद उर्फ गया प्रसाद गुप्ता निवासी वर्गद्वार कोतवाली अयोध्या फैजाबाद।	हिन्दू
:–वासुदेव गुप्ता पुत्र लक्ष्मीनारायण, निवासी नया घाट कोतवाली अयोध्या फैजाबाद।	हिन्दू
;–राम बहादुर राना पुत्र रामफेर निवासी सरते जफर थाना जयसिंहपुर जेला सुल्तानपुर।	हिन्दू
4–राम औतार सिंह पुत्र रतनलाल सिंह नि० लाल कोठी म० नं०–बी–5 जे० डी० ए० पास थाना गांधीनगर, जिला जयपुर राजस्थान।	हिन्दू
5–महेन्द्र नाथ अरोड़ा पुत्र रामजी निवासी 66 बी उद्योगनगर थाना दादा नगर कानपुर।	हिन्दू
6–महाबीर अग्रवाल पुत्र महजी लाल उर्फ मनीराम निवासी वजीरगंज थाना वजीरगंज गोण्डा।	हिन्दू
7–संजय कुमार निवासी साइन थाना, थाना कोठी, जिला मुजफ्फरपुर, बेहार।	हिन्दू
8–रमेश पाण्डेय पुत्र तालुकदत्त निवासी रानी बाजार कोतवाली अयोध्या फैजाबाद।	हिन्दू
9–शरद कोठारी पुत्र हीरा लाल निवासी घोस वाड़ा थाना वाड़ी जिला हाबड़ा बंगाल।	हिन्दू
10–राम कुमार कोठारी पुत्र हीरा लाल निवासी घोस वाड़ा थाना वाड़ी जेला हाबड़ा, बंगाल।	हिन्दू
11–राम अचल गुप्ता उर्फ लल्लू पुत्र देवी प्रसाद निवासी गूगा गंज थाना गूगागंज जिला बारा हवेली।	हिन्दू
12–सेठा राम माली पुत्र बंशीलाल निवासी बारवाद मथनिया थाना मथनिया जिला जोधपुर।	हिन्दू
13–मृतक अज्ञात।	हिन्दू

खाद्य एवं रसद विभाग में फील्ड स्टाफ के स्थानान्तरण नीति के संबंध में जानकारी

83–श्री सौलत अली एडवोकेट–

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खाद्य एवं रसद विभाग के फील्ड स्टाफ का किसी जनपद से स्थानान्तरण के उपरान्त कितने वर्षों तक सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को पुनः उसी जनपद में तैनात नहीं किया जाना चाहिए ? क्या यह अवधि 5 वर्ष की है ? यदि हां, तो क्या बाराबंकी जनपद में लगभग आधा दर्जन पूर्ति निरीक्षक ऐसे हैं जो 6-7 वर्षों तक वहां तैनात रहने के उपरान्त वहां से स्थानान्तरित होने के एक ही दो वर्ष के भीतर उनकी तैनाती पुनः उसी जनपद में कर ली गयी है ? यदि हां, तो नीति का उल्लंघन करने का दोष किन-किन अधिकारियों पर है और सरकार ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

स्थानान्तरण नीति 1999-2000 में पूर्ति निरीक्षकों व अन्य कर्मचारियों की पुनः उसी जनपद में तैनाती न किये जाने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गयी है ।

स्थानान्तरण नीति 1999-2000 में कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है ।

जी हां, 5 पूर्ति निरीक्षक ऐसे हैं ।

स्थानान्तरण नीति 1999-2000 का उल्लंघन नहीं हुआ है । अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला कोषागार मुरादाबाद में एक स्थान पर लगभग 5 वर्षों से कार्यरत लिपिकों के स्थानान्तरण के संबंध में जानकारी

84–श्री सौलत अली एडवोकेट–

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला कोषागार मुरादाबाद में कितने लिपिक ऐसे हैं जो एक ही स्थान पर लगभग 5 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत हैं ? क्या यह सही है कि तत्कालीन मण्डलायुक्त मुरादाबाद द्वारा सन् 1996 में जिलाकोषागार के निरीक्षण के दौरान श्री वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर को पेंशन लिपिक की सीट से तुरन्त हटाये जाने की संस्तुति की थी ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी''–

वर्तमान में जिला कोषागार मुरादाबाद में 5 वर्षों से अधिक समय से एक ही स्थान पर कोई लिपिक कार्यरत नहीं है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सीतापुर में लखनऊ से नीमसार, सिधौली से मिश्रिख लखीमपुर बस सेवा पुनः चालू करने की मांग

85–श्री बाबू खां–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि जनपद–सीतापुर में लखनऊ से नीमसार, सिधौली से मिश्रिख लखीमपुर बस सेवा संचालित थी ? यदि हां, तो क्या उक्त बस सेवा बन्द कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्या उक्त बस सेवा पुनः बहाल की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

लखनऊ से सिधौली-मिश्रिख होते हुए नीमसार तक पूर्व में एक बस सेवा संचालित थी ।

जी हां । किन्तु सीतापुर लखीमपुर के मध्य निगम की बसें अब भी उपलब्ध हैं ।

जी नहीं ।

कम लोड फैक्टर/आय प्राप्त होने के कारण निगम द्वारा लखनऊ-सिधौली नीमसार मार्ग पर बस चलाया जाना सम्भव नहीं है ।

जनपद आगरा के थाना फतेहाबाद के ग्राम भोलपुरा में प्राइमरी पाठशाला से सटे खेत में ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में हो रही पंचायत पर की गयी फायरिंग में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

86–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद आगरा के थाना फतेहाबाद के ग्राम भोलपुरा में दिनांक 19-12-1999 को प्राइमरी पाठशाला से सटे खेत में ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में हो रही पंचायत पर एस० पी० ग्रामीण आगरा द्वारा बिना सतर्क किये पंचायत पर गोली चलाने से जवाहर नामक युवक घायल हो गया था ? क्या यह सत्य है कि पंचायत में शामिल पंच चरन सिंह पूठपुरा के विरोध करने पर एस० पी० ग्रामीण ने उसे मारा पीटा तथा जीप से ढकेल दिया जिससे उसकी मौत हो गई ? यदि हां, तो दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी नहीं, पुलिस अधीक्षक, आगरा की रिपोर्ट के अनुसार प्रभारी निरीक्षक, फतेहाबाद व पुलिस बल द्वारा ग्राम भोलपूरा में गंगनिया व बचना गैंग के असलहा सहित बैठे हुए सदस्यों को ललकारने पर, गैंग के सदस्यों द्वारा तमंचों आदि से पुलिस बल पर फायर करने के कारण पुलिस बल द्वारा आत्मरक्षार्थ फायर किये गये जिसमें जवाहर पुत्र राम चरन गोली लगने के कारण घायल हो गया ।

जी नहीं ।

सम्पूर्ण घटना के संबंध में थाना–फतेहाबाद पर मु० अ० सं० 326/99 व 327/99 पंजीकृत है, जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक, फतेहाबाद व मैजिस्ट्रीयल जांच उप जिलाधिकारी फतेहाबाद द्वारा की जा रही है । जांच में पाये गये दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नये बस अड्डा के निर्माण योजना के अन्तर्गत जनपद फिरोजाबाद टूण्डला नगर में बस स्टेशन निर्मित कराने की मांग

87–श्री संजय गर्ग–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों व अन्य बस सेवाओं में यात्रियों की सुविधा हेतु नये बस अड्डों (बस–टर्मिनल) के निर्माण कराने हेतु किसी प्राधिकरण का गठन किया गया है ? क्या उक्त बस टर्मिनल अथार्टी द्वारा फिरोजाबाद जनपद के टूण्डला नगर में बस स्टेशन भवन निर्मित कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

88–श्री अजय कुमार पोइया–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

89–श्री अब्दुल मन्नान–

[मा० सदस्य ने वापस लिया]

जनपद बलिया आर्य विद्या सभा, सीयर में सहायक निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स आजमगढ़ के गलत फैसले की जांच

90–श्री विनोद मणि–

क्या वित्त मंत्री को जानकारी है कि सहायक निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स आजमगढ़ ने अपने पत्रांक 239 आई–2467/ आजमगढ़, दिनांक 15-5-1998 द्वारा आर्य विद्या सभा, सीयर, बलिया के मामले में गलत फैसला दिया है, जिसे जांच में रजिस्ट्रार उ०प्र० लखनऊ ने गलत पाया है ? क्या इस संबंध में सहायक निबन्धक से स्पष्टीकरण मांगा गया है ? यदि हां, तो क्या स्पष्टीकरण प्राप्त हो गया है ? यदि हां, तो उस पर कार्यवाही में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी''–

मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 5-3-98 के अनुपालन में सहायक निबन्धक, आजमगढ़ द्वारा आदेश दिनांक 15-5-98 पारित किया गया है ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश सचिवालय के न्याय विभाग में पिछले सात वर्षों से अधिक समय से कार्यरत कर्मचारियों के स्थानान्तरण की मांग

91–श्री विनोद मणि–

क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय के न्याय विभाग में कितने और कौन-कौन अधिकारी पिछले सात वर्षों से अधिक समय से कार्यरत हैं ? क्या सरकार स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत उनका स्थानान्तरण करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राधेश्याम गुप्त–

उत्तर प्रदेश सचिवालय के न्याय विभाग में कोई अधिकारी पिछले सात वर्षों से अधिक समय से कार्यरत नहीं है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सहारनपुर में पुलिस द्वारा प्रदान सुरक्षा में से पुलिस केसों में वांछित लोगों को सुरक्षा देने पर आपत्ति

92–श्री संजय गर्ग–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर में दि० 20-4-98 से 25-1-2000 तक किन-किन लोगों को स्थानीय स्तर से किन शर्तों पर क्या-क्या सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की गई है ? क्या यह सही है कि जनपद में ऐसे लोगों को भी सुरक्षा प्रदान की गई है जो पुलिस केसों में वांछित हैं और उनके विरुद्ध विवेचनायें प्रचलित हैं ? यदि हां, तो वह कौन-कौन हैं और उनको सुरक्षा प्रदान करने का क्या औचित्य है ?

श्री राम प्रकाश–

कुल 43 महानुभावों को अल्प अवधि के लिये सुरक्षा प्रदत्त रही है । सूची संलग्न है ।

केवल एक महानुभाव के विरुद्ध विवेचना प्रचलित है ।

श्री विनोद वर्मा के बर्तमान जीवनभय को देखते हुए उन्हें सुरक्षा प्रदान की गयी है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 153 पर) ।

जनपद सहारनपुर में गिरती कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने संबंधी कार्य योजना की जानकारी

93–श्री संजय गर्ग–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर में 20 दिसम्बर, 1997 से 20 जनवरी, 2000 तक अपहरण, राहजनी, डकैती व हत्याओं के कितने मामले दर्ज हुये हैं ? क्या यह सही है कि पेछले सालों की अपेक्षा उक्त अवधि में इनका औसत बढ़ा है ? यदि हां, तो क्या कानून व्यवस्था सुधारने हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनाई गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जनपद सहारनपुर में 20 दिसम्बर, 1997 से 20 जनवरी, 2000 तक अपहरण, राहजनी, डकैती व हत्याओं के निम्न मामले दर्ज हुए हैं :–

अपराध	दर्ज मामले
अपहरण	56
राहजनी	73
डकैती	20
हत्या	317

केवल डकैती के अपराधों में आंशिक वृद्धि हुई है, शेष अपराधों में कमी आई है ।

अपराध में आंशिक वृद्धि का कानून व्यवस्था पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है । अतः कानून व्यवस्था सुधारने हेतु सरकार द्वारा अलग से कोई कार्य योजना बनाने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जौनपुर के केराकत गाजीपुर मार्ग के राष्ट्रीयकृत मार्ग से प्राप्त राजस्व तथा अवैध बसों को चलने से रोके जाने के संबंध में जानकारी

श्री जगदीश नारायण राय

94–क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे जौनपुर के केराकत गाजीपुर मार्ग का कितना भाग राष्ट्रीयकृत है ? राष्ट्रीयकृत मार्ग से राजस्व की कितनी प्राप्ति होती है ? क्या यह सही है कि उक्त मार्ग पर अवैध बसों एवं जीपों के चलने से राजस्व हानि होती है ? यदि हां, तो क्या उसे रोकने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जौनपुर-केराकत-डोभी-सैदपुर-गाजीपुर (99 कि०मी०) मार्ग का जौनपुर-केराकत-डोभी-सैदपुर 67 कि०मी० भाग राष्ट्रीयकृत है ।

प्रश्नगत मार्ग के जौनपुर-केराकत भाग पर निगम की एक वापसी सेवा वाराणसी से संचालित है जिससे प्रतिमाह औसतन रुपया 60,000/- की आय प्राप्त होती है । इस मार्ग पर राष्ट्रीयकरण की योजना के पूर्व से संचालित निजी बसें अभी तक मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश से चल रही हैं ।

जी नहीं ।

मार्ग पर यदा-कदा अवैध बसों एवं जीपों के संचालन की सूचना प्राप्त होने पर प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा चेकिंग की जाती है । मार्ग पर चेकिंग के दौरान वर्ष 1997-98 में 03 बसें 12 जीपें, वर्ष 1998-99

में 06 बसें 20 जीपें तथा 1999-2000 (फरवरी तक) 03 बसें ३७ जीपें निरुद्ध की गयीं, जिनसे निर्धारित प्रशमन शुल्क वसूल किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ स्थित विकास दीप एवं अन्य बहुमंजिली इमारतों में आग से सुरक्षा हेतु व्यवस्था की मांग

95–श्री हरवंश कपूर–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ स्थित विकास दीप एवं अन्य बहुमंजिली इमारतों में आग आदि से सुरक्षा हेतु क्या पर्याप्त उपाय किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्या समुचित उपाय किये जायेंगे ?

श्री राम प्रकाश–

लखनऊ स्थित विकास दीप एवं अन्य बहुमंजिले भवनों में अग्निशमन व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु स्थानीय अग्निशमन इकाई द्वारा 'नेशनल बिल्डिंग कोड' में निहित प्राविधानों के अनुसार अग्निशमन उपकरण आदि लगाये जाने एवं आवश्यकतानुसार वाटर टैंक का निर्माण कराने व अन्य व्यवस्थायें किये जाने हेतु संबंधित अधिकारियों तथा भवन स्वामियों को समय-समय पर परामर्श दिया जाता है । साथ ही आग आदि से सुरक्षा हेतु अग्निशमन शाखा के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर भवनों का निरीक्षण भी किया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनुपरी, थाना बेवर में वांछित अभियुक्तों की चार्जशीट के बाद थानाध्यक्ष द्वारा गिरफ्तारी के किये गये प्रयासों की जानकारी

96–श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अपराध संख्या 172/98 धारा 307/332/353 आई०पी०सी० एवं 7 क्रिमिनल का एमेण्डमेंट एक्ट थाना बेवर जनपद मैनपुरी में वांछित अभियुक्तों की चार्जशीट लगने के बाद थानाध्यक्ष श्री अभय सिंह ने गिरफ्तारी किये जाने हेतु कब-कब, क्या-क्या प्रयास किये ? क्या यह सच है कि तत्कालीन एस०एस०पी० मैनपुरी ने उक्त केस की गिरफ्तारी के लिये एस०पी०ओ० एवं डी०जी०सी० (क्रिमिनल) मैनपुरी से भी विधिक राय ली थी ? यदि हां, तो उस केस में वांछित अभियुक्तों की अब तक गिरफ्तारी न होने का कारण क्या हैं और इसमें दोषी कौन हैं ?

श्री राम प्रकाश–

मु० अ० सं०–172/98 में आरोप-पत्र दिनांक 19-3-99 को ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी के यहां भेजा गया तथा उसमें दिनांक 15-6-99 को न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जा चुका है । अभियुक्त के विरुद्ध वारण्ट निकालने हेतु न्यायालय से अनुरोध किया गया । दिनांक 12-7-99 को न्यायालय से दिनांक 7-9-99 को अभियुक्तों को उपस्थित होने हेतु सम्मन जारी किये गये । उस समय अधिवक्ताओं की हड़ताल होने के कारण अगली तिथि 27-12-99 नियत हुई सम्मन तामील का न्यायालय में दिनांक 6-12-99 को ही दाखिल किये जा चुके हैं उक्त वर्णित स्थिति में बिना न्यायालय के आदेश के गिरफ्तार करने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है । दिनांक 25-1-2000 को थानाध्यक्ष श्री अभय सिंह स्थानान्तरण पर जा चुके हैं ।

जी हां ।

चूंकि वाद का संज्ञान मुख्य दण्डाधिकारी, मैनपुरी द्वारा लिया जा चुका है और अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय में उपस्थित होने हेतु सम्मन जारी किये जा चुके हैं । ऐसी स्थिति में बिना न्यायालय से वारण्ट प्राप्त किये, गिरफ्तार करना न्यायोचित नहीं है इसी आधार पर अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है ।

चूंकि उपरोक्त कार्यवाही न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत की गयी है, अतः इसमें किसी को दोषी ठहराये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी, थाना बेवर के अभियुक्तों की गिरफ्तारी कराये जाने विषयक प्रमुख सचिव, गृह को प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

97–श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अपराध संख्या 172/98 थाना बेवर जनपद मैनपुरी के अभियुक्तों की गिरफ्तारी कराये जाने विषयक पत्र सं० सी०एम०/वि०को०/एम–2/29407/मैनपुरी/99 दिनांक 24-12-99 प्रमुख सचिव, गृह को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

उक्त अभियोग में आरोप-पत्र मा० न्यायालय प्रेषित करने के उपरान्त न्यायालय द्वारा दिनांक 15-6-99 को संज्ञान लिया गया । अभियुक्तों को न्यायालय में उपस्थित होने हेतु सम्मन जारी किये जा चुके हैं, ऐसी स्थिति में नियमानुसार अभियुक्तों को बिना न्यायालय के आदेश के गिरफ्तार करना उचित नहीं पाया गया । अभियुक्तों को गिरफ्तार न किये जाने के संबंध में थानाध्यक्ष बेवर, जनपद मैनपुरी श्री अभय सिंह का स्पष्टीकरण लिया गया था । थानाध्यक्ष द्वारा स्पष्ट किया गया कि गिरफ्तारी हेतु न्यायालय से वारण्ट प्राप्त करने का प्रयास किया गया था । चूंकि अभियुक्तों के विरुद्ध सम्मन जारी किये जा चुके थे, जिससे उन्हें सम्मन तामील कराने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं था । अभियुक्तों को न्यायालय में दिनांक 7-9-99, 7-10-99, 7-12-99, 1-3-2000, 23-3-2000 व 28-3-2000 को उपस्थित होने के लिये सम्मन जारी किये गये । अभियुक्त शिवराज सिंह, विजेन्द्र उर्फ भल्लू एवं सत्येन्द्र उर्फ टीटू को धारा 144 द० प्र० सं० का उल्लंघन करने के आरोप में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा 188 भा० दं० वि० के अन्तर्गत दिनांक 19-2-2000 को गिरफ्तार किया गया था । अ०सं०–172/98 में रिमाण्ड वारण्ट देने से मजिस्ट्रेट द्वारा मना कर दिया गया और धारा 188 भा० दं० प्र० में उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया । थानाध्यक्ष श्री अभय सिंह का प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी के अपराधियों को भी गनर सुविधा उपलब्ध कराने विषयक प्रमुख सचिव, गृह को प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही

98–श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मैनपुरी के अपराधियों को गनर दिये जाने विषयक उनके कार्यालय का पत्र संख्या सी०एम०/वि०को०/एम–2/30397/मैनपुरी/13–1–2000 प्रमुख सचिव, गृह को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां।

परीक्षणोपरान्त श्री उपदेश सिंह चौहान एवं उनके पुत्र श्री पंकज सिंह चौहान को छोड़कर पत्र मे उल्लिखित अन्य व्यक्तियों को शासन द्वारा गनर की सुविधा प्रदान नहीं की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

बस्ती मण्डल में सहकारी समितियों द्वारा क्रय धान के सम्बन्ध में जानकारी

99–श्री राम ललित चौधरी–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2000 में क्या सहकारी समितियों के माध्यम से धान क्रय करने की कोई व्यवस्था की गई है ? यदि हां, तो बस्ती मण्डल में कुल कितने कुन्तल धान की अब तक खरीद की गई तथा उसका लक्ष्य क्या है ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

जी हां।

सहकारी समितियों द्वारा बस्ती मण्डल में कुल 4494.40 कुन्टल धान की खरीद की गयी है।

धान खरीद हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं।

लखनऊ डालीगंज रेलवे क्रासिंग के पास, सीतापुर रोड पर 'राजा मिल' से प्रदूषण को रोकने के सम्बन्ध में जानकारी

100–श्री रघुनाथ सिंह चौहान–

क्या पर्यावरण मंत्री को जानकारी है कि "राजा मिल" (डालीगंज रेलवे क्रासिंग के पास) सीतापुर रोड, डालीगंज, लखनऊ द्वारा धान की भूसी, गर्दा आदि उड़ने से आस-पास के निवासी गम्भीर बीमारी का शिकार हो रहे हैं ? क्या इस प्रदूषण को रोकने के संबंध में तत्कालीन सभापति, आश्वासन समिति का पत्र दिनांक 14-1-98 सचिव, पर्यावरण को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक–

डालीगंज (रेलवे क्रासिंग के पास) सीतापुर रोड लखनऊ क्षेत्र में 'राजा मिल' नाम का कोई उद्योग कार्यरत नहीं है।

जी हां।

उस समय भी विभागीय जांच में यह पाया गया था कि उक्त नाम से क्षेत्र में कोई उद्योग संचालित नहीं था।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के बजाज हिन्दुस्तान शुगर मिल गोला गोकरननाथ का प्रदूषित पानी सरायन नदी में छोड़ने से फैले प्रदूषण को रोकने की मांग

101–श्री समर पाल सिंह–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद लखीमपुर खीरी के बजाज हिन्दुस्तान शुगर मिल गोला गोकरननाथ का गन्दा व विषैला पानी सरायन नदी में छोड़ा जाता है जिससे प्रदूषण फैल रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी रोकथाम के लिये कोई योजना बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सीतापुर में श्री प्रेम सागर पुत्र स्व० राम भरोसे ग्राम व पोस्ट भिनैनी के घर पर हुई लूटपाट की शिकायत पर कृत कार्यवाही की जानकारी

102–श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि श्री प्रेम सागर पुत्र स्व० राम भरोसे ग्राम व पोस्ट भिनैनी, जनपद सीतापुर के घर पर दिनांक 8/9–10–99 की रात्रि में गांव से कुछ आसामाजिक तत्वों द्वारा लूट-पाट की गई थी ? क्या यह सही है कि पीड़ित परिवार की थाना सदरपुर जनपद सीतापुर में रपट न लिखे जाने पर उक्त रपट 26-10-99 को पत्रांक 3520/99 विविध द्वारा महानिदेशक पुलिस उ० प्र० के कार्यालय में लिखाई गई ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

वाहन संख्या यू० पी० 83/9292 के स्वामित्व हस्तान्तरण में अनियमितता के संबंध में राज्य मंत्री सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

103–श्री शिशुपाल सिंह यादव–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य मंत्री सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण का पत्रांक 815 वी० आई० पी० दिनांक 23-9-99 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी हां ।

प्रकरण में प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्री रामवीर सिंह जादौन द्वारा वाहन संख्या–यू०पी०–83/9282 का स्वामित्व सर्वश्री सुरेश बाबू पुत्र श्री सम्पत सिंह व देवेन्द्र पाल पुत्र श्री दामोदर सिंह के नाम दिनांक 01-06-92 को हस्तान्तरित किये जाने संबंधी पंजीयन अधिकारी के आदेश के विरुद्ध नियमानुसार की गयी अपील को सक्षम अधिकारी, उप परिवहन आयुक्त (परि०) आगरा ने आदेश दिनांक 27-6-97 द्वारा निस्तारित करते हुये श्री रामवीर सिंह जादौन की अपील निरस्त कर दिया है तथा यह भी टिप्पणी की है कि हस्तान्तरण कार्यवाही में कोई अनियमितता नहीं हुई है । इस आधार पर किसी कर्मचारी के दोषी पाये जाने एवं उसके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं है । श्री रामवीर सिंह जादौन द्वारा दिनांक 12-8-96 को फिरोजाबाद में एफ०आई०आर० भी दर्ज करवाई गयी थी जिसमें भी दिनांक 20-11-[illegible] को अन्तिम रिपोर्ट लगाकर विवेचना समाप्त की जा चुकी है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद कन्नौज निवासी श्री आलोक मिश्रा, पत्रकार पर हुए प्राणघातक हमले से संबंधित हमलावरों की गिरफ्तारी तथा उनकी सुरक्षा की मांग

104–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

104–क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि जनपद कन्नौज निवासी श्री आलोक मिश्रा, पत्रकार पर दिनांक 7 जुलाई, 1999 को प्राणघातक हमला हुआ था ? क्या यह सही है कि उक्त द्वारा थाना कोतवाली में अपराध संख्या 512/99 धारा–147, 148, 307 आई० पी० सी० में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी ? यदि हां, तो क्या हमलावरों की गिरफ्तारी तथा उक्त पत्रकार की सुरक्षा की व्यवस्था की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

श्री आलोक मिश्रा की मां श्रीमती द्रोपदी देवी द्वारा थाना कन्नौज पर मु०अ०सं०–512/99 धारा 147/148/149/307 भा०द०वि० के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज कराई गई ।

अभियोग में नामित श्री कलुआ, पवन, सुशील, बिदुर, विनोद, रमेश पाण्डेय तथा मुनीम पाण्डेय द्वारा माननीय न्यायालय में आत्म-समपर्ण कर दिया गया है । श्री आलोक मिश्रा की सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने हेतु सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी एवं प्रभारी निरीक्षक को निर्देश दिये गये हैं तथा समय-समय पर क्षेत्राधिकारी एवं थाना प्रभारी द्वारा श्री आलोक मिश्रा से सम्पर्क कर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जाती रहती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मथुरा जनपद में दीन दयाल धाम फरह में पेट्रोल पम्प की लूट में पुलिस की निष्क्रियता संबंधी विधायक कोष्ठक में दिये गये पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

105–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दीन दयाल धाम फरह के अन्तर्गत पेट्रोल पम्प लूट में पुलिस की निष्क्रियता के संबंध में विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी०एम०/वि०को०, सं०-1/28618/मथुरा/99, दिनांक 14 दिसम्बर, 1999 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मथुरा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री राम प्रकाश–

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा से प्राप्त आख्यानुसार वादी श्री विजेन्द्र सिंह पुत्र कुमर [illegible]ल निवासी ग्राम नगला रामपुर थाना गोवर्धन, जिला मथुरा द्वारा दिनांक 22-11-99 को थाना फरह पर मु०अ०सं०–315/99 धारा 392 भा०द०वि०का तीन अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध तमंचा [illegible]खाकर रु० 18,000/= नकद व 05 लीटर तेल ले जाने के संबंध में पंजीकृत कराया गया, जिसकी [illegible]विवेचना थानाध्यक्ष द्वारा की गयी । विवेचना से अभियुक्त (1) धर्मवीर पुत्र पोदीना जाट, निवासी गठसै[illegible] थाना बल्देव (2) कल्लू पुत्र श्री चन्द्र लोधी, निवासी छरौरा, थाना वृन्दावन एवं (3) महेश चन्द्र पुत्र ला[illegible]म, निवासी भाहाई, थाना रिफाइनरी प्रकाश में आये जिसमें से दिनांक 11-1-2000 को अभियुक्त [illegible] व अभियुक्त महेश चन्द्र को चौकी कृष्णानगर, थाना कोतवाली पर गिरफ्तार कर मु०अ०सं०[illegible] 16/2000 धारा 25 शस्त्र अधिनियम में जेल भेजा गया । इन दोनों अभियुक्तों ने अपने बयान [illegible] लूट का इकबाल स्वीकार करते हुए रु० 5,000-5,000/= बटवारे में होना बताया । जिस स्कूटर [illegible] की गयी थी उसे धर्मवीर के पास होना उन्होंने बताया । तमाम विवेचना बयानात से अभियुक्त कल्लू [illegible] महेश के विरुद्ध जुर्म धारा 392 भा०द०वि० का पाते हुए आरोप पत्र सं०–6 दिनांक 7-2-2000 [illegible] न्यायालय में प्रेषित किया गया । अभियुक्त धर्मवीर जाट की गिरफ्तारी अभी नहीं हो सकी है जिस[illegible]

प्रयास जारी हैं जिसकी 82 द०प्र०सं० की कार्यवाही की जा चुकी है तथा 83 द०प्र०सं० की रिपोर्ट प्रेषित की जा चुकी है । अभियुक्त धर्मवीर के गिरफ्तारी के भरसक प्रयास किये जा रहे हैं तथा उनके विरुद्ध विवेचना प्रचलित है ।

जनपद मथुरा में मुकदमा अपराध संख्या 20/99 थाना बल्देव की सी०बी०सी०आई०डी० से जांच कराये जाने विषयक विधायक कोष्ठक में दिये गये पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

106–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा [illegible] कि मुकदमा अपराध संख्या 20/99 थाना बल्देव जनपद मथुरा की सी०बी०सी०आई०डी० से जांच [illegible] जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी०एम०/वि०को०/एम–2/28574/मथुरा/99, दि[illegible] 13 दिसम्बर, 1999 प्रमुख सचिव/सचिव गृह एवं गोपन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

अभियोग विचाराधीन न्यायालय है । अतः मुकदमा अपराध सं०–20/99 थाना बल्देव जनपद मथुरा की अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग से जांच कराये जाने का कोई औचित्य नहीं पाया गया ।

जनपद बागपत में पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस निरीक्षक, प्रभारी उप निरीक्षक थाना और प्रभारी उप निरीक्षक चौकी के पदों पर पिछड़ी जाति के कर्मचारी तैनात करने के प्रतिशत की जानकारी

107–डा० ज्ञानवती सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद बागपत में पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस निरीक्षक, प्रभारी उप निरीक्षक थाना और प्रभारी उप निरीक्षक चौकी के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं ? उसमें पिछड़ी जाति के पुलिस कर्मियों को उक्त जनपद में कितने प्रतिशत प्रभार दिया गया है ?

श्री राम प्रकाश–

जनपद बागपत में पुलिस उपाधीक्षक के 3, पुलिस निरीक्षक के 2, एवं प्रभारी उप निरीक्षक थाना के 8 पद स्वीकृत हैं । वर्तमान में पुलिस उपाधीक्षक के पद पर 33 प्रतिशत, पुलिस निरीक्षक के पद पर 50 प्रतिशत एवं प्रभारी उप निरीक्षक थाना के पद पर 50 प्रतिशत पिछड़ी जाति के अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं । जनपद बागपत में प्रभारी उप निरीक्षक चौकी का कोई पद स्वीकृत नहीं है ।

जनपद रायबरेली के थाना फुरसतगंज में दलित एक्ट के दुरुपयोग के मामले पर की गयी कार्यवाही की जानकारी

108–श्री संजय गर्ग–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि 20 फरवरी, 1996 से माह दिसम्बर, 1998 तक जनपद रायबरेली, थाना फुरसतगंज में दलित एक्ट के दुरुपयोग के कितने मामले प्रकाश में आये हैं ? क्या उनके दुरुपयोग की जांच कराई गई है ? यदि हां, तो दोषी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जनपद रायबरेली के थाना फुरसतगंज में प्रश्नगत अवधि में दलित एक्ट के दुरुपयोग का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फिरोजाबाद में वर्तमान में संचालित ईंट भट्ठों की संख्या की जानकारी तथा कतिपय भट्ठों से फैल रही बीमारी की रोकथाम हेतु भट्ठा मालिकों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

109-श्री संजय गर्ग–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद फिरोजाबाद में वर्तमान समय में कितने ईंट भट्ठे संचालित हैं ? क्या यह सही है कि कतिपय ईंट भट्ठे ऐसे हैं जो शहर के नजदीक हैं और जिसके प्रदूषण से वहां के निवासियों में भयानक बीमारियां फैल रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर इनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक–

दिनांक 29-1-2000 की स्थिति के अनुसार जनपद–फिरोजाबाद में 107 ईंट भट्ठे संचालित हैं । कुछ ईंट भट्ठे फिरोजाबाद शहर से नजदीक संचालित हैं परन्तु ये ईंट भट्ठे निर्धारित मानकों के अनुसार स्थापित हैं । इनसे भयानक बीमारी नहीं फैल रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मथुरा के रामलीला कमेटी के उपाध्यक्ष के साथ असामाजिक तत्वों द्वारा की गई मारपीट विषयक विधायक कोष्ठक में दिये गये पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

110–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के रामलीला कमेटी के उपाध्यक्ष के साथ असामाजिक तत्वों द्वारा मारपीट किये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी०एम०/वि०को०/एम–1/28620/मथुरा/99, दिनांक 14-12-99 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक मथुरा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा की आख्यानुसार ग्राम अडीग में रामलीला आयोजन हो रहा था । दिनांक 15-10-99 की रात्रि को आवेदक दिलीप कुमार एवं उसके विपक्षीगण अशोक कुमार, भरत सिंह, साहब सिंह, मुकेश आदि में कुर्सियों पर बैठने के ऊपर कहा सुनी हो गयी थी जिसका उसी समय बुजुर्गों द्वारा समझौता करा दिया गया था । दोनों पक्ष अब इसमें कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं जांच के मध्य शिकायती पत्र में लगाये गये अन्य आरोपों की पुष्टि नहीं हो सकी ।

111–श्री राम पाल वर्मा–

[दिनांक 27-3-2000 को अता० प्र० सं०–59 द्वारा उत्तरित]

जनपद मथुरा के ग्राम अडींग, थाना गोवर्धन में बढ़ रही अपराधिक घटनाओं के रोकने हेतु विधायक कोष्ठक में दिये गये पत्र पर कृत कार्यवाही

112–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के ग्राम अडींग, थाना गोवर्धन में अपराधिक घटनाओं में हो रही बढ़ोत्तरी के संबंध में विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी०एम०/वि०को०/एम–/29723/ मथुरा/00, दिनांक 1-1-2000 प्रमुख सचिव, गोपन एवं गृह विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

प्रश्नगत पत्र के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा से स्थिति ज्ञात की गयी जिससे यह प्रकाश में आया कि दिनांक 17-12-99 को श्री देवीदास बघेल के 6 वर्षीय अपहृत पुत्र को पुलिस द्वारा बरामद किया गया । इस घटना में 07 अभियुक्त लिप्त पाये गये जिसमें से 02 अभियुक्त गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं । शेष अभियुक्तों की कुर्की की कार्यवाही की जा चुकी है,तथा सभी के विरुद्ध आरोप पत्र सं०–23 दिनांक 27-3-2000 को प्रेषित किया जा चुका है । उपरोक्त अपहृत बालक के अलावा अडींग से पूर्व में जिन तीन व्यक्तियों के अपहरण का उल्लेख किया गया है, उनमें से 02 अपहृत व्यक्तियों को मुक्त कराया गया तथा एक अपहृत श्री फतेह सिंह की हत्या कर दी गयी । विवेचना से सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र सं०–1 दिनांक 19-1-97 को प्रेषित किया जा चुका है और सभी अभियोगों में विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है । अतः इसमें कोई दोषी नहीं पाया गया ।

जनपद मथुरा थाना गोवर्धन के ग्राम अडींग में रिपोर्टिंग चौकी स्थापित करने की मांग

113–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के ग्राम अडींग, थाना गोवर्धन में रिपोर्टिंग चौकी की स्थापना के संबंध में विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी०एम०/वि०को०/एम–/29725/मथुरा/00, दिनांक 1-1-2000 प्रमुख सचिव एवं सचिव गृह एवं गोपन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

पुलिस मुख्यालय से प्रस्ताव मांगा गया है । प्रस्ताव प्राप्त होने पर मानक के अन्तर्गत नियमानुसार निर्णय लिया जावेगा ।

स्वायत्तशासी संस्थाओं में कार्यरत रहे सेवकों को सरकारी सेवा में आने पर उसी तिथि से वेतन संरक्षण की सुविधा प्रदान करने की मांग

114–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्त (सामान्य) अनुभाग–2 के शासनादेश सं०- जी०–2–350/दस–1998 दिनांक 12 जून, 1998 द्वारा सार्वजनिक उपक्रम/निगम, विश्व विद्यालय में कार्यरत सेवकों को राजकीय सेवा में नियुक्त कर वेतन संरक्षण/निर्धारण की सुविधा प्रदान की गई है ? यदि हां, तो क्या स्वायत्तशासी संस्थाओं में कार्यरत सेवकों को सरकारी सेवा में आने पर वेतन संरक्षण की सुविधा प्रदान नहीं की जाती है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या सरकार स्वायत्तशासी संस्थाओं में कार्यरत रहे सेवकों को सरकारी सेवा में आने पर उसी तिथि से वेतन संरक्षण की सुविधा प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी''–

शासनादेश संख्या जी–2-350/दस–1998, दिनांक 12-6-1998 द्वारा राज्य सरकार के अपने सार्वजनिक उपक्रम/निगम,विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों तथा भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम/निगम में कार्यरत कर्मचारियों की राज्य सरकार की सेवा में लोक सेवा आयोग/सक्षम स्तर की चयन समिति द्वारा चयनोपरान्त नियुक्ति पर उन्हें सार्वजनिक उपक्रम/निगम एवं विश्वविद्यालय में प्राप्त अंतिम वेतन को इस प्रकार संरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की गयी है ताकि संबंधित सेवक को कम से कम हानि हो ।

उपर्युक्त के अतिरिक्त स्वायत्तशासी संस्थाओं में कार्यरत सेवकों को वेतन संरक्षण की सुविधा प्रदान नहीं की गई है। अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मियों के संबंध में उक्त लाभ देने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है।

जनपद फैजाबाद के थाना खण्डासा कुमारगंज इनायत नगर कोतवाली बीकापुर में 1998-99 में अनुसूचित जाति उत्पीड़न संबंधी पंजीकृत मामले तथा उन पर की गयी कार्यवाही

115–श्री राम चन्द्र यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के थाना खण्डासा कुमारगंज इनायत नगर कोतवाली बीकापुर में 1 जनवरी, 1998 से 31 दिसम्बर, 1999 के मध्य कुल कितने मुकदमें अनुसूचित जाति उत्पीड़न के पंजीकृत हुये हैं ? उनमें से कितने मुकदमों में अब तक चार्जशीट लगाई जा चुकी है ? कितनों में चार्जशीट लगाया जाना शेष है ? शेष में कब तक चार्जशीट लगा दी जायेगी ?

श्री राम प्रकाश–

दिनांक 1 जनवरी, 1998 से 31 दिसम्बर, 1999 तक की अवधि में थाना-खण्डासा में 31, थाना कुमारगंज में 18, थाना इनायतनगर में 39, एवं थाना कोतवाली बीकापुर में 19 अनुसूचित जाति उत्पीड़न संबंधी कुल 107 अभियोग पंजीकृत हुए हैं। जिसमें विवेचनोपरान्त 87 मुकदमों में आरोप सत्य पाये जाने पर आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किये जा चुके हैं। 19 मुकदमों में साक्ष्य के अभाव में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी है।

मात्र एक अभियोग में विवेचना प्रचलित है। विवेचना पूर्ण हो जाने पर चार्जशीट लगा दी जायेगी। विवेचना शीघ्र पूर्ण की जायेगी।

जनपद फैजाबाद, ब्लाक अमानीगंज के कर्मचारियों व पी०एन०बी० कुमारगंज के अधिकारियों द्वारा मुसहर जाति के लोगों के साथ आर०आर०डी० योग्यता के अन्तर्गत हुई धोखाधड़ी की दर्ज प्राथमिकी एवं कार्यवाही की जानकारी

116–श्री राम चन्द्र यादव–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि ब्लाक अमानीगंज फैजाबाद के कर्मचारियों व पी०एन०बी० कुमारगंज के अधिकारियों द्वारा ग्राम कोटिया, ब्लाक अमानीगंज जनपद फैजाबाद के लगभग एक दर्जन मुसहर जाति के लोगों के साथ आर०आर०डी० योजना में धोखाधड़ी हुई थी ? क्या उसकी प्राथमिकी वर्ष 1995-96 में जिला विकास अधिकारी, फैजाबाद द्वारा थाना कुमारगंज में अंकित कराई गई थी ? यदि हां, तो उपरोक्त के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

वर्ष 1995-96 में ब्लाक अमानीगंज के कर्मचारियों व पी०एन०बी० के अधिकारियों द्वारा ग्राम कोटिया, ब्लाक अमानीगंज के मुसहर जाति के लोगों के साथ आर०आर०डी० योजना में धोखाधड़ी के संबंध में कोई सूचना जिला विकास अधिकारी फैजाबाद द्वारा नहीं दी गई है और न ही थाना कुमारगंज में कोई प्राथमिकी अंकित कराई गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

निबन्धक सहकारी समितियां, उ० प्र० लखनऊ द्वारा अपने परिपत्र में पैक्स सचिवों के अंशदायी भविष्य निधि का कोड नम्बर भेजने के संबंध में प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

117–श्री कृपा शंकर सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि निबन्धक सहकारी समितियां, उ०प्र० लखनऊ ने अपने परिपत्र संख्या सी० 15/सज्य संवर्ग प्राधिकारी, दिनांक 31 दिसम्बर, 1998 द्वारा पैक्स सचिवों के

अंशदायी भविष्य निधि का कोड नम्बर भेजने के संबंध में समस्त जिला सहायक निबन्धकों एवं समस्त सचिव/महाप्रबन्धक जिला सहकारी बैंक लि० उ०प्र० को पत्र लिखा है ? यदि हां, तो उ०प्र० के किन-किन जनपदों से अंशदायी भविष्य निधि का कोड नम्बर निबन्धक महोदय को प्राप्त हुये हैं ? क्या उक्त परिपत्र का पालन न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

जी हां ।

प्रदेश के किसी जनपद से अंशदायी भविष्य निधि का कोड नम्बर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है । चूंकि पी०एफ० ट्रस्ट का कोड नम्बर आवंटित करने का कार्य भारत सरकार के अधीन कार्यरत क्षेत्रीय भविष्य निधि संगठन, उ० प्र० द्वारा किया जाना है । अतः परिपत्र का पालन न करने का प्रश्न नहीं उठता है और किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई औचित्य नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समितियों के सचिवों का वेतन जिला केन्द्रीयत सेवा निधि खाते को ओवर ड्राफ्ट करके भुगतान करने का प्रकरण

118–श्री कृपा शंकर सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समितियों के सचिवों का वेतन जिला केन्द्रीयत सेवा निधि खाते को ओवर ड्राफ्ट करके भुगतान किया जाता है ? क्या यह धनराशि सम्पूर्ण उ०प्र० की जिला सहकारी बैंकों में 141 करोड़ रुपये हो गई है ? यदि हां, तो क्या पैक्स सचिवों के वेतन भुगतान में हुये ओवर ड्राफ्ट की धनराशि रु० 141 करोड़ का भुगतान विभाग/शासन से कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

जी हां ।

जी नहीं । दिनांक 31-3-99 को उ० प्र० के जिला सहकारी बैंकों में जिला प्रारम्भिक केन्द्रीयित सेवा निधि में ओवर ड्राफ्ट की धनराशि (मूलधन) रु० 6195.85 लाख एवं उस पर देय ब्याज है ।

प्रश्नगत प्रकरण शासन में विचाराधीन है ।

समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सन्त कबीर नगर में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के आवंटन में अनियमितता की शिकायत

119–श्री अक्षयवर लाल–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि वित्तीय वर्ष 1999–2000 में जनपद सन्त कबीर नगर में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के आवंटन में जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा अनियमितता की गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों को दण्डित करेगी एवं अनियमित तरीके से किये गये आवंटन को निरस्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

वित्तीय वर्ष 1999-2000 में जनपद सन्त कबीर नगर के किसी भी नगरीय क्षेत्र में सरकारी सस्ते गल्ले की कोई दुकान जिलापूर्ति अधिकारी द्वारा आवंटित नहीं की गयी है । अतः जिलापूर्ति अधिकारी द्वारा दुकान आवंटन में अनियमितता करने का कोई प्रश्न नहीं है । ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों का चयन ग्राम सभा की खुली बैठक में प्रस्ताव पारित करके उप जिलाधिकारी द्वारा राशन दुकानदार की नियुक्ति किये जाने का प्राविधान है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सन्त कबीर नगर की श्रीमती डीला देवी आदि के पुत्रों द्वारा माली टोला, खलीलाबाद, निवासी श्री प्रहलाद आदि की पिटाई के संबंध में प्राप्त पत्र पर जांच एवं कृत कार्यवाही की मांग

120–श्री अक्षयवर लाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री प्रहलाद पुत्र हरखू व परिवार के अन्य सदस्यगण निवासी माली टोला, खलीलाबाद, जनपद–सन्त कबीर नगर की श्रीमती डीला देवी पत्नी श्री जोखन व रामानन्द पुत्र दूबर व रामानन्द के पुत्रों द्वारा दिनांक 19-9-99 को पिटाई किये जाने की घटना की एफ०आई०आर० दर्ज कराने विषयक श्री वेद प्रकाश राज्य मंत्री होमगार्ड्स एवं राजनैतिक पेंशन का पत्र दिनांक 11-12-99, श्री राधेश्याम, उप सचिव, गृह पुलिस 14 का पत्र संख्या 7424/छ–पु० 14-99 दिनांक 25 अक्टूबर, 1999 पुलिस अधीक्षक संत कबीर नगर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त घटना की एफ०आई०आर० दर्ज करके जांच करा ली गई है ? यदि हां, तो जांच परिणाम क्या रहा एवं दोषी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

जांच से घटना की पुष्टि न होने के कारण एफ०आई०आर० दर्ज नहीं की गई और न ही वादी द्वारा थाने पर आकर एफ०आई०आर० दर्ज कराने हेतु प्रार्थना-पत्र दिया गया ।

श्री प्रहलाद निवासी माली टोला, खलीलाबाद, जनपद सन्त कबीर नगर के भवन निर्माण संबंधी वाद के निर्णयोपरान्त अनुपालन के संबंध में जानकारी

121–श्री अक्षयवर लाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री प्रहलाद पुत्र हरखू निवासी माली टोला, खलीलाबाद, जनपद सन्त कबीर नगर के भवन निर्माण संबंधी वाद संख्या 835/99 जिसका निर्णय सिविल जज (जू०डि०) खलीलाबाद बस्ती द्वारा दिनांक 20-1-2000 को कर दिया गया है एवं जिसकी प्रति कोतवाली खलीलाबाद को 21-1-2000 को उपलब्ध करा दिया गया है, का अनुपालन सुनिश्चित करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी नहीं । सिविल जज (जू०डी०) खलीलाबाद के आदेश दिनांक 20-1-2000 की कोई प्रतिलिपि कोतवाली खलीलाबाद में उपलब्ध नहीं करायी गयी है उक्त आदेश के विरुद्ध प्रतिवादी द्वारा जिला न्यायाधीश बस्ती के यहां न्यायालय में अपील दायर करके दिनांक 25-1-2000 को यथास्थिति कायम रखने का आदेश पारित हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पिथौरागढ़/चम्पावत में वर्ष 1996 से 1999 तक सौर ऊर्जा के स्थापित प्लान्ट व उत्पादक क्षमता की जानकारी

122–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनपद पिथौरागढ़/ चम्पावत में वर्ष 1996 से 1999 तक सौर ऊर्जा के कितने प्लान्ट स्थापित किये गये ? उक्त प्लान्टों की ऊर्जा उत्पादन क्षमता क्या है ?

श्री बच्चा पाठक–

जनपद पिथौरागढ़/चम्पावत में वर्ष 1996 से 1999 तक की अवधि में सौर ऊर्जा का कोई प्लान्ट स्थापित नहीं किया गया है ।

शेष का प्रश्न ही नहीं उठता ।

हजरतगंज से अन्धे की चौकी हरदोई रोड लखनऊ तक बस चारबाग से वाया हजरतगंज होकर चलाये जाने की मांग

123–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1999 के पहले सोमवार के लिये निर्धारित श्री लाखीराम जोशी द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 102 के उत्तर के संबंध में क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि हजरतगंज से अन्धे की चौकी हरदोई रोड, लखनऊ तक बस सेवा संचालित नहीं है ? क्या चारबाग से दुबग्गा जाने वाली बस वाया हजरतगंज चलाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

हजरतगंज से अन्धे की चौकी हरदोई रोड, लखनऊ के लिए कोई नगर बस सेवा संचालित नहीं है ।

जी नहीं । हजरतगंज, अन्य नगर बस मार्गों से जुड़ा है । अतः चारबाग–दुबग्गा मार्ग को वाया हजरतगंज चलाने की आवश्यकता नहीं है ।

प्रदेश सरकार द्वारा उत्तरांचल के जनपदों में हल्के वाहन मार्गों पर छोटी बसें संचालित करने की मांग

124–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि क्या प्रदेश सरकार द्वारा उत्तरांचल के जनपदों में अब हल्के वाहन मार्गों के निर्माण की स्वीकृति जारी की जा रही है और मोटर मार्गों का विस्तार भी हल्का वाहन मार्ग के रूप में करवाया जा रहा है ? यदि हां, तो इन हल्के वाहन मार्गों पर अनिवार्यतया नियमित परिवहन सेवाओं के संचालन की क्या व्यवस्था है तथा जनपद पौड़ी गढ़वाल में ऐसे हल्के वाहन मार्गों का विवरण क्या है जिन पर नियमित परिवहन सेवायें (छोटी बसें) संचालित की जा रही हैं ? अवशेष हल्के वाहन मार्गों पर नियमित परिवहन सेवायें (छोटी बसें) कब तक संचालित की जायेंगी ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के बहेड़ाखाल खाण्डा हल्का वाहन मार्ग पर छोटी बसों की सेवाएं उपलब्ध कराने की मांग

125–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के बहेड़ाखाल खाण्डा हल्का वाहन मार्ग पर परिवहन सेवायें संचालित करवाने के संबंध में सम्भागीय परिवहन अधिकारी पौड़ी गढ़वाल के पत्रांक 1357/स०प०प्रा०/941/97 दिनांक 20-12-97 के परिपालन में अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी गढ़वाल के पत्रांक 236/36 सी० दिनांक 21-1-98 के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध करवा दी गई थी ? यदि हां, तो बहेड़ाखाल खाण्डा हल्का वाहन मार्ग पर नियमित परिवहन सेवायें (छोटी बसें) उपलब्ध न करवाये जाने के कारण क्या हैं ? इसके लिये कौन उत्तरदायी है तथा कब तक इस मार्ग पर छोटी बस सेवायें संचालित करवाई जायेंगी ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी हां ।

नवनिर्मित मार्ग केवल हल्के वाहनों (जीप, टैक्सी) के लिए निर्मित होने के कारण उस पर जनसुरक्षा की दृष्टि से नियमित बस सेवा उपलब्ध नहीं करायी गयी है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद मथुरा में थाना वृन्दावन चौकी जैत में सही रिपोर्ट न लिखने के संबंध में विधायक कोष्ठक में प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

126–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपराध संख्या 390/98, थाना वृन्दावन चौकी जैत में सही रिपोर्ट न लिखने के संबंध में विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी०एम०वि०को०/एम-/22042/मथुरा/99, दिनांक 5-4-99 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा से प्राप्त आख्यानुसार थाना वृन्दावन, मथुरा पर श्री रामवीर पुत्र उदय चन्द्र, निवासी नगला घीसा, थाना वृन्दावन मथुरा ने (1) लक्खी पुत्र मोहर सिंह (2) बदन सिंह व (3) विसन पुत्रगण मोहर सिंह, निवासीगण नगला घीसा, थाना वृन्दावन (4) वीरेन्द्र पुत्र चतुर सिंह, निवासी मोती कुंज, थाना नरहौली (5) अजयवीर उर्फ पप्पू निवासी मोती कुंज (6) अरविन्द निवासी मोती कुंज, थाना नरहौली (7) राजेश उर्फ टण्डन निवासी कामिर थाना कोसी (8) मोहर सिंह पुत्र मंटोली, निवासी नगला मोरा, थाना वृन्दावन के विरुद्ध एक राय होकर लाठी डण्डा शस्त्रों से लैश होकर मकान में घुसकर जान से मारने की नीयत से फायर करने बाबत मु०अ०सं०–390/98 धारा 147/148/149/307/452 भा०द०वि० पंजीकृत कराया । वाद विवेचना तत्कालीन विवेचक उपनिरीक्षक, श्री के०बी०एन० त्यागी को सुपुर्द की गयी । जिसके द्वारा अभियुक्त विसन को दिनांक 23-11-98 को, वीरेन्द्र सिंह को दिनांक 21-11-98 को मोहर सिंह को दिनांक 21-11-98 को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया तथा उपरोक्त तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र सं०–4/99 दिनांक 13-1-99 को प्रेषित किया गया । विवेचक श्री त्यागी को स्थानान्तरण के बाद विवेचना उपनिरीक्षक, श्री यशवन्त सिंह तेवतिया, प्रभारी चौकी जैत, थाना वृन्दावन द्वारा की जा रही है । अभियुक्त लक्खी, बदन, अजयवीर, अरविन्द एवं राजेश के विरुद्ध विवेचना पार्ट पेण्डिंग जारी है । वादी द्वारा दी गयी तहरीर के अनुसार अभियोग सही धाराओं में पंजीकृत कराया गया है तथा पुलिस द्वारा वादी की तहरीर में अस्वीकार नहीं किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गाजीपुर जनपद के भुड़कुड़ापुर में पुलिस चौकी खोलने की मांग

127–श्री विजय कुमार–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद के भुड़कुड़ा थाना में कोई पुलिस चौकी निर्मित है ? अपराधों की संख्या को देखते हुये क्या सरकार भुड़कुड़ापुर में कोई पुलिस चौकी खोलेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

यह मानक के अनुसार नहीं है ।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 3 अप्रैल, 2000 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 6 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । नियमानुकूल होने के कारण सभी सूचनायें स्वीकार की गईं ।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सभी सूचनायें पढ़ी हुई मानी गईं ।)

प्रदेश मे पुलिस कर्मियों को पंचम वेतन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर वेतन दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

[महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से आपका ध्यान प्रदेश में तैनात पुलिस कर्मियों की तरफ दिलाना चाहूंगा । सरकार का दायित्व है कि प्रत्येक नागरिक को उसके मौलिक अधिकारों का हनन न हो परन्तु मान्यवर, प्रदेश में तैनात इन पुलिस कर्मियों के साथ ऐसा किया जा रहा है जिससे उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है । पंचम वेतन आयोग में पुलिस कर्मियों का आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 4000 से 6000 रु० वेतन मान दिये जाने की स्वीकृति दी गयी है लेकिन इस सरकार द्वारा उन्हें मात्र 3050 से 4590 रु० का वेतनमान निर्गत किया जा रहा है । आयोग की संस्तुतियों का खुला उल्लंघन तो है ही और एक वर्ग विशेष के साथ खुला अन्याय है । जिससे प्रदेश के पुलिस कर्मचारियों में रोष व्याप्त है । स्थिति किसी भी समय विस्फोटक हो सकती है ।

अतः आपसे इस सदन के माध्यम से निवेदन करना है कि पुलिस कर्मियों को पंचम वेतन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार वेतनमान दिये जाने हेतु निदेशित कर दें ।]

जनपद सन्त रविदास नगर के नगर पंचायत सुरियावा में निर्माणाधीन नलकूप के अधूरा होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पूर्णमासी पंकज–

[मान्यवर, जनपद संत रविदास नगर के नगर पंचायत सुरियांवा में शासन द्वारा वर्ष 1997-98 में नलकूप स्थापित करने हेतु 25 लाख तथा 1998-99 में 15 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी तथा एक किश्त धन राशि अवमुक्त किया गया । निर्माण कार्य प्रारम्भ भी किया गया किन्तु निर्माण कार्य अधूरा छोड़ देने से अधर में लटका हुआ है । नगर पंचायत में पेयजल की काफी किल्लत है । अधिकारियों की मनमानी से जनता में काफी रोष व्याप्त है ।

कृपया जनहित में निर्माणाधीन नलकूप का पानी की टंकी एवं पाइप लाइन कनेक्शन शीघ्र पूर्ण कराने हेतु शासन को निर्देशित करने की कृपा करें ।]

जनपद एटा के विद्युत उपकेन्द्र पर क्षतिग्रस्त विद्युत लाइन से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी–

[मान्यवर, मैं जनपद एटा के विद्युत उपकेन्द्र पर अधिकारियों द्वारा लापरवाही के फलस्वरूप क्षतिग्रस्त विद्युत लाइन के तार के ट्रक से छूने से दिनांक 2-2-2000 के रात 8.45 पर ट्रक में लाइन छूने से ट्रक में आग लग गई । एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई जबकि इन अधिकारियों की लापरवाही से विद्युत उपकेन्द्र सिढ़पुरा एवं गंज डुंडवारा में पूर्व में भी कई व्यक्ति उपकेन्द्र एवं जानवरों की मृत्यु ऐसी ही घटनाओं से हो चुकी है । परन्तु अधिकारियों द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है इससे लोगों में असंतोष व्याप्त है ।

अतः इस तात्कालिक एवं अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार से कार्यवाही कर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

नोट : [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद लखीमपुर के ग्राम मोहदीपुर परसा, पटेवरा में जल भराव समस्या के निराकरण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा० कौशल किशोर–

[मान्यवर, शारदा सहायक पोषक नहर जनपद–लखीमपुर विधान सभा क्षेत्र हो० लखीमपुर से निकल जनपद सीतापुर की तरफ जाती है। इस नहर से सीपेज हो जाने की वजह ग्राम मोहदीपुर, परसा, पटेवरा की जमीन जल मग्न हो जाती है। फसलें डूब जाती हैं। जल भराव होता है निकासी का प्रबन्ध नहीं है इस जल भराव को दूर करने के लिए एक ड्रेन का खुदना आवश्यक है जिससे कि उपरोक्त ग्रामों की जमीन डूबने से बच जाये।

अतः लोक महत्व की इस अविलम्बनीय समस्या का निराकरण करने के लिए एक ड्रेन तुरन्त खुदवाई जाये।]

जनपद महोबा की नगर पंचायत कबरई की मुख्य सड़क खराब होने से आए दिन घटने वाली दुर्घटनाओं के निदान के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अरिमर्दन सिंह–

[महोदय, यह कस्बा कानपुर-सागर रोड पर स्थित है। इसकी आबादी लगभग 25000 है दो इण्टरमीडिएट कालेज हैं। पत्थर की उद्योग नगरी है एव दाल मिल गल्ला मंडी है। दो टाकीजें हैं, लेकिन टाउन एरिया कबरई (महोबा) साधनहीन है। सड़क व नालियों का निर्माण कराने में असमर्थ है। यहां आये दिन रास्ता जाम हो जाता है और प्रतिमाह तीन चार मृत्यु घटनायें होती हैं एवं बरसात के समय सड़क पर पानी भरा रहता है। यहां लोग नारकीय जीवन जी रहे एवं प्रदूषण का साम्राज्य है। आये दिन लोग बीमार रहते हैं। जनता द्वारा सड़क व नाली निर्माण की मांग किये जाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं होती। जिससे जनता में आक्रोश व्याप्त है।

अतः श्रीमान् जी से अनुरोध है कि इस लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने की कृपा करें।]

जनपद बहराइच के नेहरू कालेज रुपईडीहा के प्रधानाचार्य को परीक्षा केन्द्र प्रभारी की जिम्मेदारी न दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा० वकार अहमद शाह–

[मान्यवर, नेहरू कालेज, रुपईडीहा, जनपद–बहराइच के प्रधानाचार्य को सन् 2000 तक के लिए परीक्षा केन्द्र प्रभारी केन्द्र पद से शासन द्वारा प्रतिबन्धित कर दिया गया है और मास्टर आलमीन को प्रभारी बनाया गया है। इसके बावजूद लगातार अभी तक यही प्रधानाचार्य प्रभारी पद पर बने रहे और शासन के आदेश को छिपाये रहे। इसकी जानकारी होने पर अब प्रधानाचार्य को हटाकर मास्टर आलमीन को प्रभारी बनाया गया है। अब भी उक्त प्रधानाचार्य मंत्री व शासन पर दबाव डलवाकर प्रभारी बने रहने का प्रयास कर रहा है। स्मरण रहे कि गंभीर अनियमितताओं के कारण ही उक्त प्रधानाचार्य को परीक्षा केन्द्र प्रभारी प्रतिबन्धित किया गया था।

अतः इस अविलम्बनीय महत्व के विषय पर शासन द्वारा, शासन के आदेश को छिपाये रखने के लिए दोषी प्रधानाचार्य के विरुद्ध जांच कराकर कार्यवाही की जाय और पुनः प्रधानाचार्य को परीक्षा केन्द्र प्रभारी की जिम्मेदीरी न दिये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।]

(समय–12 बजकर 35 मिनट)

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 3-4-2000 को नियम–300 के अन्तर्गत निम्नलिखित 6 सूचनाएं प्राप्त हुईं । इसमें पहली सूचना श्री विनोद मणि जी की है ।

जनपद महराजगंज के जिलाधिकारी पर मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन का उद्घाटन पूर्व विधायक की अध्यक्षता में कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

* श्री विनोद मणि–

मान्यवर, यह सदन नियमों और परम्पराओं से चलता है । मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान अपने विधान सभा क्षेत्र की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं । मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र में जो विधायकों के अधिकार हैं, जिला योजना के अन्तर्गत माननीय विधायकों के प्रस्ताव पर विकास कार्य कराये जाते हैं और उसका शिलान्यास एवं उद्घाटन उसी क्षेत्र के विधायक से कराया जाता है । मान्यवर, मैं आपको फोटो भी देना चाहता हूं ।

[इस समय 12 बजकर 21 मिनट पर अधिष्ठाता डा० सरजीत सिंह डंग पीठासीन हुए]

मेरे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के एक राज्य मंत्री ने, मान्यवर, मेरे ही प्रस्ताव पर वहां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण हुआ लेकिन मुझे कोई जानकारी नहीं दी गयी और एक पूर्व विधायक की उपस्थिति में माननीय राज्य मंत्री जी ने उस भवन का शुभारम्भ और लोकापूर्ण कर दिया । मान्यवर, सदन में निर्वाचित होने के कारण मुझे अधिकार है । अगर इसी तरह से स्वस्थ परम्पराओं का उल्लंघन होगा और जानबूझकर चूंकि विपक्ष के सदस्य हैं, हमारे अधिकारों का हनन होगा तो इस सम्बन्ध में मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । आपकी पीठ से इस सम्बन्ध में निर्देश जारी हों कि जहां पर हमारे प्रस्तावों पर पैसा खर्च हो रहा हो तो उसका लोकार्पण विधायकों की उपस्थिति में कराया जाय, इसमें मैं आपका संरक्षण चाहता हूं ।

* संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें शासनादेश स्पष्ट है और सरकार की मंशा भी स्पष्ट है । यह अंतिम शासनादेश 9 जुलाई, 99 का कार्मिक विभाग का है । इसमें स्पष्ट है कि ऐसे सभी समारोह में अध्यक्ष यथासंभव जनप्रतिनिधि रहेंगे और सरकारी कर्मचारियों द्वारा सहयोग देकर इसे सफल बनाया जायेगा । आपका कहना है कि किसी पूर्व विधायक ने कर दिया । मान्यवर, पूर्व तो कभी न कभी होता है । अगर किसी ने कर दिया तो इसमें इतना सेन्सीटिव न हों, जो कार्य हैं वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर रहे हैं ।

श्री विनोद मणि–

मान्यवर, निर्वाचित होने के नाते हमारा अधिकार है उससे वंचित किया गया । आपकी पीठ से निर्देश चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने माननीय विनोद मणि जी एवं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना । इस निदेश के साथ इस औचित्य के प्रश्न को अस्वीकार करते हुए कि विधायकों के सम्मान की समुचित सुरक्षा सरकार को अवश्य हर हालत में करनी चाहिये ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, ठीक है ।

मा० विधायकों के विधान सभा प्रश्नों के उत्तर समय से प्राप्त न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

* श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, मैं अपनी इस औचित्य के प्रश्न की सूचना के माध्यम से गंभीर प्रश्न की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । आप कृपया नियमावली का नियम 32 देखने का कष्ट करें इसमें (1) में है "प्रश्नों के उत्तर के लिये जो दिन नियत किया गया हो, उस दिन का उपवेशन आरम्भ होने के एक दिन पूर्व प्रश्न के लिखित उत्तरों की प्रति सम्बद्ध सदस्य को उपलब्ध कर दी जायेगी ।" मान्यवर, यह रोजमर्रा हम लोग देखते हैं जब सदन के उपवेशन की समाप्ति के बाद लौटकर आते हैं तो विधान सभा सचिवालय के कर्मचारीगण रात्रि में देर-देर तक बैठकर शासन से उत्तरों की प्रतीक्षा करते रहते हैं जो अगले दिन कार्यसूची में प्रकाशित होकर उत्तर दिये जाने होते हैं । कुल मिलाकर उत्तर समय से प्राप्त नहीं होते हैं । जो व्यवस्था एक दिन माननीय सदस्य को उत्तर की प्रति प्राप्त होने की है, वह चन्द घंटे पूर्व ही प्रातः माननीय सदस्य को उत्तर मिल पाते हैं । यह नियमों का उल्लंघन हो रहा है ।

इसी तरह से मान्यवर, आप अध्यक्ष पीठ द्वारा जारी निदेश संख्या 40(1) को देखने का कष्ट करें । "नियमावली के नियम 32 के उपबन्धों के अनुसार यह आवश्यक है कि प्रश्नों के लिखित उत्तरों की प्रति संबद्ध सदस्यों को उत्तरों के लिये नियत दिन के उपवेशन आरम्भ होने के एक दिन पूर्व उपलब्ध करा दी जाय । अतः सरकारी सचिवालय के विभाग प्रश्नों के लिखित उत्तरों की प्रतियां उत्तरों के लिये नियत दिन के 48 घंटे पूर्व विधान सभा सचिवालय को अवश्य भेज दिया करें ।

मान्यवर, इन नियमों के बनने के पीछे धारणायें हैं जो सदस्य हैं उन्हें विधान सभा में जो प्रश्न पूछना होता है, वह प्रशासनिक विभागों को सरकुलेट होता है । निश्चित रूप से यह उत्तर उसे एक दिन पूर्व मिलना चाहिये ताकि वह उसका परीक्षण कर सके साथ ही साथ अपने पास उपलब्ध सामग्री से उसका मिलान भी कर सके और अनुपूरक प्रश्नों के माध्यम से जिन लोगों का प्रतिनिधित्व इस विधान सभा में करता है उस प्रश्न पूछने का लाभ उनको मिल सके । यह व्यवस्था इसलिए की गयी है कि जन कल्याण के मुद्दों का शीघ्र से शीघ्र निस्तारण शासन स्तर से हो सके ।

मान्यवर, यह जो नियमों में 48 घंटे की व्यवस्था की गयी है । इसमें यह है कि इस 48 घंटे की अवधि में केवल कार्य दिवस ही गिने जायेंगे और अवकाश की स्थिति में उदाहरण भी दिया गया है । मान्यवर, इसमें उदाहरण भी दिया हुआ है कि जो उत्तर सदन में सोमवार को दिया जाना हो उसकी प्रतियां विधान सभा सचिवालय को पूर्वगामी शुक्रवार को दिन के 11 बजे तक प्रेषित कर दी जायें और यदि शनिवार को भी अवकाश हो तो ऐसे उत्तर गुरूवार को दिन में 11 बजे तक प्रेषित कर देना चाहिए ।

तो श्रीमन्, यह सीधा-सीधा सदन की कार्यवाही से संबंधित तथा प्रक्रिया के उन नियमों से संबंधित है जिनसे सदन की कार्यवाही विनियमित होती है । माननीय अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये निर्देशों से संबंधित है । इसलिये इस औचित्य के प्रश्न से बड़ा और कोई दूसरा प्रश्न नहीं हो सकता है । इसलिये मेरी प्रार्थना है कि शासन का जो प्रशासनिक विभाग है यदि वह जानबूझकर विलम्ब करता है, यदि उसकी नीयति बन गयी है कि समय रहते अपने प्रश्न का उत्तर विधान सभा सचिवालय को नहीं भेजना है तो अध्यक्ष पीठ से इस बात का निर्देश हो जाना चाहिए कि ऐसे प्रश्नों को सीधे-सीधे अध्यक्ष पीठ के निर्देशानुसार प्रश्न एवं संदर्भ समिति को सीधे ही संदर्भित कर दिया जायेगा । अन्यथा एक और सुझाव

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है–इस विधान मंडल का जो हमारा उच्च सदन है विधान परिषद्, वहां पर प्रशासनिक विलम्ब समिति का गठन किया गया है जिसका मकसद यह है कि शासन से यदि सदस्यों के द्वारा चाही गयी जिज्ञासा या प्रश्नों का समय से उत्तर नहीं प्राप्त होता है तो ऐसे समस्त प्रकरणों को प्रशासनिक विलम्ब समिति के सुपुर्द कर दिया जाय । तो मेरी यह भी प्रार्थना है कि आप निर्देश दें और वही करें, इस सदन की भी प्रशासनिक विलम्ब समिति का गठन कर दिया जाय और ऐसे उक्त प्रकरणों को प्रशासनिक विलम्ब समिति के सुपुर्द कर दिया जाय ताकि यह परम्परा जो बनती जा रही है वह न बने और अधिकांश समस्याओं के अनुपूरक प्रश्न हम पूछते हैं वह तैयारी के साथ नहीं पूछ पाते हैं इसलिए ऐसी व्यवस्था देने की कृपा करें ।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय अधिष्ठाता जी 3 भागों में आपने अपनी बातों को रखा । एक को नियम 32 की परिभाषा बताई । जहां तक नियम 32 की परिभाषा का सवाल है । मैं पूर्णतः उससे सहमत हूं । नियम–32 में जो उल्लेख किया गया है उसमें कोई दो राय नहीं है । दूसरा यह बताया कि प्रश्नों का क्या महत्व होता है । इससे भी मैं सहमत हूं । आपत्ति यह है कि 48 घन्टे पहले आ जाना चाहिए । मान्यवर, जो यहां पर आपने लिखकर दिया है अगर उसमें कोई विशेष घटना का उल्लेख करते कि किस स्थिति में कौन सा प्रश्न नहीं उपलब्ध हुआ तो उसके बारे में मैं विशेष जानकारी प्राप्त कर लेता ताकि यह मालूम हो जाता कि विभाग से उत्तर समय से क्यों नहीं प्राप्त हुआ ? कोई भी प्रश्न समय से नहीं आ रहा है मेरे लिए इससे सहमत होना उचित भी नहीं है और सम्भव भी नहीं होगा । अगर मुझसे यह अपेक्षा रखते हैं कि मैं जानकारी विधान सभा सचिवालय से करूं तो यह अलग बात है मैं इसको भी देखूंगा, अगर आपको किसी प्रश्न के बारे में विशेष कठिनाई है और उसका अनुपूरक तैयार करने में कठिनाई आई है तो उसको बताते लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है ।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, आज के ही प्रश्नों को एक-एक करके उठाकर बता दूंगा कि किन-किन प्रश्न की सूचना माननीय सदस्य को कब-कब मिली । कुंवर साहब का तारांकित प्रश्न था आज की तारीख का, नहीं प्राप्त हुआ । माननीय संसदीय कार्य मंत्री का एक आशय था वह उसको टालना चाह रहे हैं । लेकिन आपने श्रीमन् यह खुद देखा होगा कि एक दिन पूर्व लिखित उत्तर सम्मानित सदस्यों के पास नहीं पहुंचते हैं । विधान सभा सचिवालय में तो 48 घन्टे पूर्व किसी प्रश्न का उत्तर कभी प्राप्त होता ही नहीं है । रात को 10-10 बजे विधान सभा सचिवालय के कर्मचारी प्रश्नों के उत्तर की प्रतीक्षा करते रहते हैं । माननीय संसदीय कार्य मंत्री की जो कठिनाई है, वह हमारी भी है । यदि हम इस प्रकार सूचना संकलित करने लग जायेंगे तो बहुत विस्तृत कार्य हो जायेगा । लेकिन वास्तविकता से आप भिज्ञ हैं । इसमें आप शासन को स्पष्ट निर्देश दें और उन बिन्दुओं पर भी अपनी व्यवस्था देने की कृपा करें, जो मैंने सुझाव के रूप में प्रस्तुत किये हैं कि या तो प्रशासनिक विलम्ब समिति का गठन कर दिया जाय या फिर अध्यक्ष पीठ से सीधे ऐसे प्रश्नों को प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति के सुपुर्द कर दिया जाय ताकि समिति बैठकर विस्तार से इसका विश्लेषण कर सके कि विलम्ब के क्या कारण थे ?

श्री अधिष्ठाता–

मैंने इस औचित्य की सूचना पर श्री मुन्ना चौहान एवं माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुना । प्रक्रिया नियमावली के नियम 32 के अनुसार प्रश्नों का उत्तर एक दिन पूर्व मिल जाना चाहिये । नियमावली में बहुत स्पष्ट उल्लेख है और शासन द्वारा इस नियम का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिये । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, कृपया इस नियम का पालन शासन द्वारा सुनिश्चित कराने का कष्ट करें ।

श्री हुकुम सिंह–

अक्षरशः मान्यवर ।

जनपद आजमगढ़ के माहुल बाजार में शान्तिपूर्ण धरना और प्रदर्शन करने वालों पर सी०ओ० द्वारा फायरिंग/लाठीचार्ज से हुई मृत्यु तथा घायलों के सम्बन्ध में गत सत्र में नियम–56 में दी गयी सूचना पर कार्यवाही न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अधिष्ठाता–

अगली सूचना श्री राम नरेश यादव की है ।

* श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, यह सदन विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली, परम्पराओं और पूर्व व्यवस्थाओं के आधार पर चलता है, नियमित होता है, विनियमित होता है और लोकतंत्र की संसदीय परम्परा में आप जिस पीठ पर बैठे हैं, उसका बहुत बड़ा महत्व और गरिमा है और इस गरिमा की रक्षा करने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की है । मैं इसी सन्दर्भ में आपका ध्यान दिलाते हुये, अन्त में आपकी व्यवस्था चाहूंगा संसदीय कार्य मंत्री जी यहां बैठे हैं । मैंने इसी सदन में दिनांक 22 जुलाई को नियम–56 के अन्तर्गत कार्य-स्थगन प्रस्ताव के रूप में एक सूचना दी थी और वह घटना माहुल, आजमगढ़ जनपद के बाजार की है, जहां पर एक सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्ता को पुलिस के कहने पर विद्वेष की भावना के तहत चालान कर दिया गया था, इससे असंतुष्ट होकर, लोकतंत्र में जो एक मान्यता प्राप्त परम्परा है, वहां के नागरिकों ने धरना-प्रदर्शन किया था, उन प्रदर्शनकारियों पर गोली चली, सी०ओ० ने स्वयं गोली चलाने का काम किया एक व्यक्ति मारा गया, कई घायल हुये, लाठीचार्ज भी हुआ, इस घटना को हमने सदन में उठाने का काम किया था ।

इस घटना पर मेरे तथा अन्य सम्मानित सदस्यों के विचार सुनने के पश्चात् पीठ से व्यवस्था हुई थी कि सूचना के आधार पर प्रथम सूचना पत्र अंकित किया जाय और साथ ही साथ आयुक्त के द्वारा पूरी घटना की जांच कराई जाये । पीठ से जो व्यवस्था हुई थी, उसके अनुसार एफ०आई०आर० दर्ज किया जाना था, जिसमें कई पत्रों के भेजे जाने के बाद स्थानीय अधिकारियों ने काफी समय लगा दिया अन्ततः दिनांक 9-9-99 को नियम–56 की सूचना के आधार पर प्रथम सूचना पत्र अंकित किया गया, इसमें पुलिस अधिकारियों के नाम भी थे, कमिश्नर ने इसकी जांच शुरू की । इस पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था कि रिपोर्ट मंगाकर सदन को अवगत कराया जायेगा कि क्या-क्या कार्यवाही हुई ? मुझे बताया गया कि रिपोर्ट आ गई है । मैंने कहा अभी नहीं आई है । आप रिपोर्ट मंगा लीजिये । अब रिपोर्ट आ गई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकार उसको दबाये बैठी है, उसको सदन के संज्ञान में नहीं लाना चाहती और पटल पर नहीं रखना चाहती । इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं, वह रिपोर्ट क्या है ? वह सदन के पटल पर रखी जाय और उस रिपोर्ट के आने के बाद क्या-क्या कार्यवाही की गई है, यह भी जानकारी आ जाय ? साथ ही इस पर भी आपकी व्यवस्था चाहूंगा कि जो प्रथम पत्र नियम–56 की सूचना के आधार पर कुछ पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध दर्ज की गयी थी उसमें सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से क्या कार्यवाई हुई, उस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं । मैं चाहता हूं कि सरकार उस जांच रिपोर्ट को जल्दी से जल्दी सदन के पटल पर रखे और क्या कार्यवाही हुई, उसको भी अवगत कराने का कष्ट करे ।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, दिनांक 22 जुलाई, 99 में नियम–56 के अन्तर्गत यह सूचना दी गयी थी और आपने दो आग्रह किया था, एक आग्रह यह था कि मुकदमा कायम किया जाए और दूसरा यह था कि उसकी जांच

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

करा ली जाए । मान्यवर, यह अध्यक्ष पीठ से निर्देश हुआ था कि मुकदमा कायम किया जाए । मान्यवर, मुकदमा 251ए, 1999 के अन्तर्गत धारा–143, 323, 301, 302, 439 आईपीसी के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया और उसकी जांच के बाद साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुए । मौखिक साक्ष्य, अभिलेखीय साक्ष्य और परिस्थितिजन्य साक्ष्य उपलब्ध न होने से इसमें फाइनल रिपोर्ट लगा दी गयी जो इस वक्त न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है । दूसरा मान्यवर, मण्डलायुक्त से जांच करायी गई । पूरे प्रकरण पर जांच रिपोर्ट शासन में प्राप्त हो गयी है । अध्यक्ष पीठ से निर्देश इस बात का नहीं था कि इस पर जांच कराने के बाद उसे सदन के समक्ष रखा जाए । मान्यवर, शासन ने उस जांच रिपोर्ट का अध्ययन किया, परीक्षण किया और परीक्षण के अनुसार यह उल्लेख किया गया कि यह पुलिस की कार्यवाही, सामान्य कार्यवाही थी और उसमें किसी भी पुलिस कर्मी को दोषी नहीं पाया गया । मान्यवर, शासन तो किसी न किसी रिपोर्ट के आधार पर ही कोई कार्यवाई कर सकता है । दो इसमें कार्यवाही हुई, स्थानीय स्तर पर मुकदमा दर्ज कराया गया, जांच करायी गयी और कोई साक्ष्य उन्हें दोषी पाये जाने का नहीं मिला और दूसरी जांच मण्डलायुक्त से करायी गई और उसमें भी कोई दोषी नहीं पाया गया । इसलिए कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, यह जो प्रथम सूचना नियम–56 के अन्तर्गत अंकित की गयी थी उसमें सी०ओ० और दूसरे कुछ पुलिस अधिकारियों के नाम अंकित थे । यह किस अधिकारी द्वारा जांच करायी गयी ? एफ०आई० कायम हुई और जिसमें 302 का मुकदमा कायम हुआ ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, नियम–56 के अन्तर्गत सूचना आई थी, इसमें केवल स्थानीय पुलिस अधिकारी की बात नहीं थी । मैंने मण्डल स्तर के अधिकारी से भी जांच करा ली है । यह स्थानीय अधिकारी की बात नहीं है, मण्डलायुक्त बहुत बड़े वरिष्ठ अधिकारी हैं । जब मण्डलायुक्त की जांच में भी कोई साक्ष्य नहीं मिला तो कोई कार्यवाही की बात नहीं रह जाती है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय राम नरेश यादव जी की सूचना थी । माननीय संसदीय कार्य मंत्री को औचित्य पर सुना और यह सूचना औचित्य के प्रश्न के रूप में अस्वीकार की जाती है ।

तीन सूचनाएं और नियम–300 के अन्तर्गत प्राप्त हुई हैं । पहली सूचना श्री राम ललित चौधरी की है, दूसरी सूचना श्री प्रमोद कुमार जी की है और तीसरी श्री राम औतार शाक्य की है । ये नियम–300 के अन्तर्गत नहीं आती हैं । इसलिए अस्वीकार की जाती हैं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब यह सूचना अस्वीकार हो चुकी है तो ....

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, आपके निर्णय पर व्यवस्था तो कोई हो ही नहीं सकती । मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । आपका व्यवस्था का प्रश्न आपकी सूचना से संबंधित नहीं होना चाहिये । इस सूचना से संबंधित प्रश्न न उठायें, कोई और बात कहिये ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, इस सदन में हम वार्षिक बजट प्रस्तुत करते हैं एक वर्ष के लिये और वह होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। यह परम्परा देखने में आ रही है कि 31 मार्च तक बजट की राशि खर्च नहीं होती है और आखिरी सप्ताह में लगभग 80 प्रतिशत धनराशि खर्च कर दी जाती है या फिर पी०एल०ए० में डाली जाती है। आप इस पर व्यवस्था दे दें कि क्या यह परम्परा उचित है ?

श्री अधिष्ठाता–

मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं। मैंने स्पष्ट कर दिया था कि व्यवस्था का प्रश्न उसी विषय पर न उठायें।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह धनराशि 31 मार्च तक खर्च होनी चाहिये या नहीं, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

मैं शासन की ओर से उत्तर देने का निर्देश देना वांछित नहीं समझता। मैंने पहले ही कहा था कि व्यवस्था का प्रश्न इसी विषय पर न उठायें।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, यह जो प्रक्रिया के संबंध में निर्देश हैं उसके पृष्ठ संख्या 5 पर अध्याय 3 में आर्टिकिल–14 है। इसमें लिखा है कि "इस अध्याय के अधीन सदन के संज्ञान में लायी गयी सूचनाओं का अन्तिम उत्तर मंत्री के हस्ताक्षर से एक माह के भीतर संबंधित सदस्य को भेजा जायेगा।" जो नियम 301की सूचनायें हैं उनका उत्तर 1 महीने में भेजा जाना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता–

आपकी सूचना को अस्वीकार कर दिया गया है। इसकी अनुमति नहीं है।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, यह आपके निर्देश हैं। इनके अनुपालन के संबंध में मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। आप निर्देश संसदीय कार्य मंत्री जी को देने का कष्ट करें।

श्री अधिष्ठाता–

आप विराजें। पीठ से समय-समय पर निर्देश दिये जाते हैं और यह अपेक्षा की जाती है कि उनका पालन किया जायेगा। इसमें कोई विशेष निर्देश देने की आवश्यकता नहीं है। मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि नियमावली का पूर्ण रूप से व्यवहारिक पालन होना चाहिये। अब आप संतुष्ट हैं।

आप कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री राम औतार शाक्य–

माइनारिटी में अविश्वास की भावना पैदा हो गयी है। आप भी माइनारिटी के हैं।

श्री अधिष्ठाता–

मैं प्रत्येक नागरिक को देश का नागरिक मानता हूं।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, 3 जनवरी की हमारी सूचना थी मेरठ काण्ड के अभियुक्तों के मुकदमें वापस ले लिये गये। जब आपने हमारे नियम को मान लिया कि यह बात हमारी सही है। मैं आपकी अनुज्ञा से यह भी कहना चाहता हूं कि इसी नियम के अन्तर्गत हमारी सूचना 300 में है। .....

श्री अधिष्ठाता–

मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं। इसको आप वांछित नियम में दीजिए।

श्री राम औतार शाक्य–

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता–

कृपया स्थान ग्रहण करिये। अब आप जो बोल रहे हैं उसका कार्यवाही में उल्लेख नहीं किया जायेगा।

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के समय श्री मुराद लारी द्वारा किये गये अशोभनीय व्यवहार के विरुद्ध डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

माननीय अधिष्ठाता जी, दिनांक 23-3-2000 को महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समय विशेषाधिकार की अवहेलना/सदन के अवमान की एक अशोभनीय घटना हुई थी। मैंने उसी दिन उस घटना को पूरी तरह से लिखते हुए माननीय अध्यक्ष जी के कार्यालय को प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 63 के अन्तर्गत सूचना दी थी। इस सम्बन्ध में आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि नियमावली के नियम 63(1) में अवमान प्रत्यक्ष हुआ है तो माननीय अध्यक्ष की सहमति से सदन स्वयं कार्यवाही करने में सक्षम है। नियमावली के नियम 64 का पालन करते हुए द्वि-प्रतिक सूचना दी। मेरी सूचना नियमावली के नियम 65 की भी पूर्ति करती है और नियमावली के नियम–66 के अन्तर्गत सूचना दी थी उसके अन्तर्गत यह मांग की थी कि उस पर अध्यक्ष जी अनुमति दें और सदन इस पर तत्काल विचार करे। नियमावली के नियम 70(1) में भी यह है कि सदन के समक्ष प्रत्यक्ष अवमान हुआ है तो तत्काल विचार किया जा सकता है। नियम–68 में सदन के समक्ष यदि अवमान हुआ है तो सदन स्वयं तिथि निर्धारित करके उसका निष्पादन करने में सक्षम है। मैंने द्वि-प्रतिक सूचना दी थी कि एक प्रति माननीय सदस्य को दे दी जाय और उनका स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिया जाये फिर तय कर लें कि सदन का अवमान हुआ है या नहीं। अगर अवमान हुआ है तो सदन की प्रतिष्ठा के विपरीत आचरण करने वाले माननीय सदस्य के प्रति सदन क्या निर्णय लेता है ? मान्यवर, मैंने 23-3-2000 को नियम–63 के अन्तर्गत मौखिक और लिखित जो सूचना दी है, उस पर व्यवस्था चाहता हूं और यह भी चाहता हूं कि नियमावली के नियम–68 के अनुसार उस पर विचार किया जाये और सदन उसका निष्पादन करे।

श्री अधिष्ठाता–

जो सूचना माननीय डा० बाजपेयी जी ने दी है। सचिव, विधान सभा को निर्देशित करता हूं कि उसकी सूचना आज ही संबंधित सदस्य को दे दी जाय जिससे वे कल सदन में उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण देना चाहें तो दे सकें, उसके बाद ही इस पर कोई निर्णय लेना सम्भव हो सकेगा।

दिनांक 8-3-99 को डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा अधिसूचित स्वास्थ्य विभाग के अनुदानों से सम्बन्धित बजट साहित्य समय से उपलब्ध न कराये जाने विषयक औचित्य के प्रश्न पर वक्तव्य

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

शासन के विभागों द्वारा बजट साहित्य उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 8-3-99 को डाक्टर लक्ष्मी कान्त बाजपेयी माननीय सदस्य की नियम 300 की सूचना पर माननीय अध्यक्ष ने यह निदेश दिया था कि मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध कर रहा हूं कि इस संबंध में आवश्यक

नोट :–[×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

कार्यवाही करें और आवश्यक कार्यवाही की सूचना इस सदन को दे दें । इसके बाद यदि आवश्यकता होगी तो जो भी इस सम्बन्ध में विभाग के प्रमुख सचिव होंगे उनको यहां उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण देना होगा कि समय पर बजट साहित्य क्यों नहीं उपलब्ध कराया गया ? माननीय अध्यक्ष के इस निदेश के अनुपालन में दिनांक 9-3-99 को ही मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से शासन के समस्त प्रमुख सचिवों/सचिवों को निदेश भेज दिया गया था कि वे अपने विभाग से संबंधित अनुदान मांगों पर चर्चा से न्यूनतम 4 दिन पूर्व कार्यपूर्ति दिग्दर्शक एवं अन्य सुसंगत साहित्य विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित करें ।

मा० सदस्य डा० बाजपेई ने ऊपर उल्लिखित सूचना में विनिर्दिष्ट रूप से स्वास्थ्य विभाग की बजट सामग्री 10 बजे प्रातः काल तक उपलब्ध न होने की बात कही थी । इसके संबंध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने यह अवगत कराया है कि अनुदान सं०–31, 32, 33, 34, 35 एवं 36 से संबंधित बजट साहित्य की 1200 प्रतियां दिनांक 27-2-99 को राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को भेजी गयी थीं किन्तु 28-2-99 को रविवार एवं दिनांक 1 व 2 मार्च को होली का अवकाश पड़ जाने के कारण मुद्रण का कार्य बाधित रहा । काफी प्रयास और परिश्रम के पश्चात् दिनांक 7-3-99 को रविवार के दिन बजट साहित्य और परफारमेन्स बजट छपकर प्राप्त हुआ किन्तु उस दिन विधान सभा सचिवालय के पटल कार्यालय में प्रयास करने के बावजूद उसे लगवाया जाना संभव न हो सका और इस कारण दिनांक 8-3-99 को प्रातः काल बजट साहित्य पटल कार्यालय में उपलब्ध करा दिया गया । इस तरह इस मामले में जो भी विलम्ब हुआ वह परिस्थितिजन्य था और इसके लिए कोई दोषी प्रतीत नहीं होता है ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के वक्तव्य के संबंध में अगर आप अनुमति दें तो कुछ जानकारी चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं समझता हूं कि इस बारे में पर्याप्त बात आ गई ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, रविवार था, होली का अवकाश था तो यह बातें तो पहले से ही मालूम थीं । यह भी निर्धारित था कि बजट को किस दिन लिया जायेगा उसके लिए समय से तैयारी क्यों नहीं हुई । कम से कम इस बात के लिए अधिकारियों को खेद तो प्रकट करना चाहिए था । इस संबंध में आप निर्देश दें कि कम से कम भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो ।

* श्री लालजी वर्मा–

मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है और यह बताया कि रविवार का दिन था, होली का अवकाश जो था तो यह बातें तो पहले से ही मालूम थीं इस बात को तो ध्यान में रखना चाहिए था । छुट्टी के पहले ही विधान सभा सचिवालय को साहित्य उपलब्ध करवा दिया जाता । अगर अचानक कोई घटना घटित हो जाती, तो हम मान लेते । निश्चित रूप से इसके लिए विभाग दोषी है, उसको इस बात के लिए दण्डित किया जाना चाहिए । कम से कम खेद तो प्रकट करना चाहिए था । विभाग दोषी तो है ।

श्री हुकुम सिंह–

शायद आपने वक्तव्य को देखा नहीं । इसमें लिखा है मुख्य सचिव ने चार दिन पूर्व कार्यपूर्ति दिग्दर्शक एवं अन्य सुसंगत साहित्य विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित करें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

सदन की सुप्रीमेसी बनी रहनी चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य की सूचना पर ही शासन ने निर्देश दिए हैं । मैं समझता हूं कि यह पर्याप्त हो गया । मैं अब मद संख्या–7 ले रहा हूं ।

श्री लालजी वर्मा–

यह तो वक्तव्य से स्पष्ट है कि अधिकारी दोषी हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

अपरिहार्य कारण थे ।

श्री लाल जी वर्मा–

लगता है आपने वक्तव्य को पढ़ा नहीं ।

नियम–311 की नियम–56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 3-4-2000 को नियम–311 में प्राप्त 3 सूचनाओं को नियम–56 में परिवर्तित कर दिया गया है । इस प्रकार नियम–56 के अन्तर्गत कुल 10 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गयी । प्रथम पांच सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा । शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है ।

पहली सूचना है नेता प्रतिपक्ष (श्री धनीराम वर्मा) अनुपस्थित ।

कुंवर रेवती रमण सिंह जी की दूसरी सूचना है ।

*कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैंने जो सूचना दी है वह अत्यन्त लोकमहत्व और तात्कालिक व पूरे प्रदेश से सम्बन्धित है, जिस तरह यह सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, मेरी सूचना से परिलक्षित होता है कि सरकार को कोई अतापता नहीं है । बजट 31 मार्च तक पास हो जाना चाहिए । बजट सत्र तीन बार बढ़ाया गया और वोट एन एकाउण्ट लेकर प्रश्न सत्र मई में खत्म होगा । सबसे बड़ी बिडम्बना की बात है जिला योजना । पूरे प्रदेश के किसी जिले में जिला योजना नहीं बनी है । इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है । सरकार को यह पता नहीं है कि जिला योजना बनी ही नहीं । आप देखेंगे कि यह संविधान के अनुच्छेद 243-य-घ के अनुसरण विधेयन कार्य घोषणा की गयी थी । इस प्रकार गठित जिला योजना की अध्यक्षता प्रभारी मंत्री करेगा । जिसमें 80 फीसदी लोग जिला पंचायत से चुनकर आयेंगे । लेकिन इस सरकार ने आज तक जिला योजना समिति का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं किया और उसकी वजह से विषमता हो गई है । उनका फरवरी तक प्रस्ताव प्राप्त करना था, तत्पश्चात् सरकार अपनी स्वीकृति देती और बजट के बाद यह योजना पूरे प्रदेश के समस्त जिलों में लागू होती । इस सरकार को प्रदेश के विकास से कोई लेना-देना नहीं है । पंचायतों का चुनाव अप्रैल में होना था यह अक्टूबर तक के लिये टाल दिया गया । यह सरकार कब प्रस्ताव बनायेगी, कब प्राप्त करेगी, कब भेजेगी और कब उसे स्वीकृत करेगी । इससे बड़ी विषमता और विडम्बना की बात और क्या हो सकती है । इससे कोई एक जिला नहीं बल्कि प्रदेश के समस्त 82 जिले प्रभावित हो रहे हैं । मैं मांग करता हूं कि सभी कार्य रोक कर आज इस विषय पर सदन में चर्चा कराने की कृपा करें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, मैं कुंवर साहब की बात को बल देते हुए यह कहना चाहता हूं कि हमारा लक्ष्य है नियोजित विकास । इसके क्रम में पंचवर्षीय योजनायें बनती रही हैं और सत्ता के विकेन्द्रीकरण के अन्तर्गत यह भी निश्चय किया गया है कि लक्ष्य ऊपर से निर्धारित है प्राथमिकताएं नीचे से निर्धारित हों। नियोजन और लोकतंत्र को नीचे तक पहुंचाने के लिये जनपद स्तरीय योजनायें बनायें वह प्रदेश स्तर पर स्वीकृत होकर पंचायत स्तर तक नियोजित विकास हो सके । इसके लिये पहले जिला योजना और अनुश्रवण समिति होती थी । 1999 में जिला योजना समिति विधेयक पारित करके अधिनियम बनाया गया है और संविधान की धारा 243-य-घ जिसका अभी रेवती रमण जी ने जिक्र किया, के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गयी है कि सन् 2000-2001 की योजनायें भी इस अधिनियम के आधार पर गठित जिला योजना समिति के माध्यम से बनेगी ।

केवल ग्रामीण ही नहीं बल्कि शहरी क्षेत्रों की योजनायें भी इसी अधिनियम के अन्तर्गत बनेंगी । स्थानीय निकायों के 4/5 प्रतिशत सदस्य निर्वाचित किये जायेंगे । स्थानीय निकायों से शेष का मनोनयन राज्य सरकार से होगा । जिसमें विधायकों, सांसदों को विशेष स्थायी आमंत्री रखा गया । जिसमें विधायकों को यह अधिकार दिया गया था चाहे विधान परिषद् के सदस्य हों या विधान सभा के सदस्य हों लेकिन मतदान का अधिकार होगा, यह उसमें व्यवस्था की गयी थी । उचित यह है कि फरवरी तक बजट के पूर्व योजनाएं बन जायं उसके बाद जिस तरह केन्द्रीय योजना का स्वरूप देश के सामने आता है उसी पद्धति के अनुसार पहले जिले में योजनाएं तैयार हो जाएं और फिर प्रदेश की योजनायें बनें । इस वर्ष 2000-2001 की जो योजनाएं बनेंगी नयी जिला योजना समिति जिसका अधिनियम 1999 में पारित किया गया था उसके आधार पर योजनाएं बनाने की बात थी इसके लिये व्यवस्था थी कि 80 प्रतिशत जिला निकायों के सदस्य आयेंगे, राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव करायेंगे लेकिन इस बीच पंचायतों के चुनाव स्थगित हो गये और आज भ्रम की स्थिति है कि पंचायतों के 80 प्रतिशत सदस्य कैसे चुने जायेंगे । इसलिए किसी जिले में भी योजनाएं नहीं बन सकी हैं । 12 मई तक प्रदेश का बजट पास हो जायेगा । मान्यवर, बजट पास हो जायेगा लेकिन जिले में योजना है नहीं तो किस आधार पर काम होगा । इसलिए मैं कहना चाहता हूं यह अविलम्बनीय लोकमहत्व का प्रश्न है जो पूरे प्रदेश से सम्बन्धित है, इसलिए आप इस पर चर्चा करायें ।

*श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस लोकमहत्व के प्रश्न पर मैं आपका और सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि बजट का प्राविधान क्या है ? जो बजट बन गया है उसका आधार क्या है ? मान्यवर, गत वर्ष एक अधिनियम भी बनाया गया, नियम भी बना और जिला स्तरीय योजना समिति का गठन भी हो गया । मान्यवर, नियम है कि पहले जिला स्तर पर बैठक होगी जिससे जिले को मालूम हो जाय कि कितनी राशि है और उसके अनुसार संस्तुतियां अपने प्रदेश को भेजेंगे और प्रदेश स्तर पर उन्हीं संस्तुतियों के अनुसार बजट प्रस्तुत होगा । मान्यवर, यह सरकार अस्थाई है और उसकी नीतियां भी अस्थाई हैं । आप देखें कि प्रदेश का बजट आ गया लेकिन जिलों में बैठकें नहीं हुई , तो मैं पूछना चाहता हूं कि किस आधार पर वह बजट संस्तुत हुआ ? इसलिए यह अनियमित ही नहीं बल्कि एक तरह का अपराध है कि आप पूरे प्रदेश का बजट प्रस्तुत कर रहे हैं, चर्चा करा रहे हैं, लेकिन जिसमें विधायकों की भागीदारी, स्थानीय निकायों की भागीदारी थी, उनकी संस्तुतियों का इसमें महत्व की नहीं है । सरकार ने कानून बनाया था लेकिन वह उसको स्वयं तोड़ रही है । वर्ष 2000-2001 का बजट जो आ रहा है वह पूरी तरह से अनियमित है, इसलिए इसका महत्व नहीं रह जायेगा । जवाब कुछ भी आ

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जाये । मैं आपके माध्यम से प्रश्न उठाता हूं कि जब जिला योजना समिति की बैठकें ही नहीं हुई तो प्रदेश का यह बजट किस चीज पर आधारित है । यदि यह बजट रखा जा रहा है तो इसमें जिलों के हितों का ध्यान नहीं रखा गया है । जिला योजना में पंचायत के सदस्य होते हैं और स्थानीय निकाय के सदस्य होते हैं तो उनके विचार कहां से आ पायेंगे । शासन इस मामले में बिल्कुल असफल रहा और उसकी कोई प्राथमिकता ही नहीं है । यह कोई परम्परा नहीं है, ऐक्ट है । यह एक अत्यन्त गम्भीर प्रश्न है । आप अपने दृष्टिकोण से देख लें और जो बजट पारित होने वाला है, इसे आप रोक दें । पहले जिला स्तर समिति की बैठकें करवा लें और उनकी जो अनुशंसा हो, उसके अनुसार बजट हो । इसलिये आप नियमों को शिथिल करते हुए सदन की शेष कार्यवाही को रोक कर इस पर चर्चा करा लें ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

श्रीमन्, यह विषय लोकमहत्व का है, अविलम्बनीय है और तात्कालिक भी है । अविलम्बनीय और तात्कालिक इसलिये है कि प्रदेश के हर जिले में जिला योजना समितियों की बैठकें इस वर्ष के फरवरी माह में हो जानी चाहिये थी और प्रत्येक जिले से योजनाओं का आकार तथा स्वरूप प्रदेश शासन को बजट से पूर्व ही आ जाना चाहिये था परन्तु ऐसा नहीं हुआ । विगत दिनों संविधान के अनुच्छेद–243 य–घ के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अधिनियम बनाया जिसमें यह प्राविधान है कि सत्ता के विकेन्द्रीकरण के अन्तर्गत प्रदेश का नियोजित विकास हो उसके लिए प्रत्येक जिलों ने जिला योजना समितियों का गठन किया जायेगा जिसमें 80 प्रतिशत स्थानीय निकाय के निर्वाचित सदस्य होंगे । उत्तर प्रदेश सरकार ने आज जो बजट इस सम्मानित सदन में प्रस्तुत किया है वह 12 मई, 2000 को पास हो जायेगा जबकि किसी भी जिले में जिला योजना समितियों का गठन तक नहीं किया गया और न ही जिलों से सेवा योजनाएं ही बन कर आ पाई । जब जिला योजना समिति की बैठक ही नहीं हुई और न योजनाओं के प्रस्ताव ही आये तो यह सरकार प्रदेश का कैसे नियोजित तरीके से विकास करने जा रही है इसलिये 2000–2001 का जो बजट सदन में प्रस्तुत किया गया है वह पूर्णतः अनियमित है । पहले जिला योजना समिति की बैठकें हो जानी चाहिये और जिला योजना समिति से अनुमोदित योजनाएं प्रदेश के बजट के पहले शासन को मिल जाने चाहिये । सत्ता के विकेन्द्रीकरण के लिये जो विधायन और अधिनियम बनाया गया है उसका अनुपालन यह सरकार नहीं कर रही है । इसलिये यह विषय तात्कालिक तथा अविलम्बनीय है । इसलिये इस पर सदन के संगत नियमों को निलम्बित कर चर्चा करायी जाय ।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय अधिष्ठाता जी, दो भागों में मैं अपनी बात कहना चाहता हूं । जिला योजना समितियों के गठन में विलम्ब क्यों हुआ, संक्षेप में अमरीष जी ने अपनी बात कह दी । स्थिति ऐसी बनी थी कि पंचायत के चुनाव होने थे और उसका समय आ रहा था । इस पर शासन स्तर पर विचार किया गया कि जो वर्तमान माध्यम से गठन कर दिया जायेगा जो आगे चुनाव होंगे, उनके माध्यम से करा दिया जायेगा । कार्यकाल लगभग समाप्त होने की स्थिति में था, जिसकी वजह से समितियों का गठन नहीं हो पाया । निर्णय लिया गया कि चुनाव कराना सम्भव नहीं हो पा रहा है और वैकल्पिक व्यवस्था करायी जा रही है, जिला योजना समिति का गठन नहीं किया गया । मान्यवर, यह 311 या 56 के अन्तर्गत नहीं आता है । इसके बारे में, मैं कहना चाहता हूं कि बड़े विस्तार से बजट भाषण पर सामान्य चर्चा में भी इसको आना है और सारे विभाग के अनुदानों पर भी जो चर्चा होती है उसमें भी योजना विभाग पर चर्चा होगी जिसके लिये पर्याप्त अवसर मिलेगा । इसलिये नियम–56 या नियम–311 के अन्तर्गत लाने का कोई औचित्य नहीं है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, जब कोई सवाल किया जाता है तो अपेक्षा होती है कि उसका सही उत्तर आयेगा यहां पर जो सवाल किया गया और माननीय मंत्री जी की तरफ से जो अव्यवस्थित सा उत्तर आया है । बजट से संबंधित मामला है इसलिये हम लोगों ने उठाया है और माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि इस पर पर्याप्त चर्चा हो जायेगी । जब पुरानी जिला योजना समिति की संस्तुतियां यहां आई ही नहीं तो कैसे यह बजट 12 मई के बाद पूरे जिलों में वितरण होगा और उसका क्या कार्य स्वरूप होगा और कब लागू होगा । इस पर माननीय मंत्री जी ने कोई प्रकाश नहीं डाला । यह कह दिया कि यह अक्टूबर में चुनाव करवायेंगे जब चुनाव हो जायेंगे तब नवम्बर में प्रस्ताव आयेगा दिसम्बर में जाकर यहां से स्वीकृति जायेगी । मार्च तक यह कैसे बजट खर्च होगा आपसे मैं कृपापूर्वक चाहूंगा कि कृपया स्पष्ट निर्देश सरकार को देने की कृपा करें कि तब तक पुरानी जिला योजना समिति से ही करवा लें ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

(श्री अधिष्ठाता द्वारा माननीय अम्बरीष जी को बोलने के लिये बुलाने पर)

श्री प्रमोद कुमार–

इसके बाद मान्यवर, मुझे सुन लीजियेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है ।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, जो अधिनियम पारित किया था इस सदन ने अगर उसी के अनुरूप कार्य नहीं करा सकते हैं तो जो पूर्व की जिला योजना समिति बनी है उससे ही काम करायें समस्त जिले के जो प्रभारी मंत्री हैं या पुरानी जिला योजना अनुश्रवण समिति है उनके द्वारा कार्य कराया जा सकता है । इस तरह के निर्देश दें ताकि काम हो जो विकास की प्रक्रिया रुकी है वह रुकने न पाये ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी की बात से स्पष्ट हो गया कि हमारी जो शंका थी उस पर सरकार ने मुहर लगा दी । यह जो बजट प्रस्तुत हुआ है बिना जिला योजना समिति की संस्तुतियों के किया गया है। सरकार की तरफ से जो उत्तर आया है उससे हमारी शंका सही साबित हुई । बिना जिला योजना समितियों के गठित किये हुए ही बजट प्रस्तुत हो गया । ऐसे में सरकार के सामने दो ही विकल्प रह जाते हैं कि या तो यह समितियों की बैठक बुलाये बिना बजट पास कर दें । या फिर इस सदन को एक हफ्ते के लिये, 10 दिन के लिये या फिर तीन दिन के ही लिये स्थगित कर दें और इस बीच में इत्तेफाक से 5 दिन सदन स्थगित भी है । 1/2 दिन और जोड़ लें । इस बीच में पूरे प्रदेश में जिला योजना समिति को गठित कर लें और उसमें पारित करा लें । पारित होने के बाद संशोधित बजट प्रदेश में नहीं आता तो इस बजट का कोई औचित्य नहीं रह जायेगा । एक सुझाव मैं और सरकार को देना चाहता हूं । मैं नहीं चाहता कि सरकार कोई मुसीबत में पड़े । अधिनियम के हिसाब से नई कमेटियों का गठन नहीं कर रहे हैं तो क्या पुरानी कमेटियां तो मौजूद हैं उन्हीं के माध्यम से करा लीजिये । (व्यवधान) मैं बिल्कुल स्पष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि सरकार की इस स्वीकारोक्ति के बाद कि 2000–2001 का वार्षिक बजट आया है वह जिला योजना समितियों के बिना अनुमोदन के, बिना संस्तुतियों के आया है इससे आप इस नये अधिनियम का उल्लघंन कर रहे हैं । मैं आपसे फिर जोर देकर कहना चाहता हूं कि बीच में एक हफ्ते, 10 दिन का इन्टरवल करके जिला योजना समितियों की संस्तुति ले लें ।

(इस समय 1 बजकर 20 मिनट पर अधिष्ठाता श्री हरबंश कपूर पीठासीन हुए)

और उसके अनुसार पुनः वित्त मंत्री जी उनकी संस्तुतियों को समाहित करते हुए एक संशोधित बजट प्रस्तुत करें अगर यह जिले की आकांक्षाओं के अनुरूप बजट प्रस्तुत नहीं करते हैं तो इस प्रदेश का वार्षिक बजट जनहित के खिलाफ होगा नियमों तथा संविधान के खिलाफ होगा, यह सरकार दोषी होगी अपने कानून का खुद पालन न करने के लिए ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, मा० संसदीय कार्य मंत्री जी ने अपना जवाब घुमा-फिराकर दे दिया । मैं कहना चाहता हूं कि जनपदों का बजट वहां की जिला योजना समितियों के द्वारा अनुमोदित ही नहीं हुआ तो प्रदेश की सरकार ने इस आदरणीय सदन में बजट कैसे प्रस्तुत कर दिया । मान्यवर, मैं दो बातें स्पष्ट कर देना चाहता हूं पहली तो यह कि जब तक जिलों से योजना अनुमोदित कराके न मंगा लें तब तक इनके द्वारा जो प्रस्तुत किया गया बजट है उसको रोक दिया जाए । दूसरी बात इस आदरणीय सदन में उत्तर प्रदेश की सरकार या तो यह स्पष्ट कर दे कि सत्ता के विकेन्द्रियकरण के सम्बन्ध में जो पंचायत राज अधिनियम बना है उसके प्राविधानों के मुताबिक जिलों में जिला योजना समितियों के गठन में यदि दिक्कतें आ रही हैं तो इस अधिनियम के पूर्व की व्यवस्था के अनुसार वह जिलों से सेवा योजनाएं तय कराकर अपना संशोधित बजट प्रस्तुत करेगी प्रदेश सरकार जिलों से योजनाओं का स्वरूप तय कराकर मंगा लें, इस सम्बन्ध में स्पष्ट घोषणा सरकार की ओर से सदन में होनी चाहिए । इस समय गंभीर संवैधानिक संकट उत्तर प्रदेश में पैदा हो गया है । सरकार द्वारा वर्ष 2000-2001 का बजट अनियमित ढंग से लाया गया है जिलों से स्वीकृत योजनाएं नहीं आई हैं । 12 मई को प्रदेश का बजट पारित हो जाने के बाद जब जिलो के लिए धन अवमुक्त होगा तब वह किस मद पर खर्च होगा ? जिला योजना समितियों से तो योजनाएं स्वीकृत करायी ही नहीं गयी हैं ।

श्री गौरीशंकर एडवोकेट–

मान्यवर, एक मिनट मुझे भी सुन लें ।

श्री अधिष्ठाता–

जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें थीं उनके विचार आ गए हैं ।

* श्री गौरीशंकर एडवोकेट–

मान्यवर, यह विषय स्वयं अपने आप में कितना गंभीर है इस पर आप सहमत होंगे । पूरा सदन अवगत है कि बजट का जो रिएप्रोप्रियेशन होता था वह नहीं हो पा रहा है । रिएप्रोप्रिएशन का आशय होता है जिन मदों पर जिला योजना में पैसा देते हैं उसका उपयोग दिसम्बर जनवरी तक नहीं कर पाते हैं तो उसको दूसरे विभाग को रिएप्रोप्रिएट करते हैं इसलिए मैंने कहा कि विषय बहुत गंभीर है । संसदीय कार्य मंत्री को तो इसका विरोध करना है जिला समितियां जो पहले थीं उनको या तो पुनर्जीवित कर दें और इस काम को सम्पादित करा लें और जो बजट आपने दिया है इसको उसी अनुसार किया जाए तब एक सही बजट पेश किया जा सकता है । मंत्री जी अगर इसमें संकोच करते हैं तो अधिष्ठाता महोदय आपको पूरा अधिकार है कि आप अपनी व्यवस्था दे दें कि जो जिला समितियां पुरानी हैं उनको पुनर्जीवित किया जाए । उनके द्वारा पूरे बजट पर विचार करने के बाद इसे हाउस में प्रस्तुत किया जाय । मेरा अनुरोध है आप इस अपील को स्वीकार कर अपनी पीठ से निर्देश देने का कष्ट करें ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, इस पर चर्चा हो चुकी है सदन का समय कोई नष्ट नहीं करना चाहता है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं । जो परम्परा थीं और नियम भी हैं,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

संवैधानिक व्यवस्था है तो ऐसा क्यों नहीं किया गया । जिला योजना में प्रस्ताव क्यों नहीं लिया गया, बैठक क्यों नहीं बुलायी गयी, वहां से क्यों नहीं जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव लिये गये जब यह जवाब दें तो इनको स्पष्ट कर दें ।

* नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

अधिष्ठाता महोदय, इस लोक महत्व के अति गंभीर विषय पर हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं मैं उनसे अपने को जोड़ता हूं और यह कहना चाहता हूं कि अगर यह सरकार जिला योजना को अभी तक मूर्त रूप नहीं दे सकी है तो निश्चित ही कुछ न कुछ कारण हैं और ऐसा कारण प्रतीत होता है कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों, जिनके द्वारा जिला समिति गठित है, उनके विचारों के अनुसार कार्य नहीं कराना चाहती है और इनकी मंशा यह है कि अपनी तरफ से कुछ लोगों को नामिनेट कर दें, जो उनकी पार्टी के हों और मनमाने ढंग से जिला योजना को तैयार करवा लें तो यह प्रजातंत्र के लिए घातक है और अवमूल्यन करने वाला इनका दृष्टिकोण है । श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि प्रजातंत्र के जो मूल्य हैं वह पूर्ववत बने रहें । अगर प्रजातंत्र के मूल्यों का अवमूल्यन हुआ तो निश्चित रूप से राजनीति में रहने वाले लोगों पर भी, उनके आचरण में लोग उंगली उठाने लगेंगे और इससे लोगों में रोष भी होगा । मैं चाहता हूं कि यह सरकार पुरानी जिला योजना समिति जो बनी है और इस पर हमारे माननीय सदस्यों ने जोर भी दिया है उससे अतिशीघ्र जिला योजना को अन्तिम रूप दिलवा दें जिससे बजट पास हो । श्रीमन्, अगर यही रहा तो पता नहीं कब यह अन्तिम रूप देगी और कब काम शुरू होगा । इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह प्रदेश के सारे विकास कार्यों को ठप्प करना चाहते हैं और ऐसा इसलिए करना चाहते हैं कि इनके पास प्रदेश के विकास के लिए पैसा नहीं रह गया है । अगर इनके पास पैसा होता तो निश्चित तरीके से जिला योजना को कार्य रूप में परिणित करते और बजट को अन्तिम रूप दिया जाता । अन्त में मैं इस प्रस्ताव पर बल देते हुए पुरानी जिला समिति जो बनी है उससे अतिशीघ्र जिला योजना को अन्तिम रूप दिया जाय यह कहना चाहता हूं जिससे आगामी वर्ष में अप्रैल के महीने से काम शुरू होने लगे और जो प्रदेश का विकास रुका हुआ है उसमें गति प्राप्त हो ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, इस संबंध में कई महत्वपूर्ण सुझाव आये हैं । मैं अपना पक्ष इससे पूर्व भी रख चुका हूं । मेरा आग्रह है कि सुझावों को दृष्टिगत रखते हुए सरकार इसमें वक्तव्य देना चाहेगी । परसों इसमें हम वक्तव्य दे देंगे ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, परसों संभवतः छुट्टी है ।

श्री हुकुम सिंह–

नेक्सट वर्किंग डे हो जायेगा । हो सकता है कि हम कल भी दे दें ।

श्री अधिष्ठाता–

अगली सूचना श्री रामनरेश यादव की जनपद आजमगढ़ में ओला वृष्टि से किसानों की फसलों को हुई क्षति के संबंध में है । यह सूचना अस्वीकृत है ।

*श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, हमारे यहां कई विकास खण्डों में बहुत ही ओला पड़ा उस ओले से सारी रबी की फसल गेहूं, मटर, सरसों की जितनी भी फसलें हुई सारी की सारी नष्ट हो गयी हैं साग-सब्जी पैदा ही नहीं हुई किसी के घर में एक दाना अन्न का नहीं बचा है मैंने तमाम गांवों का दौरा किया जो स्थिति है वह वर्णन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नहीं की जा सकती मैं चाहूंगा कि सरकार जांच कराये और सर्वे कराने के बाद जो किसान बुरी तरह से पीड़ित हैं जिनकी सारी फसल चली गयी हैं उनकी क्षतिपूर्ति कराई जाये और इस समय जो वसूली हो रही है तत्काल उस वसूली को रोक दिया जाय जितने समस्त देय हैं सरकार सर्वे कराने के बाद उनकी वसूली को समाप्त करे । मैं चाहूंगा कि इस गंभीर प्रश्न पर चर्चा कराई जाय, मवेशियों की अलग समस्या पैदा हो रही है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जानकारी प्राप्त कर रहे हैं जिले से जानकारी प्राप्त करने के बाद जो भी आवश्यक कार्यवाही होगी की जायेगी । इसमें सूचना जल्दी ही आ जायेगी ।

श्री अधिष्ठाता–

जल्दी से जल्दी जांच करवाकर सूचना दे दें । यह अस्वीकृत हुई । अगली सूचना श्री लालजी वर्मा की पावरलूम बुनकरों को विद्युत मूल्य बढ़ाये जाने से हो रही कठिनाइयों के संबंध में है ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, छोटे-छोटे पावरलूम के माध्यम से प्रदेश के ही नहीं बल्कि अन्य प्रान्तों में भी बुनकर अपने कपड़े का उत्पादन करके बेचने का काम करते हैं । टांडा, अम्बेडकर नगर, जलालपुर, मऊ और मेंहदावल, मगहर, मेरठ आदि जगहों पर पावरलूम बुनकर पर्याप्त मात्रा में है जिसमें लाखों-लाखों बुनकर कार्य कर रहे हैं लगभग 15-20 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है यह उद्योग बिजली के दाम बढ़ा दिये जाने के कारण संकट में आ गया है ।

मान्यवर, इस कारण से आज उत्तर प्रदेश के बुनकरों के जीविकोपार्जन का यह पावरलूम उद्योग बन्द हो रहा है । वे महाराष्ट्र के भिबन्डी के लिए भागने पर विवश हो रहे हैं ।

(समय 1 बजकर 35 मिनट)

मान्यवर, महाराष्ट्र सरकार ने इस बात को ध्यान में रखते हुए पावरलूम के लिए एक निश्चित पैसा निर्धारित किया है यह है प्रति हार्स पावर 160 रु० लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार उसको बढ़ाकर सवा दो सौ रुपये मिनिमम और फिक्स कोई नहीं है, अधिकतम चाहें जो हो जाय । मान्यवर, पावरलूम उद्योग जिसमें 15-20 लाख से ज्यादा बुनकर लगे हैं, यह पूरी तरह से ठप होने की कगार पर आ गया है । बुनकरों में भुखमरी की स्थिति है और वह आक्रोशित हैं, आन्दोलन भी चला रहे हैं । इस विद्युत विभाग द्वारा मनमानी भी की जा रही है ग्रामीण क्षेत्र के बुनकरों को मैं उदाहरण देना चाहता हूं अम्बेदकर नगर, आजमगढ़ में दूसरा पैसा लिया जा रहा है । अम्बेदकर नगर के ग्रामीण क्षेत्रों को दूसरी श्रेणी में रखा गया है श्रेणी 6-1 के अनुसार, श्रेणी 6-0 के अनुसार अधिकतम पैसा मनमाने ढंग से वसूल किया जा रहा है ।

मैंने एक आजमगढ़ के बुनकर का बिल देखा और अम्बेदकर नगर के बुनकर का बिल देखा दोनों में असमानता है जो टाण्डा का बुनकर है, जो फूलपुर का बुनकर है और जो ग्रामीण क्षेत्र का भी बुनकर है उससे 225 रु० मिनिमम चार्ज वसूला जा रहा है और दूसरी ओर कहीं-कहीं 150 रुपया लिया जा रहा है । इससे असमानता है, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अविलम्बनीय है और पूरे अम्बेदकर नगर के बुनकरों से जुड़ा हुआ है । वहां कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है, पूरे प्रदेश का बुनकर आक्रोशित है इसलिए महाराष्ट्र में जो बिजली का मूल्य किया गया है वहां पर 160 रूपया प्रति हार्स पावर निर्धारित किया गया है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस पर चर्चा हो सके, बातचीत हो सके और एक निश्चित मात्रा में यह निर्धारित कर लिया जाय जिससे जो सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है इससे लाखों लोगों को रोजी-रोटी मिली हुई है । टाण्डा का टेरीकाट आज पूरे प्रदेश में बिकता है इस सबको देखते हुए महाराष्ट्र की भांति यहां भी बिजली का मूल्य नियंत्रित करें । यह अविलम्बनीय प्रश्न है । लोक महत्व का प्रश्न है लाखों लोगों से संबंधित है इसलिए इस पर चर्चा हो जिससे कि उनको बिजली की

नियमित आपूर्ति हो सके और उनसे महाराष्ट्र की भांति बिजली का मूल्य लिया जा सके । मान्यवर, कार्य-स्थगन के रूप में इसको ग्राह्य करके इस पर चर्चा कराने की कृपा करें ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह समस्त प्रकरण पर विचार करने के उपरान्त ही दरें तय की गयी हैं । अभी आपको जानकारी होगी कि विद्युत सुधार अधिनियम 1999 जो पारित किया गया है उसमें एक नियामक का गठन किया गया है और उसको यह अधिकार दिया गया है कि विभिन्न वर्गों में जो आपूर्ति है उनकी स्थिति को देखते हुए, विद्युत के व्यय को देखते हुए सारे प्रकरण पर विचार करके इसकी दरें तय करें अब तो नियामक का गठन हो गया अगर पुनरीक्षण की आवश्यकता होगी तो वह हो जायेगा ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, सरकार उसको अलग श्रेणी में रखने पर तैयार नहीं होगी तब तक नियामक आयोग से क्या होगा ?

श्री अधिष्ठाता–

आपकी बात आ चुकी है आप बैठें ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, उस समय महाराष्ट्र में आपकी ही सरकार थी और उन्होंने 160 रुपया तय कर दिया । उसी तरह से क्या आज भी यहां उसका अनुसरण करेंगे ? मान्यवर, यह कार्य-स्थगन के रूप में ग्राह्य होने योग्य है इसलिए इस पर चर्चा करा दें ।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री से यह अपेक्षा करूंगा कि बुनकर की स्थिति सारे प्रदेश में बड़ी दयनीय है, आज स्थिति यह आ गई है कि वह भुखमरी की कगार पर हैं । आर्थिक तंगी के कारण जो विद्युत बिल नहीं जमा कर पाये हैं,उनकी आर०सी० कट रही है और वह जेलों में बन्द हो रहे हैं । मैं यह चाहता हूं कि उनको जेल जाने से रुकवाया जाय और जो विद्युत बिल नहीं जमा कर पाये हैं, उनको आगे के लिये मोहलत दिलवाई जाय । बुनकरों का योगदान पूरे समाज के लिये है, वह लोग बहुत सी बेरोजगारी को दूर करते हैं, उनके योगदान को देखते हुए, उनकी सहायता के लिये संसदीय कार्य मंत्री जी उनके उत्पीड़न को रोकने हेतु सदन में घोषणा करें ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, उनकी आर्थिक, सामाजिक और व्यवसायिक स्थिति को देखते हुये उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली दरें तय की थीं । अब नियामक बना दिया गया है, जिस पर आपने कहा कि सरकार छूट देगी नहीं देगी, सहायता करेंगे, नहीं करेंगे । यह विशेषज्ञों का नियामक है और पूरी तरह से इसमें विचार होकर संस्तुति आयेगी तो विचार हो जायेगा ।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, आज उत्पीड़न हो रहा है और यह सरकार गरीब, कमजोर वर्ग के आदमी को राहत देने के लिये तैयार नहीं है और उनके शोषण पर उतारू है । इनकी इस नीति के खिलाफ मैं और मेरा दल सदन का बहिर्गमन करता है ।

(श्री धनीराम वर्मा ने अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया)

श्री अधिष्ठाता–

इस सूचना पर माननीय सदस्य तथा संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् अग्राह्य पाते हुये निरस्त करता हूं। अगली सूचना श्री मुन्ना चौहान की, उत्तर प्रदेश में राजकीय नलकूपों के संचालन में हो रही कठिनाई के संबंध में है।

श्री मुन्ना चौहान–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन के संज्ञान में लाने हेतु एक महत्वपूर्ण विषय उठाने जा रहा हूं। श्रीमन् इस सदन के अन्दर कई बार चर्चा हुई है कि जब से नलकूपों का संचालन त्रिस्तरीय व्यवस्था के तहत पंचायतों को सौंपा गया है, तब से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में नलकूपों का संचालन लड़खड़ा गया है और उसमें बाधा उत्पन्न हुई है। आज स्थिति यह है कि अधिकांश नलकूप या तो बन्द होने की कगार पर हैं या बन्द हो चुके हैं। श्रीमन् इस विषय पर कई बार अलग-अलग सुसंगत नियमों के अन्तर्गत सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया और सरकार की तरफ से कई मर्तवा यह कहा गया कि इस व्यवस्था में वास्तव में परेशानियां सामने आ रही हैं। मान्यवर, नलकूप संचालन का विषय ऐसा नहीं है जो किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित हो। यह सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के किसानों से जुड़ा विषय है और नलकूपों का संचालन उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा विषय है। किसी नलकूप के न चलने से, उससे संबंधित सभी किसानों की कृषि उपज पर प्रतिकूल असर पड़ता है और इतने गंभीर विषय पर आज तक निर्णय न हो पाना निश्चित रूप से अपने आपमें किसानों के लिये, जनता के लिये क्षोभ का विषय बना हुआ है।

आपने स्वयं देखा होगा, आप देहरादून जनपद से ताल्लुक रखते हैं कि पौड़ी गढ़वाल के तराई क्षेत्र, नैनीताल के तराई क्षेत्र और देहरादून के मैदानी भाग में तथा अन्य जो मैदान का क्षेत्र है, वहां अधिकांश नलकूप बन्द पड़े हैं, उनका संचालन ठीक से नहीं हो पा रहा है। इससे काश्तकारों की अर्थव्यवस्था कमजोर होती जा रही है। हम लोग निरन्तर यह मांग करते आये हैं कि नलकूपों का संचालन नलकूप विभाग, जो सिंचाई विभाग का ही एक अंग है, को वापस कर दिया जाय ताकि उसका जो प्रशिक्षित मैनपावर है, वह इसका संचालन ठीक से कर सके। एक विडम्बना और भी है कि जो नलकूप आपरेटर थे, उनको पंचायत के बहुउद्देशीय कर्मी के रूप में तैनात कर दिया गया। जिन्हें नलकूप के संचालन से कोई सरोकार नहीं है। तो यह पूरे प्रदेश के किसानों के लिए, पूरे प्रदेश की अर्थ व्यवस्था के लिए और जिन नलकूपों की स्थापना के लिए प्रदेश सरकार करोड़ों-करोड़ रुपया खर्च करती है, इसके बावजूद भी यदि नलकूप अपना आर्थिक लाभ न दे पायें, जनता का कोई फायदा न हो सके तो इससे ज्यादा चिन्ता का विषय और नहीं हो सकता। मान्यवर, आप निर्देश दें, आप मेरे इस प्रस्ताव को कार्य-स्थगन प्रस्ताव के रूप में स्वीकार करें और सदन में इसकी विस्तृत चर्चा कराने की कृपा करें ताकि पूरे प्रदेश की स्थिति शासन के सामने आ सके और शासन तत्काल राहत पहुंचाने का काम कर सके।

श्री हुकुम सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, कोई भी विकासशील देश,कोई विकसित समाज जब तक अपने दृष्टिकोण में, अपनी सोच में, चिन्तन में बदलाव नहीं लायेगा, वह बढ़ नहीं पायेगा। एक ओर तो हम जनता की भागीदारी की बात करते हैं और दूसरी ओर हम हर चीज को जकड़ कर अपने हाथ में रखना चाहते हैं, हर बात का संचालन लखनऊ से ही होगा तो स्थानीय निकाय हमारे क्या करेंगे। मान्यवर, प्रदेश सरकार ने और इस माननीय सदन ने बहुत विचारोपरान्त यह निर्णय लिया था कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की भागीदारी भी इस काम में हो लेकिन कोई दिन ऐसा नहीं गया होगा जब इस बात की शिकायत न होती हो कि नलकूपों का संचालन सही नहीं होता है। जो कर्मी इसमें लगाये गये हैं वे कोई एक्सपर्ट नहीं थे, न कोई मैकेनिक थे। इसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार ने अपने ऊपर ले रखी है, जब तक

पंचायतें, ग्राम पंचायतें, निकाय अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत नहीं कर लेते । इसलिए अन्तिम रूप से जिम्मेदारी प्रदेश सरकार ने इस वर्ष के लिए रख रखी है, इसलिए चिन्ता क्यों हो रही है । केवल सिंचाई विभाग ही नलकूपों का संचालन करें और स्थानीय निकायों की इसमें कोई भागीदारी न हो न तो इस बात से सहमत हैं और न हमारे प्रयास से ।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, स्पष्टीकरण के तौर पर माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो इस वर्ष के लिए शासन ने फैसला किया था कि उसके रख-रखाव की जिम्मेदारी सरकार के विभागों की होगी, हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम सभी चाहते हैं कि पंचायतों को अधिकार दिए जायें । हमारी तो यही प्रार्थना है और हम कहना चाहते हैं कि उसका जो तकनीकी पक्ष है, उसके रख-रखाव के लिए सम्बन्धित विभागों को उसकी जिम्मेदारी हो और निश्चित रूप से उसके ऊपर जो समन्वय करने का कार्य है, उसके ऊपर लिखा पढ़ी करने का, शिकायत करने का, जवाबतलबी करने का, उसकी सूचना देने का, इस बात का रिकार्ड निश्चित रूप से पंचायत अपने पास रखे, इसमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन जो कठिनाई आ रही है वह तकनीकी पहलू पर आ रही है । आज जो पंचायत कर्मी हैं उनको नलकूप के बारे में जानकारी नहीं है इसलिए वह नलकूप ठीक से चल नहीं पा रहे हैं, फ्यूज उड़ जाता है तो बिजली विभाग वालों के पास दौड़ते हैं । मामूली छोटी-छोटी चीजों की वजह से 50-60 लाख की लागत के नलकूपों का संचालन नहीं हो पा रहा है । मान्यवर, हमारी इतनी प्रार्थना है कि कोई ऐसा सामंजस्य कर दिया जाए कि पंचायत उसका प्रशासनिक नियंत्रण बेशक रखें लेकिन उसका जो तकनीकी पहलू है, निश्चित रूप से जो सरकार का नलकूप विभाग है, वह करता रहे । मान्यवर, यह निर्देश देने की कृपा करें तो निश्चित रूप से इस प्रदेश के किसानों का बड़ा भारी भला होगा ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का जवाब आ गया है, इसे अग्राह्य करते हैं और निरस्त करते हैं । अगली सूचना समुचित विद्युत आपूर्ति न होने से किसानों को हो रही भीषण कठिनाई के संबंध में है । यह सूचना 12 सदस्यों की है और मैं चाहता हूं कि कोई 3-4 सदस्य इस संबंध में अपना पक्ष रख दें, तो सारे सदन की भावनाएं आ जायेगी ।

* श्री समर पाल सिंह–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया । हमारी सूचना नियम 56 में है वह बहुत महत्वपूर्ण और लोक महत्व के विषय पर आधारित है । आज पूरे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली का भयंकर संकट व्याप्त है । इस संबंध में पहले भी प्रश्न प्रहर के दौरान चर्चा हुयी है और ऊर्जा मंत्री जी ने जवाब दिया था कि 10 घण्टे बिजली की आपूर्ति की जा रही है लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार गलत बयानी कर रही है । वास्तविकता यह है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में मात्र 2-3 घण्टे बिजली की आपूर्ति हो रही है और ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां 4-5 दिनों में और हफ्तों बिजली नहीं आ रही है । लोग परेशान हैं । माध्यमिक शिक्षा परिषद् की हाई स्कूल व इण्टरमीडिएट की परीक्षायें चल रही हैं जिसमें 40 लाख विद्यार्थी भाग ले रहे हैं । इसी तरह से विश्वविद्यालयों के परीक्षार्थी भी बिजली न आने के कारण उनको अपनी परीक्षा की तैयारी करने में कठिनाई महसूस हो रही है । बिजली रात में आती नहीं है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इस समय किसान को अपनी सिंचाई के लिये बिजली की ज्यादा आवश्यकता है । नहरों में पानी नहीं आ रहा है जिस समय किसान को ज्यादा बिजली की आवश्यकता है उस समय उसको बिजली मिलने के बजाय कम बिजली दी जा रही है और नहीं दी जा रही है । होना चाहिये था कि 10 घंटे के बजाय 18 घंटे बिजली दी जाती लेकिन 2-3 घंटे मात्र दी जा रही है । हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हालत बहुत खराब है । वहां पर 90 प्रतिशत बिजली ऐसे बिजलीघरों से आती है जो ओवरलोडेड हैं । जो बिजली आती है इसकी पूरी की, पूरी आपूर्ति सारे फीडर्स में एक साथ नहीं की जा सकती । बारी-बारी से नम्बर वाइज सभी फीडरों पर बिजली दी जाती है जिससे सम्बन्धित क्षेत्रों में 1-2 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं आती है । अगर तार टूट गये हैं या कहीं पर फाल्ट हो गया है तो भगवान ही मालिक है । बिजलीघरों पर 10 मीटर तार भी नहीं है । अगर तार टूट जाता है तो 15 दिन एक महीने ठीक नहीं होता है और लखनऊ से स्वीकृति लेनी पड़ती है तब कहीं 1 महीने में जाकर तार जुड़ पाता है । ट्रांसफारमर फुंक जाता है किसान जाकर उसको जमा करता है लेकिन 4-4 महीने हो जाते हैं ट्रांसफारमर बदला नहीं जाता है । किसान चक्कर काटता रहता है । जो सरकारी ट्यूबवेल हैं उनमें से 75 फीसदी बन्द पड़े हैं उनके रखरखाव के लिये पैसा नहीं है । किसी ट्यूबवेल का मोटर खराब है तो वाइंडिंग के लिये पैसा नहीं है । क्या सरकार चाहती है कि किसान भूखा मर जाय और उसके बच्चे परीक्षा न दे सकें और सरकारी नौकरियों में न आ सकें । मान्यवर, 1-2 घंटे बिजली शायद कभी आती हो । रात में 12.00–1.00 बजे कहीं बिजली आती है । किसान को जब पता चला कि बिजली आयी, दौड़कर खेत में गया, जब तक वहां पहुंचा बिजली चली गयी । आपकी कानून-व्यवस्था इतनी अच्छी है कि लोगों ने रात में अपने घर से निकलना बन्द कर दिया है । ऊपर से बिद्युत की आपूर्ति नहीं हो रही है । पूरे प्रदेश के अन्दर जनता में ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली न आने के कारण भयंकर रोष व्याप्त है । हाल यह है कि बिजली घरों पर धरना चल रहा है । जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं उनका घेराव किया जा रहा है । गांवों में लोग उन्हें बन्धक बना लेते हैं, उन्हें छुड़ाना मुश्किल हो रहा है कहा गया कि 10 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है । हम लोग अभी अपने क्षेत्र में गये थे वहां लोगों ने बताया कि एक-एक सप्ताह से बिजली नहीं आ रही है । हमारे विधान सभा क्षेत्र में कई दिन से बिजली की आपूर्ति नहीं हुई है । यही हाल पूरे प्रदेश के बिजलीघरों का है अराजकता का माहौल है ।

ग्रामीणों के द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन चलाया जा रहा है, अधिकारियों का घेराव किया जा रहा है । स्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक है और सरकार का यह उपेक्षापूर्ण रवैया है । सरकार किसानों को कोई सुविधा नहीं देना चाहती । मान्यवर, स्थिति बहुत विस्फोटक हो सकती है और इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी । इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि चूंकि हमारे प्रदेश में बोर्ड की परीक्षायें चल रही हैं, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 12 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाय । रात्रि को 7 बजे से 12 बजे तक अनिवार्य रूप से बिजली की आपूर्ति होनी चाहिए । मिट्टी का तेल जो दिया जाता है वह मानक से अधिक दिया जाये जब तक बच्चों की परीक्षायें चल रही हैं । मान्यवर, यह अत्यन्त लोक महत्व का प्रश्न है, इसलिए है कि करोड़ों लोगों से जुड़ा हुआ है, तात्कालिक इसलिए है कि बिजली का संकट प्रदेश में व्याप्त है, धरने-प्रदर्शन और आन्दोलन चल रहे हैं । इसलिए निवेदन है कि सदन की समस्त कार्यवाही रोककर इस विषय पर चर्चा कराने की कृपा करें ।

*श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, जब सरकार बनायी है और सरकार में बैठे हो तो यह जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें सरकार मुहैया कराये । सबसे ज्यादा जरूरी है बिजली । अगर बिजली

होगी तो पानी मिलेगा, पानी होगा तो पूरी दिनचर्या चलेगी । पिछली बार आपका बयान आया था कि 17–20 घण्टे के बीच में ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली देंगे, 74 घण्टे के अन्दर जो ट्रांसफार्मर जल जायेंगे उनका रिप्लेसमेन्ट कर देंगे । यह आपने घोषणा की थी । जब यह पूरा नहीं कर पाये और हाहाकार मच गयी तो आप नीचे गिर आये और कहा कि 10 घण्टे बिजली देंगे । मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह चिन्ता उस पक्ष की और इस पक्ष की भी है और जो बिजली की आपूर्ति हो रही है वह 4-5 घण्टे का एवरेज बैठ रहा है । इससे ज्यादा बिजली नहीं आती और जो आपके सब स्टेशन हैं वह ओवर लोडेड हैं ओवर लोड की वजह से कहीं-कहीं पांच-पांच छः-छः दिन तक बिजली नहीं आ पाती । कोई कार्यक्रम नहीं हो पाता । ट्रांसफार्मर की वजह से बिजली नहीं पहुंच रही है । सब स्टेशन ओवर लोड हैं इस वजह से बिजली नहीं पहुंच रही है । इनको कौन ठीक करेगा । मंत्री जी ने तो यहां घोषणा कर दी कि हम 10 घण्टे बिजली दे रहे हैं लेकिन कहीं नहीं पहुंच रही है । परीक्षाएं चल रहीं हैं । इसमें लाखों लड़के परीक्षा दे रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र केवल लखनऊ में तो है नहीं । यह तो पूरे प्रदेश का मामला है ।

यहां भाषण देने से तो बिजली पहुंच नहीं जाएगी । रात-रात भर बिजली नहीं आती आप बिजली तो दे नहीं पाते मिट्टी का तेल भी उपलब्ध नहीं करा पाते हैं आखिर छात्र कैसे परीक्षा देगा । ट्रांसफार्मर जो जल गए हैं उनको ठीक नहीं करा पाते हैं, तार जो चोरी चले जाते हैं या टूट गए हैं वह ठीक नहीं हुए हैं इस वजह से बिजली नहीं आ रही है । हमारे यहां एक सब-स्टेशन जौनमाना में है वह चार-पांच साल से तैयार है वह इसलिए नहीं चल पा रहा है कि वहां किसी की पोस्टिंग नहीं कर रहे हैं अगर आप छोटे-छोटे काम नहीं करायेंगे तो बिजली की दिक्कत कैसे दूर होगी । यह ऐसा मसला है जिसके लिए सरकार की चिन्ता होनी चाहिए आप इसके लिए वक्तव्य लाते ह्वाइट पेपर लाएं इस समस्या से किस तरह से निपटेंगे ? मैं चाहूंगा कि इस महत्वपूर्ण मसले पर सदन में चर्चा कराई जाय एवं सरकार की ओर से इस पर वक्तव्य आए कि कैसे यह मसला हल होगा ।

* श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया । बिजली का संकट यह पूरे प्रदेश का संकट है इसकी वजह से हर व्यक्ति के सामने समस्या खड़ी हुई है । आज किसान के सामने सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि जहां एक तरफ फसल की कटाई का समय है वहीं दूसरी ओर दूसरी फसल की बुआई का समय है । बिजली किसी को नहीं मिल रही है । कहीं डेढ़ घण्टे बिजली आती है कहीं दो घण्टे । हमारे क्षेत्र में 1996-97 में मोती लाल वोरा जी ने 132 के०वी०ए० के बिजलीघर का शिलान्यास किया था जिसका 51 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका था लेकिन उसके बाद से वह बिजली घर का कार्य ठप्प हो गया है उसका सामान उठाकर दूसरी जगह ले जाया गया और आज तक वह बिजली घर नहीं बना । जिसकी वजह से दो सब स्टेशन जौनमाना और दुगाना बनकर तैयार पड़े हैं वह आज तक चालू नहीं हुए हैं । सारे ट्रांसफार्मर वहां ओवर लोडेड हो रहे हैं किसानों के सामने बड़ी भारी समस्या है, छात्रों के सामने बड़ी भारी दिक्कत है । मच्छर भी आजकल बहुत बढ़ रहे हैं बच्चों के सामने पढ़ाई की समस्या पैदा हो गई है । पिछले दिनों मंत्री जी ने सदन में घोषणा की थी कि हम 10 घण्टे बिजली दे रहे हैं लेकिन कहीं नहीं बिजली आ रही है । यह बिजली कहां आ रही है हमें इसका पता नहीं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कल-परसों जब हम अपने क्षेत्र में थे तो वहां पर 6 बजे शाम को बिजली गई तो रात 1:30 बजे बिजली आई । अब कौन सा छात्र रात को डेढ़ बजे उठकर पढ़ाई करेगा । हमारे यहां 40 हजार स्टूडेन्ट पढ़ने के लिए विभिन्न जिलों ही नहीं कस्बों, प्रदेशों से आते हैं क्योंकि यहां एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है । मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस लोक महत्व के विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाय । इस समस्या से विपक्ष ही नहीं सत्ता पक्ष के लोग भी ग्रसित हैं । केवल माननीय मंत्री जी के जिला हरदाई में ही 24 घण्टे बिजली आ रही है ।

*ऊर्जा मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)–

मान्यवर, बिजली की मांग के अनुसार ही विद्युत की सप्लाई की जाती है । जहां तक हमारा रोस्टर है उसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में 10 घण्टे, तहसील में 18 घण्टे और नगर में 24 घण्टे विद्युत सप्लाई कर रहे हैं । हम और बिजली बढ़ाने के लिए विचार कर रहे हैं । न तो कोई प्रदर्शन हो रहा है, न धरना, बिजली के कारण हो रहा है । अतः आपसे निवेदन है कि इसे अस्वीकार किया जाय ।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, यह सच्चाई है कि किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में 10 घण्टे बिजली नहीं रहती । आजकल माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की परीक्षायें हो रही हैं । मेरा आपसे निवेदन है कि आप विशेष परिस्थितियों में आजकल वहां अधिक विद्युत सप्लाई का काम कराने के निर्देश दें और मिट्टी का तेल मानक से अधिक देने की व्यवस्था यह सरकार करे ताकि जहां बिजली नहीं है वहां परीक्षार्थी परीक्षा की तैयारी कर सकें ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, मा० समरपाल जी ने दो प्रश्न किए हैं । दूसरे प्रश्न का उत्तर तो मैं नहीं दे सकता क्योंकि वह हमारे विभाग से संबंधित नहीं है । पहले प्रश्न के लिए आप हमें बता दें अगर कहीं ब्रेक डाउन है, कुछ खराबी है तो बता दें हम ठीक करवा देंगे । भारत सरकार से हमारी बात चल रही है । वह हमें अधिक बिजली देगी ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी का जवाब आ गया है । मैं इस सूचना को अग्राह्य करते हुए निरस्त करता हूं ।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, एक व्यवस्था तो दे दें ।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, परीक्षायें चल रही हैं । कृपया एक व्यवस्था दे दें ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

हमारी केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री से बात हुई है । हम और अधिक बिजली के लिए प्रयास कर रहे हैं ।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, परीक्षा के समय को ध्यान में रखते हुए एक व्यवस्था दे दीजिए ।

श्री अधिष्ठाता–

हम इस सूचना को निरस्त करते हैं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री समर पाल सिंह–

सरकार ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति नहीं कर रही है और न ही किसानों, छात्रों की समस्याओं को सुन रही है । इसलिये मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करता है ।

(श्री समर पाल सिंह अपने दल के साथ सदन त्याग कर चले गये)

[श्री अधिष्ठाता द्वारा श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी तथा श्री नरेन्द्र सिंह भाटी जी का नाम पुकारे जाने पर वह सदन में उपस्थित नहीं थे ।]

श्री अधिष्ठाता–

इन दोनों माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की जाती है । निम्नलिखित माननीय सदस्य की सूचना चयनित नहीं की गई । अतः अस्वीकृत हुई–श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव जी की एक ही नियम के अन्तर्गत एक दिन में एक ही सूचना लिये जाने के कारण अग्राह्य की जाती है ।

उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2000 पर प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा एवं मतदान †

श्री अधिष्ठाता–

संकल्प रखा जा चुका है । मंत्री जी अगर अपना विचार इस पर रखना चाहें तो रख सकते हैं ।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, वैसे तो भारत सरकार से महामहिम राष्ट्रपति जी से जो हमें प्राप्त हुआ है, उसमें हमने कुछ संशोधन प्रस्तुत किये हैं । कुछ और माननीय सदस्य अपना संशोधन रखना चाहते हैं, उसके बाद हमें अवसर मिलेगा अपनी बात कहने का । फिर भी 2-4 बातें मैं कहना चाहता हूं । एक तो खुशी की बात यह है कि कोई भी दल उत्तरांचल गठन के विरोध में नहीं है । सभी पार्टियां इसके पक्ष में हैं, यह प्रसन्नता की बात हैं । उत्तरांचल के रहने वाले निवासियों की यह बहुत पुरानी मांग रही है और बड़ा संघर्ष उन्होंने किया बहुत बलिदान उन्होंने किया है और उनके बलिदान और संघर्ष को देखते हुए ही हम दोबारा यह प्रस्ताव पारित करके भेजने वाले हैं । हमको वह लोमहर्षक दिन याद आ जाता है जब उत्तरांचल की मांग के लिए वहां की महिलाओं, वहां के पुरुषों द्वारा एक शान्तिपूर्ण प्रदर्शन किया जा रहा था और उन पर बर्बर लाठी चार्ज हुआ ।

(व्यवधान)

उसमें किस दल ने किया । मैं कह नहीं रहा हूं आप काहे परेशान हो रहे हैं । कहीं न कहीं नजर आ जाता है । मैंने कोई संकेत भी नहीं किया था । यह उन लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है । यह जो प्रस्ताव किया गया है उसके बारे में अभी तक हरिद्वार को लेकर चर्चा की बात थी । पक्ष-विपक्ष की भी बातें इस पर आनी है । परम्परागत तरीके से जब कभी विधान मण्डल दल से प्रस्ताव पारित हुआ उसमें दो मण्डल शामिल रहे । कुमायूं और गढ़वाल । हमने वही भौगोलिक आकार, राजस्व का आकार जो पूर्व में दिये गये प्रस्ताव में था, उसी को आधार मानकर संशोधन पारित किया । इससे पहले जो केन्द्र से आया था उसमें हरिद्वार जनपद को भी इसमें रखने की बात थी उस पर भी बात हुई । कुछ नगरीय क्षेत्र रखने की बात आयी । हमने अपने प्रदेश सरकार की ओर से संशोधन रखा कि हरिद्वार का प्रस्ताव उत्तरांचल राज्य में न रखकर उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा बना रहेगा । उसका एक आधार है, मजबूत आधार है, इस कारण से उस आधार को प्रभावित नहीं करना चाहते हैं । कुछ संशोधन नहीं करना चाहते हैं ।

नोटः–† दिनांक 30 मार्च, 2000 को मा० संसदीय कार्य-मंत्री द्वारा सदन में संकल्प प्रस्तुत किया गया ।

दूसरी बात एक नई हमने रखी कि पहले जो हमारा संशोधन गया था उस स्वरूप में भी थोड़ा संशोधन हमने किया । वह था सिंचाई की परिसम्पत्तियों के बारे में, वित्त विभाग द्वारा निर्माणाधीन परियोजनाओं के बारे में या जो बन चुकी हैं उनके बारे में । उसमें हमने बहुत ही विचार मन्थन के बाद एक सकारात्मक रूख अपनाकर यह रखा कि इन सम्पत्तियों के स्वामित्व का मामला दोनों प्रदेशों के संयुक्त आयोग के द्वारा तय कर दिया जाय जिसमें उत्तरांचल सरकार के और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि होंगे वहीं उसका गठन करेंगे और जब आयोग गठित होगा वह तय करेगा कि इनका स्वामित्व किसको होगा । किसी को कोई दिक्कत न हो । जब तक आयोग का गठन हो जाय, आयोग अपना निर्णय ले तब तक कोई गतिरोध उत्पन्न न हो यह जो अब स्थिति है यथास्थिति बनी रहेगी । यह कुल संशोधन किये हैं । बाकी संशोधन तो इसके परिणाम स्वरूप हैं । कौन्सीक्वेंस बाकी हैं कि ऐसा होने के बाद क्या-क्या संशोधन किये जायेंगे । अब कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रह जाती । जो प्रस्ताव हमने रखा है उसको पारित करने में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर यह परिचय दें कि उत्तर प्रदेश विधान सभा में सर्वसम्मति से इस संकल्प को उन संशोधनों के साथ जो हमारी ओर से प्रस्तुत किये गये हैं पारित करें । यह भी मेरा आग्रह होगा कि केन्द्र सरकार से भी कि उत्तर प्रदेश के विधान मण्डल की भावनाओं का आदर करते हुए संशोधनों के साथ में इस संकल्प को पारित किया जाय ।

(श्री राम औतार शाक्य के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

आपको बाद में, पहले एक प्रश्न है श्री कौकब हमीद, श्री समरपाल सिंह, माननीय बनारसी दास चांदना जी, माननीय परवेज हलीम जी ....

श्री रामजग–

मान्यवर, एक मिनट

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश का विभाजन न किया जाए । उत्तरांचल राज्य का गठन न किया जाए ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं नाम पढ़ देता हूं जिनके नाम आये हैं ।

श्री राम औतार शाक्य–

इसकी आवश्यकता नहीं है । मान्यवर, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2000 पर जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने संकल्प प्रस्तुत किया है विचारार्थ, इसके सम्बन्ध में कहना चाहूंगा कि संकल्प के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए–"किन्तु संकल्प के प्रस्तर संख्या–2 में उल्लिखित खण्ड–3 में प्रयुक्त शब्द एवं चिन्ह 'उधमसिंहनगर' निकाल दिये जाने के सम्बन्ध में" मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी ने संकल्प के समर्थन में विचार रखे और यह कहा कि सदन में सब लोग उत्तराखण्ड बनाने के पक्ष में हैं । इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं एक बहुत बड़ा नीति विषयक मामला है । उत्तर प्रदेश के विभाजन का और इस मायने में भी नीति विषयक है कि भारत वर्ष में उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश हैं कि उत्तराखण्ड के विभाजन के बाद इस प्रदेश में और मांग होने लगेंगी पूर्वांचल, पश्चिमांचल और मध्यांचल की मांग भी खड़ी हो सकती है, मैं नहीं कहता किन परिस्थितियों में तमाम भारतवर्ष के राज्य बने हैं कोई भाषा के आधार पर, कोई भौगोलिक स्थिति के आधार पर राज्य बने हैं ।

जो भाषा के आधार पर राज्य बन गये वह 50–100 वर्षों के बाद अलग-अलग देश की मांग कर सकते हैं । इस तरह से अलगाववाद की भावना पैदा होगी चाहे क्षेत्रीयवाद के आधार पर हो, चाहे भाषा के आधार पर हो चाहे उत्तराखण्ड के विभाजन पर हो । मैं नहीं कहता कि उत्तराखण्ड का विभाजन न हो लेकिन प्रश्न जो खड़ा है वह महत्वपूर्ण है । क्षेत्रीयता के आधार पर विघटन कर रहे हैं, इससे क्या

सामाजिक और राष्ट्रीय धरोहर प्रभावित नहीं होगी ? यह एक अहम् सवाल है, अभी हरिद्वार का मसला है शामिल हो या न हो यह अच्छी बात है कि उत्तराखण्ड से हरिद्वार को अलग कर दिया गया है। ऊधमसिंहनगर को आपने सम्मिलित कर दिया है, तमाम लोग विधान सभा के सामने प्रदर्शन कर चुके हैं। ऊधमसिंहनगर के निवासी नहीं चाहते हैं कि उनके जनपद को उत्तराखण्ड में शामिल किया जाए। आपने ऊधमसिंहनगर उत्तराखण्ड में शामिल करने का काम किया है आप बेशक उत्तराखण्ड बनायें, लेकिन ऊधमसिंहनगर को अलग कर दें। मान्यवर, एक केन्द्रीय आयोग गठित करने की बात कही गयी उसमें समस्या पैदा होगी वह आयोग अपना अध्ययन करके रिपोर्ट देगा तमाम परिसम्पत्तियों का बंटवारा आप कैसे करेंगे ?

(समय 2 बजकर 25 मिनट)

तमाम नदियों के जल विभाजन की बात आयेगी, बिजली की बात आयेगी तथा अन्य समास्यायें आयेंगी। आप लोग भी इस बात से विज्ञ हैं कि जल बंटवारे के सम्बन्ध में हिन्दुस्तान में किस तरह की समस्यायें पैदा हो रही हैं, तमाम विसंगतियां पैदा हो रही हैं। आज मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि इस संकल्प में कोई स्पष्ट रूपरेखा नहीं है जिससे तमाम विसंगतियां पैदा हो जायेंगी। मैं उत्तराखण्ड के भाइयों से कहना चाहता हूं कि सदन में जो संकल्प प्रस्तुत किया है उससे हमको और आपको बिछड़ने के लिए यह किया गया है। हमारे प्रदेश में तमाम विविधताएं हैं, तमाम भाषाएं हैं, तमाम संस्कृतियां हैं यह देश इसलिए महान है क्योंकि यहां पर मिली-जुली संस्कृति है, यहां पर तमाम धर्म हैं और तमाम बोलियां हैं और यह आज हमारा उत्तराखण्ड हमसे अलग हो रहा है।

मान्यवर, यह शंका जाहिर हो रही है कि वहां के रहने वालों का क्या होगा, उनका जीवन स्तर कैसा होगा, कैसे वह रहेंगे, कैसे व्यापार करेंगे, कैसे जीविकोपार्जन करेंगे, कैसे संसाधन जुटायेंगे और कैसे वह सुरक्षित रहेंगे। वहां पर खेती योग्य भूमि नहीं है और पहाड़ हैं और वन हैं। और मान्यवर, वनों को फारेस्ट ऐक्ट के अन्तर्गत प्रतिबन्ध लगा दिया गया है तो इससे बड़ी अहम् समस्या पैदा होगी कि कैसे वह अपना जीविकोपार्जन करेंगे ? क्या वह केन्द्र सरकार की तरफ देखेंगे ? आप उत्तराखण्ड को अलग करने की बात कर रहे हैं, ठीक है करना चाहते हैं तो करिये। लेकिन मेरा आरोप है कि यह सरकार उत्तराखण्ड को अलग नहीं करना चाहती है और इस मामले को उलझाना चाहती है। मान्यवर, आज यदि उत्तराखण्ड को अलग कर दिया जाय तो यह वर्तमान सरकार अल्पमत में आ जायेगी इसलिए यह उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केन्द्र सरकार इस मामले को उलझाना चाहती है और वह जानबूझकर इसमें देरी कर रही है और वह इसलिए कर रही है कि अगर वह इसे पृथक राज्य बना देगी तो यह सरकार अल्पमत में आ जायेगी और गिर जायेगी।

श्री अधिष्ठाता–

आप संक्षिप्त करें।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैं संक्षिप्त कर रहा हूं। आपके आदेश का मैं पालन करूंगा। मान्यवर, इस देश की पीड़ा हमारे दिल और दिमाग में है, समाजवादी पार्टी के दिल और दिमाग में है। यह आरोप लगाया गया कि जब वह लोग आन्दोलन कर रहे थे तो उस समय हमने क्या किया। मान्यवर, जो साम्प्रदायिक शक्तियां हैं, आर०एस०एस०, विश्व हिन्दू परिषद्, बजरंग दल ने मान्यवर, जब भी भाषावाद का सवाल पैदा हुआ, सम्प्रदायवाद का सवाल पैदा हुआ, इतिहास गवाह है इस देश की भूगोल की सीमायें सिमट गयीं वह लोग इसमें उलझाना चाहते हैं। इनकी नियत ठीक नहीं है। यह संकल्प आधा-अधूरा है। ऊधमसिंह नगर को इसमें शामिल करना वहां के लोगों के लिए शाप है और इससे उनके लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जायेगी और यदि ऊधमसिंह नगर शामिल किया गया तो इससे वहां पर खूनी क्रान्ति हो जायेगी। वहां के लोग इसे पसन्द नहीं करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

इस संकल्प पर अन्य जो प्राप्त संशोधन हैं वह प्रस्तुत माने जायेंगे ।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, यह जो उत्तरांचल राज्य के गठन से सम्बन्धित संकल्प माननीय संसदीय कार्यमंत्री ने रखा है वह एक महत्वपूर्ण विषय से सम्बन्धित है । मान्यवर, एक लम्बे समय से उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन की मांग चली आ रही है । आजादी के लगभग बाद से ही यह मांग चली आ रही है । पश्चिमांचल, उत्तरांचल, बुन्देलखण्ड, पूर्वांचल की एक भी अलग प्रान्त बनाने के लिए आज आन्दोलन चल रहा है । केन्द्र सरकार ने उत्तरांचल की मांग स्वीकार करके इस बात का संकेत दे दिया कि उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन होना चाहिए । उत्तर प्रदेश की जनसंख्या और भौगोलिक स्थिति को देखते हुए यह अनमैनेजिबल है इसका विभाजन होना चाहिए । मान्यवर, प्रदेश की भोगोलिक परिस्थितियों भाषा और यहां की आवश्यकताओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन बहुत ही सोचने और समझने के बाद किया जाना चाहिए ।

मान्यवर, उत्तरांचल में लोगों ने संघर्ष किया, गोलियां लाठिया चलीं और उन्होंने अपनी मांग को हर तरह से रखा । उनकी बात मानी जा रही है कल पश्चिमांचल के अन्दर अगर आन्दोलन छिड़ गया कि 15 जिलों को मिलाकर अलग राज्य बनाना पड़ेगा । मान्यवर, निरन्तर आन्दोलनों का क्रम चल रहा है बुन्देलखण्ड के अन्दर आन्दोलन चल रहा है वहां भी गोलियां और लाठियां चली हैं पूर्वांचल के लोग अलग प्रदेश की मांग कर रहे हैं । इसलिए इस विषय पर गम्भीरता से विचार करें और प्रदेश के अन्दर एक प्रदेश का पुनर्गठन आयोग बनाया जाना चाहिए । जो यह सुझाव दे कि प्रदेश के कितने टुकड़े होने चाहिए और क्या सीमा रेखा होनी चाहिए । मान्यवर, इस आयोग को बिन्दु दिये जायें कि किस आधार पर विभाजन हो न कि किसी की राजनीति इच्छा को पूरा करने के लिए विभाजन हो । भाषा के आधार पर भौगोलिक स्थिति और राजनीतिक परिस्थिति किस आधर पर आप प्रदेश का पुनर्गठन करना चाहते हैं विभाजन करना चाहते हैं यह आयोग तय करे ।

मान्यवर, उत्तरांचल बनने से समस्या का समाधान नहीं होगा । 15 करोड़ की कुल आबादी है प्रदेश में इतने लोगों पर एक जगह पर से राज किया जा रहा हो तो यह कैसे सम्भव है । पश्चिम उत्तर प्रदेश की मांग बहुत दिनों से चली आ रही है । आज आप उत्तरांचल का गठन करना चाहते हैं उत्तरांचल का आप गठन कर दें लेकिन जैसा कि अभी हमारे साथी ने कहा कि वहां संसाधन नहीं हैं । इस आधार पर सरकार वहां काम करेगी । आप जल्दबाजी में संकल्प पास करके भेजना चाहते हैं । मान्यवर, अगर संकल्प पास करना ही है तो इसमें मेरठ, आगरा, बरेली, सहारनपुर मण्डलों को सम्मिलित करके सकल्प पास कर दिया जाय जिससे प्रदेश का विभाजन हुआ लगे ।

(समय 2 बजकर 35 मिनट)

और जो नया प्रान्त बने वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके और अपने नागिरकों को न्याय दिला सके और उन्हें सुविधा मुहैया करा सके । इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करते हुए संशोधन पर बल देता हूं ।

वन राज्य मंत्री (श्री बंशीधर भगत)–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा का अवसर दिया । मान्यवर, उत्तरांचल के निर्माण के लिए लगभग 10 वर्ष से उत्तरांचल के लोग संघर्ष कर रहे थे, यह उत्तरांचल राज्य कोई तश्तरी में सजाकर नहीं दिया जा रहा है बल्कि उत्तरांचल के लोगों ने लाठी गोलियां खायी हैं और अनेक आन्दोलन किये हैं । लेकिन उसके बाद भी मैं सर्वप्रथम इस सदन के प्रत्येक माननीय सदस्य का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने एक बार नहीं 3-3 बार विधेयक पर समर्थन दिया है और इसको पास किया है । थोड़ी सी संसाधनों की चर्चा आयी है ।

मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भारत सरकार के प्रधान मंत्री को, गृह मंत्री को और मानव संसाधन मंत्री जी को और धन्यवाद देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया माननीय मुख्य मंत्री जी को कि उन्होंने हमारे अनुरूप इस प्रदेश का नाम पूर्व में ही उत्तरांचल प्रदेश रख दिया है, इसके लिए मैं उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। अभी हमारे मित्र शाक्य जी कह रहे थे कि भाषाओं के आधार पर प्रदेश नहीं बनना चाहिए और साथ ही यह भी कह रहे थे कि ऊधमसिंह नगर नहीं जोड़ना चाहिए तब तो यह सीधा-सीधा पहाड़ियों का राज्य हो जायेगा। तो जब हमने यह माना है कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनना चाहिए लेकिन हम बिना ऊधमसिंह नगर के उत्तरांचल की कल्पना नहीं कर सकते इसी तरह से हरिद्वार का भी है। मेरा निवेदन है कि ऊधमसिंह नगर के साथ हरिद्वार को भी पूरा जिला उत्तरांचल को दिया जाना चाहिए। हरिद्वार अपने आपमें एक तीर्थ है और उत्तरांचल के चारों धामों को जाने का एक मात्र रास्ता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि उसको उसमें बनाये रखें।

(टोका-टाकी से व्यवधान)

मान्यवर, मैं यह भी चाहता हूं कि प्रदेश की सीमा को ठीक करने के लिए खटीमा पानीपत मार्ग जो राजमार्ग हैं इसकी बाउन्ड्री बनायी जाय, ताकि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाने में दिक्कत होगी और इसका दूरगामी परिणाम ठीक नहीं होगा। मान्यवर, जो आयोग गठन किया गया है जो 6 राज्यों का आयोग गठन किया गया है पानी और विद्युत के बंटवारे के लिए इसमें उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश को रखा जाय।

उत्तरांचल के गठन के लिए मेरा बड़ा बिनम्र निवेदन है कि जहां भारत सरकार बहुत बड़ा बजट देगी वहीं उत्तर प्रदेश सरकार अपने परिवार का अंग मानकर, अपना छोटा भाई मानकर एक अच्छी धनराशि राजधानी के लिए दे।

(टोका-टाकी से व्यवधान)

मुझे राजधानी को तय करने में दिक्कत नहीं होगी। मैं चाहता हूं कि तालियों की थपथपाहट के साथ इस प्रस्ताव को पास किया जाय। इसके साथ ही साथ आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2000 पर मुझे बोलने की अनुमति प्रदान की। आज उत्तर प्रदेश की आबादी 16 करोड़ हो गयी है और केन्द्र सरकार ने उत्तरांचल राज्य के गठन की बात स्वीकार करके प्रकारान्तर से इस बात को सिद्धान्तः मान लिया है कि हिन्दुस्तान के इस विशालतम प्रदेश का पुनर्गठन अब आवश्यक हो गया। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं उत्तरांचल राज्य के गठन के विरोध में नहीं हूं लेकिन यह बात मैं आपकी आज्ञा एवं अनुमति से कहना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश की जो 16 करोड़ आबादी है, उसमें 38 प्रतिशत आबादी पूर्वांचल में है। जब इस देश को आजादी मिली, उस समय उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 6 करोड़ थी और आज स्वाधीनता के इतने दिन बाद अकेले पूर्वांचल के 28 जनपदों की आबादी साढ़े छः करोड़ से अधिक है। इस प्रकार पूरे उत्तर प्रदेश की आबादी की 38 प्रतिशत आबादी पूर्वी उत्तर प्रदेश में है और उत्तराखण्ड में पूरे प्रदेश की आबादी की मात्र 4.3 प्रतिशत आबादी रहती है।

श्रीमन् केन्द्र सरकार ने यदि 4.3 प्रतिशत आबादी वाले क्षेत्र को राज्य बनाने की बात स्वीकार कर ली तो 38% जनसंख्या वाले क्षेत्र पूर्वांचल को भी राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य बनाने की बात तो उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है लेकिन केन्द्र से सिफारिश करना तो अधिकार क्षेत्र में अवश्य है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो इस प्रदेश के भीतर क्षेत्रीय विषमता और असन्तुलन है, जो निरन्तर बढ़ती जा रही है। मैं एक मिसाल देकर अपनी बात स्पष्ट करना चाहता हूं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में रहने वाले जो लोग हैं, उनकी वार्षिक औसत आय

3 हजार रुपये से नीचे है, जबकि पहाड़ पर रहने वाले व्यक्ति की औसत आय 5 हजार रुपये से अधिक है और तब भी केन्द्र की सरकार यह चिन्ता करती है कि उत्तर प्रदेश से केवल उत्तरांचल अलग किया जाय । आज सबसे ज्यादा दुगर्ति पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों की है । मैं आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के काल में, 62-67 के बीच नियोजन विभाग ने इस प्रदेश के संतुलित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश को 5 आर्थिक क्षेत्रों में विभाजित किया है ये क्षेत्र पश्चिम, मध्य, बुन्देलखण्ड, पूर्वांचल और उत्तराखण्ड हैं । मैं कहना चाहता हूं कि यदि आज उत्तर प्रदेश सरकार सचमुच से उत्तरांचल राज्य बनाना चाहती है तो उसे इस आदरणीय सदन से एक प्रस्ताव भेजकर केन्द्र सरकार से सिफारिश करना चाहिए कि बाकायदा इस प्रदेश को एकमुश्त पांच राज्यों में पुनर्गठित किया जाय तभी जाकर उत्तर प्रदेश की बेहतर भागीदारी राष्ट्रीय निर्माण में, राष्ट्रीय विकास में हो सकती है, इसलिए हम यह चाहते हैं, कि इस उत्तर प्रदेश की सरकार केन्द्र की सरकार को पूरे प्रदेश को एक साथ पुनर्गठित करने का प्रस्ताव समग्र रूप में भेजें ताकि केन्द्र सरकार इसे 5 राज्यों में पुनर्गठित करने के लिए पुनर्गठन आयोग गठित करे और तब उसकी जो संस्तुतियां हों, वह एक साथ क्रियान्वित की जायं । मैं उत्तरांचल राज्य के निर्माण का विरोधी नहीं हूं, लेकिन केवल उत्तरांचल बना देने से उत्तर प्रदेश में व्याप्त क्षेत्रीय विषमता दूर नहीं होगी । मैं पूर्वांचल की इस पीड़ा को उजागर कर देना चाहता हूं । आज उत्तर प्रदेश की सरकार नियोजित विकास की बात करती है । आप अवगत हैं कि सन् 98-99 में प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं इन राष्ट्रीयकृत बैंकों में यहां के लोगों का 60 हजार करोड़ रुपये जमा हुआ है किन्तु ये बैंक 60% लक्ष्य के विरुद्ध केवल 17000 करोड़ रु० ही अग्रिम किये और शेष जमा धन इन बैंकों ने मुख्यालय वापस कर दिया ।

इन बैंकों का मुख्यालय बाम्बे में है इसलिए यहां की जो गाढ़ी कमाई का पैसा है वह दूसरे स्थानों पर खर्च हो रहा है । रिजर्व बैंक के अधिशासी निदेशक श्री ए०डी० बाज की अध्यक्षता में प्रदेश में ऋण जमा अनुपात को बढ़ाने के लिए एक समिति बनी थी और उसने एक प्रतिवेदन प्रदेश सरकार को दिया था उसमें कहा गया था कि वर्ष 2000 तक जो राष्ट्रीयकृत बैंक अपना ऋण जमा अनुपात 55 प्रतिशत तक बढ़ायेंगे और वर्ष 2002 तक उसे 60 प्रतिशत का निर्धारित मानक प्राप्त करने का प्रयास करेंगे । लेकिन प्रदेश सरकार बाज समिति की सिफारिशों के मुताबिक ऋण जमा अनुपात में वृद्धि हेतु कोई कारगर प्रयास संकल्प तक इक्ट्ठा नहीं कर पायी । ऋण जमा अनुपात के मामले में सबसे ज्यादा चिन्ताजनक स्थिति पूर्वांचल की है । सार्वजिनक क्षेत्र के बैंकों में पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनता सबसे ज्यादा धन जमा कर रही है लेकिन ये बैंक 100 में से मात्र 15 रुपये ही अग्रिम कर रहे हैं । वर्ष 98-99 में उत्तर प्रदेश में ऋण जमा अनुपात 29 प्रतिशत था अब प्रतिशत इससे भी कम हो गया है । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यदि उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि राष्ट्रीय विकास में उत्तर प्रदेश की भागीदारी बने तो मैं चाहता हूं कि प्रदेश सरकार एक सिफारिश समग्रता के साथ केन्द्र के पास भेजे कि राज्य को 5 हिस्सों में पुनर्गठित करने के लिए केन्द्र एक पुनर्गठन आयोग का गठन शीघ्र करे और उसकी संस्तुतियों को कार्यान्वित करे ।

उत्तरांचल विकास राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) (श्री मातवर सिंह कण्डारी)–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2000 पर बोलने का अवसर दिया । मैं आपके संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं कि उत्तरांचल राज्य बनाने की मांग क्यों ? इस सम्बन्ध में कहीं पर तो लोग कहते हैं कि यह अलगाव की बात है, मैं यहां पर इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं , जब-जब हमारे देश पर आक्रमण हुए, चाहे पाकिस्तान ने किया हो, चाहे चायना ने और चाहे कारगिल में पाकिस्तानी घुसपैठियों ने, हमारे कुमायूं रेजीमेंट के वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश की रक्षा की । उत्तरांचल हमारा राष्ट्र भक्त रहा है । यह क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है एक व्यक्ति नौकरी करता है और मनी आर्डर से पैसा भेजकर अपने परिवार का पालन-पोषण करता है ।

इसलिए वहां की जनता की मांग है, इसलिए एक राज्य बनाना चाहते हैं, यह अलगाव की बात नहीं है। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कुछ लोग कहते हैं कि वह पहाड़ी राज्य होगा। मैं कहना चाहता हूं कि पहाड़ों में रहने वाले हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, चाहे पंजाब का हो या राजस्थान का, वह सबका राज्य होगा। यह भी दुष्प्रचार किया जा रहा है कि पर्वतीय क्षेत्रों के लिए अलग कानून होंगे और मैदानी क्षेत्रों के लिए अलग कानून बनाये जायेंगे। लेकिन उस राज्य में सबके लिए एक कानून होगा। मान्यवर, आपके संज्ञान में इस बात का भी उल्लेख कर देना चाहते हैं कि हम हमेशा विकास के लिए छटपटाते रहे हैं और इसके लिए हमने मुजफ्फरनगर जैसे घिनौने काण्ड को भी बर्दास्त किया इसके लिए हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन ने इस पर चर्चा की, केन्द्र सरकार ने हमारी मांग को माना और हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारी बात को स्वीकार किया। मैं आभार प्रकट करता हूं केन्द्र सरकार के प्रति भी और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रति भी कि उन्होंने हमारी मांग को समर्थन दिया। मान्यवर, मैं हरिद्वार की बात कर रहा हूं। हरिद्वार उत्तरांचल का आंगन है, अगर आंगन छीन लिया जाय तो उस घर का क्या महत्व रह जायेगा, इसलिए हरिद्वार को उत्तरांचल में दिया जाना चाहिए। मैं इस बात का उल्लेख कर देना चाहता हूं कि टिहरी राजा की रियासत नारसन तक थी। हरिद्वार, गंगोत्री और जमुनोत्री का द्वार था, इसे हरि का द्वार कहा जाता है। इसलिए मैं इस आदरणीय सदन से अनुरोध करना चाहता हूं कि सम्पूर्ण हरिद्वार को उत्तरांचल में दिया जाय। जहां यह कहा गया है कि केन्द्र सरकार राजधानी निर्माण को व्यय करेगी तो मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि ऐसा करके उत्तरांचल एक बहुत ही गरीब राज्य होगा और उसका सम्पूर्ण विकास नहीं हो पायेगा। इसलिए केन्द्र सरकार के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार को भी इसमें सहायता देनी चाहिए तभी इसका फायदा होगा।

विद्युत के बारे में अनेक भ्रान्तियां फैलायी जा रही हैं। मैं यह बता देना चाहता हूं कि पिथौरागढ़ में एक थल जगह है जहां पर माइक्रो-हाइड्रो पावर बनाया गया है। मैंने स्वयं इसे देखा। मैंने उनसे पूछा कि आधे से आप बिजली बना रहे हो और आधा पानी फेंक रहे हो तो उन्होंने कहा कि यदि सब पानी से बिजली बनायी जायेगी तो बिजली की आपूर्ति की मांग कम है और बिजली का उत्पादन ज्यादा होगा। बिजली का जो उत्पादन होगा उस पर अधिकार उत्तर प्रदेश का होगा परन्तु हम कहना चाहते हैं कि जो जल विद्युत परियोजनायें हैं, उन पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए, परिसम्पत्तियों पर उत्तरांचल का अधिकार होना चाहिए। बोर्ड के गठन की बात कही गयी है। परन्तु कब होना चाहिए, इसका उल्लेख नहीं किया गया है और इस बोर्ड की सीमा निर्धारित नहीं है मैं चाहूंगा कि इस बोर्ड का गठन जैसे ही राज्य बने, उसी समय हो जाना चाहिए। यदि सरकार आपस में करार नहीं करती है तो केन्द्र सरकार को यह अधिकार होना चाहिए कि वह निर्देश दे सके। यदि दोनों राज्यों का बोर्ड गठन का निर्णय नहीं होता है तो दोनों राज्य का आपस में करार करें, यदि करार नहीं करते हैं तो केन्द्र सरकार को अधिकार होना चाहिए कि वह निर्देश दे सके। खण्ड 65, 66, 67 में किसी संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। केन्द्र सरकार को अधिकार होना चाहिए निर्देश देने का। इसी प्रकार से यह भी कहना चाहता हूं कि उप खण्ड 73 में उप संवर्ग के बारे में, जिस व्यक्ति ने पर्वतीय संवर्ग में अपना आप्शन दिया है उसको हिल कैडर में माना जाना चाहिए। इसी प्रकार से जल स्रोत के बारे में भी कहना चाहता हूं, यहां पर लोग यह भी कहते हैं कि कावेरी जैसा विवाद हो जायेगा कावेरी मैदान क्षेत्र में है और गढ़वाल तथा कुमायूं की स्थितियां भिन्न हैं। कावेरी से पानी कहीं भी डाइवर्ट कर सकते हैं। गंगा, यमुना, शारदा जैसी नदियां हमारे यहां से निकलती हैं लेकिन उत्तरांचल के लोग आज भी प्यासे हैं। नदियां हमारे यहां घाटियों में से गुजरती हैं और बस्तियां हमारे यहां ऊपर हैं। पहाड़ पर जितनी भी योजनायें बनायी गयी हैं उनसे पहाड़ के लोगों को जितना पानी चाहिए उतना नहीं मिल पाता है।

हम जल को नियंत्रित नहीं करना चाहते हैं पूरा अधिकार चाहते हैं उत्तर प्रदेश को जितने पानी की जरूरत होगी हम देने के लिए तैयार हैं इस पानी को उत्तर प्रदेश को मिलना चाहिए मगर उस पर नियंत्रण उत्तरांचल का होना चाहिए । यहां पर एक बात कह देना चाहता हूं कि एक बोर्ड की बात कही गयी है मगर उसका गठन कब होगा इसके बारे में इसमें नहीं कहा गया है । बोर्ड अगर निर्णय नहीं देता है तो दोनों राज्य मिलकर करार करें । अगर करार नहीं करते हैं तो केन्द्र सरकार को समय दिया जाना चाहिए कि वह निर्णय करे । इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि यह जो उत्तरांचल राज्य बनाने का जो सुअवसर दिया गया है उसके लिए मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तरांचल राज्य की गरीब जनता के प्रति अपना आदर का भाव रखते हुए और वहां के विकास के लिए उत्तरांचल राज्य बनाने के प्रस्ताव को पारित करने की कृपा करें हम आपके ऋणी और आभारी रहेंगे ।

* काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन–

मान्यवर, मैं सबसे पहले माननीय मुख्य मंत्री को बधाई देना चाहता हूं वह यहां पर उपस्थित नजर नहीं आ रहे हैं । जब संसदीय कार्य मंत्री जी ने यह प्रस्ताव यहां पर रखा था तो उसी दिन शाम को टेलीविजन पर मुख्य मंत्री जी ने कहा कि केन्द्र उत्तरांचल के मसले को उलझा रहा है । हम प्रस्ताव करके भेजते हैं कि हरिद्वार शामिल न किया जाय और केन्द्र कहता है कि हरिद्वार का कुछ भाग शामिल कर दिया जाय । उनकी इस साफ बात पर, उनकी इस साफगोई पर मैं उनको बधाई देना चाहता हूं । चूंकि चौधरी चरण सिंह के जमाने में वह डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और जो बेबाकी चौधरी साहब में थी उसका प्रभाव उनमें आया है वह बहुत पुराने नेता हैं । मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वह दिल्ली जायं और वहां जाकर केन्द्रीय नेताओं को समझायें कि हरिद्वार को और ऊधमसिंहनगर को शामिल न करें । मैदान और पहाड़ की समस्यायें अलग-अलग हैं यह आप भी जानते हैं और सभी जानते हैं । इसका उदाहरण मैं देता हूं कि जब हरिद्वार जिला बन रहा था तो रामसिंह जी और हुकुम सिंह जी मंत्री थे, नारायण दत्त तिवारी जी हरिद्वार गये थे, हमने मांग रखी कि इसका हेडक्वार्टर रुड़की रखा जाय तो उन्होंने कहा कि ऋषिकेश भी इसमें आयेगा और ऋषिकेश को हरिद्वार जिले में नहीं दिया गया । मैंने कहा ऋषिकेश तो दिया नहीं गया ।

श्री अधिष्ठाता–

काजी जी, जरा सीमित करिये ।

(कई माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर शोर)

श्री काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन–

यह कहा गया कि उसके लिए पहाड़ी लोग तैयार नहीं हैं हरिद्वार में ऋषिकेश को देने के लिए । आज हरिद्वार को आंगन मान रहे हैं । दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जब मैं फारेस्ट मिनिस्टर था, तो राजकुमार शर्मा, विधायक, पहाड़ से हुआ करते थे । उन्होंने एक आदमी की सिफारिश की कि उसे लीसा का परमिट दे दिया जाय । मैंने मालूम किया कि लीसा के आवंटन के लिए कुछ ज्यादा है नहीं और यह पहाड़ वालों के लिए ही दिया जाता है फिर भी मैंने सोचा कि पंडित जी ने सिफारिश की है तो कुछ तो दे दें । 5 कुन्तल का परमिट पंडित जी को हरिद्वार के लिए दिया गया । मेरा घेराव किया गया और कहा गया कि यह पहाड़ियों का हक है । मैदानी आदमियों को नहीं दिया जा सकता । मैंने हाथ जोड़कर पंडित जी से माफी मांगी और उनका लाइसेंस निरस्त किया ।

उससे उन्हें एक-दो हजार रुपये की आमदनी हो जाती, मैंने उनसे कहा कि हजार-दो हजार आप मुझसे ले लीजिएगा । माननीय हुकुम सिंह जी बैठे हुए हैं, उनके पास तमाम छोटे-बड़े अधिकारी आते

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

होंगे सिफारिश के लिए कि पहाड़ से ट्रान्सफर मेरा कर दिया जाये मेरे पास भी आते हैं। अगर किसी की पोस्टिंग हो जाती है तो उन लोगों को रोना आता है। उनसे यह कहा जाता है कि 3 वर्ष तो वहां रहना ही होगा। कई लोग तो त्याग-पत्र दे देते हैं, कई लोग तो उसे सजा के तौर पर काट लेते हैं। अगर हरिद्वार उत्तरांचल में शामिल हो गया तो हमारे बच्चे कभी हरिद्वार में नहीं आ सकेंगे, पहाड़ के लोग हरिद्वार में रहेंगे। यह हमारे लिए उम्रकैद हो जायेगी, हमारे बच्चों के लिए उम्र कैद हो जायेगी।

श्री अजय भट्ट–

पहाड़ की संस्कृति ऐसी नहीं है। यह धारणा आपकी ठीक नहीं है।

(दो सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर शोर)

काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन–

यह प्रजातन्त्र है, 6 एम०एल०ए० हरिद्वार से यहां मौजूद हैं, 3 एम०पी० हैं उनसे राय ले लीजियेगा मेरा कहना है कि ऊधमसिंहनगर में रिफ्रेण्डम करा लीजिये। अगर आप जबरदस्ती भेजेंगे तो बोड़ोलैण्ड में जो हो रहा है, बिहार में जो हो रहा है वही हालत होगी। जिनको पैगम्बरे अमन कहा जाता है और जो दिल्ली से लाहौर बस में गये, मोहब्बत का पैगाम लेकर गये और पैगम्बरे अमन कहलाये लेकिन अगर हरिद्वार को उत्तरांचल में मिलाया गया तो [xxx] और आये दिन यह होगा। [xxx]

* श्री रवीन्द्र शुक्ला–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी ने जो सरकार की ओर से उत्तरांचल का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन कर रहा हूं। किसी भी क्षेत्र की मांग एक दिन में तय नहीं होती है। धीरे-धीरे विकास की जो असमानताएं, समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं तो स्वाभाविक रूप से लोगों के मन में यह भाव पैदा होता है। जो योजनाएं बनती हैं कभी-कभी क्षेत्रीय विसंगतियों के कारण, अलग-अलग स्थितियों के कारण अलग-अलग मौसम के कारण समान लाभ नहीं मिलता जिससे क्षेत्र विशेष की, पर कैपिटा इनकम कम हो जाती है, जीवन के साधन अनुपलब्ध हो जाते हैं जिसके कारण ऐसी मांग पैदा होती है। हमारी सरकार ने पिछली बार इस प्रस्ताव को पास किया था मैं केन्द्र सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस प्रस्ताव को पास करके अपनी नीयत जताई है यहां भेजकर इसको हमें जल्दी से जल्दी पास करना चाहिए। मैं पूरे सदन से अनुरोध करना चाहता हूं कि उत्तरांचल वासियों ने जिस तरह से 10 वर्षों से संघर्ष किया है जिसके कारण आज यह भावना पैदा हुई कि उत्तरांचल राज्य बनना चाहिए।

रामनगर चौराहे पर जिस तरह का काण्ड हुआ था उसे इतिहास भूल नहीं सकता है। आज हमारे सामने भोगांव के विधायक बैठे हैं जिनसे हमारा विशेष रिश्ता है उनको शायद वह घटना याद नहीं है अगर याद आती तो उनको स्वयं ही शर्म आती ऐसी घटना किसी भी तरह क्षमा योग्य नहीं है किस मुंह से यह बात करते हैं। आज किसी में यह हिम्मत नहीं है चाहे कोई कितना विवाद करे कि वह उत्तरांचल राज्य के गठन का विरोध करे। मैं चाहता हूं कि सदन पूरी तरह से एक मत होकर प्रस्ताव पास करें। मैं बुन्देलखण्ड से आता हूं बुन्देलखण्ड की भी एक पीड़ा है बहुत दिनों से बुन्देलखण्ड की मांग चल रही है इस प्रदेश के छोटे-छोटे राज्य बनने चाहिए इसमें किसी तरह से सन्देह नहीं है। बुन्देलखण्ड की मांग बहुत दिनों से चल रही है जिस तरह से उत्तरांचल की समस्याएं हैं उसी तरह से बुन्देलखण्ड की समस्याएं हैं। वहां पर आधी रात में जवान लड़कियां महुआ बीनती हैं इतनी गरीबी है। इतनी असमानता है अगर बुन्देलखण्ड अलग राज्य नहीं बनाया गया तो निश्चित रूप से वहां की समस्याएं

नोट :– [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विकराल रूप से खड़ी हो जाएंगी । इसलिए मैं चाहता हूं कि उत्तरांचल राज्य के साथ-साथ बुन्देलखण्ड राज्य भी बनना चाहिए । यहां की समस्याएं उत्तरांचल से कम नहीं है । यह बात मैं आपके माध्यम से सरकार तक एवं केन्द्र सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि बुन्देलखण्ड राज्य के गठन की घोषणा शीघ्रताशीघ्र होनी चाहिए । वहां बहुत सारी ऐसी तहसीलें हैं जहां एक भी ट्यूबवेल नहीं है इस बारे मैं मुझे बताया गया कि ट्यूबवेल के लिए जो मानक है उसके आधार पर प्रति क्यूसेक ली० 30 हजार गैलन डिस्चार्ज पानी होना चाहिए पर बुन्देलखण्ड में 15 हजार क्यूसेक ली० डिस्चार्ज से अधिक नहीं है । वहां विकास कार्य पूरी तरह से बाधित हो रहा है इसलिए मैं मांग करता हूं कि उत्तरांचल राज्य के इस प्रस्ताव को तो पास किया जाए साथ ही साथ यह मांग केन्द्र सरकार से आपके द्वारा करता हूं कि बुन्देलखण्ड राज्य शीघ्र बनना चाहिए ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का सवाल है । मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । मा० मंत्री जी ने बुन्देलखण्ड की मांग की है । वे संशोधन प्रस्ताव रख दें और इधर आकर बैठ जायं ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा । एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

(श्री राम जग के खड़े होकर बोलने पर)

श्री राम जग जी एक मिनट बैठ जांय । बहुत गम्भीर प्रश्न है । मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं । जो माननीय सदस्य अपने विचार इस माननीय सदन में रख रहे हैं वह क्या किसी पार्टी के सिद्धान्त के अनुसार रख रहे हैं या खड़े होकर सत्ता पक्ष के विधायक और पूर्व मंत्री कह रहे हैं कि बुन्देलखण्ड भी अलग कर दो । इस पक्ष के लोग कहते हैं हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर को अलग रखो । कोई पूर्वांचल की करने लगते हैं यह सब क्या है ।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा शोर मचाने पर)

आप असल में सब के सब सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग मतिभ्रम से ग्रसित हैं । हम जानते हैं कि आप कितने विद्वान हैं ? हमारी बात सुन लें । यह प्रस्ताव पहले तीन बार माननीय सदन में पारित हो चुका है । इसे इसी प्रस्तुत रूप में ऐसे ही पास कर दिया जाय ।

* श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, जो संकल्प पर चर्चा चल रही है उस पर बोलने के लिए मुझें जो मौका दिया गया है मैं उसके लिए आपका आभारी हूं । जिस समय यह देश आजादी की ओर अग्रसर था उस समय डा० भीमराव अम्बेदकर साहब ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था स्टेट एण्ड माइनोरिटी । उसमें लिखा था कि किस प्रकार से किसी एक राज्य का गठन हो । उन्होंने कहा कि भाषाई प्रान्त नहीं बनना चाहिए । वे वीजफल स्टेट के पक्षधर थे । उन्होंने उत्तर प्रदेश को तीन अलग-अलग राज्यों में बांटने की परिकल्पना 46 में की थी । आज हमारे पास अनेक अनुभव हैं । जिन स्टेटों को तोड़कर छोटे-छोटे स्टेट का रूप दे दिया गया वहां पर प्रशासन की अच्छी व्यवस्था है । वहां तरक्की हो सकती है । इतने बड़े राज्य को संभालना मुश्किल है परन्तु छोटे-छोटे प्रान्तों को आसानी से सम्भाला जा सकता है । हमारे पास उदाहरण है । कश्मीर, पंजाब और हिमांचल प्रदेश । यह सब पहले एक ही स्टेट के अंदर आते थे लेकिन जब यह अलग-अलग हो गये तो यहां पर सभी प्रकार की व्यवस्थायें अच्छी हो गई । इन राज्यों ने तरक्की की है । डाक्टर अम्बेडकर साहब के अनुसार उत्तर प्रदेश को भी तीन प्रान्तों में बंट जाना चाहिए । आज जो उत्तरांचल का स्वरूप पेश किया गया है वह ऐसा है जिससे आने वाले समय में हम

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सबको इसके गम्भीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे । ना तो यहां हार्टिकल्चर अच्छा है ना हाइड्रोइलेक्ट्रिक के रूप में इसको कहीं से सम्बद्ध किया गया है । यह अपूर्ण सा है । पंजाब को देखे वहां हार्टिकल्चर कितना डेवलेप हुआ है । हिमांचल देखिये वहां तरक्की हुई है । बिना आधार के किसी प्रदेश का बनाया जाना गम्भीर परिणाम को दावत देना है । मैं चाहता हूं कि हमारे प्रदेश की सरकार केन्द्र सरकार से सिफारिश करे कि एक रीआंरगनाइजेशन कमीशन का गठन करे । पुनः छोटे-छोटे राज्य बनाये जायं और वह तभी सफल होगा जब उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल को अलग राज्य का दर्जा दिया जाये जिससे उत्तर प्रदेश के मैदानी और पहाड़ी क्षेत्र को मिलाकर बनाया जायेगा । तो आज सभी को जानकारी है कि सबसे कम उत्तर प्रदेश में आबादी अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों की है और इनकी पहाड़ में सबसे कम आबादी है । सबसे दुखद स्थिति इन जातियों की पहाड़ में हैं । उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति का एक कमीशन है उसकी रिपोर्ट में लिखा है कि आज की तारीख में बहुत सारी जगहें हैं जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आदमी मिल्क प्रोडेक्ट नहीं खरीद सकता है । मान्यवर, अंटचबिलटी, छुआछूत को समाप्त करने की घोषणा की गयी और एक्ट बनाया गया लेकिन फिर भी बहुत से स्थानों में यह बरकरार है और इसे पहाड़ों में देख सकते हैं । इसलिए उन चीजों पर विचार करके राज्य बनायें जायें ।

मान्यवर, जहां तक ऊधमसिंह नगर और हरिद्वार का सवाल है हमारे तमाम साथियों ने इस पर अपने-अपने विचार रखे हैं । मान्यवर, उत्तर प्रदेश को अच्छा प्रदेश बनाना है तो डा० भीम राव अम्बेडकर जी ने 1946 में स्टेट एण्ड माइनरटी पुस्तक में जो उत्तर प्रदेश को तीन भागों में बांटने का काम किया है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश को रिआरगनाइज किया जाय और जिससे उसके सारे स्टेट विजिबिल होंगे जिससे सारे प्रदेश तरक्की करेंगे और वे समृद्धशाली हो सकेंगे । इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

उत्तरांचल राज्य मंत्री (श्री नारायण राम दास)–

अधिष्ठाता महोदय, यह उत्तर प्रदेश पुर्नगठन विधेयक पर आपने जो मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी सदन में चर्चा हुई कि इसमें तीन बार प्रस्ताव पेश कर दिये गये हैं लेकिन वास्तविकता यह है कि तीन बार प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा संकल्प के रूप में पारित हुए । एक बार, पिछली बार, केन्द्र द्वारा प्रेषित पुर्नगठन विधेयक पर इस विधान सभा में 26 संशोधनों के साथ अपनी संस्तुति दिया था । यह पांचवां अवसर है इसी विषय में लेकिन यह तो देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश में राजनीतिक व्यापार इतना अधिक बढ़ चुका है कि संविधान, सिद्धान्त और आचरण का बहुत बड़ा संकट है । मैं विशेष रूप से निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य के निर्माण के सम्बन्ध में बहुत सारे विचार प्रकट किये गये हैं कि पहाड़ में यदि मैदान को सम्मिलित कर दिया जायेगा तो वहां पर हमारा जीवन नरकमय हो जायेगा । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पहाड़ के लोग सैकड़ों वर्षों से मैदान में रह रहे हैं तो उनका जीवन नरकमय नहीं बना और मैदान में पहाड़ के लोग और पहाड़ में मैदान के लोग राष्ट्र के नागरिक के रूप में आते हैं । मान्यवर, राज्य का निर्माण जो होता है वह पहाड़ या मैदान के आधार पर नहीं बल्कि इसके सोशल और इकोनामिक प्लानिंग के आधार पर होता है ।

मान्यवर, 1938 में भी श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल में तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी के समय में उत्तरांचल राज्य बनाने का विचार किया गया था और उसके बाद कई बार इस बारे में विचार किया गया लेकिन आज पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तरांचल राज्य को बनाने का संकल्प ही नहीं लिया बल्कि संवैधानिक रूप से कदम भी उठाया है । मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि जहां इतना अच्छा कदम सरकार ने उठाया है और उत्तर प्रदेश को जो विशाल प्रदेश के रूप में माना जाता है तो उत्तर प्रदेश की यह विधान सभा अपनी विशालता का परिचय प्रस्तुत करे । मान्यवर, यह व्यवहारिक बात है कि पर्वतीय जिलों को मिलाकर जो राज्य बनेगा उसमें केन्द्र का दायित्व है किसी को हैण्ड टू

माउथ बनाने का नहीं बल्कि उस राज्य को समृद्ध बनाने का दायित्व है । मान्यवर, भौगोलिक दृष्टि से 1955 में पं० दीनदयाल उपाध्याय ने पुर्नगठन आयोग को एक पत्र लिखा था और उसमें कहा था कि यदि बम्बई में एक भी व्यक्ति महाराष्ट्र का नहीं है तब भी बम्बई महाराष्ट्र को मिलना चाहिए । इसी तरह कलकत्ता में यदि एक भी व्यक्ति बंगाली नहीं है तो भी कलकत्ता बंगाल को मिलना चाहिए । इसलिए भौगोलिक ही नहीं सोशल और इकोनामिक प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए राज्य की कल्पना की जाती है । इसलिए निवेदन है कि नजीमाबाद-धामपुर का क्षेत्र और हरिद्वार का क्षेत्र उत्तरांचल में शामिल होना चाहिए । मान्यवर, ऊधम सिंह नगर को उत्तरांचल से अलग करने का संशोधन आया है । इसलिए निवेदन है ऊधम सिंह नगर जो उत्तरांचल का अभिन्न अंग था और नैनीताल का भाग था आज उसके अलग करने की बात आ रही है । मान्यवर, आई० के० गुजराल जी, प्रधानमंत्री जब थे, उस समय सर्व सम्मत से प्रस्ताव पास हुआ था कि ऊधम सिंह नगर उत्तरांचल का भाग है लेकिन आज वही ताकत ऊधम सिंह नगर का विरोध कर रही हैं । यह राजनैतिक संकट इस तरह के संकुचित दृष्टिकोण का परिचय देता है । मैं निवेदन करना चाहता हूं इस सरकार से कि ऊधम सिंह नगर की बात का अनावश्यक विवाद न बढ़ाया जाय । नजीमाबाद, हरिद्वार जनपद न केवल सांस्कृतिक विरासत के हैं बल्कि ऐतिहासिक विरासत के स्थल हैं । हरिद्वार जिसको हम हर-हर गंगे के रूप में जानते हैं । हर का मतलब है शंकर जी और गंगा माता है । यह गंगा का उद्यगम है यह दक्षप्रजापति की तपोभूमि है । इसको किसी राजनैतिक रूप में नहीं देखा जा सकता है । हरिद्वार की जनता क्यों परेशान है । उत्तरांचल के लोग उनको कोई नरक का जीवन नहीं देंगे ।

एक राष्ट्र के नागरिक के रूप में सब होंगे । आप कभी उत्तरांचल आयें एक अतिथि के रूप में आपका कितना सम्मान वहां होगा । मेरा निवेदन है माननीय सदस्यों से और मंत्रि-परिषद् से कि जैसा अभी माननीय वर्मा जी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था । मति भ्रम करने की बात कही थी । उत्तरांचल राज्य आज नहीं बहुत पहले बन जाना चाहिए था । अगर अब आज बनने जा रहा है तो आप सबको अपना समर्थन देना चाहिए अपनी उदारता का परिचय देना चाहिए । ऐसा न कहें कि हम भारत सरकार से भीख मांग रहे हैं । आपको ऐसा वातावरण देना चाहिए ताकि इस उत्तरांचल का गठन एक अच्छे राज्य के रूप में हो सके ।

* श्री राम जग–

मान्यवर, उत्तरांचल राज्य के गठन हेतु जो उत्तर प्रदेश पुर्नगठन विधेयक, 2000 प्रस्तुत किया गया है इस विषय पर आज चर्चा हो रही है । मान्यवर, मैं यह बताना चाहता हूं कि उत्तरांचल राज्य गठन करने के पूर्व क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने राज्य पुर्नगठन आयोग का गठन किया है ? आयोग ने क्या कोई रिपोर्ट दी है । उत्तरांचल राज्य के गठन के लिये उत्तराखण्ड आन्दोलन शुरू हुआ और इस सदन में यह बार-बार सवाल आया कि उत्तराखण्ड का गठन हो । उत्तराखण्ड का गठन इसलिये हो रहा है कि आजादी के इतने लम्बे समय के बाद भी वह क्षेत्र पिछड़ा हुआ है । मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्से ऐसे हैं जो कि पिछड़े हुए हैं । आज इनके पिछड़े होने के क्या कारण हैं, इसके लिये कौन जिम्मेदार है । पिछली सरकारों ने इस पिछड़े हिस्से के विकास के लिये न तो कृषि उत्पादन की कोई बेहतर योजना बनाई न कोई बड़े-बड़े उद्योग ही खोले । न इनके विकास के लिये कोई बेहतर योजना बनाई । हमारा कहना यह है कि किसी भी पिछड़े क्षेत्र के विकास के लिये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उसके लिये बेहतर कार्य योजना तैयार करे, लोगों की रोजी-रोटी के साधन मुहैया कराये । उनके लिये उद्योग आदि का विकास करे ताकि उनका पिछड़ापन दूर हो सके । आज केन्द्र सरकार के अनुसार यह वहां के लोगों

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उत्तरांचल के गठन की बात कर रही है । यह काम इन्होंने नहीं किया है यह इनके जिम्मे आया है ।

उत्तरांचल के लोग बार-बार उत्तरांचल राज्य की मांग करते रहे हैं और बार-बार सदन से प्रस्ताव पास कराया है । मेरा मानना यह है कि किसी भी प्रदेश के उस क्षेत्र के लिये जो पिछड़ा हुआ है अलग राज्य का गठन किया जाना उनकी समस्याओं का हल नहीं है । आज मुझे यह कहने में कतई संकोच नहीं है कि इससे पहले पश्चिम में सुभाष घीसिंग द्वारा गोरखा लैंड गोरखा राज्य के गठन के लिये कहा गया और तमाम बड़ी-बड़ी पार्टियों ने गोरखा लैंड का समर्थन किया ।

गोरखालैंड राज्य बनाने के लिए पश्चिम बंगाल गर्वनमेंट पर दबाव डाला पश्चिम बंगाल गर्वनमेंट ने साबित किया कि अलग राज्य बनाने से समस्या हल नहीं होगी, इसमें उन्होंने गोरखा राज्य परिषद का गठन किया । उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में अलग राज्य बनाने की बात चल रही है । एक मंत्री ने अलग राज्य बनाने की बात कही, बुन्देलखण्ड राज्य की बात कही गई, कूर्मांचल राज्य की बात कही गई, उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार बेहतर योजना तैयार नहीं कर पा रही है बल्कि जनता के विचारों को दबाने के लिए या यूं कहिए अपनी कमजोरी छिपाने के लिए अलग राज्य का गठन कर रहे हैं । उत्तराखण्ड की जनता के लिए जो उत्तरांचल का अलग गठन किया जा रहा है वह हल नहीं है उनके पास न उद्योग है न खेती है उत्तरांचल राज्य का गठन करने की बात केन्द्र सरकार की मर्जी पर वहां की जनता छोड़ रही है, मेरा यह कहना है कि अभी भी उत्तरांचल के गठन के सवाल पर हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर की जनता उत्तराखण्ड में नहीं जाना चाहती है ।

(इस समय 3 बजकर 32 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

मान्यवर, आप उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दें कि उत्तर प्रदेश का विभाजन करके उत्तर प्रदेश की जनता के साथ खिलवाड़ न करें जैसे उत्तरांचल बन रहा है इसी तरह पूर्वांचल और बुन्देलखण्ड बनायेंगे तो आप उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दें कि उत्तर प्रदेश की जनता के साथ खिलवाड़ न करे । उत्तरांचल पहाड़ी हिस्सा है तो ऐसी योजना तैयार करें कि उत्तरांचल के विकास के लिए बेहतर काम हो । मेरा मान्यवर, आपसे अनुरोध है कि उत्तरांचल राज्य का गठन न किया जाए इससे उत्तर प्रदेश की जनता का अपमान है, भारी नुकसान होगा । आप एक नया विवाद उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश की जनता के बीच खड़ा कर देंगे, जिससे उत्तरांचल की जनता का विकास रुक जाएगा । जिस कारण उत्तरांचल की जनता पिछड़ी है आप उसके बेहतर इंतजाम करायें । कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी चाहती है कि उत्तर प्रदेश का विभाजन न हो उत्तरांचल न बनाया जाए बल्कि उत्तरांचल परिषद का गठन किया जाए ।

* श्री केदार सिंह फोनिया–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, भारत सरकार द्वारा रखे गये पुर्नगठन विधेयक और प्रदेश सरकार के संकल्प पर अपने विचार रखने एवं उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, मैंने पुर्नगठन विधेयक भी देखा और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत संकल्प भी देखा । दोनों में उत्तरांचल बनाने की प्रबल संस्तुति की गई है । मैं केन्द्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का आभारी हूं । मान्यवर, मैं इस महान सदन का भी आभार प्रदर्शन करता हूं कि तीन बार यह प्रस्ताव पारित हो चुका है । ''पुर्नगठन'' शब्द मान्यवर एक औपचारिक शब्द है ऐसा मैं मानता हूं । असल में पुर्नगठन जो हो रहा है यह एक बहुत बड़े परिवार का विभाजन हो रहा है । यह तो सब मानते हैं कि परिवार जब बड़ा हो जाता है तो व्यवस्थायें डगमगा जाती हैं और परिवार को छोटे परिवार के रूप में सुसंस्कृत, सुशासित, सुसंगठित बनाने हेतु परिवार का विभाजन किया जाता है ।

(समय 3 बजकर 35 मिनट)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

ठीक उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश पुर्नगठन विधेयक का प्रस्ताव एक बहुत बड़े परिवार के विभाजन का प्रस्ताव है, और वह इसलिए है कि दोनों प्रदेश सुसंगठित, सुप्रशासित और सुसंस्कृत बने । मुझे खेद है कि कुछ लोगों ने इसे विघटन या पहाड़ी और मैदानी क्षेत्र के लोगों के बीच में झगड़े का कारण बताया । मुझे उनके सामान्य ज्ञान पर तरस आता है । यह दोनों क्षेत्र के लागों को अच्छे प्रशासित ढंग से रहने की दिशा है । मान्यवर, जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया कि मैं केवल भाषण देने के लिए नहीं उठा हूं, मैं केवल केन्द्र सरकार के द्वारा प्रस्तुत विधेयक और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रस्तुत संकल्प के कुछ मदों पर बोलने के लिए खड़ा हूं । मान्यवर, सबसे पहले मद संख्या–3 देखें । मान्यवर, परिवार का जब विभाजन होता है तो बड़े भाई का यह प्रयास होता है कि छोटे भाई को एक अच्छा घर दे जिसमें बिजली, पानी और खाने की अच्छी व्यवस्था हो । हम बड़े भाई का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमें पर्वतीय क्षेत्र में रहने के लिए घर दे दिया । घर तो दे दिया लेकिन उसका क्या मतलब जब उसमें द्वार न हो ।

मान्यवर, हरद्वार ही उत्तरांचल का द्वार है और इसके बिना उत्तरांचल राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है । मान्यवर, मैं यह बताना चाहता हूं कि हरद्वार शब्द का अर्थ क्या है । इसको यह नाम क्यों दिया गया है । हर का मन्दिर केदारनाथ में है और हरि का मन्दिर बद्रीनाथ में है । तो हर और हरि के द्वार को हरिद्वार कहा गया है । तो हरि और हर के द्वार तक पहुंचाने वाले हरिद्वार को आप कैसे अलग कर देंगे ? मान्यवर, इसके ऐतिहासिक और पौराणिक प्रमाण भी हैं । कपिल ऋषि का आश्रम हरिद्वार में था और गंगा अवतरण की कहानी से आप लोग भी भिज्ञ होंगे । राजा सगर के साठ हजार पुत्रों की शुद्धि के लिए गंगा का अवतरण हुआ था तो गंगा जी हरिद्वार में आयी थीं । पुराणों में कहा गया कि कपिल मुनि के जिस आश्रम में राजा सगर के पुत्रों की भस्मि का शुद्धिकरण हुआ वह स्वप्न उत्तरांचल में था यह पौराणिक और ऐतिहासिक साक्ष्य है । टेहरी के महाराजा कीर्ति शाह और प्रदयुम्न शाह के राज्यों की सीमाएं सहारनपुर जिले तक थीं । वहां महाराजा टिहरी की सीमाएं थीं । स्वयं मुलायम सिंह यादव जी जब सरकार में थे तो कौशिक कमेटी ने कहा था कि हरिद्वार उत्तरांचल का अंग है और यह उसमें चला जाना चाहिए तो यह सब विरोध क्यों ? मुझे इस चीज का दुख है कि हमारी अपनी सरकार ने हरिद्वार को उत्तरांचल से अलग रखने का प्रस्ताव भेजा है । मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं और अपनी सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर पुनर्विचार करें और हरिद्वार को उत्तरांचल में शामिल करें और केन्द्र सरकार को इसमें शामिल करने के लिए कहें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी हरिद्वार की बात समाप्त करता हूं और अन्य खण्डों पर अपने विचार रखता हूं । मान्यवर, खण्ड–7 में भारत सरकार के इस विधेयक में राज्य सभा के लिए उत्तरांचल के लिए 3 सदस्यों का प्राविधान किया गया है । ऐसा लगता है कि गलती से या जानबूझकर प्रदेश सरकार के संकल्प में 3 की जगह पर गलती से दो इसमें हो गया है इसको तीन कर लिया जाय । इसी प्रकार हरिद्वार का जिला उत्तरांचल में आ जाय तो लोक सभा में उत्तरांचल में चार के स्थान पर पांच सदस्य हो जायेंगे । विधान सभा में सदस्य संख्या आबादी के आधार पर निर्धारित की जाती है । हिमांचल प्रदेश में इस समय 70 से 80 हजार की जनसंख्या पर एक विधायक है और वहां विधायकों की संख्या 68 है हमारी उत्तरांचल की आबादी हिमांचल प्रदेश से लगभग 4 लाख अधिक है । हरिद्वार को मिलाकर 15 लाख अधिक हो जायेगी । इसलिए प्रस्तावित उत्तरांचल प्रदेश में कम से कम 70 विधान सभा क्षेत्र होने चाहिए ।

मान्यवर, अनुसूचित जातियों और जनजातियों का सवाल है वो सभी जातियां जो मैदानी क्षेत्र में हैं यह जरूरी नहीं है कि पर्वतीय क्षेत्र में भी हो, इसी तरह से जो पर्वतीय क्षेत्र में हैं वह मैदानी क्षेत्र में भी हों । जो यह लम्बी अनुसूची उत्तर प्रदेश की है इसमें 75 प्रतिशत जातियां ऐसी हैं जो पर्वतीय क्षेत्र में नहीं हैं पर्वतीय क्षेत्र की कुछ ऐसी जातियां हैं जो अनुसूची में नहीं आयी हैं । इसके खण्ड 24-25 में संशोधन आवश्यक हैं इन दोनों खण्डों के साथ यह पैरा जोड़ लिया जाय, जो जातियां उत्तर वर्ती राज्यों

में नहीं हैं या जिन जातियों के नाम अनुसूची में नहीं हैं, उनको हटाने या सम्मिलित करने का अधिकार उत्तरवर्ती राज्यों को हो जाय । मान्यवर, आस्तियों और दायित्वों के प्रभाजन के बारे में जितने क्लाज आये हैं उनमें खण्ड 43 एक (क) में यह लिखा है कि यदि यह सम्पत्ति अन्तरित राज्यों के भीतर हों तो उत्तरांचल राज्य को स्थानान्तरित हो जायेंगी अथवा ऐसे अन्य मामलों में सभी उत्तर प्रदेश की सम्पत्ति होगी यह बिल्कुल मान्य है । लेकिन इसमें एक उपखण्ड "ग" इस आशय का जोड़ दिया जाय कि यदि यह सम्पत्तियां किसी तीसरे राज्य क्षेत्रों में हों तो उनका संकरण दोनों उत्तरवर्ती राज्यों के वार्ता के अनुसार किया जायगा या केन्द्र सरकार के आदेशों के आधार पर होगा । मान्यवर, दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास में उत्तर प्रदेश की सम्पत्तियां हैं मेरा इशारा ऐसी सम्पत्तियों की ओर है । उत्तरांचल राज्य बन जायेगा तो इनका उस हिसाब से बटवारा हो बड़े भाई का फर्ज है कि छोटे भाई के हितों की रक्षा की जाये । मान्यवर, उत्तर प्रदेश के संकल्प में एक बहुत अच्छी बात यह आयी हैं कि केन्द्र सरकार उत्तरांचल राज्य की राजधानी के निर्माण का समस्त व्यय वहन करेगी । यह जो प्रस्ताव केन्द्र के विधेयक में नहीं था उसके लिए हम उत्तर प्रदेश सरकार के आभारी हैं कि इतना सुन्दर प्रस्ताव आया लेकिन इसके साथ ही मान्यवर, इसमें एक लाइन और जोड़ दी जाय कि प्रथम किश्त के रूप में इस कार्य के लिए उत्तरांचल राज्य को 1000 करोड़ दिये जायं ।

मान्यवर, खण्ड 72 में सेवाओं के बारे में उपबन्ध है इसके उपखण्ड 3 में निम्न है–

उपधारा 2 में निर्दिष्ट राज्य काडरों की प्रारम्भिक सदस्य संख्या और संरचना ऐसी होगी जो केन्द्र सरकार नीयत दिन से पहले आदेश द्वारा अवधारित करे ।

यह सही है कि आई० पी० एस०, आई० ए० एस० अधिकारियों का निर्धारण केन्द्र सरकार करेगी, लेकिन इसमें एक शर्त जोड़ना बहुत आवश्यक है कि सरकार नियत तिथि से पहले अधिकारियों या कर्मचारियों के विकल्प के आधार पर आदेश द्वारा अवधारित करे ।

उत्तरांचल का नया राज्य बनेगा आवश्यक है कि यह भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बने इसके लिये सेवाओं के बारे में एक पैरा जोड़ दिया जाय । गुप्तचर विभाग जो भारत सरकार का है उनके द्वारा इण्टरनेट पर जिन अधिकारियों को भ्रष्ट सूची में रखा गया है उनको उत्तरांचल न भेजा जाय ।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें ।

श्री केदार सिंह फोनिया–

मान्यवर, खण्ड 78 (1) में लोक सेवा आयोग के लिए व्यवस्था की गयी है कि उत्तर प्रदेश का लोक सेवा आयोग नियत दिन के बाद उत्तरांचल में कोई काम नहीं करेगा लेकिन इसमें कोई प्राविधान नहीं है कि उत्तरांचल के लिए एक अलग से लोक सेवा आयोग का गठन किया जाय । इसलिए निवेदन है कि इसमें एक लाइन जोड़ दी जाय कि नियत दिन से उत्तरांचल के लिए अलग से लोक सेवा आयोग का गठन किया जाय ।

मान्यवर, जलस्रोत का प्रबंध और विकास के लिए खण्ड 79 (1) है । मान्यवर, जल राष्ट्रीय सम्पत्ति है । जल से उत्पन्न बिजली सबके लिये होनी चाहिए । जल और बिजली का उपयोग राष्ट्र के उस क्षेत्रों में होना चाहिए जहां इसकी आवश्यकता हो । पहाड़ के पानी को कोई पहाड़ में रोक नहीं सकता और पहाड़ में अगर बिजली पहाड़ के लोगों की आवश्यकता से अधिक उत्पन्न होती है तो उसका उपयोग पूरा राष्ट्र करे यह हम चाहते हैं । लेकिन इसमें जो प्राविधान बनाया गया है 79 की उपधारा–3 में (क) और (ख) है । कदाचित मुझे ऐसा लगता है कि भारत सरकार के उन लोगों के जिन्होंने इस विधेयक की संरचना की है के दिमाग से एक बात निकल गई है कि पानी राष्ट्रीय सम्पत्ति है बिजली राष्ट्रीय सम्पत्ति है इसका संचालन बोर्ड कर सकता है लेकिन इसका स्वामित्व कहां है । स्वामित्व से कोई फर्क नहीं पड़ता

है । सम्पत्तियां किसी की हों इसका उपयोग तो राष्ट्र ही करेगा । स्वामित्व के इस पर्टीकुलर मुद्दे को स्पष्ट करने के लिए (क)–(ख) के पश्चात् (ग) में यह जोड़ दिया जाय । "लेकिन प्राकृतिक नियमों का सम्मान करते हुए इन परियोजनाओं का स्वामित्व उस उत्तर वर्ती राज्य की होंगी जिसमें यह योजनाएं अवस्थित होंगी ।"

मान्यवर, स्वामित्व निर्धारण होने से किसी दूसरे राज्य का नुकसान नहीं होगा क्योंकि पानी कोई रोक नहीं सकता है और बिजली आवश्यकता से ज्यादा होगी तो वह बाहर ही जाएगी । इसी खण्ड के आखिरी पैरा में लिखा गया है कि बोर्ड को यह अधिकार होगा कि नियत दिन के पहले उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा, सरकार से भिन्न किसी व्यक्ति या अधिकारी के साथ की गई संविदा के अधीन का अधिकार तथा दायित्व, इसके अन्तर्गत नहीं होगें । इसमें स्पष्ट नहीं किया गया है, कि यह अधिकार किसका होगा । अतः इसमें यह जोड़ दिया जाय कि ऐसे संविदाओं के अन्तर्गत जो अधिकार तथा दायित्व होंगे, वह उस उत्तरवर्ती राज्य के होंगे जिसमें यह परियोजनायें स्थित हों । मान्यवर, खंड 80 में उत्तर प्रदेश सरकार के संकल्प में बहुत व्यवहारिक सुझाव है । हम उससे सहमत हैं कि यह जो बोर्ड बने, वह केवल उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल के चयनित सदस्यों का ही बोर्ड बने, हम लोग इसका स्वागत करते हैं । मुझे इन्हीं बातों पर बोलना था, अपनी बात समाप्त करने से पहले एक छोटी सी औपचारिकता करता हूं कि यह जो महान सदन है, यह भारतवर्ष के सर्वश्रेष्ठ सदनों में से है । जिस प्रकार एक बच्चा लिखना पढ़ना सीखता है, उसी प्रकार मेरे लिये यह सदन सीखने का स्थान रहा । हम लोगों ने यहां पर बहुत अच्छी बातें सीखी हैं और उत्तरांचल बन जाने के पश्चात भी यह सदन उत्तरांचल का मार्ग दर्शक बना रहे, यही मैं चाहता हूं, धन्यवाद ।

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आज एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिये आपने अवसर दिया है । कहीं दुविधा न रहे, कहीं कोई संशय न रहे, इसलिये मैं अपनी और अपने दल की स्थिति स्पष्ट कर देना चाहता हूं । हम एक आत्मनिर्भर, मजबूत, स्वावलंबी पर्वतीय अंचल के बने रहने के पक्षधर थे और रहेंगे । हम चाहते हैं कि पर्वतीय अंचलों को गठित करके एक राज्य का गठन हो, जो एक ऐसा राज्य हो जो अपने पैरों पर खड़ा हो सके और दूसरे पर निर्भर न हो । एक ऐसा राज्य हो, जिसकी अपनी सांस्कृतिक विरासत अक्षुण्ण रह सके, एक ऐसा राज्य हो जो अपने संसाधन आर्थिक रूप से विकसित करने में सक्षम हो । मान्यवर, यह तो मेरी और मेरे दल की इच्छा है लेकिन यह कभी पूरी नहीं होगी । इसलिये पूरी नहीं होगी क्योंकि मेरे सामने जो बैठा हुआ राजनीतिक सत्तारुढ़ दल है, इसकी भी अपनी कुछ इच्छा है, कुछ मजबूरियां हैं, कुछ परेशानियां हैं । मान्यवर, आज उत्तरांचल राज्य की स्थिति कुछ यूं हो गई है, हमारे पर्वतीय अंचल के भाई क्षमा करेंगे, इसको एक फुटबाल बना दिया गया है, कभी उत्तर प्रदेश सरकार किक मारती है तो दिल्ली की सरकार के पास जाती है, जब दिल्ली सरकार किक मारती है तो फिर वापस आ जाती है मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि यह क्यों है ? प्रदेश में भाजपा की मिली जुली सरकार है, केन्द्र में भाजपा की मिली जुली सरकार है । मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी के घटक के हैं और प्रधानमंत्री भी उसी घटक के हैं । पहले सुनते थे कि पटती ही नहीं है लेकिन आज तो पटती भी है । जब एक ही दल की सरकार है तो संशोधन लाने की जरूरत क्यों पड़ी । जब पाकिस्तान के साथ भी वार्ता होती है, जब दो राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं तो पहले अधिकारी मिलते हैं और बिन्दु तैयार कर लेते हैं । लेकिन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच संवादहीनता कैसे है । पिछली बार 26 संशोधन थे, वहां से लौटा तो मैं समझ रहा था कि कम होने चाहिए । इस बार 29 संशोधन जा रहे हैं, अगली बार 39 होंगे । यह इस सरकार की मजबूरी है, जिन्दा रहने की मजबूरी है, बने रहने की मजबूरी है, ये बना ही नहीं सकते उत्तरांचल या उत्तराखण्ड, कारण कि 425 की विधान सभा है । 425 की विधान सभा में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत भी नहीं रहा । जोड़-तोड़ करके, दल परिवर्तन

करके, दलों को तोड़ कर गठबन्धन की सरकार बनाते हैं । जब भी सरकार की शक्ति परीक्षण होता है, कभी 224 और 226 से ऊपर यह सरकार नहीं गई । 226, बहुमत 213 से केवल 13 ज्यादा है । यह उस समय था जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अब तो वह भी छोड़कर गये हैं, कुछ लोग अभी भी उनके साथ होंगे ही ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त रहें । जबान फिसल गयी होगी ।

(व्यवधान)

संस्थागत एवं व्यापार कर राज्य मंत्री (श्री अमर मणि त्रिपाठी)–

उनके नेता ने नैतिकता स्वीकार कर ली लेकिन उन्होंने अब भी नहीं स्वीकार की ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, जब नैतिकता की बात चलती है और नैतिकता के नाम पर नैतिकता की दुहाई देने के लिए अमर मणि त्रिपाठी जी खड़े होते हैं आपको बेशर्मी के साथ निकाल दिया है । मान्यवर, बराबर कर लेना मेरी आदत है । मैं उधार नहीं रखता । मान्यवर, 213 पर बहुमत होता है, ये 226 से ज्यादा बहुमत साबित नहीं कर पाये यदि उत्तरांचल राज्य बन गया तो 19 विधायक अलग होंगे । इन 19 विधायकों में 17 भारतीय जनता पार्टी के हैं । यदि 17 चले गये तो मान्यवर, यह सरकार अल्पमत में आ जायेगी । जब तक यह सरकार उत्तर प्रदेश में जिन्दा रहना चाहती है, बने रहना चाहती है तो कभी इस पर 26 संशोधन आयेंगे तो कभी 29 संशोधन आयेंगे कभी 40 आयेंगे और उत्तरांचल राज्य कभी बनने नहीं पायेगा यदि ऐसा नहीं होता तो मैं याद दिलाना चाहता हूं । मान्यवर, तत्कालीन और वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने, आप पूछ लीजिए जहां पर 17 विधायक आपके साथी मौजूद हैं, तत्कालीन प्रधानमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 90 दिन के अन्दर उत्तरांचल राज्य का गठन हो जायेगा । 900 दिन बीत गये हैं वहां पर दिमाग की शुद्धी के लिए हवन चल रहा था कि 90 दिन की याद आ जायें । मैं तो यह कहना चाहता हूं कि जब सच बोला जाए तो वह भी कड़ुवा लगता है । मान्यवर, आज मैंने अखबार में पढ़ा मैं चाहता हूं कि इधर और उधर बैठे हुये लोग इसको गम्भीरता से लें । आज जो अखबार में कहा गया है उससे सारी बात समझ में आ जायगी कि आपकी हमारी और इस मंडप के नीचे बैठने वालों की हैसियत क्या है ?

(इस समय 4 बजे अधिष्ठाता डा० सरजीत सिंह डंग पीठासीन हुए ।)

केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री जी ने कहा कि कहने के लिये चाहे जो संकल्प कर लें होगा वही जो हम चाहेंगे । तो मैं कहना चाहता हूं कि फिर यह संकल्प किस बात के लिये आया है अगर एक केन्द्रीय मंत्री हमारे संकल्प के पहले ही अपने विचार रख देता है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा जो चाहे करती रहे होगा वही जो हम चाहेंगे तो ऐसे वक्तव्य की मैं निंदा करता हूं और इस वक्तव्य की जितनी निंदा की जाय वह कम है । इससे इनकी नीयत साफ हो गयी है । अधिष्ठाता महोदय मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार भी उत्तरांचल को बनने नहीं देगी क्योंकि 17 विधायक चले जायेंगे और यह सरकार धराशायी हो जायगी और जब धराशायी हो जायगी तो फिर लौटकर आना नहीं है । इसलिए उत्तरांचल बने या न बने इन लोगों को अपनी सरकार चलानी है अभी यह बनाना नहीं चाहते हैं जबकि हम तो चाहते हैं कि बने ।

मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं पर्वतीय अंचल के प्रति पूरी श्रद्धा और अकीदत से कहना चाहता हूं कि पर्वतीय अंचल इस प्रदेश की उन्नति और विकास में भागीदार रहा है । उसकी एक सांस्कृतिक विरासत रही है । कांग्रेस ने वहां से 3-3 मुख्य मंत्री दिये हैं । श्री गोविन्द बल्लभ पंत,

माननीय बहुगुणा जी और माननीय नारायण दत्त तिवारी जी जो आज हमारे नेता हैं । आपको भी मौका मिला लेकिन आपने देने के लिये नहीं सोचा । कारगिल युद्ध में अगर शहीदों को देखा जाय तो सर्वाधिक शहीद पर्वतीय अंचल के लोग हुये हैं मैं उनको नमन करता हूं और 2-3 बातों को और कहना चाहता हूं । मान्यवर, जरा यह पता करें कि इसका विरोध कौन कर रहा है । केन्द्र में अकाली दल इसका विरोध कर रहा है जो भा०ज०पा० का सहयोगी है । अकाली दल के लोग आपकी भा०ज०पा० सरकार में शामिल हैं, भा०ज०पा० गठबंधन में शामिल हैं । भा०ज०पा० गठबंधन में शामिल मंत्री विरोध कर रहे हैं ।

श्री अजय भट्ट–

कृपा करके हरिद्वार पर अपनी पार्टी का दृष्टिकोण बतायें ।

श्री प्रमोद कुमार–

आप पहले अपने दल की नीति और नीयत साफ कर लें । अगर अकाली दल आपका समर्थन नहीं कर रहा है तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है । मैं अपने कुछ सहयोगियों के विचार जान लूं जो इधर से उधर गये हैं और वहां मंत्री बने बैठे हैं नरेश अग्रवाल जी । अगर उनका विचार नहीं है तो आपको दूसरों के विचार जानने का हक नहीं है ।

ऊर्जा मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)–

विधान सभा में जो प्रस्ताव आया है वह हमारे सहयोग से आया है हमारी पार्टी उससे स्पष्ट रूप से जुड़ी है । हमारी पार्टी का दृष्टिकोण साफ है । आप अपनी पार्टी का दृष्टिकोण स्पष्ट करें । आप उधम सिंह नगर और हरिद्वार दोनों के बारे में अपनी पार्टी की नीति स्पष्ट करें ।

श्री प्रमोद कुमार–

अब मुझे उत्तरांचल राज्य का भविष्य समझ में आ गया है । जब इस प्रदेश के मंत्रीगण का रुख स्पष्ट नहीं है ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

माननीय नेता कांग्रेस विधान मण्डल दल कम से कम अपनी पार्टी के रुख को विधान सभा में बता दें । सबसे ज्यादा दुर्गति इनकी है ।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर शोर/व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

दुर्गति का कारण यह है कि कुछ [xxx] थे जो इधर से उधर चले गये । मैं तो कहता हूं कि नरेश अग्रवाल जी [xxx] की आप एक पार्टी बना लें ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जब आप जैसा नेता होगा तो कैसे पार्टी में रहेंगे ?

श्री अजय भट्ट–

माननीय मंत्री जी ने जो अपना दृष्टिकोण बता दिया आपका क्या दृष्टिकोण है । आपके पार्टी के लोग हरिद्वार के बारे में पहाड़ में इसके विरुद्ध बोलते हैं कम से कम सदन में यह खुलासा होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं ? उत्तरांचल में हरिद्वार रहना चाहिए या नहीं, स्पष्ट करें ।

नोट :– [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

संस्कृति, पूर्त एवं धर्मस्व मंत्री (डा० रमेश पोखरियाल "निशंक")–

तिवारी जी, अखबार में कुछ बोलते हैं, सदन में कुछ बोलते हैं और इनके लोग हरिद्वार में कुछ बोलते हैं। दिल्ली के लोग कुछ और बोलते हैं। आप तो वहां के नेता हैं। आपका क्या दृष्टिकोण है सदन में अपनी बात स्पष्ट कर दें।

श्री अधिष्ठाता–

सदन में किसी माननीय सदस्य को कुछ कहने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, बाध्य तो नहीं किया जा सकता लेकिन जो बात करें वह स्पष्ट करें।

श्री अधिष्ठाता–

अगर माननीय सदस्य स्पष्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं लेकिन दबाव नहीं डाला जा सकता।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, स्पष्ट करने की हिम्मत नहीं है।

श्री तिलकराज बेहड़–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे उत्तरांचल पुनर्गठन विधेयक पर बोलने का अवसर दिया। इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। उत्तरांचल राज्य के गठन तथा ऊधमसिंह नगर पर काफी माननीय सदस्यों ने चिन्ता प्रकट की है। कुछ माननीय सदस्यों का यह मानना है कि ऊधम सिंह नगर उत्तर प्रदेश में रहे और कुछ सदस्यों का मानना है कि उधमसिंह नगर उत्तरांचल राज्य में रहना चाहिए।

(व्यवधान)

(श्री राम नक्षत्र द्वारा कुछ बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

मा० राम नक्षत्र जी, आप बैठें। मेरे पास जो सम्मानित दल के नेताओं की ओर से सूची आयी है उसमें जिन माननीय सदस्यों के नाम हैं, मैं संख्या के अनुसार माननीय सदस्यों को सुनूंगा। 12-13 माननीय सदस्यों के नाम सत्तापक्ष की ओर से और 6-7 नाम प्रतिपक्ष की ओर से आये हैं।

श्री राम नक्षत्र–

[xxx]

श्री अधिष्ठाता–

मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। माननीय सदस्य ने जो बिना अनुमति के कहा है उसका उल्लेख कार्यवाही में नहीं किया जायेगा।

* श्री तिलकराज बेहड़–

मान्यवर, मैं उन सदस्यों से जो चिन्ता कर रहे थे कि उधमसिंह नगर उत्तर प्रदेश में रहना चाहिए मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उधमसिंह नगर की जनता उत्तरांचल में रहना चाहती हैं । उधमसिंह नगर की जनता ने हमेशा उत्तरांचल को सहयोग किया है । यहां पर कुछ सदस्यों ने पता नहीं क्यों ऊधमसिंह नगर में तोड़-फोड़ की चर्चा की है ऊधमसिंह नगर हमेशा कुमायूं के साथ रहा है । मेरी यह जानकारी में आया है कि कुछ लोग ऊधमसिंह नगर आये एवं वहां का माहौल खराब किया । लेकिन उनको सफलता नहीं मिली । उन्होंने जनमत संग्रह का प्रयास किया लेकिन कभी सफलता हाथ नहीं लगी । वह खाली हाथ लौटकर आये हैं । वहां की जनता ने हमेशा यह कहा कि वह उत्तरांचल में रहना चाहती है । ऊधमसिंह नगर की जनता का कहना है कि नेशनल हाई वे जो खटीमा से लेकर हरिद्वार तक उसके ऊपर पड़ने वाला क्षेत्र फजलगंज, बिजनौर, नगीना, क्षेत्र धामपुर, नजीबाबाद क्षेत्र हरिद्वार का पूरा क्षेत्र इसमें सम्मिलित किया जाए ताकि उत्तरांचल एक वृहद् क्षेत्र बन सके और मजबूत क्षेत्र बने । तराई का जो क्षेत्र है जहां पहले जंगल था वहां पाकिस्तान से लोग आकर नदी नालों को पाटकर कृषि योग्य जमीन का निर्माण किया । वहां की जनता चाहती है कि उत्तर प्रदेश का जो सीलिंग एक्ट है उसको उसी तरह वहां लागू किया जाए । अलग से सीलिंग एक्ट न बनाया जाए । ऊधमसिंह नगर चावल के लिए प्रसिद्ध है वहां इसके एक्सपोर्ट का काम होता है इसमें भी कोई नीति बनायी जाए । ऊधमसिंह नगर उत्तरांचल में रहे उत्तरांचल का क्षेत्र हरिद्वार तक बढ़ाया जाए यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

डा० ज्ञानवती सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया । अभी कई लोगों ने इस सम्बन्ध में अपने विचार रखे हैं कि हरिद्वार उसमें होना चाहिए और ऊधमसिंह नगर भी उसमें होना चाहिए मेरा कहना यह है कि अगर सभी धार्मिक स्थान उत्तरांचल में चले जायेंगे तो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए यह ठीक नहीं होगा यह मेरा विचार है कि हरिद्वार उत्तर प्रदेश में रहना चाहिए इस विधेयक पर बहुत बहस हो चुकी है अनेकों बार पास हो चुका है सेन्टर में जा चुका है इसमें आगे देरी नहीं होनी चाहिए । उत्तरांचल राज्य जल्दी से जल्दी घोषित होना चाहिए । जब तक यह नहीं होगा तो जिस तरह से मां बेटे को पकड़कर अंगुली पकड़कर चलाना सिखाती है जब तक बच्चा अंगुली पकड़े रहता है तब तक वह चलना नहीं सीखता । उत्तरांचल के लोगों को डर लग रहा है कि हमारा एरिया छोटा हो जाएगा हम प्रगति नहीं कर सकेंगे यह बात गलत है । हमारे सामने हिमाचल प्रदेश का उदाहरण है वहां से दो एम० पी० चुनकर जाते हैं वहां की जनसंख्या यहां से कम हैं उत्तरांचल से चार एम० पी० और 19 विधायक चुनकर आते हैं यहां का एरिया भी ज्यादा है । जब तक मां बच्चों को अपने हाथ से पकड़े रहती है वह चलना खाना नहीं सीखता । अगर जल्दी से जल्दी उत्तरांचल का गठन कर दिया जाएगा तो कोई कारण नहीं कि वह तेजी से प्रगति न कर सके । यह सर्वविदित है और हिमांचल प्रदेश तथा हरियाणा प्रान्त का उदाहरण हमारे सामने है कि इन प्रदेशों के पंजाब का विभाजन होने के बाद ही विकास हो पाया है । उत्तरांचल बनने के बाद यह भी तेजी से विकास कर सकेगा । शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि सभी तरह से यहां विकास कार्य शीघ्रता से हो सकेगा । वहां की जनता हमेशा कर्मठ रही है । अनेकों कठिनाइयों को सहते हुए भी हर क्षेत्र में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

विशेष कर हमारे देश की रक्षा में हमसे आगे रहे हैं । अनेकों राजनेता तथा बहादुर जवान और जनरल भी पैदा हुए हैं तो कोई कारण नहीं है कि वे उन्नति न कर सके । मेरा यह कहना है कि जल्दी से जल्दी उत्तरांचल का गठन किया जाय । इस प्रकार हम अपने प्रदेश को अपने देश को विकसित कर सकेंगे । इतने बड़े उत्तर प्रदेश को छोटे-छोटे प्रान्तों में बांटा जाना चाहिए । अभी यह सम्भव नहीं है कि इतने बड़े प्रदेश को एक ही मुख्य मंत्री चला सके । यह अंग्रेजों के समय से ही विदित है कि इसको यूनाइटेड प्राविंस कहा गया था । जनसंख्या की दृष्टि से भी इस प्रदेश का विभाजन होना आवश्यक है । उत्तर-पश्चिम-पूर्व के विधायकों को नहीं जानते और वहां के विधायक हमें नहीं जानते । अधिकारी भी एक दूसरे को नहीं जानते । इसलिए राजनीतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से हर तरफ से यह उचित होगा कि उत्तर प्रदेश को उत्तरांचल के अलावा भी तीन राज्यों में बांटा जाय । यह उत्तरांचल की मांग जब हमारे मुख्य मंत्री पन्त जी थे, उस समय भी उठी और चौधरी चरण सिंह जी ने उठायी । फिर बहुगुणा और तिवारी जी जब मुख्य मंत्री थे, उस समय भी इसकी मांग की गयी पर पता नहीं किन कारणों से यह मामला टलता ही रहा । मेरा मानना है कि इस इतने बड़े प्रदेश को तीन हिस्सों में बांटा जाना चाहिए । तभी विकास सम्भव है । धन्यवाद ।

श्री मुन्ना चौहान–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह एक ऐतिहासिक क्षण है । आजादी के बाद पहली बार 38 में, मैं यह बात इसलिए भी कह रहा हूं कि श्री प्रमोद जी यहां बैठे थे वह भी सुन लें, 5-6 मई को गढ़वाल के अन्दर कांग्रेस के अधिवेशन में पंडित जवाहर लाल नेहरू जी जब वहां मौजूद थे उत्तराखण्ड राज्य की मांग का समर्थन किया था । दूसरी बात मैं श्री रामजग जी की पार्टी के विषय के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि 1952 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव श्री पी०सी० जोशी जी ने कहा था कि उत्तराखण्ड के लिए अलग से पृथक राज्य का गठन किया जाय ताकि वहां की आर्थिक तरक्की की जा सके ।

श्री राम जग–

यह मुझसे सम्बन्धित नहीं है, मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का नेता हूं और जो यह बात कर रहे हैं वह कम्युनिस्ट पार्टी से सम्बन्ध रखती है । मेरी पार्टी ने ऐसा बयान कभी नहीं दिया है ।

श्री मुन्ना चौहान–

कृपया आप बैठ जाइये मुझे अपनी बात कहने दीजिये ।

श्री अधिष्ठाता–

उनकी बात सही है । जब आपकी पार्टी अविभाजित थी तब की बात उन्होंने कही है ।

श्री मुन्ना चौहान–

आगे मैं कहना चाहता हूं कि बुनियादी दौर पर कहना चाहता हूं, हम किसी धर्म के आधार पर, सम्प्रदाय के आधार पर, भाषा के आधार पर बटवारे की वकालत करने वालों का विरोध करते हैं । जिस भारत का गठन हुआ है, जो प्रान्त बनाये गये हैं भाषावाद के आधार पर । [xxx] हम कहते हैं इण्डिया इज ए कन्ट्री अमंग डाइवरसिटी । मुझे आश्चर्य हो रहा है ।

मुझे आश्चर्य होता है कि सदन के अन्दर मानकर चलते हैं और जातियों का बन्दर बांट करके संकीर्णता का परिचय माननीय सदस्य देते हैं । बहुजन समाज पार्टी के एक माननीय सदस्य ने मुझसे परसों कहा कि उत्तरांचल बनाकर क्या करेंगे ? पहाड़ के लोग बाहर जाकर बरतन साफ करते हैं तो हमने उनसे कहा कि कलेक्टर क्या कर रहे हैं ? मान्यवर, पहाड़ों के लोग आज सरहदों की हिफाजत करते हैं । मैं कहना चाहता हूं कि उत्तरांचल से पं० गोविन्द बल्लभ पन्त, श्री सी०बी० गुप्ता, श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री नारायण दत्त तिवारी जैसे लोग आये हैं जो एक नहीं चार-चार मुख्य मंत्री हुए हैं । इसलिए हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कहने में विश्वास रखते हैं । हम शासन और प्रशासन को चलाना जानते हैं । उत्तर प्रदेश को चार-चार मुख्य मंत्री हमने देकर अपनी बात को मनवाने की बात किया है ।

मान्यवर, उत्तरांचल राज्य की मांग इसलिए नहीं उठी किसी जाति या किसी भाषा के लिए बल्कि कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक कोने-कोने में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति उत्तराखण्ड की सीमा में रहते हुए उत्तराखण्डी कहलाता है, इसलिए वह कोई जाति या कोई भाषा का भेद नहीं करता है । मान्यवर, मैं उन तमाम लोगों से और सरकार से पूछना चाहता हूं कि जो कानून की बात करते हैं यदि जाति, धर्म के आधार पर राज्य बनते तो पंजाब के अन्दर हिन्दुओं की संख्या 90 प्रतिशत है और सिखों की आबादी 10 प्रतिशत है तो उसे राजस्थान क्या होना चाहिए ? इस प्रकार लोग यहां कैसे तर्क देते हैं ? मान्यवर, मैं एक बात यहां कहना चाहता हूं कि श्री नरेश अग्रवाल जी, ऊर्जा मंत्री, का डर भाजपा सरकार के ऊपर इतना चढ़ा है कि नरेश जी की बात यदि वह नहीं मानेंगे तो सरकार गिर जायेगी । मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि श्री नारायण राम दास, श्री कण्डारी जी, श्री फोनिया जी जो कह रहे हैं उस पर संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे थे कि हम उनकी परवाह नहीं करते हैं । 17 विधायक उत्तरांचल से हैं उनकी उन्हें परवाह नहीं है लेकिन श्री नरेश जी की उन्हें परवाह है । मैंने बी०एस०पी० के सदस्यों को बोलते हुए सुना, आदरणीय वर्मा जी को बोलते हुए सुना, समाजवादी पार्टी के श्री शाक्य जी को बोलते सुना, मुझे ऐसा लगता है कि जब बी०एस०पी० तथा समाजवादी पार्टी के लोग उधर सत्ता में थे तो क्या वह भांग व धतूरा खाकर सत्ता चलाया करते थे ? उनको याद नहीं है कि उन्होंने कौन सा प्रस्ताव पारित किया । आज उनकी भावना, नीयत और दिशा बदल गई है । ऐसे लोगों का हम घोर विरोध करते हैं । माननीय मुख्य मंत्री जी तथा ऊर्जा मंत्री जी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या उत्तरांचल राज्य बनेगा केवल कटोरे के लिये ? क्या उत्तरांचल राज्य नाकाबिल राज्य बनेगा ? उत्तराखण्ड का एक इतिहास रहा है । उस उत्तरांचल ने उत्तर प्रदेश को मुख्य सचिव दिया, जिसने इस प्रदेश को मुख्य मंत्री दिया, कैबिनेट सेक्रेटरी दिया और हिन्दुस्तान की आर्मी को चीफ आफ आर्मी दिया, जिसने दुनिया को बौद्धिक सम्पदा को दिया और अपने टैलेन्ट का निर्यात किया । साइन्स, विज्ञान, कला तथा साहित्य के क्षेत्र में हर क्षेत्र में अपना एक योगदान दिया है ।

उत्तराखण्ड में अपने शासन और प्रशासन को चलाने की इतनी कूवत है और अपनी तरक्की वह खुद करना चाहता है । वर्मा जी जो कह रहे थे, हम उनकी परवाह बिल्कुल नहीं करते हैं । उत्तराखण्ड के लोगों में इतनी हिम्मत और साहस है । मैं माननीय उर्जा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपने अपने संकल्प में यह संशोधन रखा है कि हरिद्वार को उत्तरांचल से अलग रखा जायेगा । मैं कहना चाहता हूं कि यह नहीं होने पायेगा । हरिद्वार उत्तरांचल में रहेगा, इसके लिये हम सब कुछ करेंगे, धरना देंगे प्रदर्शन करेंगे । प्रस्तर संख्या–16 तथा प्रस्तर संख्या–24 में आपने संशोधन रखा है कि उत्तरांचल की जो जल विद्युत परियोजनायें हैं और सिंचाई योजनायें हैं, उनके संचालन का अधिकार, नियंत्रण का अधिकार, निर्माण का अधिकार तब तक उत्तर प्रदेश का रहेगा जब तक कि एक द्विपक्षीय बोर्ड न बन जाय । परन्तु आपने यह नहीं बताया कि वह बोर्ड कब बनेगा । 20 साल में बनेगा या 25 साल में बनेगा । इसलिये हमने प्रस्ताव में कहा कि जब तक बोर्ड न बन जाय और केन्द्र कोई ग्रेटर भूमिका नहीं

अदा करता तब तक जल विद्युत और सिंचाई परियोजनाओं पर उत्तराखण्ड का अधिकार होगा । मैं कहना चाहता हूं कि लखवाड़ व्यासी योजना को बन्द पड़े हुए 15 साल हो गये थे, मनेरी भाली परियोजना दो को 14 साल से बन्द थी, इस प्रकार तमाम योजनायें थीं जो दसियों साल से बन्द पड़ी हुई थी और इनकी नींद खुली नहीं थी परन्तु जब इनको लगने लगा कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक आने वाला है तो एन०टी०पी०सी० तथा अन्य संस्थाओं से मेमोरेन्डम आफ अन्डरस्टेन्डिग साईन करवाने शुरू कर दिये ताकि तमाम चीजों पर हमारा स्वामित्व बना रहे और हम कानूनी लड़ाई लड़ते रहें । मैं एलान करना चाहता हूं कि जब तक उत्तराखण्ड अपनी इच्छा के अनुसार अपनी व्यवस्था नहीं कर लेता तब तक कोई जल विद्युत योजना नहीं बने तब तक हमें कोई परवाह नहीं । हम इसको दो साल और नहीं बनाना चाहते हैं लेकिन उत्तरांचल की किसी जल-विद्युत परियोजना के सापेक्ष किसी के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे । किसी कीमत पर हम वहां कोई काम नहीं करने देंगे, नेशनल हाइड्रो पावर कारपोरेशन हो, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन हो, टिहरी हाइड्रोपावर कारपोरेशन हो हम किसी का काम नहीं करने देंगे । मैं कहना चाहता हूं अभी काजी साहब कह रहे थे, शायद वे चले गये । | ×××| हम कहना चाहते हैं कि हम जो उत्तराखण्ड के लोग हैं जो वहां की जनता है, वह महान है । जब देश का विभाजन हुआ था तो उस समय पाकिस्तान से विभाजित होकर जो सिक्ख समुदाय के लोग आये थे उनको हमने अपनी सरजमीं पर जमीन आबाद करने के लिये दी । मैं कहना चाहता हूं कि आज शायद बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होगी कि वहां पर सिक्ख, मुस्लिम, ईसाई और हिन्दू सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं । लेकिन हमारे दिमाग में पिछड़ेपन, जातिवाद, क्षेत्रवाद की संकीर्ण भावनाएं कहीं दूर-दूर तक छू नहीं पाई ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

माननीय अधिष्ठाता जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता–

मा० मुन्ना जी अब आप संक्षेप करें ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

व्यवस्था तो सुन लें । श्रीमन्, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ....

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, मेरी बात पूरी तो सुन लें । हम कहना चाहते हैं कि हमारी तो बात ऐसी है कि सुनकर लोगों को अच्छा नहीं लगता उनके पेट में दर्द होने लगता है । जब सरकार से बाहर चले गये तो उधमसिंह नगर का विरोध करने लगे....

(व्यवधान)

श्री रघुवार दयाल वर्मा–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न सुन लें ।

श्री अधिष्ठाता–

क्या व्यवस्था है आपकी ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, आपसे एक प्रश्न पर व्यवस्था चाहता हूं । मान्यवर, यह माननीय सदन के किसी भी सदस्य वह चाहे पहाड़ के हों या मैदान के हों श्रीमन्, इस माननीय सदन के माननीय सदस्य हैं । इस

| ×××| यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

प्रदेश में और उत्तरांचल में विद्वेष की भावना की बात इस सदन में कहकर प्रदेश में फिर से कलह पैदा करने और विद्वेष की आग लगाने की इजाजत इस सदन में नहीं दी जानी चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मैं आपसे अनुरोध करता हूं । मेरी बात सुन तो लीजिये और जो कलह की, विद्वेष भावना के शब्द आये हैं श्रीमन् उनको इस सदन की कार्यवाही से अलग करने का काम करायें और मैं सत्ता पक्ष से कहना चाहता हूं कि प्रस्ताव कर समर्थन कर रहे हो तो पूर्ण रूप से समर्थन करो उसमें संशोधन करके सशर्त समर्थन करने की क्या बात है ? यह राज्यपाल का अभिभाषण या कटौती का प्रस्ताव तो नहीं है जो संशोधन भी रखे और बाद को समर्थन भी दे रहे हैं । जो प्रस्ताव मा० संसदीय मंत्री ने प्रस्तुत किया है वह तीन बार सदन से पास हो चुका है उसको यथावत् पारित करना चाहिए । यही हमारा समर्थन है । और इस पर व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

आपने जो कहा है ठीक है । मैं कार्यवाही दिखवा लूंगा । कहीं आपत्तिजनक होगा तो उस अंश को दिखवा लिया जायेगा ।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, मैंने कोई आपत्तिजनक बात नहीं कही कोई अनपार्लियामेन्टरी बात नहीं कही । मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि किसी के दबाव के आगे झुकने का प्रश्न नहीं उठता । अभी सदन के विद्वान सदस्य माननीय सुबाष जी प्रदेश की जनसंख्या की बात कर रहे थे । समझ में नहीं आता कि.....

श्री अधिष्ठाता–

मुन्ना जी, संक्षेप करें ।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, दो तीन बात कह कर समाप्त करूंगा । मान्यवर, हमारे यहां उत्तरांचल में जनसंख्या विस्फोट की समस्या नहीं है । आने वाले समय में जो दुनिया है वह संख्या बल पर नहीं चला करेगी । लाइफ की क्वालिटी के हिसाब से, जीवन का गुणात्मक सुधार क्या है । यह तय करेगा कि किसी देश का, प्रदेश का दुनिया के अन्दर स्थान क्या होगा । हम यह साबित कर देंगे अपनी कूबत से, क्वालिटीज से, अपने मानव संसाधन से हम यह साबित कर देंगे कि केवल हिन्दुस्तान में ही नहीं दुनिया में हम विकासशील प्रदेश देश बन सकें । श्रीमन्, मैं दो तीन बातें कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं । प्रमोद जी कह रहे थे मुख्य मंत्री केन्द्र सरकार की तारीफ की बात कह रहे थे जिन बातों के बारे में पिछली बार ऐतराज किया था उनको बिल से निकालकर केन्द्र सरकार ने भेजा । इस बात के लिये भारत सरकार को, महामहिम राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और उनकी तारीफ करना चाहता हूं लेकिन यह उत्तर प्रदेश सरकार बहुत परेशान हो रही है कि सारे संसाधन उत्तरांचल में चले जायेंगे ।

कुछ माननीय सदस्य कह रहे थे कि वे क्या खायेंगे ? मैं यह बताना चाहता हूं कि शायद आपको मालूम न हो कि अनाज की दृष्टि से उत्तरांचल एक सरप्लस स्टेट है । उत्तर प्रदेश सरप्लस नहीं है लेकिन उत्तरांचल है । बहुत लोगों को जानकारी नहीं है कि अनाज की उपज आज भी वहां ज्यादा है । हम कहना चाहते हैं कि बिजली पानी सिंचाई परियोजनाओं के बारे में । श्रीमन् आप आदेश देंगे । मैं कानून की एक किताब है आपके पास भेज दूंगा । इन्टर स्टेट वाटर डिसप्यूट इन इंडिया । भारत का जो इंडियन ला इन्स्टीट्यूट है उसने जारी किया है । वह कानूनी दस्तावेज है ।

(समय 4 बजकर 35 मिनट)

इसके अन्दर लिखा है जब कभी कहीं दो राज्यों के बीच में जल विवादों का मामला उठेगा तो उसमें अण्डर वाटर स्टेट डिस्पूटेट 1958 के तहत समाधान ढूढा जा सकता है । पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर कानून है । पंजाब रि-आर्गनाइजेशन बिल उठाकर देख लें, असम रिआर्गनाइजेशन बिल उठाकर देख लें कहीं ऐसा नहीं है कि जब तक नया राज्य न बने सब पहले राज्य के पास रहेगा और हम झुनझुना लेकर बजाने का काम करेंगे । हम मालिकाना हक लेने का काम करेंगे । कल्याण सिंह जी ने कुछ बातें कहीं थी कि जब तक केन्द्र निर्धारण नहीं करता है तब तक उत्तर प्रदेश के पास रहेगा ।

श्री अधिष्ठाता--

अब समाप्त करें ।

श्री मुन्ना चौहान--

हम उत्तराखण्ड को ऊर्जा प्रदेश बनाना चाहते हैं हम कहना चाहते हैं हरिद्वार का जो मामला है इसके संबंध में, वैदिक संस्कृति के संबंध में एक श्लोक कहना चाहता हूं :--

आ गंगादवारमर्यादं श्वेतातं वरवर्णिन,

तमसातदतः पूर्वमर्वाक बौद्धांचल शुभम

केदारमंडलं स्यातंभूम्यास्त दभिनंक स्यलम् ।।

अर्थात् दक्षिण में गंगा द्वार (हरिद्वार) से लेकर उत्तर में श्वेत पर्वत तक यानि हिमालय तक एवं पश्चिम में तमसा टोंस नदी केदार से लेकर पूर्व की ओर बौद्धांचल का पठार (नन्दा देवी) तक अति पुनीत केदार मण्डल का विस्तार है । पुराणों का इतिहास रहा है । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं आप में से कौन ऐसा है, हमारी तो वैदिक इतिहास से पहले की जानकारी है । हम इतने मूर्ख नहीं हैं हम जानते हैं हरिद्वार के पीछे क्या मन बनाया गया है ? हिन्दुस्तान के अन्दर गंगा का प्रभाव है गंगा का रेजोलूशन कानून से नियंत्रित होता है बहुत सारे लोग कहेंगे कि उत्तर प्रदेश का पानी बन्द करा देंगे । कुछ साथी कह रहे थे पानी ऊपर रोक लेना उन साथियों को शायद जानकारी नहीं है कानून के अन्दर रिपेरियन स्टेट में लोअर स्टेट में अपर स्टेट में कैसे विभाजन होगा कानून में व्यवस्था है ।

श्री अधिष्ठाता--

समाप्त करें ।

श्री मुन्ना चौहान--

एक अन्तिम बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कुछ लोगों ने शंका व्यक्त की कि अल्पसंख्यक दलितों पिछड़ों और तमाम सारे लोगों के साथ कैसे सामंजस्य होगा ? तो मैं कहना चाहता हूं कि उत्तराखण्ड अपने आप में सामाजिक समरसता का प्रतीक है । हमने अपने संशोधन में चौथे नम्बर पर रखा है कि--''विधेयक में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की दृष्टि से उत्तरवर्ती उत्तरांचल राज्य में अल्पसंख्यक कल्याण आयोग, पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण आयोग का गठन अनिवार्य करने हेतु तद्नुसार उपबन्ध कर दिये जाने के संबंध में'' मैं, यह चौथा संशोधन पढ़ देता हूं । इसमें है कि ''विधेयक में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की दृष्टि से उत्तरवर्ती उत्तरांचल राज्य में अल्पसंख्यक कल्याण आयोग, पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण आयोग का गठन अनिवार्य करने हेतु तद्नुसार उपबन्ध कर दिये जायें और उन्हें कानूनी अधिकार प्राप्त हो''। इसमें किसी तरह से भेदभाव नहीं किया जा सकता है । हम यह संशोधन कर देना चाहते हैं । वहां के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा बनाने के लिए आर्थिक तरक्की के लिए हम कटिबद्ध रहें ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया अब आप समाप्त करें ।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, आपने मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और एक अन्तिम बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि उत्तरांचल के लोग किसी पड़ी हुई चीज को किसी भी हालत में नहीं उठायेंगे वह छीनना भी जानते हैं ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैं सबको अनुमति दूंगा । श्री लालजी वर्मा अपनी बात कहें ।

श्री राम नक्षत्र–

मान्यवर, मैं दो मिनट में अपनी बात खत्म कर लूंगा । आप मुझे पहले अनुमति दे दें ।

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठ जायें । मैं सबको बुला लूंगा । आप पहले बोलने की जिद न करें । मैंने लालजी वर्मा जी का नाम पुकार लिया है । मुझे बड़ा खेद है कि आप जैसे विद्वान और बुद्धिमान सदस्य पहले बोलने की जिद कर रहे हैं । यह संसदीय परम्परा के विरुद्ध है । मैं आपको अपनी बात कहने का अवसर दूंगा ।

श्री लालजी वर्मा–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । आज इस सदन में इस प्रदेश को विभाजित करके उत्तरांचल राज्य बनाने के संबंध में संकल्प प्रस्तुत किया गया है । मान्यवर, जो यह संकल्प प्रस्तुत किया गया है इसमें यदि उधमसिंह नगर को भी हरिद्वार की तरह से अलग करने की बात कही गयी होती तो मैं शायद इसको पूरी तरह से समर्थन करता । उत्तरांचल राज्य के गठन की जो मांग की गयी है उसकी अवधारणा क्या है ? यह मैं माननीय चौहान जी और दूसरे माननीय सदस्यों से जानना चाहता हूं । सिर्फ पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण इसको अलग राज्य बनाया जायं, न भौगोलिक कारण और न पिछड़ेपन के कारण इसकी मांग की गयी है, सिर्फ पर्वतीय क्षेत्र के कारण मांग की गयी है तो निश्चित रूप से उधमसिंह नगर को अलग कर देना चाहिए और उसे उत्तर प्रदेश में शामिल किया जाना चाहिए ।

मान्यवर, निश्चित रूप से उस क्षेत्र के लोगों जिन लोगों को शामिल किया जाना है, उन्हें यह विवश नहीं किया जाना चाहिए कि आपको खामखां उस प्रदेश में रहना है । अगर वे लोग नहीं चाहते हैं तो उन्हें उधमसिंह नगर और हरिद्वार में रहने की इजाजत दी जाये । बार-बार केन्द्र सरकार उसमें शामिल करके प्रस्ताव ला रही है । निश्चित रूप से मंशा स्पष्ट नहीं है अभी मुन्ना सिंह जी बोल रहे थे मैं उनकी बहादुरी की दाद देता यदि वह घोषणा करते कि समाजवादी पार्टी छोड़ रहे हैं । मान्यवर, इस मैदान के क्षेत्र के लोगों ने हर पहाड़ के लोगों को दिल पर रखकर जोड़ा है उसका जीता-जागता उदाहरण चार-पांच मुख्य मंत्री यहां पर पर्वतीय क्षेत्र के हुए हैं । यह मैदानी लोगों के विश्वास और उनको अपने साथ लगाने का काम किया उसके बल पर मुख्य मंत्री वे हुए मान्यवर, जो पहाड़ के लोग हैं वे हमारे भाई हैं हमसे अलग नहीं है हम सब मिलकर एक देश और प्रदेश को बढ़ाने का काम करें ।

उत्तरांचल बनता हम समर्थन करते लेकिन उधमसिंह नगर और हरिद्वार को बनाने का काम किया जाना चाहिए । ये मेरा सुझाव है । इसमें इस बात का समावेश किया जाय मुन्ना सिंह जी वे सबको एक साथ मिलाकर बात करते हैं, लेकिन उनके विचार से सामन्ती बू आ रही थी, ऐसा लगता था कि प्रदेश अलग हो जायेगा तो दलितों की, पिछड़ों की स्थिति क्या होगी यही मानसिकता ऐसे लोगों की रही तो

निश्चित रूप से वहां दमन चलेगा । ऊधमसिंह नगर और हरिद्वार को अलग करके उत्तरांचल बनाया जाय साथ ही साथ दलितों और पिछड़ों को संवैधानिक अधिकार मिलें तब उस प्रदेश का गठन हो तो हमें कोई एतराज नहीं है । मान्यवर, आपने अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैंने डा० इन्द्र देव सिंह को बुला लिया है । आप बैठें । सबको अवसर मिलेगा ।

* डा० इन्द्रदेव सिंह–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । यह कहा जाता है कि धरती पर कहीं स्वर्ग है तो कश्मीर में है लेकिन मै यह कहना चाहता हूं कि यह अतिशयोक्ति नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कहीं स्वर्ग है तो वह उत्तरांचल में है । मान्यवर, सुन्दर घाटियां, नदियां, पर्वत, वन ऐसे तमाम क्षेत्र आदि उत्तरांचल में है । उत्तर प्रदेश से ऐसा उत्तरांचल अलग हो रहा है इसका निश्चित रूप से दुःख उत्तर प्रदेश के लोगों को होगा लेकिन वहां की आवश्यकता वहां की परिस्थितियां वहां के लोगों की इच्छा के अनुरूप केन्द्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय किया है । संविधान के अनुरूप उत्तरांचल को अलग प्रदेश बनाने के लिए हम लोग स्वागत करते हैं और यह उत्तरांचल के लोगों के लिये बहुत हर्ष की बात होगी । मान्यवर, प्राकृतिक दृष्टि से उत्तरांचल बहुत समृद्ध प्रदेश है लेकिन मानवीय दृष्टि से उतना ही समस्याग्रस्त क्षेत्र रहा है ।

हमारे बहुत सारे भाइयों के उत्तरांचल के औचित्य के बारे में बहुत सारे प्रश्न खड़े किये माननीय लालजी वर्मा ने कहा कि पर्वतीय राज्य के आधार पर उसको अलग राज्य बनाया जा रहा है । मैं कहना चाहता हूं कि उत्तरांचल प्राकृतिक रूप से जितना समृद्ध है उसके अनुरूप उसका विकास नहीं हुआ । आजादी के पचास साल के बाद भी वहां पर मनीआर्डर व्यवस्था अभी भी जारी है । वहां औसतन परिवार का एक व्यक्ति फौज के अन्दर है और उसके वेतन पर परिवार की जीविका चलती है । मान्यवर, सरकार आती जाती रहती है लेकिन उत्तरांचल के लोग बिजली पानी की समस्या, अशिक्षा की समस्या गरीबी की समस्या के घिरे रहें । मैं समझता हूं कि उत्तरांचल के बनने से ही इन समस्याओं का निदान होगा । बडे-बड़े अधिकारी शासन-प्रशासन के लोग उत्तरांचल में जाते रहे पर्यटन के लिए सैर-सपाटे के लिए, वहां पर उन्होंने पहाड़ देखा, नदियां देखीं, प्राकृतिक सौंदर्य देखा लेकिन अगर नहीं देखा तो केवल वहां के लोगों का कठिन और दुरूह जीवन । मान्यवर, बहुत सारी समस्याएं हैं जिनके कारण उत्तरांचल को पृथक प्रदेश बनाया जाना जरूरी है । मान्यवर, वहां पर जितनी प्राकृतिक सम्पदा है, उसके अनुरूप वहां पर कृषि बागवानी आदि का बड़ा विकास हो सकता था लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया, पर्यटन की असीम सम्भावनाएं थीं और पर्यटन को उद्योग के रूप में विकसित करके अगर सरकार ध्यान देती तो मैं समझता हूं कि उत्तरांचल के विकास में, क्रांतिकारी परिवर्तन लाया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया क्योंकि लखनऊ में बैठी हुई सरकार का ध्यान पहाड़ पर तो जाता था लेकिन वहां के लोगों पर नहीं जाता था । मान्यवर, उत्तरांचल के अन्दर बहुत सारे तीर्थ-स्थल हैं गंगोत्री, यमनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ अगर वहां के मार्ग सुविधाजनक बनाये जाते तो निश्चित रूप से धार्मिक श्रद्धालुओं को जो बहुत बड़ी संख्या में हैं उनको वहां जाने के लिए प्रेरित किया जा सकता था और इससे बहुत से लोगों को रोजगार मिलना और वहां का विकास भी होता ।

मान्यवर, उत्तरांचल के अन्दर उच्च शिक्षा का अभाव है बहुत सारे हमारे भाई जो उच्च शिक्षा प्राप्त किये उनको रोजगार भी नहीं मिला । मान्यवर, गंगा, यमुना, रामगंगा, कोसी आदि नदियां हैं जो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उत्तरांचल से निकलकर उत्तर प्रदेश के बड़े भू-भाग को सिंचित करती रहीं लेकिन स्वयं उत्तरांचल सिंचाई की सुविधाएं प्राप्त नहीं कर सका ।

मान्यवर, करोड़ों हिन्दुस्तानी अपने धार्मिक अनुष्ठान के लिये पवित्र गंगा जल उत्तरांचल से प्राप्त करते रहे, लेकिन वहां के लोग पेयजल के लिये तरसते रहे । मैं समझता हूं, इसके पीछे कारण यह था कि उत्तरांचल में अपनी कोई सरकार नहीं थी । हिमांचल प्रदेश एक छोटा प्रदेश है, वहां की समस्यायें भी इसी प्रकार की थीं । लेकिन अलग राज्य बन जाने के बाद वहां का आर्थिक विकास हुआ है । मैं अपने माननीय सदस्यों से भी कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने ऐसी भावना प्रकट की है कि उत्तरांचल बन जाने के बाद उत्तर प्रदेश के लोगों को पहाड़ के लोग मारेंगे या पहाड़ के लोगों को उत्तर प्रदेश के लोग मारेंगे, इस तरह की भावना गलत है । जब हिमांचल राज्य का गठन हुआ तो क्या पंजाब, हरियाणा के लोगों ने वहां के लोगों को मारा या जब इन प्रदेशों के लोग हिमांचल में गये तो वहां के लोगों ने इनको मारा हो, ऐसा कभी नहीं हुआ । यह सोच बिल्कुल काल्पनिक और भ्रम फैलाने की कोशिश मात्र है ।

उत्तरांचल की अपनी एक सांस्कृतिक विरासत है । एक सांस्कृतिक धरोहर है, उत्तरांचल राज्य के बनने से यह सांस्कृतिक धरोहर और मजबूत होगी । मेरा विधान सभा क्षेत्र उत्तरांचल की जो परिभाषित सीमा है, उससे लगा हुआ है । कालागढ़ को उत्तरांचल की राजधानी बनाने की बात आती है, उस कालागढ़ का एक तिहाई हिस्सा मेरे विधान सभा क्षेत्र में आता है । मेरा निवेदन है और मेरे विधान सभा क्षेत्र की जनता इससे सहमत भी है कि उसे उत्तरांचल में शामिल किया जाय । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उत्तरांचल मुख्य रूप से दो भागों में बंटा है, गढ़वाल और कुमाऊं । इन दोनों भागों के बीच में आवागमन का सुगम साधन नहीं है, यह आवागमन का साधन मेरे विधान सभा क्षेत्र से हो सकता है और कोई दूसरा रास्ता संभव नहीं है । इस परिप्रेक्ष्य में मेरा सुझाव है कि हरिद्वार से जो नेशनल हाईवे चला है, जो आगे नजीबाबाद होते हुये खटीमा पानीपत राजमार्ग कहलाता है, में धामपुर, उसके बाद सिंहवारा, सुरजनपुर जसपुर से मैं इसे जोड़ना चाहता हूं । इस मार्ग से उत्तर का समस्त क्षेत्र उत्तरांचल में सम्मिलित हों । इससे कुमायूं गढ़वाल के बीच आने-जाने का मार्ग सुगम होगा ।

मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि उत्तरांचल से पूरे 19 विधायक हैं और विधान सभा संख्या 1 से लेकर 18 तक तो उत्तरांचल इसमें चले गये, उसके बाद मेरा विधान सभा क्षेत्र संख्या 19 अफजलगढ़ है, लेकिन पता नहीं बीच में मेरा क्षेत्र छोड़ कर कौन सा 19वां क्षेत्र जोड़ दिया गया, मैं आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र अफजलगढ़ को इसमें शामिल किया जाय, इससे उत्तरांचल का आर्थिक विकास होगा और अन्न के उत्पादन का एक विशाल क्षेत्र मिल सकेगा । आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिये एक बार पुनः आपको धन्यवाद ।

संस्कृति, पूर्त एवं धर्मस्व मंत्री (डा० रमेश पोखरियाल "निशंक")–

माननीय अधिष्ठाता जी, सबसे पहले तो मैं अपने माननीय मुख्य मंत्री जी का आभारी हूं, जिनके मार्गदर्शन में यह विधेयक यहां पेश हुआ और अब पास होने जा रहा है । मान्यवर, इस सदन को भी बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं कि सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 12 अगस्त, 1991 को इस संकल्प को रखा था और उसी दिन उत्तरांचल राज्य के गठन को मान लिया था, मैं अपने माननीय प्रधान मंत्री भारत सरकार को भी बधाई देना चाहता हूं ।

दूसरी बात श्रीमन्, मुझे आश्चर्य हो रहा था जब उधर पक्ष के लोग कह रहे थे । आदरणीय मुलायम सिंह जी के लोग कह रहे थे कि उधमसिंह नगर, शाक्य जी को देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा था । वे सबसे पहले बोलने वाले लोगों में थे । 24 अगस्त को जब यह संकल्प इसी सदन ने भारी बहुमत से पारित करके भेजा था । आप का भाषण मैं देख रहा था आज आप अपने भाषण के खिलाफ जा रहे हैं । लालजी वर्मा जी ने भी जिनके मार्ग दर्शन में हमें और बहुत कुछ सीखना है, इन दोनों लोगों के अभिभाषण मेरे पास है । मान्यवर, राजनीति में यदि दोगला चरित्र होगा तो ऊपर से नीचे तक कोई

अच्छा संदेश नहीं जा सकता है । इसलिए मेरी चिन्ता का विषय है, राज्य का गठन हो, न हो, चिन्ता यह है कि जो हम बोल रहे हैं, हमारी कथनी और करनी में कितना अन्तर है । तीन-तीन संकल्पों को हमने भेजा है । यह बिल बहुत ऐतिहासिक है, आपका आशीर्वाद है, हो सकता है कि अगली बार जो सदन में होगा यह बिल जब केन्द्र में जायेगा तो निश्चित रूप से उत्तरांचल का गठन हो गया होगा । इसलिए यह दिन उत्तरांचल के लिए, प्रदेश की विधान सभा के लिए बहुत ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण दिन है । इसलिए मैं सदन का आभार व्यक्त करना चाहता हूं ।

श्रीमन्, प्रमोद तिवारी जी कहां उठ कर चले जाते हैं और आग लगा जाते हैं । श्रीमन्, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 45 वर्ष तक कांग्रेस की सरकार रही है जिन्होंने मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश जैसे छोटे-छोटे प्रदेश को बनाया है, वह कौन से कारण थे कि उत्तरांचल नहीं बनाया । अभी कह रहे थे कि केवल पर्वतीय क्षेत्र के आधार पर हम प्रदेश बनायें । जिसने क्षेत्र में समर्पण किया है, औसतन एक परिवार से एक व्यक्ति सेना में भर्ती होकर अपनी जान हथेली पर रखकर भारत मां की सेवा में है और उसकी मां, बहनें तीन-तीन विदेशी सीमाओं पर सेनानी बनाकर दूसरी पंक्ति में खड़ी है । तीन-तीन देशों की सीमाओं तिब्बत, चीन और नेपाल की सीमाओं पर रक्षा करने वालों का यह उदाहरण देश क्या दुनिया में नहीं मिल सकता । चन्द्र सिंह गढ़वाली जैसे वीर सेनानियों के कारण ही हम स्वाधीनता की सांसों को ले रहे हैं । केवल पर्वतीय क्षेत्र के आधार पर ही हम राज्य नहीं बना रहे हैं । समरपाल जी ने कहा कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा है । मात्र इसके लिए यह उत्तरांचल नहीं बन रहा है, यह देश की एकता और अखण्डता के कारण बन रहा है । मैं कहना चाहता हूं कि देश की संस्कृति में जब तक दृढ़ता नहीं आयेगी, भारत सबल नहीं बन सकता । हम हिमालय को देश का माथा मानते हैं यदि उसमें चमक नहीं रहेगी, प्रखरता, प्रबलता नहीं रहेगी तब इस राष्ट्ररूपी शरीर का अस्तित्व नहीं रह सकता । हिमालय को माथा माना है, हम नहीं कहते, सभी लोग कहते हैं तो हमारे देश की जिम्मेदारी है कि हम इसकी रक्षा करें । कांग्रेस के लोगों ने तो सबसे ज्यादा अन्याय किया है, पहाड़ को कुचला है, वे 45-50 वर्षों तक कुचलते रहे हैं और अभी भी उन्हें चैन नहीं है, खटीमा मंसूरी और मुजफ्फरनगर काण्ड की उन घटनाओं को जब याद करता हूं तो आंखों में आंसू आते हैं । मुन्ना सिंह जी आपने इस समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दिया । मैं आपको बधाई देना चाहता हूं लेकिन आपने बहुत विलम्ब कर दिया । आपको तभी इस्तीफा दे देना चाहिए था जब खटीमा मुजफ्फरनगर जैसा काण्ड करने वाला दल आज यह कहता है, जरा सी नैतिकता होनी चाहिए, आज किस मुंह से ऐसा कहा जा रहा है । श्री प्रमोद कुमार जी चले गये हैं, अभी अखबार की बात कर रहे थे । कांग्रेस के लोग अलग-अलग बातें कहते हैं । वहां पर ये लोग कुछ बोलते हैं, यहां पर ये लोग कुछ बोलते हैं इनके नेता दिल्ली में कुछ और बोलते हैं । जब हमारे ऊपर गोली चल रही थी, मां बहनों की इज्जत पर हमला हो रहा था तो कांग्रेस के प्रधान मंत्री [x x x] धृतराष्ट्र बनकर चुप थे । जिसकी आंखें नहीं होती हैं वह अंधा होता है कि पांच हजार वर्ष बाद यह वह पहले धृतराष्ट्र थे जो प्रधान मंत्री बनकर बैठे थे उनकी आंखें थीं लेकिन देख नहीं रहे थे, जबान थी लेकिन गूंगे बने थे और कान थें लेकिन सुन नहीं रहे थे, बहरे थे । पहाड़ पर हुए कत्ले आम, खून की नदियां देखकर भी प्रधान मंत्री होते हुये भी उन्होंने कुछ नहीं किया । मैं कहना चाहता हूं कि उत्तराखण्ड के लोग संकीर्ण नहीं हैं जो लोग क्षेत्रवाद की बात करते हैं यदि यह बात होती तो उत्तराखण्ड क्रांति दल के ही सारे विधायक होते हम लोग न होते । आज एक ऐतिहासिक दिवस है । मैं बी०आर०वर्मा जी को आमंत्रण देना चाहता हूं कि वह पहाड़ पर आयें और अपनी संकीर्ण मानसिकता त्यागें ।

नोट :- [x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय शाक्य जी कह रहे हैं कि पोखरियाल जी अगले मुख्य मंत्री होंगे या मुन्ना सिंह चौहान होंगे ।

श्री प्रमोद कुमार–

इतना निश्चित जान लीजिए कि आप नहीं होंगे । मान्यवर, आप ज्यादा बुरे नहीं रहेंगे । इसलिये आप भी लाइन में लग जाइये ।

डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, तिवारी जी ने डा० मुरली मनोहर जोशी जी के नाम का उल्लेख किया कि उन्होंने कहा है कि इसमें किसी सदन की आवश्यकता नहीं है जो केन्द्र चाहेगा होगा । ऐसा डा० मुरली मनोहर जोशी ने नहीं कहा है, मैं जो तिवारी जी ने कहा है उसका खण्डन करता हूं । जहां तक उधमसिंह नगर का सवाल है । उसकी चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है, उधम सिंह नगर उत्तरांचल का अभिन्न हिस्सा है । सभी लोगों ने एकमत होकर यह प्रस्ताव भेजा था । यह नैतिक चरित्र होगा कि जो पहले कहा गया उस पर दमदारी के साथ अपने स्थान पर खड़े रहें । जहां तक हरिद्वार की बात है उत्तरांचल के विधायकों ने जो भावना व्यक्त की सही है । हरिद्वार उत्तरांचल से अलग नहीं हो सकता । भूकम्प आ गया या भूस्खलन हो गया था तब 50 गांवों को पुनर्वासित करने की बात थी कहीं जमीन नहीं मिली उन्हें जैसे कि कहां बसायेंगे, कहां पुनर्वास करेंगे । जब कोई राज्य बनता है तो उसके आर्थिक दृष्टिकोण और उसके सभी दृष्टिकोणों को सामने रखा जाता है । क्षेत्रीय आधार, आर्थिक आधार, भौगोलिक आधार, धार्मिक, सांस्कृतिक आधार देखें जाते हैं । जब बड़ा भाई छोटे भाई को कुछ देता है तो उसकी पूरी खूबसूरती को नहीं छीनता है । इसलिये विधेयक की अनुसूची 3 में सभी आधार पर पहले भी हरिद्वार पूरे जिले को रखने की बात थी । अनुसूची तीन में पूरा जिला अलग रखा जाय और उसके अनुरूप और बिन्दुओं को भी आंशिक रूप से सुधार लिया जाता तो उचित ही होगा । अभी विधायक इन्द्रदेव जी ने कहा कि बीच का गलियारा है जो गढ़वाल कुमायूं को जोड़ता है यहां से वहां जायेंगे और वहां से यहां आयेंगे । उस छोटे राज्य के लिए यह भी जरुरी है कि वह भी मिल जाये तो अच्छा है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, उत्तरांचल छोटी सी बात नहीं, एक राज्य के निर्माण का विषय है । इसलिये मैं अनुरोध करना चाहता हूं । "खण्ड–(4 के अन्त में यह जोड़ दिया जाय कि बोर्ड द्वारा नियत तिथि से एक वर्ष में अवधारित न किये जाने पर तथा तदोपरान्त दोनों उत्तरवर्ती राज्य सरकारों में एक वर्ष में सहमति न हो पाने की दशा में यह केन्द्र सरकार द्वारा एक वर्ष में अवधारित किये जायेंगे ।" यह श्रीमन्, पहले भी व्यवस्था थी । पुनर्गठन ऐक्ट जो भी हुये हैं सभी में यह व्यवस्था रही है । कर्मचारियों का जो दूसरा विषय है पर्वतीय उप संवर्ग के लिए विकल्प दे चुके अधिकारी/कर्मचारी उत्तरांचल को अनन्तिम रूप से आवंटित माने जायेंगे । और नहीं ।

(शोर/व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

अब आप एक–दो वाक्य में अपनी बात समाप्त करें ।

डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

खण्ड 73 का प्रस्तावित उप खण्ड (3) है शायद उसकी भी आवश्यकता नहीं होगी । उप खण्ड (4) में यह व्यवस्था की जाये कि उप खण्ड (1) एवं (2) के अधीन कार्यरत व्यक्तियों के सम्बन्ध में उत्तरवर्ती सरकारों में इस सम्बन्ध में नियत तिथि से एक वर्ष में करार न हो जाने की दशा में केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों से परामर्श के पश्चात् उनके अन्तिम आवंटन के सम्बन्ध में निर्देश दिया जा सकेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

आप मंत्रिमण्डल के सदस्य हैं, अब समाप्त करें ।

डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

खण्ड (1) (2) में मेरा एक आग्रह है कि मान्यवर, यह जो उत्तरांचल का विधेयक आया है, उत्तरांचल बनेगा तो केवल भारतीय जनता पार्टी और समर्थित दल बना सकते हैं । उधर के किसी भी दल में क्षमता नहीं है कि वह उत्तरांचल राज्य का गठन करे । उत्तरांचल राज्य बहुत लम्बे समय से विचाराधीन है । मैं विधेयक का पूरा समर्थन करता हूं और एक मत से पास कराने का आग्रह करता हूं ।

उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2000 पर संकल्प के संशोधन का उल्लेख करने पर डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक' से त्याग पत्र दिये जाने की मांग विषयक व्यवस्था का प्रश्न

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मंत्रिमण्डल का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है । जो संकल्प संशोधन का प्रस्ताव आया । माननीय हुकुम सिंह जी ने प्रस्तुत किया यह मंत्रिमण्डल की मंजूरी के बाद आया । आज उस मंत्रिमण्डल में आपस में मतभेद हो गया है । इसलिये इस सरकार को एक मिनट रहने का औचित्य नहीं बनता । माननीय पोखरियाल जी उस मंत्रिमण्डल के सदस्य हैं और आज यहां पर उन्होंने उस संशोधन में भी संशोधन प्रस्तुत करने का काम किया तो निश्चित रूप से सामूहिक उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं हो रहा है । इसलिए इस औचित्य के प्रश्न पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न है । भारत के संविधान के अनुच्छेद 163 अनुच्छेद का अवलोकन करने की कृपा करें । मैं पढ़ देता हूं । 163(2) "मंत्रि परिषद् राज्य की विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा । मंत्रि-परिषद् में अनुच्छेद 164(2) में यह है कि मंत्रि-परिषद् राज्य की विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा ।" मान्यवर, इस समय विधान सभा है और विधान सभा में आप अधिष्ठाता के रूप में आसीन हैं । आप विधान सभा की बैठक को संचालित कर रहे हैं । मान्यवर, मैं आपसे विनम्रतापूर्वक यह व्यवस्था चाहता हूं कि कैबिनेट का निर्णय लेने के बाद एक नीति निर्धारित किया है, उत्तरांचल के बारे मे उसी कैबिनेट के एक सदस्य निशंक जी .....

श्री अरविन्द कुमार जैन–

यह किस नियम में बोल रहे हैं ?

श्री अधिष्ठाता–

व्यवस्था का प्रश्न उठाया है ।

श्री प्रमोद कुमार–

संविधान के अनुच्छेद 164(2) के अनुसार सामूहिक उत्तरदायित्व होता है । मंत्री जी कोई पत्रकार सम्मेलन में नहीं बोल रहे हैं, कि वह बाद में अपनी बात से मुकर जाए । यहां एक एक शब्द अंकित होता है । यहां सम्पूर्ण सदन ने उनकी बात सुनी जो मंत्रि-परिषद् का निर्णय है वह उसके विरुद्ध बोल रहे हैं इससे दो सवाल पैदा होते हैं अगर वह मंत्रि-परिषद् के सदस्य हैं तो सामूहिक उत्तरदायित्व का निर्वाह

नहीं हो रहा है अगर मंत्री जी में साहस है तो वह मंत्रि पद से इस्तीफा देकर अपनी बात कहें । मंत्री के रूप में उनको यह कहने का अधिकार नहीं है । इसी तरह का प्रकरण बहुगुणा जी के समय उठा था उस समय शालिग्राम जायसवाल जी ने मंत्रि-परिषद् से इस्तीफा देकर अपनी बात कही थी । इसी प्रकार चरण सिंह जी ने भी मंत्रि-परिषद् से इस्तीफा देकर अपनी बात रखी थीं । यहां पर मुख्य मंत्री जी बैठे हुए हैं उनके मंत्री नीतिगत विषय पर उनके खिलाफ अपनी बात रख रहे हैं । इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

संविधान के अनुच्छेद 164(2) में स्पष्ट प्राविधान है कि मंत्रि परिषद् विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी । इसमें कोई संदेह नहीं है । इस उत्तरदायित्व का निर्वहन भी हो रहा है । जो संकल्प हमने प्रस्तुत किया है उसमें मंत्रि-परिषद् के सदस्यों की सहमति है ।

श्री सुरेश चन्द्र आर्य–

मान्यवर, मुझे सुबह से बोलने का अवसर नहीं दिया जा रहा है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप स्थान ग्रहण करें । यह तरीका उचित नहीं है । संसदीय कार्य मंत्री जी अपनी बात रख रहे हैं।

(व्यवधान के मध्य श्री सुरेश चन्द्र आर्य श्री अधिष्ठाता पीठ की ओर गये और एक कागज श्री अधिष्ठाता को दिया)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह उत्साह क्षणिक है । अभी मतदान हो जायगा तो सारी स्थिति स्पष्ट हो जायेगी । हमारा सारा दल चट्टान की तरह मजबूती के साथ प्रस्ताव को पास करेगा ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मंत्रि-परिषद् का प्रत्येक मंत्री का एक अलग महत्व होता है । मंत्रि-परिषद् का कोई भी सदस्य कुछ भी सदन के अन्दर बोलता है तो वह मंत्रिमंडल की ही जुबान होती है । एक मंत्रि-परिषद् का सदस्य नीतिगत निर्णय के विरुद्ध सदन में नहीं बोल सकता या तो उसे मंत्री बने रहने का अधिकार नहीं है या मंत्रिमंडल को बने रहने का अधिकार नहीं है ।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री लालजी वर्मा–

आप-अपनी व्यवस्था तो दे दें । हमारा भी ज्ञानवर्धन हो जायगा ।

श्री अधिष्ठाता–

श्री लालजी वर्मा और माननीय श्री प्रमोद कुमार ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया और संसदीय कार्य मंत्री जी ने इसका समुचित उत्तर दे दिया है । मैं समझता हूं कि यह उत्तर पर्याप्त है ।

श्री प्रमोद कुमार–

[x x x] मैं और मेरा दल इस सदन का बहिष्कार करता है ।

(श्री प्रमोद कुमार अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये ।)

नोटः–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2000 पर प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा और मतदान (क्रमागत)

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज्य मंत्री (डा० अरविन्द कुमार जैन)–

हम भी कैबिनेट के सदस्य हैं। हम यहीं बैठेंगे, सुनेंगे और बोलेंगे भी।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, आपके निर्णय के बाद प्रमोद कुमार जी ने जो अशोभनीय टिप्पणी किया है वह संसदीय प्रणाली के प्रतिकूल है इसलिये इसे निकलवा दें।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है। मैं कार्यवाही को दिखवा लूंगा और यदि अशोभनीय टिप्पणी होगी तो निकलवा दूंगा।

श्री मुन्ना चौहान–

[x x x] (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैंने आपको अनुमति नहीं दिया है और आप बैठ जायं। यदि मेरी अनुमति के बिना बोलेंगे तो आपका अंकित नहीं किया जायेगा, बैठ जायं।

श्री मुन्ना चौहान–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

आप अनुमति के बिना बोल रहे हैं इसलिये आपका अंकित नहीं किया जायेगा।

श्री अम्बरीष कुमार–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने इस महत्वपूर्ण विधेयक और उस पर सरकार द्वारा लागये गये संकल्प पर मुझे बोलने का जो अवसर दिया उसके लिये मैं आपका बहुत आभारी हूं।

मान्यवर, अभी उस पक्ष से और कुछ इस पक्ष से एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। मान्यवर, आज मैं आपके माध्यम से हरिद्वार जिले के समस्त लोगों की ओर से, वहां के निवासियों की ओर से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का, उनके सहयोगी दलों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इन्होंने केन्द्र सरकार से बिल आने के बावजूद हरिद्वार के लोगों का ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के 16 करोड़ लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जो संकल्प प्रस्तुत किया और यह संकल्प व्यक्त किया कि हरिद्वार इस प्रदेश का हिस्सा रहेगा इसके लिये मैं पुनः आभार प्रकट करता हूं और विश्वास दिलाना चाहता हूं जिन भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए आपने हरिद्वार के 15 लाख लोगों की भावनाओं का सम्मान किया कि उत्तर प्रदेश की महान परम्पराओं और महान आदर्शों तथा ऐतिहासिक धरोहर जो उत्तर प्रदेश की है उसके सम्मान की रक्षा हम प्राण देकर भी करेंगे। मान्यवर, अब प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड के भाई जो अपना राज्य अलग चाहते हैं और जो बार-बार समाजवादी पार्टी पर व्यंग करते हैं कि जब समाजवादी पार्टी सत्ता पक्ष में थी तो प्रस्ताव पेश किया था कि ऊधम सिंह नगर उत्तरांचल का हिस्सा होगा, इसको हम स्वीकार करते हैं। जिस समय प्रस्ताव पेश हुआ था उस समय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे। नैनीताल के संबंध में प्रस्ताव पेश था और ऊधम सिंह नगर उसका हिस्सा था लेकिन मैं इनसे जानना चाहता हूं कि तीन बार विभिन्न पार्टी की सरकार होते हुए भी जब यह प्रस्ताव पेश हुआ कि उत्तरांचल हरिद्वार विहीन ही बनेगा। सभी ने मतदान किया था और सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ था तो आज उनको अधिकार है कि अपनी प्रस्ताव की भावनाओं को बदल दें और आज वह कहने लगे कि हरिद्वार उत्तरांचल में शामिल किया जाय। लेकिन समाजवादी पार्टी को अधिकार नहीं है कि ऊधम सिंह नगर के

नोटः–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

बारे में जो पहले स्टैण्ड लिया था उसमें संशोधन कर सकें। आज यह अधिकार उनको प्राप्त है इसलिये समाजवादी पार्टी पर वह लाछन लगाते हैं और राजपुर तिराहे पर जो हुआ उसके बारे में कहते हैं लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि रामपुर में उस समय रहे कलेक्टर केन्द्र में आज किस मंत्री के स्टाफ में हैं ? यह भी बतायें कि वह किस भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के यहां हैं। वह डी० आई० जी० जिसकी देख-रेख में वह काण्ड हुआ, उसे संयुक्त सरकार में किसने आई० जी० बना दिया, इसे भी आप बतायें। केवल समाजवादी पार्टी की आलोचना करना चाहते हैं। अगर निष्पक्ष भाव से चर्चा करना चाहते हैं तो यह भी बतायें कि उत्तरांचल को अतिरिक्त मुख्य सचिव किसने दिया, पर्वतीय संवर्ग देने का काम किसने किया, कई तमाम ऐसे मामले हैं, जिन्हें माननीय श्री मुलायम सिंह जी ने उत्तरांचल को दिये परन्तु आपको केवल हमारे दोष दिखते हैं। अगर आप अच्छाइयों पर भी प्रकाश डालते तो हम कहते कि आप आलोचना की जगह पर समालोचना कर रहे हैं।

1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना था तो उस समय जवाहर लाल नेहरू जी ने कहा था कि इस आयोग का काम होगा ओब्जेक्टिविटी और निष्पक्ष भाव से सारे तथ्यों पर विचार करना और कितने भी स्टेट्यूटरी कमीशन बने, सभी आयोगों की राय थी कि चाहे लैग्विस्टिक आधार हो और चाहे क्षेत्रीयता का आधार हो और चाहे भौगोलिक आधार हो या कोई अन्य आधार हो जिस राज्य का हिस्सा काट कर दूसरा राज्य बनाया जा रहा है, उसमें उसकी राय क्या है और उनकी इच्छा क्या है यह जानना जरूरी है। जब हरिद्वार का जिक्र किया जाता है तो आप इन दोनों तथ्यों से मुंह मोड़ लेते हो। जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि मानव संसाधन मंत्री जी ने हरिद्वार में ऐसा नहीं कहा। यह असत्य है। मानव संसाधन मंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधान सभा और हरिद्वार के लोगों की राय का कोई अर्थ नहीं है। मैं विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि संविधान में सबके अधिकार अलग-अलग हैं। विधान सभा के अधिकार अलग हैं। संसद के अधिकार अलग हैं, नगर पालिका और जिला पंचायतों के अधिकार अलग हैं। विधान सभा संसद के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकती वैसे ही संसद को भी विधान सभा के अधिकारों का अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं है। केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री जी ने हरिद्वार में कहा कि हरिद्वार जनपद उत्तरांचल में शामिल किया जायेगा और इसमें हरिद्वार के जनमत का कोई अर्थ नहीं है। केन्द्र के मंत्री संविधान के प्राविधानों का इस तरह से मखौल उड़ाने का काम करेंगे, संविधान की धारा–3 में लिखा है कि कोई राज्य अलग बनाया जायेगा तो जिस राज्य का हिस्सा काटकर वह राज्य बनाया जायेगा, उस राज्य के लिये राष्ट्रपति जी की आज्ञा से एक प्रस्ताव विधान सभा को उसकी राय जानने के लिये भेजा जायेगा। मैं कहना चाहता हूं कि अगर इस राज्य की विधान सभा की राय की आवश्यकता नहीं होती

(इस समय 5 बजकर 35 मिनट पर अधिष्ठाता श्री हरवंश कपूर पीठासीन हुए।)

और केन्द्र को आरबिट्रेरी अधिकार होता। स्वेच्छा का अधिकार होता। संविधान में इस प्राविधान को करने की आवश्यकता नहीं थी। अगर प्राविधान किया गया है मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस विधान सभा में जो कि प्रदेश की 16 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करती है। इस विधान सभा की अपनी एक एहमियत है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि [× × ×] कभी बयान छपता है कि हरिद्वार के 300 ग्राम प्रधानों ने लिखकर दे दिया कि सारे लोग उत्तरांचल में जाना चाहते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि हरिद्वार में 300 ग्राम सभाएं ही नहीं हैं तो 300 ग्राम प्रधान कहां से आए ? अगर आप इस तरह से [x x x] तो मैं मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि [x x x] रावण सीता का हरण कर सकता है सोने का मृग बनाकर लेकिन जब राम का बाण चलेगा लंका भी नहीं रहेगी और सीता भी वापस ले ली जायेगी। [× × ×] हरिद्वार के लोग उत्तर प्रदेश की परम्पराओं

नोट :–[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

में पले और बढ़े हैं । हम चुनौती देना नहीं चाहते हैं परन्तु चुनौती स्वीकार करते हैं । राम प्रसाद विस्मिल उ० प्र० में पैदा हुए थे जिन्होंने कहा था । मैं उन्हीं के शब्द दोहराना चाहता हूं " वक्त आने पर बता देंगे तुझे ए आसमां हम अभी से क्या कहें क्या हमारे दिल में है " । जो लोग क्षेत्रवाद, जातिवाद, के आधार पर इस तरह की बात कर रहे हैं उनकी आंखें खुल जायेंगी । जब मैं यह डांक्यूमेन्टरी सबूत के साथ, प्रमाणित अभिलेखों के साथ आपके सामने तथ्य कह रहा हूं । अभी हमारे एक साथी कह रहे थे उत्तरांचल के बारे में कह रहे थे । केदारखण्ड की बात बता रहे थे । एक तरफ कम्प्यूटर की बात कर रहे थे एक तरफ पुराण की बात कर रहे थे । वे अपने ज्ञान को ठीक कर लें । पुराण इतिहास नहीं होता है । इतिहास का अपना वजूद होता है । किसी राज्य का पुनर्गठन करते हैं तो पुराण के आधार पर मांग नहीं हो सकती है । पुराण की बात कर रहे थे तो उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि [× × ×] हमारे एक साथी अभी हरिद्वार के लिये कह रहे थे कि यह हरि और हर का द्वार है । केदारनाथ के बारे में कह रहे थे कि यह शंकर भगवान का स्थल है । मान्यवर, पुराण की बात पर मैं कहना चाहता हूं कि [× × ×]

(व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि इतने पुराने इतिहास को न दोहरायें । अगर दोहराया जायेगा तो बजाय प्यार बढ़ने के विद्वेष होगा ।

(व्यवधान)

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो राय दी है मैं उसका सम्मान करता हूं और मैं भी यह निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से अपने उत्तरांचल के सभी विधायकों से, मंत्रियों से, सदस्यों से, सांसदों से कि हम नहीं चाहते कि जब यह नया राज्य बने यह संघर्ष, घृणा के आधार पर बने । मान्यवर, अभी जब प्रमोद जी ने जिक्र किया कि यह उत्तर प्रदेश की फराक दिली और उदार चरित्र का प्रमाण है । जो भी लोग इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद गोविन्द बल्लभ जी का हिन्दुस्तान में प्रधानमंत्री के बराबर का सम्मान मिला । वे गृहमंत्री भी केन्द्र में रहे । बहुगुणा जी, तिवारी जी भी पहाड़ के थे और उनको भी जो सम्मान मिला वह सब जानते हैं । मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता जिसके बारे में अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी और अन्य साथियों ने कहा । यह उत्तर प्रदेश ही है जिसने सभी लोगों को स्वीकार किया । हमारे प्रदेश की उन परम्पराओं का मखौल उड़ाने का प्रयास किया जा रहा है । क्षेत्रवाद, संकीर्णवाद, जातिवाद के दायरे में आकर इसकी परम्पराओं को तोड़ने का काम मत करिये और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब हरिद्वार जनपद का निर्माण हुआ जो काजी साहब ने कहा उसका जिक्र नहीं करना । जब यह चर्चा चली ऋषिकेश में आन्दोलन शुरू हो गया कि वह हरिद्वार में शामिल नहीं होगा । अगर ऋषिकेश को जिला बनाया है तो हरिद्वार को उसकी तहसील बनाया जाय । हरिद्वार के विक्रम हरिद्वार केन्द्र से 40 कि०मी० जाने का जो उनको अधिकार था । अभी आर०टी०ओ० की बैठक हुई उसकी कार्यवाही है । उसमें लिखा है कि हरिद्वार केन्द्र से 40 किमी० के परमिट के बाद भी हरिद्वार केन्द्र के विक्रम न तो लक्ष्मण झूला जा पायेंगे न मुनि की रेती जायेंगे । इससे बड़ा पक्षपात क्या हो सकता है । हरिद्वार के ट्रैवेल एजेन्ट हैं हम नहीं चाहते हैं कि वैमनस्य पैदा हो और राज्यों की तरह वैमनस्यता रहे लेकिन अगर मैं अपने कर्तव्य को पूरा नहीं करूंगा, चुप रहूंगा, बोलने से गुरेज करता हूं, पीछे हटता हूं तो यह मेरे क्षेत्र की जनता के साथ

नोट :–[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

न्याय नहीं होगा जिसने चुनकर यहां भेजा है ? पर्वतीय क्षेत्र के भाई इस बात का जवाब देंगे कि जब ऋषिकेष से यात्रा शुरू करते हैं तो जो हरिद्वार की बात कर रहे हैं, लेकिन हरिद्वार के ट्रेवेल एजेन्ट को यह हक हासिल नहीं है कि वह अपनी बस चला सके । जी०एम०ओ० टी०जे०एम०ओ०यू० जो ट्रेवेल संस्था है उनकी अपनी बसें चलती हैं हरिद्वार से शुरू होती हैं केवल इस आधार पर कि उस क्षेत्र के रहने वाले नहीं है कोई भेदभाव हरिद्वार के लोग नहीं करते हैं । हरिद्वार में परसों मानव संसाधन मंत्री इकट्ठा हुए [× × ×] हरिद्वार उप निवेश बने यह हम नहीं चाहते हैं । मैं भी उसी देश की धरती पर पैदा हुआ हूं जिस पर राम प्रसाद विस्मिल और चन्द्रशेखर आजाद जी पैदा हुए थे जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी और ब्रिटिश सरकार को नीचा दिखाया "आई विश द डाउन फाल आफ द ब्रिटिश एम्पायर" का उद्घोष किया । मान्यवर, हरिद्वार के बारे में माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि भूकम्प आएगा तो पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को बसाने की जरूरत होगी इसके लिए वह हरिद्वार चाहते हैं । राजस्व मंत्री जी बैठे हैं पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को बसाने का काम शुरू करने पर कितना बड़ा आन्दोलन हुआ इन्हें पता है । पर्वतीय क्षेत्र हो या दूसरा कोई क्षेत्र हो हरिद्वार को किसी का उपनिवेश नहीं बनने देंगे । [x x x] हरिद्वार को नहीं बनने देंगे ।

श्री अजय भट्ट–

जो भाषा यह बोल रहे हैं यह ठीक नहीं है ।

सब भारतीय नागरिक हैं ।

(व्यवधान)

श्री मुन्ना चौहान–

उत्तराखण्ड के लोग स्वाभिमानी लोग हैं इधर-उधर के लोग नहीं हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया शान्त रहें ।

(व्यवधान)

श्री लाखीराम जोशी–

जो गिरे-पड़े कहा गया है उसको कार्यवाही से निकाला जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

असंसदीय भाषा को निकलवा दिया जाएगा ।

श्री अजय भट्ट–

अगर यह भाषा रहेगी तो खेदजनक है । सब भारत के नागरिक हैं ।

(व्यवधान)

श्री अम्बरीष कुमार–

आप व्यवस्था बनायें तब बोलूं ।

(व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, यह हमको बोलने नहीं दे रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय अम्बरीष जी, अब आप समाप्त करें । आपकी भावनाएं आ गयी हैं ।

नोटः–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि हरिद्वार को उत्तरांचल में शामिल करने का सामान्य अधिकार नहीं है । न तो जलवायु के आधार पर, न सांस्कृतिक आधार पर, न भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर, कोई आधार नहीं है जिससे यह न्याय संगत कहा जा सके ? इसी संदर्भ में यह भी मैं कह देना चाहता हूं कि ऊधमसिंह नगर के लोगों की जो भावनाएं हैं समाजवादी पार्टी उनके साथ है और ऊधमसिंह नगर प्रस्तावित उत्तरांचल राज्य से अलग रखा जाय यह हमारा संशोधन है और, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर विचार करें कि ऊधमसिंह नगर को प्रस्तावित उत्तरांचल राज्य की सीमा से अलग रखा जाय ।

* श्री राम नक्षत्र–

माननीय अधिष्ठाता जी, आज सदन में पहली बार पूर्वाग्रह से मुक्त होकर पार्टी से ऊपर उठकरके इस विषय पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोगों ने अपनी बात रखी । दो बातें रखी कि उत्तराखण्ड बने या न बने । मैं इससे हटकर बात कहना चाहता हूं । शायद इस सदन में बहुत कम लोग हुए होंगे जो इसमें शामिल हुए होंगे । हमारी उम्र उस समय बहुत छोटी थी । हम इन्टर में पढ़ते थे । मेरे पैर की चप्पल टूट गयी थी और हमारे पैर में छाले पड़ गये थे । यह किस मूल्यों को लेकर और कार्यक्रम को लेकर शुरू हुआ था यह सवाल था । उत्तराखण्ड न आज ही और न तब, हम तो देवरिया के हैं, मानवीय और मानवता के आधार पर विकास के रास्ते पर, हम इस आन्दोलन में शरीक हुए थे । हम अपनी पीड़ा कह रहे हैं । हम लोग यह चाहते थे कि उत्तराखण्ड का विकास हो । यह बात निश्चित रूप से मानने योग्य है कि उत्तराखण्ड में आज भी विकास नहीं है । तब भी विकास नहीं था । जो उत्तराखण्ड में भूकम्प आया उसमें 40 प्रतिशत लोग मारे गये । सड़कों की हालत ठीक नहीं है । अगर तीर्थ यात्रा न होती तो निश्चित रूप से दो चार-दस सड़कों को छोड़कर सड़कें न होती । आज भी उत्तराखण्ड सड़क विहीन है, खेती विहीन है, पानी विहीन है, बिजली विहीन है और शिक्षा विहीन है । इसकी बात क्यों नहीं आ रही है ?

(व्यवधान)

मान्यवर, इस मुल्क में फासिस्टवादी ताकतों को राज्य करने का मौका मिला क्षेत्रीय बात के नाम पर जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उनके इरादे नापाक हो जायेंगे ।

मान्यवर, नये-नये जिले सृजित किये गये हैं, उससे लाभ क्या है । मान्यवर, नया थाना सृजन हो रहा है कितनी गुण्डागर्दी लोग करते थे नहीं होगी ये भावनाएं हैं । मान्यवर, आज लखनऊ में कौन आता है ।

श्री अधिष्ठाता–

आपकी बात आ गयी अब आप बैठें ।

श्री राम नक्षत्र–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के 95 प्रतिशत लोगों को लखनऊ आने की जरुरत नहीं है, लखनऊ गरीब लोग नहीं आते हैं, न विकास के वास्ते लोग आते हैं । जो खाद के लिये, पानी के लिये तरस रहे हैं । वे लखनऊ नहीं आते हैं । लखनऊ दलाल लोग आते हैं । हमारे किसानों के लिये जिनको दाना-पानी की जरुरत है उनसे मतलब नहीं है कि राजधानी कहां हो, विद्यार्थियों को इसकी जरुरत नहीं है कि राजधानी कहां हो ? हमें तो खाना चाहिये, पानी चाहिये, अस्पताल चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठें ।

श्री राम नक्षत्र–

[x x x]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :– [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आपकी कोई बात अंकित नहीं की जायेगी । माननीय गांव वासी जी आप बोलिये ।

श्री राम नक्षत्र–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठें ।

*श्री मोहन सिंह रावत गांव वासी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2000 पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, अनेक वर्षों से वहां की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए, सीमाओं की परिस्थितियों को देखते हुए उत्तरांचल राज्य की मांग विगत अनेक वर्षों से चलती रही है जबकि इस राज्य को तभी बन जाना चाहिये था जब मिजोरम, अरुणांचल प्रदेश से लेकर कश्मीर तक, हिमांचल प्रदेश तक, जो हिमालय की पूरी श्रेणी थी और जिस प्रकार से हिमालय के समस्त भागों में प्रत्येक छोटे राज्य बनाये गये थे उसी तरह से उत्तरांचल को राज्य बनाया जाना चाहिये था । परन्तु मुझे आज खुशी है कि केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को पारित करने की मंशा से वहां की जनता की भावनाओं का आदर करते हुए उत्तर प्रदेश की विधान सभा की राय जानने के लिये यहां भेजा है । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और यहां की सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि वह इस विधेयक पर अपनी राय भारत सरकार को देंगे । मान्यवर, यहां पर अनेक दलों के नेता गणों ने कुछ ऐसी बातें कही हैं, विभ्रम फैलाने की बात कही है मैं कहना चाहता हूं कि उत्तरांचल प्रदेश अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है और यहां के विकास के लिये यह अतिआवश्यक था कि इसके लिये केन्द्र सरकार को उस क्षेत्र के विकास के लिये प्रशासनिक दृष्टिकोण से जितना क्षेत्र आवश्यक है सारी बाते उन्होंने रखी हैं और हरिद्वार जिला इसीलिये उसमें मिलाने की बात हुई । ऊधमसिंह नगर पहले से ही उत्तरांचल में रहा इसलिये हरिद्वार सहित उत्तरांचल प्रदेश का निर्माण होना आवश्यक है । मैं कहना चाहता हूं कि कुछ संशोधनों से केन्द्र सरकार द्वारा जो विधेयक में कुछ धाराएं आई हैं उसमें कुछ भिन्न जरूर हो सकती हैं परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसा राज्य बने जिससे वह सरसब्ज हो ऐसा न हो कि आपने विद्युत योजनाओं को हमारे अधिकार से छीन लिया जन संसाधन को हमारे अधिकार से छीन लिया । आज वर्तमान स्थिति में उत्तर प्रदेश जल का कोई बोर्ड नहीं है यह बाद में होने वाली स्थिति है । पानी जहां से जा रहा है उसका उस पर अधिकार होना चाहिये । वहां के जल संसाधनों को लेने की खुली छूट लेनी चाहिये । मान्यवर, जिस प्रकार से कुछ सदस्यों की मंशा यह रही जैसे इन्द्रदेव जी ने अपनी बात रखी है उसको उसमें सम्मिलित करना चाहिये और यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से वहां की राजधानी के लिये एक हजार करोड़ रुपये की मांग की है उसी तरह से उत्तर प्रदेश को 500 करोड़ रुपये उत्तरांचल राज्य को देने चाहिये ताकि राजधानी बने । इस सदन में जो चर्चा हुई है उसमें स्वस्थ भावना रहे, वैमनस्यता की भावना न आए मैं पुनः सदन के महान सदस्यों का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि तीन बार इस विधेयक को जिस तरह से पारित किया है उसी तरह से इस बार भी उसको पास करें ।

श्री सुरेश चन्द्र आर्य–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने उत्तरांचल राज्य पुनर्गठन विधेयक पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । उत्तराखण्ड अलग राज्य बनाने के लिये 1952 से लगातार आन्दोलन हुये और 1994 में उत्तराखण्ड के मसले में भूतपूर्व सैनिक शिल्पकार श्री पुकार भाई और छात्र नेता, आदि सभी मैदान में कूदे और उत्तरांचल की मांग की, इसी सिलसिले में खटीमा में गोलीकाण्ड हुआ, जिसमें मुसलमान भाई भी शहीद हुये, पर्वतीय सैनिक शहीद हुये, उसके बाद मुजफ्फरनगर काण्ड हुआ, जिसमें महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, ऐसा कभी किसी देश में नहीं हुआ, उसके बाद मंसूरी कांड हुआ । इन तमाम चीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार ने, केन्द्र सरकार ने इस मामले को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया । आज मैं इसके लिये आभारी हूं और आज उत्तरांचल राज्य अलग राज्य बनने के लिये तैयार है । मैं इसमें अपना संशोधन देना चाहता हूं । उत्तरांचल की आर्थिक स्थिति

को देखते हुए एक ऐसा उत्तरांचल राज्य की आवश्यकता है, जिसमें कमिश्नरी बरेली, कमिश्नरी सहारनपुर को, हरिद्वार को, नजीबाबाद, धामपुर को, अफजलगढ़ को तथा बरेली की तहसील बहेड़ी को इस राज्य के अन्तर्गत शामिल किया जाना चाहिये । पहाड़ की जो जनता की भावनायें हैं, वहां 19 प्रतिशत शिल्पकार भाई रहते हैं, 2 लाख मुसलमान रहते हैं, 2 लाख थारू जनजाति के लोग हैं, दो-ढाई लाख सिक्ख हैं, इस सबकी भावनायें हैं, इनको मद्देनजर रखते हुए उत्तरांचल राज्य बनाने की आवश्यकता है ।

(इस समय 6 बजकर 5 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

मान्यवर, इस राज्य के संबंध में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि कितनी अनु० जाति संसदों की सीट होंगी । मैं कहना चाहता हूं कि वहां की अनुसूचित जाति जनजाति को देखते हुए, कम से कम एक अनुसूचित जाति की सीट होनी चाहिये । दूसरी बात, तराई बेल्ट, टनकपुर, खटीमा, ऊधमसिंह नगर, यह सब सरदार और बंगाली बाहुल्य क्षेत्र है, इसमें मुसलमान और थारू बाहुल्य क्षेत्र भी हैं, इनके संख्या आधार पर भी सुरक्षित सीट होनी चाहिये । यहां जो अनुसूचित जाति के लोगों की जो सूची है, उसमें 65 जातियां हैं, जबकि पहाड़ में इस प्रकार की केवल 23 जातियां हैं, अतः बाकी जातियों को इसमें से बाहर किया जाना चाहिये जो पहाड़ में नहीं रहती हैं । इसी के साथ मैं आपका पुनः आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद, जयहिन्द ।

श्री लाखीराम जोशी–

अभी हमारे माननीय विधायक जी ने कहा था कि यहां पर हो सकता है कि इस समय सपा और बसपा के जो लोग बैठे हुये थे उन्होंने भांग-धतूरा खाकर के, लेकिन जो आज हमारे सामने नजारा है, एक माननीय सदस्य हैं, राम नक्षत्र जी शराब पिये हुए हैं, इनकी जांच की जाये । मैं व्यवस्था चाहता हूं । इनका परीक्षण कराया जाय ।

श्री राम नक्षत्र–

मान्यवर, यह देश का दुर्भाग्य है कि.....

(व्यवधान कई सदस्यों के बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय राम नक्षत्र जी मेरा अनुरोध है कि थोड़ी देर आप लाबी में जाकर के विश्राम कर लीजिये ।

श्री के० सी० सिंह बाबा–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया । मान्यवर, काशीपुर विधान सभा क्षेत्र पूरी तौर पर ऊधमसिंह नगर में पड़ता है लेकिन कुछ चन्द लोगों ने पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश को इस बारे में, ऊधम सिंह नगर को गुमराह किया है । हमारे कुछ माननीय सदस्यगण यह सोच रहे हैं कि ऊधम सिंह नगर की जनता उत्तरांचल में नहीं जाना चाहती । मैं बताना चाहता हूं कि ऊधम सिंह नगर की जनता उत्तरांचल राज्य में जाना चाहती है । पहाड़ के बारे में कुछ गलतफहमियां हुईं, मैंने लिंग्विस्टिक शब्द दो बार सुना कि लिंग्विस्टिक राज्य बनेगा । मैं बताना चाहता हूं कि उत्तरांचल में बहुत सारी भाषाएं हैं । उत्तरांचल में लोग नेपाली बोलते हैं, कुमाऊंनी बोलते हैं, गढ़वाली बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं, वहां बुकसा जनजाति की भाषा है, थारू जनजाति की भाषा है । यह एक भाषी क्षेत्र नहीं बन रहा है । इसमें अन्य प्रकार के लोग भी यहां रहते हैं । मान्यवर, ऊधम सिंह नगर कुमाऊं का हिस्सा शुरू से रहा है । तराई भावर को नौलखा तराई कहा जाता था । हमारे पर्वतीय भाई इसे जानते हैं और देश के विभाजन के बाद श्रीमन्, पाकिस्तान से लोग यहां आए हमने उन्हें यहां रखा । बंगलादेश से लाखों की तादाद में बंगाली आए और ऊधम सिंह नगर में उन्हें बसाया । मान्यवर, जब उत्तरांचल का आन्दोलन चला तो ऊधम सिंह नगर में हमारी कौम के चाहे हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख या इसाई हों कन्धे से कन्धा मिलाकर चले । लेकिन कुछ चन्द लोगों ने जैसा मैंने कहा, गुमराह किया है जिन्होंने बुकसा जनजाति की जमीन दबा रखी है जिन्होंने थारू जनजाति के लोगों की जमीन दबा रखी है, उन्होंने अपने पैसे के बल से लोगों को भड़काना शुरू कर दिया ।

लोगों से यह कहना शुरू किया कि पहाड़ से लोग आयेंगे और तुम्हारी जमीनें छीन लेंगे । वहां पर परचे भी बंटे थे "पेइचिंग नजदीक है, दिल्ली दूर है" इस तरीके से भावनाओं को भड़काया गया और उत्तराखण्ड के लोगों को देशद्रोह की पिक्चर पर लाया गया था । गोरखा रेजीमेंट हो, गढ़वाल रेजीमेंट हो, सिक्ख रेजीमेंट हो उन्होंने देश के लिए कुरबानी दी है । कुछ लोगों ने वहां पर आन्दोलन उठाया, पत्रकारों को बुलाया, जी टी०वी० और स्टार टी०वी० तथा दूरदर्शन के लोग वहां थे । उन्होंने देखा कि वहां भारी भीड़ होती थी और उत्तराखण्ड संघर्ष समिति के लोगों ने जो भीड़ दिखवायी वह पैसा देकर लोगों को लाये थे । उस भीड़ में ऊधमसिंह नगर के बहुत कम लोग थे । जो भीड़ वहां दिखायी गयी उसमें लेबरों को पैसा देकर लाया गया और बाहर के लोगों को भीड़ दिखाने के लिए लाया गया ।

(इस समय 6 बजकर 15 मिनट पर अधिष्ठाता श्री हरवंश कपूर पुनः पीठासीन हुए ।)

वहीं पर हम लोगों का भी आन्दोलन चलता था कि ऊधमसिंह नगर को उत्तरांचल में रखा जाय लेकिन उसमें कम लोग होते थे । हमारे साथ, मुसलमान भाई, बंगाली, थारू भाई तथा भुक्सा भाई भी थे । दूसरी चीज यहां पर मैंने पढ़ी कि जनमत कराया जाय कि ऊधमसिंह नगर उत्तर प्रदेश में ही रहे । श्रीमन्, जनमत हो चुका है । जिन लोगों ने जनता को गुमराह किया था मैं उनको बताना चाहता हूं कि पिछली लोक सभा के इलेक्शन में ऊधमसिंह नगर संघर्ष समिति के लोगों ने स०पा० के साथ मिलकर उनके झण्डे और बैनर के साथ इलेक्शन लड़ा । काशीपुर विधान सभा क्षेत्र में उन्होंने स०पा० के झण्डे और बैनर तले चुनाव लड़ा और काशीपुर विधान सभा क्षेत्र में उनको केवल 20 हजार वोट मिले । खटीमा विधान सभा क्षेत्र में केवल 16 हजार वोट मिले और हल्द्वानी विधान सभा क्षेत्र में 13 हजार वोट मिले । इस तरह से उनको पूरी तराई में कुल 50 हजार वोट मिले और वहां की जनता जो चाहती थी कि ऊधमसिंह नगर उत्तरांचल में रहे उसके उम्मीदवार को 3 लाख 80 हजार वोट मिले । इससे आप समझ लें कि वहां के 85 प्रतिशत लोगों की राय है कि ऊधमसिंह नगर उत्तरांचल में रखा जाय । धन्यवाद ।

श्री राम सिंह सैनी–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे पुनर्गठन विधेयक पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं । माननीय अधिष्ठाता जी, स्टेट रि-आर्गनाइजेशन कमीशन बना था तो कुछ आधारभूत सिद्धान्त तय हुए थे । नई स्टेट का गठन होगा तो लिंग्वीस्टिक आधार पर होगा । जहां तक हरिद्वार का सम्बन्ध है लिंग्वीस्टिक आधार पर भी हमारा कोई मेल नहीं खाता । भौगोलिक आधार पर देखेंगे तो उससे भी कोई मेल नहीं खाता । जब देहरादून जनपद हरिद्वार में सम्मिलित था और तो वहां के लोगों ने आन्दोलन किया था कि हमारा देहरादून जनपद सहारनपुर से अलग होना चाहिए । यह कहा गया कि "दि रूल्स एण्ड रेगुलेशन फ्रेम फार दि पीपुल आफ प्लेन आर नाट सूटेड फार पीपुल्स दि हिल्स" इसी तरह से रूल्स और रेगुलेशन मैदानी लोगों के लिए उपयुक्त हैं, हिल पर रहने वाले लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है तो हरिद्वार को उत्तरांचल में सम्मिलित करने का कोई औचित्य नहीं है । साथ ही साथ में माननीय मुख्य मंत्री जी के कैबीनेट का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने इस बिल को संशोधन के साथ पेश किया है और आज एक षडयन्त्र और कुचक्र हो रहा है केन्द्र के कुछ मंत्री और यहां के कुछ मंत्री हरिद्वार को उत्तरांचल में सम्मिलित करने की बात करते हैं । जब हमारा जनपद हरिद्वार बना था तब हम लोगों ने प्रयास किया था कि ऋषिकेश को हरिद्वार में सम्मिलित किया जाय । उस समय माननीय ब्रह्मदत्त जी ने घोर विरोध किया था और कहा था कि हरिद्वार में शामिल नहीं होना चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप संक्षिप्त करें ।

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, यहां प्रजातन्त्र है, यहां पर जरनल मुशर्रफ का राज नहीं है, यह पाकिस्तान नहीं है। हरिद्वार के लोग यह बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी एक सम्मानित सदस्य ने कहा था कि हम लोग अपना हक लेना जानते हैं, हरिद्वार के लोग भी अपना हक लेना जानते हैं। हम उत्तरांचल में सम्मिलित नहीं होंगे। उत्तरांचल के लोग हरिद्वार को सम्मिलित करने की बात करते हैं। लेकिन 16 करोड़ लोग हमारे साथ हैं, अगर संघर्ष होगा तो हम उत्तरांचल के साथ नहीं जायेंगे और हरिद्वार उत्तर प्रदेश में ही सम्मिलित रहेगा। मेरा अनुरोध है कि जो संशोधन पेश हुए हैं, हमारे सम्मानित सदन के अन्दर, केन्द्रीय सरकार भी उसका ध्यान रखेगी और हरिद्वार को उत्तरांचल में सम्मिलित नहीं होने दिया जायेगा।

श्री भारत सिंह रावत–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक पर बोलने का अवसर दिया। आज इस प्रदेश के लिए, इस सदन के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। प्रदेश दो भागों में बंट रहा है, दो भाग होने वाले हैं, उत्तरांचल बनने वाला है। यह उत्तरांचल के लोगों के लिए खुशी की बात है। अभी यहां पर प्रतिपक्ष की तरफ से जो भावनायें व्यक्त की गयीं जिससे लगता है कि द्वेष उत्पन्न करने की बातें हैं, विरोध करने के लिए कहा गया है हम इसका विरोध करते हैं। मैं, माननीय मुख्य मंत्री जी का, माननीय प्रधान मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अलग राज्य उत्तरांचल बनाने में अहम् भूमिका निभायी है। हरिद्वार के बिना उत्तरांचल अधूरा है और पौराणिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, ऐतिहाहिक रूप से यह उत्तरांचल का हिस्सा है उसे इसका हिस्सा देना चाहिए। हरिद्वार उत्तरांचल में शामिल होना चाहिए। यह जो खण्ड 79 ख में संशोधन किया गया है कि वहां के जल स्रोतों से जो परियोजनायें बनेंगी उनका निर्माण संचालन, संरक्षण, अधिकार संयुक्त बोर्ड बनाकर उत्तर प्रदेश का भी होगा, इसका मैं विरोध करता हूं।

(व्यवधान)

उत्तरांचल को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए एवं आर्थिक पैकेज देकर पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया जाय।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री लाखी राम जोशी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह जो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2000 प्रस्तुत किया गया है उसके पक्ष में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस विधेयक में राजधानी का उल्लेख नहीं हुआ है।

श्री हुकुम सिंह–

मेरा रेवती रमण सिंह, गौरी शंकर, अम्बरीष जी आदि सम्मानित सदस्यों से अनुरोध है कि वह उत्तरांचल के उस क्षेत्र के रहने वाले विधायकों को दो-दो मिनट सुन लें।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

हमारा संशोधन है। हम भी इस पर बोलेंगे।

श्री लाखी राम जोशी–

यह जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है इसमें राजधानी के विषय में कोई चर्चा नहीं की गयी है। मेरा आग्रह है कि पहाड़ के लोगों की भावनायें इसमें समाहित करते हुए राजधानी के लिए गैरसैंण स्थान का चुनाव किया जाए। यह हमारे सुझाव के रूप में प्रस्तावित किया जाए।

श्री अधिष्ठाता–

आपकी बात आ गयी। अब बस करिये।

(व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

उत्तरांचल की बात है, एक-एक मिनट बोलने दीजिये ।

श्री अधिष्ठाता–

सिर्फ एक मिनट ।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया बहुत-बहुत धन्यवाद । आज यहां ऐसा माहौल लगा जैसे उत्तरांचल नहीं कोई नया राष्ट्र बनने जा रहा हो । जैसे हम चीन के नागरिक हों, जैसे हम पाकिस्तान के नागरिक हों । एक नफरत का वातावरण पैदा कर नफरत का ही माहौल हो गया है । क्या मैं हरिद्वार में नहीं घुस पाऊंगा ? हरिद्वार अगर उत्तरांचल में शामिल नहीं होगा तो क्या हुआ और अगर शामिल होगा तो क्या हो जाएगा । तो हम सब अपने ही देश के लोग अभी पोखरियाल साहब एक बात नहीं कह पाये, तीन दिन पहले लक्सर के लोगों ने जनमत संग्रह करके हरिद्वार को उत्तरांचल में शामिल करने का निर्णय लिया है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें ।

* श्री नरेन्द्र सिंह भाटी–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । कई घण्टों से उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक पर बात चल रही है । कई साथियों के विचार हमने सुने । उत्तरांचल विधेयक चौथी बार यहां लाया गया है । यह बन भी पायेगा या नहीं मुझे नहीं मालूम लेकिन ऐसा माहौल पैदा कर दिया गया है कि जैसे अलग-अलग राज्यों का बटवारा हुआ हो । ऊधमसिंह नगर के विषय पर कई साथियों ने हमारी पार्टी को ललकारा है । यह जो बहन मायावती ने ऊधमसिंह नगर एक नया जिला बना दिया है इसे पहले वह कुछ नहीं था । दूसरी बात यह है कि जब पर्वत का ही राज्य बनना है तो फिर मैदानी इलाकों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

श्री संसदीय कार्य मंत्री जी आप खड़े हो जायं ।

(सत्तापक्ष की ओर से मेजें भपथपाई गयीं)

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । कृपया सुन लें । मैं अपने संशोधन पर मतदान की मांग करता हूं ।

श्री अम्बरीष कुमार–

संशोधन को आप कैसे रोक लेंगे ?

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मा० राम औतार शाक्य जी ने संशोधन पेश किया था और वह उपस्थित नहीं हैं, इसलिए संसदीय कार्य-मंत्री जी अपनी बात रखें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(श्री हुकुम सिंह के खड़े होने पर व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह–

(व्यवधान)मैं और मेरी पार्टी सरकार की नीतियों से सहमत नहीं है । (व्यवधान) सरकार की नीतियों के विरोध में मैं और मेरी पार्टी सदन का बहिष्कार करती है ।

(कुंवर रेवती रमण सिंह अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

(व्यवधान) श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि जो संकल्प है उसके विरोध में मैंने संशोधन प्रस्तुत किये हैं कि हरिद्वार जिले को उत्तरांचल में जोड़ा जाय और जल विद्युत परियोजनाओं का स्वामित्व दिया जाय आदि-आदि संशोधन दिये हैं । (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आपके भाषण में यह सारी बातें आ गयी हैं इसलिए अब आप बैठ जायं । श्री शाक्य जी जिन्होंने संशोधन प्रस्तुत किया था वह नहीं हैं इसलिए संसदीय कार्य मंत्री जी आप अपनी बात कहें ।

(व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह–

माननीय अधिष्ठाता–महोदय, जिस समय मैंने संकल्प प्रस्तुत किया था तो कुछ ही मिनटों में मैंने अपनी बात रख दिया था और संक्षेप में अपनी बात रखने का कारण यह था कि मैं चाहता था कि उत्तरांचल का गठन होने के बाद दोनों राज्यों में ज्यादा सौहार्दपूर्ण बातें होंगी और हमें ऐसा न लगे कि प्रदेश का बटवारा हुआ है, इसलिए हमने अधिक तर्क नहीं दिये थे चूंकि पहले तर्क आ चुके थे । मान्यवर, मुझे खेद इस बात का है कि बहुत अच्छी चर्चा होने के साथ ही साथ कुछ ऐसे भावावेश में विचार रखे गये कि जैसे दो दुश्मनों में लड़ाई हो रही हो कि कौन विजयी होगा और कौन पराजित होगा और जो पराजित होगा उसका सर कलम कर दिया जायेगा । मान्यवर, एक ही दल के दो वरिष्ठतम सदस्यों द्वारा विचार रखे गये । इधर पक्ष के बैठे लोगों के विचार नहीं थे । एक ही दल के दो वरिष्ठतम सदस्य जो आपस में मित्र भी हैं उन्होंने वैमनस्यता का माहौल यहां पर पैदा कर दिया जिसे सुनकर बड़ा कष्ट हुआ । ऐसा लगा कि जो उद्गार वह रख रहे हैं वह समय के अनुकूल नहीं है । हम संशोधन क्यों लाये हरिद्वार के बारे में, इसे मैं बता दूं । जब भी उत्तरांचल गठन की परिकल्पना की गयी इस बात पर की गयी दो मण्डल जो हमारे भौगोलिक और राजस्व मण्डल है चाहे कुमायूं मण्डल हो और चाहे गढ़वाल मण्डल हो उनका एक वजूद था । हम वैदिक और ऋचाओं के इतिहास में नहीं जाना चाहते हैं वर्तमान स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए हम संशोधन लाये । कुमायूं मण्डल में जनपद नैनीताल था । तीन बार यह बिल पास होकर यहां से गया और हमने ज्यों का त्यों इस बिल को रख दिया । जहां तक हरिद्वार की बात है, कभी आप कैबिना के माध्यम से बता देंगे कि वह द्वार है कहीं न कहीं से आप उसको जोड़ने का प्रयास अवश्य करेंगे परन्तु वास्तविकता यह है कि हरिद्वार जनपद में आने से पहले सहारनपुर का हिस्सा था बाद में कांग्रेस की सरकार जब आयी और माननीय श्री नारायण दत्त जी मुख्य मंत्री थे तो हरिद्वार को एक नया जनपद बना दिया गया सहारनपुर से अलग करके । मायावती जी जब मुख्यमंत्री थीं तो उन्होंने सहारनपुर को एक अलग से मण्डल बना दिया जिसमें हरिद्वार और मुजफ्फरनगर थे । हरिद्वार गढ़वाल मण्डल का हिस्सा कभी नहीं रहा । क्योंकि वह उस हिस्से में नहीं रहा, हम पेचीदगी में विश्वास नहीं करते इसलिये हमने यह गौर कर यह संकल्प रखा । जो सर्वमान्य था और जो वजूद में था उन्हीं के आधार पर हमने यह किया ।

कुमायूं एक स्थान ही नहीं अपितु एक भाषा भी है, उसका एक इतिहास भी है, सभ्यता है, संस्कृति भी है और उसका एक वजूद भी है । इसी प्रकार गढ़वाल मण्डल की भी अपनी एक भाषा है, सभ्यता

है, सांस्कृतिक है और भौगोलिक आकार भी है। इसलिये हमने उत्तरांचल के इस विधेयक में इस संशोधन को प्रस्तुत किया। एक आशंका व्यक्त की गयी उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं, यह कहा गया आयोग बनेगा पता नहीं कब उस आयोग का गठन होगा, इस बात से आप सभी सहमत होंगे जब कोई नयी संरचना होती है तो आरम्भ में कुछ समस्यायें रहती हैं, वही समस्या यहां पर भी है। वहां पर जल स्रोत हैं, हमें विश्वास कायम करने का प्रयास करना होगा यदि हम अविश्वास का परिचय देंगे तो दोनों राज्य आपस में अच्छे पड़ोसी कैसे हो सकते हैं हमने कहा है कि दोनों राज्य मिलकर राज्य के बारे में तय करेंगे और दोनों की बराबर भागीदारी होगी। इसे तय करने के लिए हम कोई बाहर से कोर्ट तो लायेंगे नहीं और ऐसा भी नहीं है कि किसी कोर्ट में स्थगनादेश प्राप्त करने के लिए हम प्रार्थना-पत्र देते रहेंगे। यथाशीघ्र यह बात तय की जायेगी जो हम सब लोगों को स्वीकार होगी।

(इस समय 6 बजकर 40 मिनट पर अधिष्ठाता डा० सरजीत सिंह डंग पुनः पीठासीन हुए)

दूसरी बात मान्यवर, यह राज्य गठन के बारे में हमारा कोई पूर्वाग्रह नहीं है। राज्य बन जाय। राज्य की सरकार बन जाय। अपने आप तय कर लें कि कहां राजधानी बने। अगर विधेयक में प्रतिबन्ध डालने की कोशिश की है तो वह इसलिये कि आप खर्च सहन नहीं कर पायेंगे। राजधानी बनने पर बहुत खर्च बढ़ेगा। इसके लिये केन्द्र सरकार की पूरी जिम्मेदारी है। इसमें कौन सा बुरा हमने किया ? इसके लिये तो आपको हमें बधाई देनी चाहिए थी। हमने इसीलिये अधिनियम बनाया ताकि किसी के ऊपर भार न हो। एक बार नहीं बार-बार 4 मुख्य मंत्री उत्तरांचल से आये इस बात का उल्लेख किया गया।

इस बात को आप कहां जोड़ना चाहते हैं ? वह तो प्रतिभाएं थीं। देश की प्रतिभाएं थीं। कहीं से भी आई। आपको कभी यह याद नहीं आया कि इस प्रदेश ने देश को क्या-क्या दिया ? पंडित जवाहर लाल नेहरू दिये प्रधानमंत्री के रूप में। लाल बहादुर शास्त्री दिये, इंदिरा गांधी दी, राजीव गांधी दिये, चौधरी चरण सिंह दिये, वी० पी० सिंह दिये, चन्द्र शेखर दिये प्रधानमंत्री के रूप में और आज अटल जी दो बार इसी प्रदेश ने प्रधानमंत्री के रूप में दिये। संकीर्ण भावना से उठिये और देखिये उत्तर प्रदेश का क्या योगदान रहा देश के लिये। इस प्रदेश के आकार को भी देखिये। आज बार-बार यह कहा जाता है कि पूर्वांचल बना दीजिये वहां का विकास हो जायेगा, पश्चिमांचल बना दीजिये, वहां का विकास हो जायेगा। उत्तरांचल बना दीजिये, वहां का विकास हो जायेगा। अगर इससे ही विकास हो गया होता तो आज उड़ीसा का विकास हो गया होता, मेघालय का विकास हो गया होता। विकास होगा हमारे इकट्ठा प्रयास करने से, सदाचार से, नेकनीयति से। इस तरह से प्रदेश को विखंडित करने के बजाय खंडित करने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश इकट्ठा होकर विकास की धारा में चले तो विकास होगा। बड़े-बड़े आदमियों के नाम लिये गये। आपने राम प्रसाद बिस्मिल का नाम लिया। हमारे यहां राम प्रकाश जी बैठे हैं, इनके नेतृत्व में तरक्की करके देखिये हमारा स्वरूप अलग होगा। इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि सर्वसम्मति से इस पर विचार करने के बाद में इस पर मत विभाजन कराया जाय।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

श्री राम जग–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। सब की राय आ गई। पूरा विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसके विरोध में सब चले गये हैं। उत्तर प्रदेश के हित में जनता यह चाहती है कि बंटवारा न हो, राज्य का गठन न हो। हम संसदीय कार्य मंत्री जी से जानना चाहते थे कि उत्तरांचल की जनता से, उनके विकास के लिये राज्य परिषद् के गठन की घोषणा करेंगे ?

लेकिन उनका जवाब नहीं आया । जो उनका जवाब आया है वह जनता की भावनाओं के खिलाफ है । मैं और मेरा दल इसके विरोध में सदन का त्याग करते हैं ।

(श्री राम जग अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्यागकर चले गये ।)

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप जितना शोर करेंगे, उससे कोई फायदा नहीं ।

श्री मुन्ना चौहान–

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि मैंने जो संकल्प सरकार की तरफ से प्रस्तुत किया जा रहा है, इस सदन में, उस पर अपना संशोधन प्रस्ताव रखा है और यह मेरा अपना है । किसी और के साथ अटैच नहीं है । श्रीमन्, मेरा यह अनुरोध है कि मैंने जब यह संशोधन प्रस्ताव रखा है तो मुझे अधिकार है कि मैं यह कहूं कि मेरे संशोधन प्रस्ताव पर सदन की क्या राय है ? यह मेरा एक मौलिक अधिकार है ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने समझ लिया है आपकी बात । मैं व्यवस्था दे रहा हूं । आप बैठें ।

श्री मुन्ना चौहान–

आपकी बात मैं मान रहा हूं लेकिन मैं बहुत विनम्रतापूर्वक आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरे संशोधन प्रस्ताव पर जिसमें मैंने हरिद्वार जिले के मामले में, जल विद्युत परियोजनाओं के स्वामित्व के मामले में द्विपक्षीय आयोग के गठन के मामले में एस०सी०एस०टी० माइनारिटीज के मामले में कहा है इसमें सदन को अधिकार है कि मत विभाजन कर सके ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप मुझे अपनी व्यवस्था देने दें ।

श्री मुन्ना चौहान–

मैं मतदान इसलिए नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उत्तरांचल पर संशोधन रखा है और इसलिए भी मतदान नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उत्तरांचल का समर्थन करता हूं । मेरे लिए कहां मतदान की गुंजाइश है ? आपकी व्यवस्था सिर माथे है ।

श्री अधिष्ठाता–

व्यक्तिगत परिस्थिति है मुझे आपसे सहानुभूति है । किन्तु सदन नियमों से चलेगा । मा० शाक्य जी के संशोधन पर मतदान संभव हो पाएगा ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2000 पर, उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा विचार प्रकट करने के सम्बन्ध में माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सदन में प्रस्तुत संकल्प में श्री राम औतार शाक्य द्वारा जो संशोधन प्राप्त हुआ है उस पर यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

इसके अतिरिक्त जो भी अन्य संशोधन प्रस्तुत किये हुए माने हैं, अस्वीकृत हुए ।

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि "यह सदन उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2000 पर जो भारत का संविधान के अनुच्छेद–3 के परन्तुक के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा उस पर विचार प्रकट करने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य

विधान मण्डल को निर्देशित किया गया है, विचार करने के पश्चात् उस पर इस सिफारिश के साथ अपनी सहमति व्यक्त करता है कि उक्त विधेयक में-

1-खण्ड-2 के उपखण्ड (ज) में उत्तर प्रदेश राज्य और उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में जनसंख्या का अनुपात "1328 : 63" के स्थान पर "1332 : 59" रख दिया जाय।

2-खण्ड-3 में उपखण्ड-(ख) और उससे सम्बन्धित पहली अनुसूची निकाल दी जाय तथा इस खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात् :-

उत्तरांचल राज्य का बनाया जाना

"3-नियत दिन से ही एक नया राज्य बनाया जाएगा जो उत्तरांचल राज्य कहलाएगा जिसमें विद्यमान उत्तर प्रदेश राज्य के पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, चमोली, देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार, चम्पावत और रुद्रप्रयाग जिलों के राज्य क्षेत्र समाविष्ट होंगे और तदुपरि उक्त राज्य क्षेत्र विद्यमान उत्तर प्रदेश राज्य के भाग नहीं रहेंगे।"

3-खण्ड-5 के उपखण्ड (क) में "बिहार और उत्तर प्रदेश (सीमा परिवर्तन) अधिनियम, 1968 की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख)" के स्थान पर "बिहार और उत्तर प्रदेश (सीमा परिवर्तन) अधिनियम, 1968 की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क)" रख दिया जाय और विधेयक का अंग्रेजी पाठ भी तदनुसार ठीक कर दिया जाय।

4-खण्ड-8 के उपखण्ड (1) में शब्द "दूसरी अनुसूची" के स्थान पर शब्द "पहली अनुसूची" रख दिया जाय और उक्त अनुसूची के प्रस्तर-(i) को निकाल दिया जाय और प्रस्तर-(ii) व (iii) को क्रमशः प्रस्तर-(i) और प्रस्तर-(ii) के रूप में पुनः संख्यांकित कर दिया जाय और इस प्रकार पुनः संख्यांकित प्रस्तर-(ii) में शब्द "ऐसा एक सदस्य, जिसे राज्य सभा का सभापति लाट निकाल कर अवधारित करे, उत्तरांचल राज्य को आवंटित स्थानों में से एक स्थान को भरने के लिए निर्वाचित समझा जायेगा और अन्य ग्यारह आसीन सदस्य उत्तर प्रदेश राज्य को आवंटित स्थानों में से ग्यारह स्थानों को भरने के लिए निर्वाचित समझे जायेंगे।" के स्थान पर शब्द "ऐसे दो सदस्य, जिन्हें राज्य सभा का सभापति लाट निकाल कर अवधारित करे, उत्तरांचल राज्य को आवंटित स्थानों में से दो स्थानों को भरने के लिए निर्वाचित समझे जायेंगे और अन्य दस आसीन सदस्य उत्तर प्रदेश राज्य को आवंटित स्थानों में से दस स्थानों को भरने के लिए निर्वाचित समझे जायेंगे।" रख दिये जायं।

5-खण्ड-10 में शब्द "तीसरी अनुसूची" के स्थान पर शब्द "दूसरी अनुसूची" रख दिये जायं और विधेयक के साथ संलग्न तीसरी अनुसूची के स्थान पर इस संकल्प के अनुलग्नक-1 को दूसरी अनुसूची के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया जाय।

6-खण्ड-12 में-

(क) उपखण्ड (1) में अंक "405" के स्थान पर अंक "406" रख दिये जायं,

(ख) उपखण्ड (2) में, मद संख्या (ग) में अंक "425" के स्थान पर अंक "406" रख दिये जायं।

7–खण्ड–14 के उपखण्ड (1) में शब्द "विधान सभा के बीस आसीन सदस्यों और विधान परिषद् के छः सदस्यों" के स्थान पर शब्द "विधान सभा के उन्नीस आसीन सदस्यों और विधान परिषद् के सात सदस्यों" रख दिये जायें।

8–खण्ड–18 में अंक व शब्द "8 उत्तर प्रदेश ————102" के स्थान पर अंक व शब्द "उत्तर प्रदेश ————101" रख दिये जायं।

9–खण्ड–19 में शब्द "चौथी अनुसूची" के स्थान पर शब्द "तीसरी अनुसूची" रख दिये जायं और विधेयक के साथ संलग्न चौथी अनुसूची के स्थान पर इस संकल्प के अनुलग्नक–2 को तीसरी अनुसूची के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया जाय।

10–खण्ड–20 के उपखण्ड (1) में शब्द "पांचवीं अनुसूची" के स्थान पर शब्द "चौथी अनुसूची" रख दिये जायं और विधेयक के साथ संलग्न पांचवीं अनुसूची को चौथी अनुसूची के रूप में पुनः संख्यांकित कर दिया जाय और इस प्रकार पुनः संख्यांकित चौथी अनुसूची में क्रम संख्या 6 की प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि बढ़ा दी जाय :–

"7–श्री भगत सिंह कोश्यारी"

11–खण्ड–24 में शब्द "छठी अनुसूची" के स्थान पर शब्द "पांचवीं अनुसूची" रख दिये जायं और विधेयक के साथ संलग्न छठी अनुसूची को पांचवीं अनुसूची के रूप में पुनः संख्यांकित कर दिया जाय और इस प्रकार पुनः संख्यांकित पांचवीं अनुसूची में क्रम संख्या 9,27,33,34,35,37,42,45,46,48 और 61 पर उल्लिखित जातियों के स्थान पर क्रमशः बलहर, धांगर, दुसाध, धरमी, धसिया, ग्वाल, कंजड़, खरैता, खरवार (वनवासी को छोड़कर) खरोट और सहरिया जातियां रख दी जायं।

12–खण्ड–25 में शब्द "सातवीं अनुसूची" के स्थान पर शब्द "छठी अनुसूची" रख दिये जायं और विधेयक के साथ संलग्न सातवीं अनुसूची को छठी अनुसूची के रूप में पुनः संख्यांकित कर दिया जाय।

13–(क) खण्ड–47 में, उपखण्ड (1) में शब्द "आठवीं अनुसूची" के स्थान पर शब्द "सातवीं अनुसूची" रख दिये जायं और विधेयक के साथ संलग्न आठवीं अनुसूची के स्थान पर इस संकल्प के अनुलग्नक–3 को सातवीं अनुसूची के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया जाय।

(ख) उपखण्ड (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :–

"(5) केन्द्र सरकार, उत्तरांचल राज्य की राजधानी के निर्माण का समस्त व्यय वहन करेगी।"

14–खण्ड–49 के उपखण्ड (4) के मद (ख) में शब्द "उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड" के स्थान पर शब्द "उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड" रख दिये जायं।

15 खण्ड–54 में शब्द "नवीं अनुसूची" के स्थान पर शब्द "आठवीं अनुसूची" रख दिये जायं और विधेयक के साथ संलग्न नवीं अनुसूची को आठवीं अनुसूची के रूप में पुनः संख्यांकित कर दिया जाय और इस प्रकार पुनः संख्यांकित आठवीं अनुसूची के पैरा–3 में शब्द और अंक "31 मार्च, 1998" के स्थान पर नियत दिनांक के पश्चात् का कोई ऐसा दिनांक जिसे केन्द्र सरकार नियत करे, रख दिया जाय।

16–खण्ड–63 के स्थान पर नया खण्ड–63 निम्न प्रकार रख दिया जाय :–

"(i) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन और राज्य भण्डारागारण निगम नियत दिन से इस खण्ड के उपबन्धों के अधीन रहते हुये उन क्षेत्रों के संबंध में कार्य करते रहेंगे जिसमें नियत दिन के ठीक पहले वे कार्य कर रहे थे।

(ii) उत्तरवर्ती उत्तरांचल राज्य द्वारा उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन एवं राज्य भण्डारागारण निगम के स्थान पर अपने लिये कोई अन्य संस्था बनाये जाने पर उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन एवं राज्य भण्डारागारण निगम उत्तरवर्ती राज्य उत्तरांचल में कार्य करना बन्द कर देंगे और उनके आस्तियों, अधिकारों और दायित्वों का प्रभाजन इस प्रकार से होगा जैसा विधेयक के खण्ड–80 के अधीन इस संकल्प के अनुसार गठित किये जाने वाले बोर्ड द्वारा अवधारित किया जाय और जब तक इस प्रकार अवधारित न हो तब तक इस संबंध में नियत दिनांक के ठीक पूर्व की व्यवस्था यथावत् बनी रहेगी।

(iii) विद्युत के उत्पादन या सम्भरण के लिये या वर्तमान सिंचाई या जल विद्युत परियोजनाओं तथा निर्माणाधीन परियोजनाओं को पानी की आपूर्ति करने के संबंध में जो व्यवस्था नियत दिन के ठीक पूर्व है वह नियत दिन को और उसके पश्चात् तब तक चलती रहेगी जब तक उनके संबंध उत्तरवर्ती राज्यों के अधिकार व दायित्व उपर्युक्त उपखण्ड (11) में निर्दिष्ट बोर्ड द्वारा अवधारित न कर दिये जायं।"

17–खण्ड–64 में इस आशय का उपबन्ध कर दिया जाय कि विद्युत उत्पादन प्रदाय तथा जल के प्रदाय के संबंध में वर्तमान व्यवस्था यथावत् तब तक बनी रहे जब तक इस संबंध में दोनों उत्तरवर्ती राज्यों के अधिकार, स्वामित्व, दायित्व और नियंत्रण विधेयक के खण्ड–80 के अधीन इस संकल्प के अनुसार गठित किये जाने वाले बोर्ड द्वारा अवधारित न कर दिये जायं।

18–खण्ड–65 के उपखण्ड (1) में उत्तर प्रदेश राज्य वित्तीय निगम के कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी किये जा सकने वाले निदेश के उपबन्ध को और उपखण्ड (3) में "उपधारा (1) या उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी" का उल्लेख हटा दिया जाय।

19–(क) खण्ड 66 के उपखण्ड (1) में कतिपय निगमों के बारे में किये गये उपबन्धों में केन्द्र सरकार द्वारा निदेश दिये जाने का उल्लेख हटा दिया जाय तथा उपखण्ड (2) को निकाल दिया जाय ।

(ख) खण्ड–66 से सम्बन्धित दसवीं अनुसूची को नवीं अनुसूची के रूप में पुनः संख्यांकित कर दिया जाय और इस प्रकार पुनः संख्यांकित नवीं अनुसूची के स्थान पर इस संकल्प के अनुलग्नक–4 को नवीं अनुसूची के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया जाय ।

20–खण्ड–67 के उपखण्ड (1) में केन्द्र सरकार द्वारा दिये जा सकने वाले निदेशों के उपबन्ध को हटा दिया जाय और उपखण्ड (2) को निकाल दिया जाय ।

21–खण्ड–71 के उपखण्ड (1) से संबंधित "ग्यारहवीं अनुसूची" को "दसवीं अनुसूची" के रूप में पुनः संख्यांकित कर दिया जाय और इस प्रकार पुनः संख्यांकित "दसवीं अनुसूची" के स्थान पर विधेयक के अनुलग्नक–5 को "दसवीं अनुसूची" के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया जाय ।

22–खण्ड–72 के उपखण्ड (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जाय, अर्थात् :–

"(4)–उक्त सेवाओं में से प्रत्येक के ऐसे सदस्य, जो नियत दिन के ठीक पहले विद्यमान उत्तर प्रदेश काडर में दर्ज थे, उपधारा (2) के अधीन गठित उसी सेवा के राज्य काडर को उनके विकल्प प्राप्त करके ऐसी रीति से और ऐसी तारीख या तारीखों से आवंटित किये जायेंगे जो केन्द्र सरकार आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे :

परन्तु उक्त सेवाओं में से प्रत्येक के ऐसे सदस्य जो नियत दिन के ठीक पहले विद्यमान उत्तर प्रदेश काडर से बाहर के काडर में दर्ज थे, उपधारा (2) के अधीन गठित उसी सेवा के उत्तरांचल राज्य के काडर को उनके विकल्प प्राप्त करके ऐसे रीति से और ऐसी तारीख या तारीखों से आवंटित किये जा सकते हैं जिसे केन्द्र सरकार आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे ।"

23–खण्ड–73 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्:–

"(1) प्रत्येक व्यक्ति जो नियत दिन के ठीक पहले विद्यमान उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में उत्तरवर्ती उत्तरांचल राज्य की सीमा के अन्दर कार्यरत हो, उत्तरवर्ती उत्तरांचल राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में अनन्तिम रूप से सेवा कर रहा समझा जायगा ।

(2) प्रत्येक व्यक्ति जो नियत दिन के ठीक पहले विद्यमान उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में उत्तरवर्ती उत्तरांचल राज्य के बाहर और उत्तरवर्ती उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा के अन्दर कार्य कर रहा हो, उत्तरवर्ती उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में अनन्तिम रूप से सेवा कर रहा समझा जायेगा ।

(3) ऐसा व्यक्ति जो नियत दिन के ठीक पहले विद्यमान उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में उत्तरवर्ती उत्तर प्रदेश राज्य और उत्तरवर्ती उत्तरांचल राज्य दोनों की सीमा के बाहर कार्यरत हो, उत्तरवर्ती उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में अनन्तिम रूप से सेवा कर रहा समझा जायेगा ।

(4) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो उपधारा (1), (2) एवं (3) के अधीन कार्यरत है, तब तक अनन्तिम रूप से कार्यरत समझा जायगा जब तक कि उससे केन्द्र सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, उत्तरवर्ती राज्यों से परामर्श करने के पश्चात् अन्तिम रूप से किसी एक उत्तरवर्ती राज्य के क्रियाकलापों के सम्बन्ध में सेवा करने के लिए निदेशित न करे । ऐसा निदेश नियत दिन से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति तक दिया जा सकेगा । एक वर्ष की अवधि की समाप्ति तक ऐसा निदेश न दिए जाने पर उत्तरवर्ती राज्य सरकारें परस्पर परामर्श करने के पश्चात् स्वयं निर्णय ले सकेंगी ।

24–खण्ड–79 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्:–

(i) उत्तरवर्ती उत्तरांचल राज्य में विद्यमान और निर्माणाधीन जल श्रोत परियोजनाओं, जिसके अन्तर्गत सिंचाई परियोजनायें भी हैं, की बाबत सभी अधिकार, स्वामित्व, दायित्व, संचालन, अनुरक्षण और नियंत्रण दोनों उत्तरवर्ती राज्यों का इस प्रकार से होगा जैसा विधेयक के खण्ड–80 के अधीन इस संकल्प के अनुसार गठित किये जाने वाले बोर्ड द्वारा अवधारित किया जाय और जब तक इस प्रकार अवधारित न हो तब तक इस संबंध में नियत दिनांक के ठीक पूर्व की व्यवस्था यथावत बनी रहेगी ।

(ii) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारों और दायित्वों के अन्तर्गत –

(क) परियोजनाओं के परिणामस्वरूप वितरण के लिये उपलब्ध जल को प्राप्त करने तथा उसका उपयोग करने का अधिकार; और

(ख) परियोजनाओं के परिणामस्वरूप उत्पादित विद्युत शक्ति को प्राप्त करने तथा उसका उपयोग करने का अधिकार, भी होगा किन्तु नियत दिन के पहले विद्यमान उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार द्वारा सरकार से भिन्न किसी व्यक्ति या प्राधिकारी के साथ की गई किसी संविदा के अधीन के अधिकार तथा दायित्व इसके अन्तर्गत नहीं होंगे ।

(iii) भविष्य में दोनों उत्तरवर्ती राज्यों के अपने-अपने क्षेत्रों में जल श्रोत के विकास के मामले में ऐसी परियोजनायें जिनसे दूसरे राज्य के हित या लाभों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, चलाई जा सकती हैं ।

(iv) यदि ऐसी परियोजना किसी उत्तरवर्ती राज्य द्वारा बनाई जाती है जिससे दूसरे उत्तरवर्ती राज्य के जल श्रोत की परियोजनाओं पर प्रतिकूल असर पड़ने की सम्भावना हो, अथवा ऐसी योजना जिसे दोनों उत्तरवर्ती राज्य एक संयुक्त योजना के रूप में निर्माण करने की इच्छा व्यक्त करते हैं तो ऐसी परियोजनाओं या योजनाओं के निर्धारण, निर्माण, संचालन के लिए एक स्वशासी द्विपक्षीय बोर्ड का गठन किया जायेगा । इस बोर्ड द्वारा इन परियोजनाओं या योजनाओं को इस तरह परिकल्पित, नियोजित व निष्पादित किया जायेगा कि दोनों राज्यों को जो वर्तमान सुविधाएं व लाभ मिल रहे हैं उसमें किसी तरह की कोई कमी न हो । बोर्ड की अंशपूंजी में दोनों उत्तरवर्ती राज्यों के अंश उस अनुपात में होंगे जैसा दोनों राज्य तय करें ।

25–खण्ड–80 के स्थान पर नया खण्ड रख दिया जाय जिसमें इस आशय का उपबन्ध कर दिया जाय कि धारा 63, 64 और 79 के प्रयोजनों के लिये बोर्ड का गठन इस प्रकार हो :–

(क) एक पूर्णकालिक अध्यक्ष जो दोनों उत्तरवर्ती राज्यों द्वारा दी गयी सूची में से दोनों राज्यों की सहमति से चुना जायेगा,

(ख) दोनों उत्तरवर्ती राज्यों द्वारा नामित दो-दो पूर्णकालिक सदस्य,

(ग) दोनों राज्यों द्वारा नामित दो-दो अंशकालिक सदस्य,

(घ) पूर्णकालिक सचिव जो बोर्ड द्वारा चुना जायेगा ।

बोर्ड के कृत्यों में निम्नलिखित होंगे:–

(क) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन एवं राज्य भाण्डारागारण निगम की आस्तियों, अधिकारों और दायित्वों का उत्तरवर्ती उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल राज्यों के मध्य प्रभाजन करना,

(ख) उत्तरवर्ती उत्तरांचल राज्य की सीमाओं में विद्यमान और निर्माणाधीन जल श्रोत परियोजनाओं जिसके अन्तर्गत सिंचाई परियोजनायें भी हैं, की बाबत उत्तरवर्ती उत्तर प्रदेश राज्य और उत्तरांचल राज्य के अधिकार, स्वामित्व, दायित्व, संचालन, अनुरक्षण और नियंत्रण को अवधारित करना,

(ग) परियोजनाओं की परिकल्पना, अन्वेषण, नियोजन करना और उनका सक्षमतापूर्वक और कम लागत से निर्माण करना, और

(घ) परियोजनाओं से प्राप्त लाभों का उत्तरवर्ती राज्यों में आवंटन एवं संभरण ।

26–खण्ड–81 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात :–

(क) बोर्ड इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के कुशलतापूर्वक निर्वहन हेतु आवश्यक स्टाफ नियोजित करेगा । पहला प्रयास यह होगा कि ऐसा स्टाफ उत्तरवर्ती राज्यों से प्रतिनियुक्ति पर लिया जाय ।

(ख) बोर्ड द्वारा लिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों को उत्तरवर्ती राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मुख प्रस्तुत करके उनका अनुमोदन प्राप्त किया जायगा ।

27–खण्ड–82 में इस आशय के उपबन्ध कर दिये जायं कि :–

(क) बोर्ड साधारणतया धारा–63,64 और 79 में निर्दिष्ट परियोजनाओं में से किसी के बारे में अधिकारिता का प्रयोग करेगा ।

(ख) यदि इस बारे में कोई प्रश्न उद्भूत होता है कि धारा–63,64 और 79 में निर्दिष्ट किसी मामले के संबंध में बोर्ड की अधिकारिता है अथवा नहीं तो उसे उत्तरवर्ती राज्यों के मुख्य मंत्रियों के निर्णय के लिये निर्दिष्ट किया जायेगा ।

28–खण्ड–83 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात :–

"83–बोर्ड उत्तरवर्ती राज्यों की सरकारों के पूर्वानुमोदन से तथा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित का उपबन्ध करने के लिए ऐसे विनियम बना सकेगा जो इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों से सुसंगत हों –

(क) बोर्ड के अधिवेशनों के समय और स्थान का तथा ऐसे अधिवेशनों के संव्यवहार में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का विनियमन,

(ख) शक्तियों तथा कर्तव्यों का बोर्ड के अध्यक्ष या बोर्ड के किसी अधिकारी को प्रत्यायोजन,

(ग) बोर्ड के अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति और उनकी सेवा शर्तों का विनियमन,

(घ) कोई अन्य विषय जिसका विनियमन बोर्ड द्वारा आवश्यक समझा जाय ।

29–खण्ड–42 के उपखण्ड (4), खण्ड–49 के उपखण्ड (2) खण्ड–55 के उपखण्ड (1) के परन्तुक, खण्ड–56 के उपखण्ड (ख), खण्ड–57 के उपखण्ड (ख), खण्ड–59, खण्ड–65 के उपखण्ड (1),

खण्ड–66 के उपखण्ड (1), खण्ड–67 के उपखण्ड (1) और खण्ड–71 के उपखण्ड (1) में जहां कहीं भी केन्द्र सरकार द्वारा आदेश या निदेश देने या विनिर्दिष्ट करने संबंध उपबंध हों, वहां-वहां यह उपबंध कर दिया जाय कि 'केन्द्र सरकार उत्तरवर्ती उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल राज्यों की सरकारों से परामर्श करने के पश्चात् ही ऐसे आदेश या निदेश दे सकेगी या इस प्रकार विनिर्दिष्ट कर सकेगी' रख दिये जायं।''

अनुलग्नक–1

दूसरी अनुसूची

(भाग 10 देखिये)

संसदीय और सभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, 1976 का संशोधन संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, 1976 की अनुसूची 22 में,––

(1) भाग क में–संसदीय निर्वाचन क्षेत्र,–

(क) क्रम संख्यांक 1,2,3 और 4 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जायेगा ;

(ख) क्रम संख्यांक 12 के अन्त में, निम्नलिखित अंक और शब्द अन्तःस्थापित किये जायेंगे; अर्थात :–

''56––बहेड़ी''

(2) भाग ख में–सभा निर्वाचन क्षेत्र,–

क्रम संख्यांक 1 से 16 (जिसमें दोनों सम्मिलित हैं) और क्रम संख्यांक 423 से 425 (जिनमें दोनों सम्मिलित हैं) तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जायगा।

अनुलग्नक–2

तीसरी अनुसूची

(धारा 19 देखिये)

परिषद् निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1951 की सारिणी के स्थान पर निम्नलिखित सारिणी प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात :–

सारिणी

निर्वाचन क्षेत्र का नाम	विस्तार	सीटों की संख्या
1	2	3
	स्नातक निर्वाचन क्षेत्र	
1–बरेली–मुरादाबाद खण्ड स्नातक	बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, ज्योतिबा फुले नगर और बिजनौर जिले	1
2–लखनऊ खण्ड स्नातक	लखनऊ, हरदोई, खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली और प्रतापगढ़ जिले	1
3–गोरखपुर–फैजाबाद खण्ड स्नातक	बहराइच, श्रावस्ती, गोण्डा, बलरामपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, सन्त कबीर नगर, गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, आजमगढ़, मऊ, सुल्तानपुर, फैजाबाद और अम्बेडकर नगर जिले	1

1	2	3
4–वाराणसी खण्ड स्नातक	बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, चन्दौली, सन्त रविदास नगर, मिर्जापुर और सोनभद्र जिले	1
5–इलाहाबाद–झांसी खण्ड स्नातक	इलाहाबाद, कौशाम्बी, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, जालौन, झांसी और ललितपुर जिले	1
6–कानपुर खण्ड स्नातक	कानपुर नगर और कानपुर देहात और उन्नाव जिले	1
7–आगरा खण्ड स्नातक	आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, एटा, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, औरैया और फर्रुखाबाद जिले	1
8–मेरठ खण्ड स्नातक	बुलन्दशहर, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और हरिद्वार जिले	1

शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र

1–बरेली–मुरादाबाद खण्ड शिक्षक	बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, ज्योतिबाफुले नगर और बिजनौर जिले	1
2–लखनऊ खण्ड शिक्षक	लखनऊ, हरदोई, खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली और प्रतापगढ़ जिले	1
3–गोरखपुर–फैजाबाद खण्ड शिक्षक	बहराइच, श्रावस्ती, गोण्डा, बलरामपुर, बस्ती, सन्तकबीर नगर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, आजमगढ़, मऊ, सुल्तानपुर, फैजाबाद और अम्बेडकर नगर जिले	1
4–वाराणसी खण्ड शिक्षक	बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, चन्दौली, सन्त रविदास नगर, मिर्जापुर और सोनभद्र जिले	1
5–इलाहाबाद–झांसी खण्ड शिक्षक	इलाहाबाद, कौशाम्बी, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, जालौन, झांसी और ललितपुर जिले	1
6–कानपुर खण्ड शिक्षक	कानपुर नगर और कानपुर देहात तथा उन्नाव जिले	1
7–आगरा खण्ड शिक्षक	आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, एटा, मैनपुरी, इटावा कन्नौज, औरैया और फर्रुखाबाद जिले	1
8–मेरठ खण्ड शिक्षक	बुलन्दशहर, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, बागपत; मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और हरिद्वार जिले	1

उत्तर प्रदेश गजट

सारिणी

निर्वाचन क्षेत्र का नाम	विस्तार	सीटों की संख्या
1	2	3
स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र		
1–मुरादाबाद-बिजनौर स्थानीय प्राधिकारी	मुरादाबाद ज्योतिबाफुले नगर और बिजनौर जिले	1
2–रामपुर–बरेली स्थानीय प्राधिकारी	रामपुर और बरेली जिले	1
3–बदायूं स्थानीय प्राधिकारी	बदायूं जिला	1
4–पीलीभीत–शाहजहांपुर स्थानीय प्राधिकारी	पीलीभीत और शाहजहांपुर जिले	1
5–हरदोई स्थानीय प्राधिकारी	हरदोई जिला	1
6–खीरी स्थानीय प्राधिकारी	खीरी जिला	1
7–सीतापुर स्थानीय प्राधिकारी	सीतापुर जिला	1
8–लखनऊ–उन्नाव स्थानीय प्राधिकारी	लखनऊ और उन्नाव जिले	1
9–रायबरेली स्थानीय प्राधिकारी	रायबरेली जिला	1
10–प्रतापगढ़ स्थानीय प्राधिकारी	प्रतापगढ़ जिला	1
11–सुल्तानपुर स्थानीय प्राधिकारी	सुल्तानपुर जिला	1
12–बाराबंकी स्थानीय प्राधिकारी	बाराबंकी जिला	1
13–बहराइच स्थानीय प्राधिकारी	बहराइच और श्रावस्ती जिले	1
14–गोण्डा स्थानीय प्राधिकारी	गोण्डा और बलरामपुर जिले	1
15–फैजाबाद स्थानीय प्राधिकारी	फैजाबाद और अम्बेडकर नगर जिले	1
16–बस्ती-सिद्धार्थनगर स्थानीय प्राधिकारी	बस्ती, सन्तकबीर नगर और सिद्धार्थनगर जिले	1
17–गोरखपुर-महराजगंज स्थानीय प्राधिकारी	गोरखपुर और महराजगंज जिले	1
18–देवरिया स्थानीय प्राधिकारी	देवरिया और कुशीनगर जिले	1
19–आजमगढ़-मऊ स्थानीय प्राधिकारी	आजमगढ़ और मऊ जिले	1
20–बलिया स्थानीय प्राधिकारी	बलिया जिला	1
21–गाजीपुर स्थानीय प्राधिकारी	गाजीपुर जिला	1
22–जौनपुर स्थानीय प्राधिकारी	जौनपुर जिला	1
23–वाराणसी स्थानीय प्राधिकारी	वाराणसी, चन्दौली और सन्त रविदास नगर जिले	1
24–मिर्जापुर-सोनभद्र स्थानीय प्राधिकारी	मिर्जापुर और सोनभद्र जिले	1
25–इलाहाबाद स्थानीय प्राधिकारी	इलाहाबाद और कौशाम्बी जिले	1

विधान सभा उत्तर प्रदेश

1	2	3
26–बांदा-हमीरपुर स्थानीय प्राधिकारी	बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर और महोबा जिले	1
27–झांसी-जालौन-ललितपुर स्थानीय प्राधिकारी	जालौन, झांसी और ललितपुर जिले	1
28–कानपुर–फतेहपुर स्थानीय प्राधिकारी	कानपुर नगर, कानपुर देहात और फतेहपुर जिले	1
29–इटावा–फर्रुखाबाद स्थानीय प्राधिकारी	इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज और औरैया जिले	1
30–आगरा–फिरोजाबाद स्थानीय प्राधिकारी	आगरा और फिरोजाबाद जिले	1
31–मथुरा-एटा-मैनपुरी स्थानीय प्राधिकारी	मथुरा, एटा और मैनपुरी जिले	1
32–अलीगढ़ स्थानीय प्राधिकारी	अलीगढ़ और हाथरस जिले	1
33–बुलन्दशहर स्थानीय प्राधिकारी	बुलन्दशहर और गौतमबुद्ध नगर जिले	1
34–मेरठ-गाजियाबाद स्थानीय प्राधिकारी	मेरठ, बागपत और गाजियाबाद जिले	1
35–मुजफ्फरनगर-सहारनपुर, हरिद्वार स्थानीय प्राधिकारी	मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और हरिद्वार जिले	1

अनुलग्नक–3

सातवीं अनुसूची

(धारा 47 देखिये)

निधियों की सूची

1–अवमूल्यन रक्षित निधि–सिंचाई ।

2–अवमूल्यन रक्षित निधि–राजकीय मुद्रणालय ।

3–अवमूल्यन रक्षित निधि–सूक्ष्म उपयंत्र निर्माणशाला ।

4–ग्राम्य विकास निधि ।

5–अकाल राहत निधि ।

6–शक्कर शोध और श्रमिक आवास व्यवस्था निधि ।

7–जमींदारी उन्मूलन निधि ।

8–उत्तर प्रदेश सड़क निधि ।

9–चिकित्सालय निधि ।

10–अध्यापक आनुतोषिक निधि ।

11–राज्य पुल निधि ।

12–सामान्य बीमा निधि ।

13–नजूल निधि ।

14–राज्य सहकारिता विकास निधि ।

15–कृषि उधार सहायता और प्रत्याभूति निधि ।

16–किसान सहायता निधि ।

17–मूल्य ह्रास आरक्षित निधि–बिजली ।

18–आकस्मिकता आरक्षित निधि–बिजली ।

19–उत्तर प्रदेश शक्कर फैक्ट्रियां पुनःस्थापन आधुनिकीकरण तथा स्थापना निधि ।

20–उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान एवं विकास निधि ।

21–राज्य विकास ऋणों एवं जमींदारी विनाश प्रतिकर बंधों के विमोचन से संबंधित समेकित ऋण शोधन निधियां ।

22–उत्तर प्रदेश पुलिस गृह निर्माण निधि ।

23–उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी गृह निर्माण निधि ।

24–उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आवास निधि ।

25–संतुलित क्षेत्रीय विकास निधि ।

26–उत्तर प्रदेश युवा कल्याण निधि ।

27–उत्तर प्रदेश छात्र कल्याण निधि ।

28–उत्तर प्रदेश भाषा निधि ।

29–पुलिस कल्याण निधि ।

30–आचार्य नरेन्द्र देव निधि ।

31–आपदा राहत निधि ।

32–पूर्वांचल विकास निधि ।

33–बुन्देलखण्ड विकास निधि ।

34–उत्तर प्रदेश गन्ना मूल्य के भुगतान के लिये ऋण सहायता निधि ।

35–रुग्ण औद्योगिक इकाईयों के उत्पादकता अध्ययन एवं आधुनिकीकरण सहायतार्थ निधि ।

36–सचिवालय निधि ।

37–विधायक निधि ।

अनुलग्नक–4

नवीं अनुसूची

(धारा 66 देखिये)

सरकारी कम्पनियों की सूची

क्र०सं०	सरकारी कम्पनी का नाम	पता
1	2	3
1	उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम लिमिटेड	भूमित्र भवन, 19 बी, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ ।
2	उत्तर प्रदेश कृषि औद्योगिक निगम लिमिटेड	22–विधान सभा मार्ग, लखनऊ ।
3	उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड	7 वां तल, जवाहर भवन, लखनऊ ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3
4	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स निगम लिमिटेड	नवचेतना केन्द्र, अशोक मार्ग, लखनऊ ।
5	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	12 वां तल, विकास दीप, स्टेशन रोड, लखनऊ ।
6	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	4 बी, गोखले मार्ग, लखनऊ ।
7	उत्तर प्रदेश चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड	16/58 ए, सदर भट्ठी रोड, आगरा ।
8	उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड	2–राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ ।
9	उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड	17, गोखले मार्ग, लखनऊ ।
10	उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड	110–औद्योगिक क्षेत्र, फजलगंज, कानपुर ।
11	उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम लिमिटेड	हथकरघा भवन, जी०टी० रोड, कानपुर ।
12	उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड	ए–81, विजयखण्ड–2, गोमतीनगर, लखनऊ ।
13	दी प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ यू०पी० (पिकप)	पिकप भवन, गोमतीनगर, लखनऊ ।
14	दि इंडियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड	कलक्टरबक गंज, बरेली ।
15	उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट निगम लिमिटेड	चुर्क, सोनभद्र ।
16	उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	कपूरथला काम्पलेक्स, अलीगंज, लखनऊ ।
17	उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड	वस्त्र भवन, शारदानगर, कानपुर ।
18	उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	ए–1/4, लखनपुर, पो०बा० नं० 1150, कानपुर ।
19	उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स एण्ड ट्यूबवेल्स कारपोरेशन लिमिटेड	बायांतट, गोमती बैराज, गोमतीनगर, लखनऊ ।
20	उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड	बी–2/5 विकास खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ ।
21	उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	4/13–14, विवेक खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ ।
22	उत्तर प्रदेश पंचायतीराज वित्त निगम लिमिटेड	सी–232, निरालानगर, लखनऊ ।
23	उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम लिमिटेड	सेन्ट्रल डेयरी फार्म, अलीगढ़ ।
24	उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	पी०सी०एफ० भवन, चतुर्थ तल, स्टेशन रोड, लखनऊ ।

1	2	3
25	उत्तर प्रदेश पोल्ट्री एण्ड लाइवस्टाक स्पेशलिटीज लिमिटेड	कैम्पस ऐनिमल हस्बैन्ड्री, बादशाहबाग, लखनऊ ।
26	उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कारपोरेशन लिमिटेड	9–सरोजनी नायडू मार्ग, लखनऊ ।
27	उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड	16–मदनमोहन मालवीय मार्ग, लखनऊ ।
28	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	विश्वेश्वरैया भवन, गोमतीनगर, लखनऊ ।
29	उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/जनजाति विकास निगम लिमिटेड	बी–912, सेक्टर–सी, महानगर लखनऊ ।
30	उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड	लेखराज मार्केट, इन्दिरानगर, लखनऊ ।
31	उत्तर प्रदेश भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	54–एक्स, जापलिंग रोड, लखनऊ ।
32	उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज विकास निगम लिमिटेड	न्यू बेरी रोड, निकट उप गन्ना आयुक्त कार्यालय, लखनऊ ।
33	उत्तर प्रदेश (पश्चिम) गन्ना बीज विकास निगम लिमिटेड	सरकुलर रोड, निकट गन्ना किसान संस्थान, मुजफ्फरनगर ।
34	उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज विकास निगम लिमिटेड	एच०आई०जी०–6, आचार्य राम चन्द्र शुक्ल नगर, देवरिया ।
35	उत्तर प्रदेश (रुहेलखण्ड–तराई) गन्ना बीज विकास निगम लिमिटेड	26–27, बी०डी०ए० कालोनी, शहामतगंज, बरेली ।
36	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड	विपिन खण्ड, निकट ताज होटल, गोमती नगर, लखनऊ ।
37	उत्तर प्रदेश पर्यटन निगम लिमिटेड	चित्रहार, 3–नवल किशोर रोड, लखनऊ ।
38	गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड	74–राजपुर रोड, देहरादून ।
39	कुमायूं मण्डल विकास निगम लिमिटेड	ओकपार्क हाउस, मल्लीताल, नैनीताल ।
40	उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन	बी–2/140, विशाल खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ ।
41	उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम लिमिटेड	प्रथम तल, 118, जवाहर भवन, लखनऊ ।
42	उत्तर प्रदेश बीज एवं तराई विकास निगम लिमिटेड	हल्दी, पन्तनगर, ऊधमसिंह नगर ।
43	कुमायूं अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड	राजमहल होटल परिसर, मल्लीताल, नैनीताल ।
44	गढ़वाल अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड	74–राजपुर रोड, देहरादून ।

अनुलग्नक–5

दसवीं अनुसूची

(धारा 71 देखिए)

कतिपय राज्य संस्थाओं में सुविधाओं का जारी रहना प्रशिक्षण संस्थानों/केन्द्रों की सूची

1–उत्तर प्रदेश प्रशासन अकादमी, नैनीताल ।
2–उत्तर प्रदेश राजकीय वेधशाला, नैनीताल ।
3–प्रबन्ध विकास संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
4–न्यायिक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, लखनऊ ।
5–पुलिस प्रशिक्षण अकादमी–1, मुरादाबाद ।
6–पुलिस प्रशिक्षण अकादमी–2, मुरादाबाद ।
7–पुलिस प्रशिक्षण अकादमी–3, गोरखपुर ।
8–सशस्त्र प्रशिक्षण केन्द्र, सीतापुर ।
9–पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद ।
10–पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, गोरखपुर ।
11–रंगरूट प्रशिक्षण केन्द्र, चुनार, मिर्जापुर ।
12–राज्य अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण महाविद्यालय, उन्नाव ।
13–सम्पूर्णानन्द कारागार प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ ।
14–सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबन्ध, लखनऊ ।
15–राजा टोडरमल सर्वेक्षण और भूमि अभिलेख प्रशिक्षण संस्थान, हरदोई ।
16–चकबन्दी प्रशिक्षण महाविद्यालय, फैजाबाद ।
17–प्रदेशीय अभियन्ता प्रशिक्षण संस्थान, कालागढ़ ।
18–जल एवं भूमि प्रबन्ध संस्थान, लखनऊ ।
19–वित्त और लेखा प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ ।
20–सहकारी और पंचायत लेखा परीक्षक प्रशिक्षण केन्द्र, फैजाबाद ।
21–स्थानीय निधि परीक्षक प्रशिक्षण संस्थान, इलाहाबाद ।
22–विक्रय कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ ।
23–राज्य विद्युत बोर्ड प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून ।
24–उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड कर्मचारिवृन्द महाविद्यालय, देहरादून ।
25–तापीय प्रशिक्षण संस्थान, उ० प्र० रा० वि० बो०, ओबरा, सोनभद्र ।
26–केन्द्रीय नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ ।
27–दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ ।
28–लघु सिंचाई और जल उपयोग प्रशिक्षण केन्द्र, बक्शी का तालाब, लखनऊ ।
29–श्रीमती इन्दिरा गांधी सहकारी प्रशिक्षण अकादमी, लखनऊ ।
30–सहकारी प्रशिक्षण अकादमी, देहरादून ।
31–कृषि सहकारी प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ ।
32–सहकारी और निगमित प्रबन्ध शोध और प्रशिक्षण संस्थान, इन्दिरा नगर, लखनऊ ।
33–गन्ना विकास संस्थान, लखनऊ ।

विधान सभा

34–उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम प्रशिक्षण संस्थान, कानपुर ।
35–उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा शोध और प्रशिक्षण बोर्ड, इलाहाबाद ।
36–अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति शोध और प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ ।
37–होटल प्रबन्ध और खान-पान संस्थान, देहरादून ।
38–शोध विकास और प्रशिक्षण संस्थान, कानपुर ।
39–उत्तर प्रदेश आबकारी प्रशिक्षण संस्थान, रायबरेली ।
40–केन्द्रीय श्रम शिक्षा बोर्ड, कानपुर ।
41–राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, उत्तर प्रदेश, इन्दिरा नगर, लखनऊ ।
42–कार्यालय निरीक्षणालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
43–राज्य नियोजन संस्थान, प्रशिक्षण प्रभाग, कालाकाकर हाऊस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ ।
44–उद्यमिता विकास संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
45–होटल प्रबन्ध और खान-पान संस्थान, अल्मोड़ा ।
46–मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद ।
47–राजकीय वास्तुकला महाविद्यालय, लखनऊ ।
48–केन्द्रीय वस्त्र संस्थान, कानपुर ।
49–इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड रूरल टेक्नालोजी, इलाहाबाद ।
50–नादर्न रीजनल इंस्टीट्यूट आफ प्रिंटिंग टेक्नालोजी, इलाहाबाद ।
51–खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, 8 तिलक मार्ग, लखनऊ ।
52–डा० अम्बेडकर इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालोजी फार हैण्डीकेप्ड, कानपुर ।
53–राजकीय चर्म संस्थान, आगरा ।
54–राजकीय चर्म संस्थान, कानपुर ।
55–संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद्, लखनऊ ।
56–गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2000†

आबकारी मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2000 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2000 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2000 को पुरःस्थापित करता हूं ।

नोटः–† दिनांक 4-4-2000 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अधिष्ठाता–

मैं सदन को एक सूचना देना चाहता हूं :–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने आज दिनांक 3-4-2000 की बैठक में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :–

1–दिनांक 4 तथा 5 अप्रैल, 2000 को बैठकें न हों ।

2–सदन द्वारा पूर्व अनुमोदित कार्यक्रम में से दिनांक 4 अप्रैल, 2000 का कार्यक्रम 6 अप्रैल, 2000 के लिये रख दिया जाय तथा दिनांक 5 अप्रैल, 2000 के लिये निर्धारित एवं अनुमोदित कार्यक्रम 7 अप्रैल, 2000 के लिये रख दिया जाय ।

3–दिनांक 7 अप्रैल, 2000 को असरकारी दिवस न लिया जाय ।

4–दिनांक 7 अप्रैल, 2000 के पश्चात् का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम यथावत् रखा जाय ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश जिसकी सूचना आज श्री अधिष्ठाता द्वारा सदन को दी गयी है, से सहमत है ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जो संसदीय कार्य मंत्री ने रखा है, से सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियन्त्रण हेतु एक समान नीति बनायी जाय तथा उसे बिना भेदभाव के सभी नागरिकों पर कड़ाई से लागू किया जाय" विषयक डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी के नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर निर्धारित चर्चा का स्थगन ।

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या–9 स्थगित किया जाता है ।

नियम 51 की सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज नियम 51 के अन्तर्गत कुल 10 सूचनायें प्राप्त हुईं । जिसमें पहली सूचना

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की — बेरोजगार आयुर्वेदिक यूनानी फार्मेसिस्टों के कतिपय मांगों को लेकर चल रहे धरने तथा क्रमिक अनशन से उत्पन्न स्थिति विषयक सूचना वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई ।

निम्नलिखित सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित उनकी सूचनाएं केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं :–

1–श्री गोपाल कृष्ण — राजकीय मोहन होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ के स्थानीय राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, गोमती नगर, लखनऊ में विलय की आड़ में अतिथि प्रवक्ताओं को सेवा से पृथक करने की योजना के सम्बन्ध में ।

2–डा० वकार अहमद शाह — संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय, षष्ठ मण्डल, लखनऊ की उदासीनता तथा मनमानी कार्य प्रणाली के कारण प्रौढ़ शिक्षा के छटनीशुदा पर्यवेक्षकों, जिन्हें शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक (एल०टी०) पदों पर समायोजित किया गया था, के वेतन निर्धारण प्रकरणों को निस्तारित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

3–श्री पूर्णमासी पंकज — जनपद सन्त रविदास नगर भदोही के विकास खण्ड सुरियावां के ग्राम हरदुआ का बैंक 18 कि०मी० दूर होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

निम्नलिखित सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित उनकी सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया :–

1–डा० कौशल किशोर — जनपद लखीमपुर खीरी में ग्राम नरदवल पुरवा व ग्राम धौरहरा ब्लाक लखीमपुर के जल भराव को दूर करने के सम्बन्ध में ।

2–श्री रघुबर दयाल वर्मा — फिरोजाबाद नगर में वर्षा और गन्दे पानी की जल निकासी हेतु कतिपय नये नालों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में ।

3–श्री तेजभान सिंह — खण्ड विकास अधिकारी, गौरीगंज, जनपद–सुल्तानपुर द्वारा की जा रही अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में ।

4–श्री शिवचरन प्रजापति — प्रमुख अधीक्षिका, वीरांगना अवन्तीबाई लोधी महिला चिकित्सालय, लखनऊ द्वारा कथित रूप से किये जा रहे कर्मचारियों के उत्पीड़न के सम्बन्ध में ।

श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना एवं श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी की सुचनाएं अस्वीकृत हुईं ।

अब हम उठते हैं । दिनांक 6 अप्रैल, 2000 को 11.00 बजे पुनः बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 7 बजकर 25 मिनट पर गुरुवार दिनांक 6 अप्रैल, 2000 को दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया) ।

लखनऊ :
दिनांक 3 अप्रैल, 2000

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'क'

(देखिये अता० प्र० सं०–92 का उत्तर पीछे पृष्ठ 53 पर)

विधानसभा के प्रथम सत्र 2000 के तीसरे सोमवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–92 का संलग्नक

निःशुल्क सुरक्षा प्राप्त महानुभाव	भुगतान पर सुरक्षा प्राप्त महानुभाव
1–श्री प्रीतम सिंह	1–श्री मोहन सिंह
2– " अमरजीत सिंह	2– " आर० आर० आजाद, प्रधानाचार्य
3– " सुरेश कुमार त्यागी	3– " योगेन्द्र कंशल
4– " मामचन्द, पूर्व विधायक	4– " धर्मसिंह मौर्य, अध्यक्ष, जिला पंचायत
5– " कर्ण सिंह सैनी	5– " राम स्वरूप नीम, पूर्व विधायक
6– " धर्मेन्द्र सिंह	6– " मूलचन्द अग्रवाल
7– " पाल्ला सिंह	7– श्रीमती शशीबाला पुण्डीर, पूर्व विधायिका
8– " देवेन्द्र सिंह	8– श्री अमीचन्द शर्मा
9– " एस० पी० सिंह	9– " योगेन्द्र कुमार गर्ग
10– " सुखदेव सिंह	10– " राकेश कुमार
11– " बिनोद वर्मा	11– " हर्ष कुमार गर्ग
12– " सुरेन्द्र शर्मा	12–सोना जैन, पत्रकार
13– " संजय सिंघल	13–श्री यशवीर सिंह मित्तल
14– " ताहिर हसन	14– " सुबोध ललित
15– श्रीमती बलबीर कौर	15– " रमेश सिंघल
16–चौ० इरसाद खां	16–श्री अनुपम गर्ग
17– श्री देवेन्द्र सिंह अग्रवाल	17– " विवेक गुप्ता
18– आचार्य महामण्डलेश्वर स्वामी राजेश्वरानन्द	18– " जगपाल सिंह, पूर्व सांसद
	19– " मोहम्मद अकरम
	20– " पवन कुमार
	21– " सी० पी० अग्रवाल
	22–" राजेश जैन
	23– " विजय गर्ग
	24– " जहांगीर सिंह
	25– " जीशान कुरेशी

पी०एस०यू०पी०–एल० 206 विधान सभा (399)–2000-813 (डी०टी०पी०) ।